45वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

संभावनाओं का
सृजन करते हुए...
ऊर्जावान भारत की ओर...

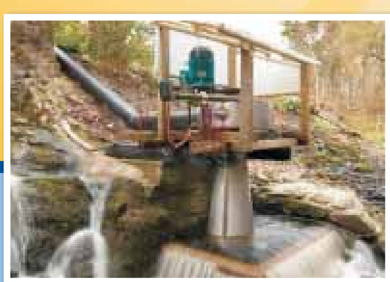

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

(i) ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना

(ii) देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरचना, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहक हितैषी विकासपरक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैंः-

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन करना।

2. दूर-दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एव अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।

4. निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित निगमित लक्ष्य पूरे करना जैसे (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना; (ii) बिजली की मांग का विकास करना; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन करना।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में।

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

विषय सूची

1.	कंपनी के बारे में सूचना	2
2.	निदेशक मंडल	3
3.	कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें	4
4.	शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र	6
5.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	13
6.	निदेशकों का विवरण	22
7.	निदेशकों की रिपोर्ट	24
8.	प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	54
9.	निगमित सुशासन की रिपोर्ट	62
10.	निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	83
11.	कारोबार दायित्व रिपोर्ट	84
12.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	95
13.	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(ड़)के अनुसरण में विवरण	96
14.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत कार्यकलापों संबंधी रिपोर्ट	97
15.	डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण	106
16.	तुलन पत्र	108
17.	लाभ एवं हानि लेखा	109
18.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	110
19.	लेखा टिप्पणियां	114
20.	नकदी प्रवाह विवरण	145
21.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उनका शुद्धिपत्र	149
22.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	152
23.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	153
24.	समेकित वित्तीय विवरण	154
25.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	191
26.	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में विवरण	192
27.	प्रबंधन दल	193
28.	आरईसी कार्यालयों के पते	195

कंपनी के बारे में सूचना

कारपोरेट कार्यालय

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री प्रकाश ठक्कर निदेशक (तकनीकी)	श्री अजीत कुमार अग्रवाल निदेशक (वित्त)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती आभा आनन्द किशोर

कार्यकारी निदेशक

श्री विनोद बिहारी कार्यकारी निदेशक (मा.स. एवं सीसी/रा.भा.)	श्री डी.एस. आहूवालिया कार्यकारी निदेशक (सीआईआरई/परियोजना मॉनीटरिंग)	श्री अशोक अवस्थी कार्यकारी निदेशक (प्रशा./आरईएन एंड एसडी/एस्टेट)	डा. दिनेश अरोड़ा कार्यकारी निदेशक (आरजीजीवीवाई-1/डीडीजी) एवं सीईओआरईसीपीडीसीएल
श्री संजीव गर्ग कार्यकारी निदेशक (ऋण एवं वसूली/एएलएम/कराधान)	श्री सुनील कुमार कार्यकारी निदेशक (आरजीजीवीवाई-ii/आईटी)	श्री एस.के. गुप्ता कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण/एनईएफ)	श्री राकेश कुमार अरोड़ा कार्यकारी निदेशक (संसा./सीए/सीपी/सीएसआर)

महाप्रबंधक

श्री एस.एन गायकवाड़ महाप्रबंधक एवं सीईओ-आरईसीटीपीसीएल	श्री टी.एस.सी. बोस महाप्रबंधक (आरजीजीवीवाई)	श्री निदेश कुमार महाप्रबंधक (रिन्यूएबल एनर्जी)	श्री जी.एस. भाटी महाप्रबंधक (आरजीजीवीवाई / डीडीजी)
श्री सी.पी. भाटिया महाप्रबंधक (आईए)	श्री एल.एम. वर्मा महाप्रबंधक (ऋण एवं वसूली)	श्रीमती कल्पना कौल महाप्रबंधक (मा.सं. एवं सीसी/रा.भा.)	
श्री जे.एस. अमिताभ महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	श्री एस.एल. बत्ता महाप्रबंधक (विधि)एवं पीआईओ	श्री जी.वी. महेन्दर महाप्रबंधक (एनटिटि अप्रेजल)	श्री अजोय चौधरी महाप्रबंधक (वित्त) स्वीकृति
श्री वी.के. सिंह महाप्रबंधक (जेनरेशन)	श्री फुजैल अहमद महाप्रबंधक (पीएमजी)		

आंचलिक प्रबंधक

श्री आर.पी. वैष्णव आंचलिक प्रबंधक पश्चिमी अंचल, मुंबई	श्री जयदेव बनर्जी आंचलिक प्रबंधक पूर्वी अंचल, कोलकाता	श्री राकेश सरीन आंचलिक प्रबंधक उत्तरी अंचल, पंचकुला
श्री पी.एस. हरिहरन आंचलिक प्रबंधक दक्षिणी अंचल, बंगलौर	श्री एन.के. मौर्या आंचलिक प्रबंधक पूर्व मध्य अंचल, लाखनऊ	

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
दूरभाषः 91 11 24365161, फैक्सः 91 11 24360644, ई-मेलः reccorp@recl.nic.in वेबसाइटः www.recindia.gov.in

कारपोरेट पहचान सं. (सीआईएन)

L40101डीएल1969जीओआए005095

कंपनी सचिव

श्री जे. एस. अमिताभ

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट 17 से 24, विठ्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500081, भारत, दूरभाषः 91 40 44655000
फैक्सः 91 40 23420814, ई-मेलः einward.ris@karvy.com, वेबसाइटः www.karvycomputershare.com

जहां शेयर सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपाजिटरी

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड | सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक

पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी सनदी लेखाकार	राज हर गोपाल एंड कंपनी सनदी लेखाकार

सचीवालयीय लेखापरीक्षक

चद्रशेखरन एसोसिएटस, कंपनी सचिव

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद विजया बैंक	देना बैंक कारपोरेशन बैंक एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक	आईडीबीआई बैंक इंडस इंड बैंक बैंक ऑफ इंडिया आरबीएल बैंक	यैस बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक हॉगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

निदेशक मंडल

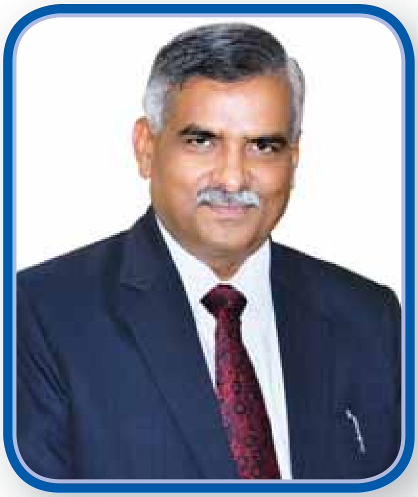

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रकाश ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री बी.एन.शर्मा
सरकारी नामिती निदेशक

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता
अंशकालिक गैर सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

निष्पादन संबंधी मुख्य विशेषताएं
10 वर्षों से लगातार वृद्धि

विवरण	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
शेयरधारकों की निधि (वर्ष के अन्त में) (₹ लाख में)										
इक्विटी शेयर पूंजी	**98746**	98746	98746	98746	98746	85866	85866	78060	78060	78060
प्रारक्षित एवं अधिशेष	**1968200**	1646692	1357558	1180116	1009288	533142	450905	323211	341773	299830
नेटवर्थ	**2066946**	1745438	1456304	1278862	1108034	619008	536771	401271	419833	377890
उधारियां (₹ लाख में)										
भारत सरकार से	**793**	1514	2464	3613	4942	6474	8192	10048	11997	14017
बांड/ऋणपत्र	**10280671**	8524904	7137220	5120853	4085714	3263148	2408961	2161163	1675724	1360591
वित्तीय संस्थाओं से	**299500**	402000	437000	472000	407000	335000	350000	350000	350000	350000
विदेशी मुद्रा उधारियां	**1762115**	1523819	1069809	760590	207637	149367	104845	87209	-	-
बैंकों से मियादी ऋण	**26940**	78880	109154	646914	581143	480105	443480	379680	315700	147200
वाणिज्यिक पेपर	**254000**	98000	-	-	245000	129500	-	-	-	-
अल्प अवधि/मांग ऋण	**-**	150000	250000	-	63000	130000	112800	40000	50500	66000
जोड़	**12624019**	10779117	9005647	7003970	5594436	4493594	3428278	3028100	2403921	1937808
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान) (₹ लाख में)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**1035**	1031	1091	658	492	506	881	748	661	1523
अनुमोदित वित्तीय सहायता	***7073948**	*7947049	*5129677	*6641998	*4535736	*4074584	*4676976	*2862985	*1659689	1631636
संवितरण	**3796999**	4018306	3059330	2851711	2712714	2227786	1630370	1373299	800658	788509
कर्जदारों द्वारा चुकौतियां	**1426045**	1334592	811969	877258	580654	511936	560024	403444	350646	468324
वर्ष के अंत में बकाया	**14864110**	12735552	10142626	8172545	6597875	5065281	3861483	3126218	2456368	2106218
उपलब्धियां (नंबर में)										
अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण										
वर्ष के दौरान	**1197**	2587	7934	18306	18374	12056	9301	28706	9819	-
वर्ष के अंत तक	**108280**	107083	104496	96562	78256	59882	47826	38525	9819	-
बीपीएल आवासों को निशुल्क बिजली कनेक्शन जारी करना										
वर्ष के दौरान	**961730**	1296541	3444902	5883355	4718468	3084788	1621182	655773	16815	-
वर्ष के अन्त तक	**21683554**	20721824	19425283	15980381	10097026	5378558	2293770	672588	16815	-
ऊर्जायित पंप										
वर्ष के दौरान	**264165**	254993	329022	318176	240020	188743	181244	174750	182239	175772
वर्ष के अंत तक	**10516606**	10252441	9997448	9668426	9350250	9110230	8921487	8740243	8565493	8383254
कार्यशील परिणाम (₹ लाख में)										
कुल व्यय	**1712080**	1359867	1050907	849526	670760	493128	353766	285400	224506	230209
वित्त लागत	**1003846**	808376	643135	485101	391285	289870	207275	176478	135577	121995
ऋण परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	**31202**	13068	5227	22	22	237	3999	2105	-	-
अन्य व्यय	**23499**	21653	22932	16472	14527	11217	11111	6085	5836	4445
मूल्यह्रास	**421**	375	327	303	215	136	139	113	110	115
कर पूर्व लाभ	**653112**	516395	379286	347628	264711	191668	131242	100619	82983	103654
कराधान हेतु प्रावधान	**184742**	134633	97583	90635	64569	64460	45227	34593	19232	25518
कर पश्चात लाभ	**468370**	381762	281703	256993	200142	127208	86015	66026	63751	78136
इक्विटी पर लाभांश	**93809**	81465	74059	74059	60321	38640	25760	17700	19126	23450

* आरजीजीवीवाई के तहत आर्थिक सहायता को छोड़कर।

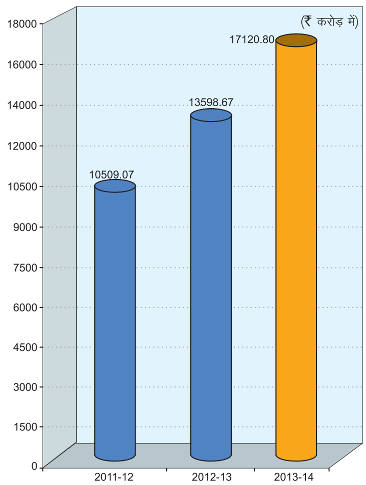

कुल आय

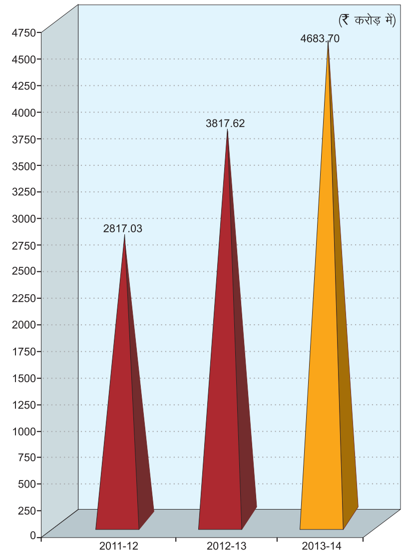

कर पश्चात लाभ

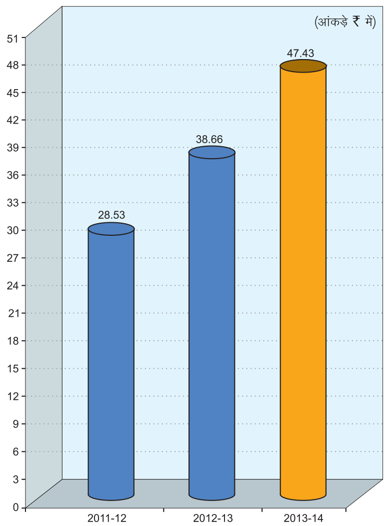

₹ 10 के प्रति शेयर अर्जन

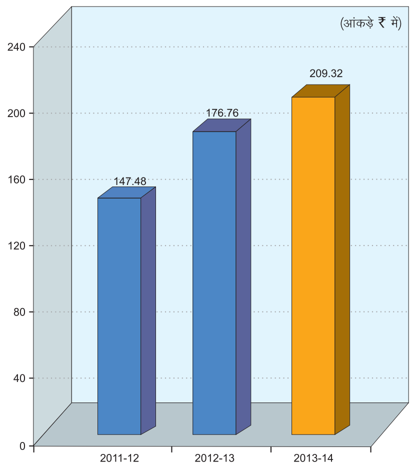

बही मूल्य

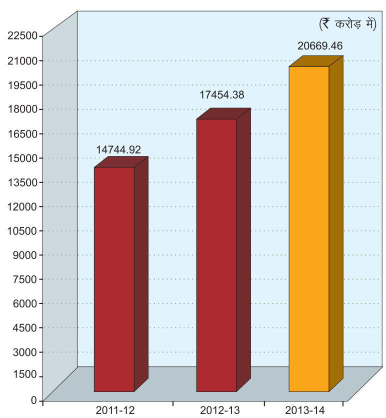

नेटवर्थ

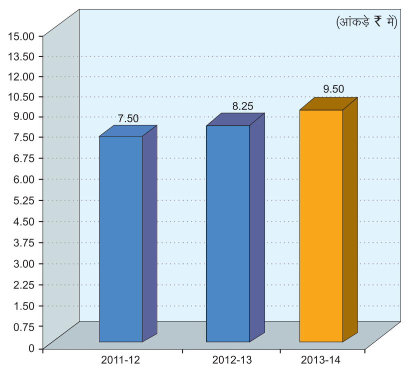

₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश

शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र

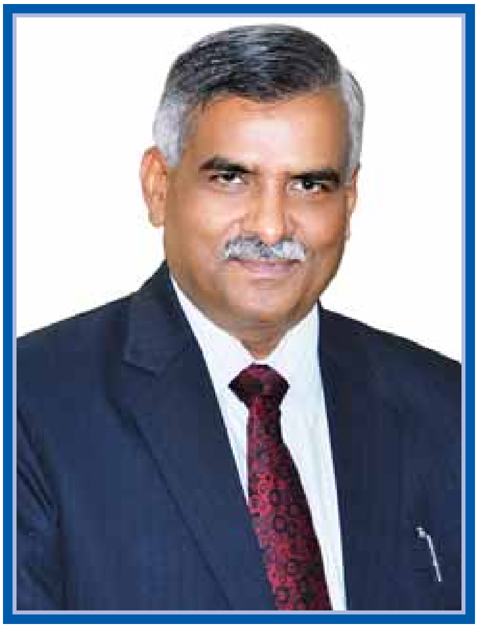

देवियो और सज्जनो,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के निदेशक मंडल की ओर से एवं स्वयं अपनी ओर से मुझे कंपनी की पैंतालीसवीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मेरा यह सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी 'नवरत्न' कंपनी का प्रमुख हूं, जिसका शुरू होने से लेकर पिछले 45 वर्षों से समग्र कार्य-निष्पादन, संवृद्धि और लाभकारिता का लगातार उत्कृष्ट रिकार्ड रहा है और आज यह देश की एक ऐसी प्रमुख सरकारी वित्तीय संस्था है, जो संपूर्ण विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं की लगभग सभी आवश्यकताओं का वित्तपोषण कर रही है।

मुझे आशा है कि आप सभी को आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन के तुरंत संदर्भ के रूप में कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं सहित 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व, आइए, मैं आपको संक्षेप में आर्थिक तथा वित्तीय माहौल की जानकारी दे दूं जिसने कंपनी के समग्र कार्यनिष्पादन को अत्याधिक प्रभावित किया है।

आर्थिक माहौल

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, वैश्विक आर्थिक स्थिति अत्यंत अनिश्चित तथा कमजोर रही जो विश्व की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अवमंदित संवृद्धि (सब्डयूड ग्रोथ)की द्योतक है। वर्ष 2013 के पूरे समय वृहद्-आर्थिक स्थिति अस्पष्टष्ट(ब्लीक) थी तथा इसे निरंतर उच्च ब्याज दरों, मुद्रास्फीतिकारी दबाव, बढ़ती ऊर्जा कीमतों, कमजोर निवेश मानसिकता(सेंटीमेंटस), संरचनात्मक कमियों, बाजार उत्प्लावकता (वोलेटिलिटी), राजनैतिक अस्थिरता तथा समष्टि अर्थव्यवस्था असंतुलनों का सामना करना पड़ा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनेक उभरती (इमर्जिंग) अर्थव्यवस्थाओं में मंदी पर्याप्त 'दुर्वह' थी तथा इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से अनेक अर्थव्यवस्थाएं दोषपूर्ण/असुरक्षित(vulnerable)रहीं। यद्यपि वैश्विक आर्थिक क्रियाकलापों में हलका सुधार होना निश्चित है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट अभी टला नहीं है। वर्ष 2013 में वैश्विक जीडीपी में 3.0% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2012 में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी तथा वर्ष 2014 में 3.5% की वृद्धि होने की संभावना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस मंदी का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत में 5% से भी कम दर पर जीडीपी की वृद्धि दर प्राप्त करने पर वृद्धि में ह्रास दर्शाना जारी रखा। निवेश चक्र में मंदी, निरंतर उच्च मुख्यरेखा मुद्रास्फीति तथा उत्पलावक (volatile)मुद्रा और ब्याज दरों के कारण समष्टि अर्थव्यवस्था परिदृश्य काफी चिंताजनक था। वर्ष के दौरान बुनियादी सुविधाओं में निजी निवेश में गिरावट का रूझान जारी रहा। अवसंरचना क्षेत्र के सामने आ रही समस्याएं भलीभांति विदित हैं तथा सरकार ने परियोजना निषादन में आने वाले अवरोधों/कमियों को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए। आशा है कि स्पष्ट बहुमत वाली नई सरकार उन अवरोधों/कमियों को समाप्त करने में समर्थ होगी जिन्होंने अर्थव्यवस्था को तथा विशेष रूप से अवसंरचना क्षेत्र को प्रभावित किया है। यह आवश्यक है कि निवेश चक्र को शुरू किया जाए तथा निवेशकों में पुनः विश्वास लाया जाए जिस पर पिछले कुछ वर्षों में मंदनकारी (beating over) प्रभाव पड़ा है। निवेशक क्षेत्र में वापस लौटने से पूर्व सरकारी नीति में स्थिरता तथा अनुमेयता(प्रीडिक्टेबिलिटी) के संकेतों तथा कम हुई निष्पादन चुनौतियों की ओर देख रहा है।

विद्युत क्षेत्र

भारतीय विद्युत क्षेत्र ईंधन के क्षेत्र में अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस समय देश में 249 गीगावाट से अधिक की कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता के साथ ताप विद्युत संयंत्र, जो उच्चतम उत्पादन क्षमता है, ईंधन की अपर्याप्त आपूर्ति से संघर्षरत हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निम्न पीएलएफ पर प्रचालन करना पड़ रहा है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला आरक्षित भंडार होने के बावजूद, देश के विद्युत क्षेत्र को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कोयला प्राप्त नहीं होता। कोल इण्डिया का उत्पादन घरेलू कोयला आधारित विद्युत क्षमता में वृद्धि की गति के साथ चलने में असमर्थ रहा है। संभावना है कि विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला आयात में वृद्धि होगी। राष्ट्रपति के एक निदेश के आधार पर, कोल इण्डिया ने अब लगभग 78 गीगावाट के ऐसे विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो निर्माणाधीन हैं। गैसाधारित संयंत्रों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, जिनके समाधान के स्पष्ट आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र की समग्र व्यवहार्यता के लिए विद्युत का मजबूत वितरण क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के लिए वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम को मिश्रित सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि अनेक डिस्कॉम ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है पर अनेक राज्यों में इसके क्रियान्वयन में अधिक प्रगति नहीं हुई है। अक्षय ऊर्जा में अभूतपूर्व संवृद्धि परिलक्षित हुई है तथा इस का हिस्सा ही स्वयं अपने आप में देश में उत्पादन स्रोतों के लिए ईंधन मिश्रण में अवश्यंभावी प्रमुख अंतरण का संकेत है।

वर्तमान में भारतीय विद्युत क्षेत्र के सामने आ रही प्रमुख चुनौतियों यथा अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक कोयला संपर्कन में असफलता, केप्टिव कोयला खानों से योजनाबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना, आयात किए जाने वाले ईंधन मूल्यों में वृद्धि होना, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और

पुनर्स्थापन (आर एवं आर), पर्यावरण तथा जल संबंधी मुद्दों, योग्य बीओपी आपूर्तिकर्ताओं की कमी, वित्तीय समापन में विलंब आदि का सामना न करना पड़ता तो क्षमता संवर्धन कहीं अधिक होता।

12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षमता में 88,537 मेगावाट की संवृद्धि के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में विद्युत क्षेत्र के लिए समग्र निधि की आवश्यकता का अनुमान लगभग ₹ 14 लाख करोड़ का लगाया गया है। 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि सकल घरेलू उत्पाद की 9% की संवृद्धि दर पर वर्ष 2022 तक दर्शाई गई मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारेषण और वितरण प्रणाली में अपेक्षित विस्तार के साथ 94,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी।

विद्युत उत्पादन - पारेषण - वितरण की श्रृंखला में राजस्व का सृजन करने वाली कड़ी अर्थात वितरण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में स्पष्टतः सबसे कमजोर कड़ी है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र में सुधार की संपूर्ण प्रक्रिया के डगमगाने का खतरा है तथा साथ ही भारत की संवृद्धि पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वितरण क्षेत्र घाटे के कारण लड़खड़ा रहा है और भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों को समर्थ बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों सहित यह केन्द्र में है।

यद्यपि अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों का पृथक्कीकरण (unbundled) कर दिया गया है, वितरण का कार्य अभी भी काफी हद तक सरकारी यूटिलिटियों के नियंत्रण में है। पृथक्कीकरण के बाद विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर उनके प्रचालनों के अभी तक वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। उच्च समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों के कारण विद्युत वितरण यूटिलिटियों की खराब होती आर्थिक स्थिति, अधिकांश राज्यों में संबंधित विद्युत विनियामक आयोगों के निदेशों के बावजूद सिद्धांततः तथा अक्षरशः टैरिफ में संशोधन किए जाने में असमर्थता, सब्सिडी के भार में निरंतर वृद्धि, घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को उद्योग द्वारा अनुप्रस्थ आर्थिक सहायता, बिलों में त्रुटियों और सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस कमी को पूरा करने के लिए मंहगी बिजली खरीदने की जरूरत के कारण इन नीतिगत पहलों के पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों में सुधार लाने और उनका दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के स्वामित्वाधीन विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन योजना, अर्थात संक्रमणीय वित्त तंत्र (टीएफएम) का निरूपण भारत सरकार द्वारा किया गया है। इस तंत्र में राज्य सरकार और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) से वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) का अनुमोदन, प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस), के बीच के अंतर को कम करने के लिए टैरिफ में संशोधन, केवल राज्य सरकार को ही सब्सिडी जारी करना जिसे बाद में एआरआर में समायोजित किया जाएगा, लेखापरीक्षित लेखाओं को नियमित रूप से दर्ज करना, आर-एपीडीआरपी और एनईएफ में प्रौद्योगिकी संबंधी उपाय करके उन्हें प्रोत्साहित करना, यूटिलिटी-वार सुधार योजना तैयार करना और उच्चतम स्तर पर इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना शामिल हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने इस क्षेत्र के लिए ₹ 3.14 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया है, जिसमें पुनःसंरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की योजना और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शामिल हैं। आर-एपीडीआरपी का मुख्य ध्यान हानियों में स्थायी कमी करने, वास्तविक मूलभूत आंकड़ों के स्थायी संकलन के लिए विश्वसनीय और स्वचालित प्रणाली की स्थापना करने और ऊर्जा लेखाकरण के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के अर्थ में वास्तविक, प्रदर्शनीय कार्य-निष्पादन पर है। आरजीजीवीवाई योजना में सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली की पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की बुनियादी सुविधाओं और घरेलू बिजलीकरण का प्रावधान है। आर-एपीडीआरपी और एनईएफ में अतःनिर्मित कार्य-निष्पादन के अभिमुखीकरण से वितरण अवसंरचना में आकर्षक और त्वरित निवेश होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप क्षतियां कम करने के लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार विद्युत क्षेत्र जीवंत बना रहने के लिए तत्पर है तथा भविष्य में महत्वपूर्ण निवेश आकृष्ट करेगा।

कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य बातें

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 में वसूली, प्रचालनात्मक आय और लाभ जैसे मुख्य क्षेत्रों में उच्च संवृद्धि की है और रिकार्ड निष्पादन किए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कुल ₹ 37,969.99 करोड़ का संवितरण किया गया था (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और डीडीजी के तहत आर्थिक सहायता सहित), जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 40,183.06 करोड़ थी। आपकी कंपनी की गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर कम रहा। वित्त वर्ष 2013-14 में आपकी कंपनी की कुल प्रचालनात्मक आय 26% बढ़कर ₹ 17,017.98 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 13,537.37 करोड़ थी। कर-पश्चात लाभ 23% बढ़कर ₹ 4,683.70 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष ₹ 3,817.62 करोड़ था।

आपकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडी और फिच से क्रमशः 'बीएए3' तथा 'बीबीबी' की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की सबसे उच्चतम रेटिंग के समतुल्य है। 'बीएए3' श्रेणीकृत बाध्यताएं मामूली क्रेडिट जोखिम निर्दिष्ट करती है तथा 'बीबीबी' श्रेणीकृत बाध्यताओं से तात्पर्य है कि व्यतिक्रम जोखिम की प्रत्याशाएं वर्तमान में कम हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भी आपकी कंपनी ने अपने विशिष्ट संसाधन जुटाव कार्यक्रम के लिए क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इकरा जैसी घरेलू रेटिंग एजेंसियों से उनके द्वारा समनुदेशित 'एएए' की सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त करना बरकरार रखा है। निरंतर उच्च रेटिंग प्राप्त करना, सुदृढ़ मूलभूत तथ्यों तथा अंतर्निहित वित्तीय शक्ति वाली एक संस्था के रूप में आरईसी की सुदृढ़ स्थिति का सबूत है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अपनी प्रचालन आवश्यकताओं के लिए बाजार से ₹ 36,934.37 करोड़ जुटाए हैं। इनमें संस्थागत बांडों के निर्गम के जरिए जुटाए गए ₹ 17,403 करोड़, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv) (एच) के तहत कर-मुक्त प्रतिभूत उन्मोचनीय अपरिवर्तनीय बांड के रूप में जुटाए गए ₹ 6000 करोड़ शामिल हैं, (प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 1500 करोड़ और सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से ₹ 4,500

करोड़)। कम्पनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट प्राप्त प्रतिभूत उन्मोचनीय अपरिवर्तनीय कर योग्य बांडों के रूप में ₹ 5349.91 करोड़ जुटाए। इसके अतिरिक्त कमर्शियल पेपर (सीपी) के माध्यम से ₹ 4986.16 करोड़ और सावधि ऋणों के जरिए ₹ 1,195 करोड़ जुटाए गए। कम्पनी द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारों के जरिए भी ₹ 1,780.28 करोड़ और केएफडब्ल्यू, जर्मनी और जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), जापान से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के रूप में ₹ 220.02 करोड़ जुटाए गए हैं।

लाभांश

28 फरवरी, 2014 को प्रदत्त ₹ 7.75 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.75 प्रति शेयर (केवल एक रुपए और पचहत्तर पैसे) (प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) की दर से अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो 45वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कुल लाभांश प्रति शेयर (प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) पर ₹ 9.50 (नौ रुपए पचास पैसे) बनता है, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 95.00% का द्योतक है जबकि पिछले वर्ष ₹ 8.25 प्रति शेयर पर यह कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 82.50% था। वित्त वर्ष के लिए अदा किया जाने वाला कुल लाभांश ₹ 938.09 करोड़ होगा (₹ 159.40 करोड़ का लाभांश संवितरण कर निकालकर)।

विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण

यह कंपनी ग्राम विद्युतीकरण और पंपसेट ऊर्जायन के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती रही है। इस कंपनी ने देश में पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के अधीन नई विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सृजन और विद्यमान एक बुनियादी सुविधा में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है। 'सबके लिए बिजली' सुलभ करवाने और तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों में कमी लाने के देश के उद्देश्य से, कंपनी वर्तमान पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर और इससे अधिक महत्वपूर्ण वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की परियोजनाओं पर विशेष जोर दे रही है। इसके लिए कंपनी ने ट्रांसफार्मर, मीटर, कैपेसिटर आदि में तथा निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली को उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली में बदलने के लिए निवेश को वित्तपोषित किया है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आपकी कंपनी ने विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण ऋण की 23 स्कीमें मंजूर की हैं, जिनमें अतिरिक्त ऋण सहायता की 9 स्कीमें भी शामिल हैं और इनका कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 28,723.50 करोड़ है, जिसमें अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सामूहिक वित्तपोषण भी शामिल है और चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं (नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं सहित) के लिए ₹ 12987.43 करोड़ संवितरित किए हैं।

पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण

आपकी कंपनी ने देश में पारेषण और वितरण नेटवर्क के अधीन नई बुनियादी सुविधाओं के सृजन और विद्यमान एक बुनियादी सुविधा में सुधार करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है। सभी के लिए बिजली सुलभ कराने और तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप आपकी कंपनी पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए योजनाओं का वित्तपोषण करती रही है और इनमें वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, इस कंपनी ने पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए ₹ 32014.99 करोड़ का कुल ऋण मंजूर किया है और ₹ 10,789.09 का कुल ऋण संवितरित किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, विद्युत उत्पादन तथा पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने ग्रिड से जुड़ी 6 नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 295.48 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनकी कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 98 मेगावाट है। इनमें 75 मेगावाट की 3 सौर फोटो-वोल्टायक परियोजनाएं, 21 मेगावाट की 2 लघु जल विद्युत परियोजनाएं तथा 2 मेगावाट की एक पवन परियोजना शामिल है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 134.99 करोड़ की राशि संवितरित की है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अपने प्रतिष्ठित कार्यक्रम के माध्यम से 'सभी गांवों को बिजली' और 'सबके लिए बिजली सुलभ' के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस योजना के अधीन, परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। विद्युत मंत्रालय ने ₹ 35,447 करोड़ की पूंजीगत आर्थिक सहायता के साथ योजना को XII वी तथा XIII वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए भी अनुमोदन दे दिया है जिसमें से ₹ 23,397 करोड़ की पूर्ति XII वीं पंचवर्षीय योजना की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से की जाएगी तथा शेष ₹ 12,050 करोड़ की पूर्ति XIII वीं पंचवर्षीय योजना से की जाएगी। आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के अधीन दिनांक 31.03.2014 तक संचयी रूप में 1,08,280 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और 2.16 करोड़ बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान, ₹ 2686.97 करोड़ की आर्थिक सहायता (जिसमें आरजीजीवीवाई के तहत ₹ 2394.71 करोड़ तथा डीडीजी संबंधी आर्थिक सहायता के तहत ₹ 29.26 करोड़ शामिल है) संवितरित की है।

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी की वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्र में अतिरिक्त परामर्शी कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां हैं :

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल); तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतरराज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए अधिसूचित दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (आरईसी की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी) को 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' (बीपीसी) के रूप में नामित किया है ताकि विद्युत मंत्रालय द्वारा समय समय पर आबंटित स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) का चयन किया जा सके।

तदनुसार, प्रत्येक आबंटित पारेषण परियोजना का विकास शुरू करने के उद्देश्य से, आरईसीटीपीसीएल ने पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी के रूप में एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) निगमित किया है तथा सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, संबंधित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी को उसकी सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित किया जाना है। आज की तारीख तक आरईसीटीपीसीएल की सहायक कम्पनियों के रूप में निम्नलिखित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) विद्यमान हैं :

(i) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल)

(ii) बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल)

(iii) एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(iv) एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(v) एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(vi) गदरवारा (ए) ट्रांसको लि.#

(vii) गदरवारा (बी) ट्रासमिशन लि.#

*दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, एनआरएसएस XXXI(ए) ट्रांसमिशन लि. तथा एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लि. को 12 मई, 2014 को क्रमशः मैसर्स पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. तथा मैसर्स ऐस्सल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लि. को अंतरित कर दिया गया है। एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लि. को भी 4 अगस्त 2014 को मैसर्स स्टेरलाइट डिस्प्ले टेक्नॉलाजीज प्राइवेट लिमिटेड (स्टेरलाइट ग्रिड लि. की निवेशकर्ता सहबद्ध कम्पनी) को अंतरित कर दिया गया है।

#31 मार्च 2014 के पश्चात निगमित

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि. (आरईसीपीडीसीएल) ने न केवल तृतीय पार्टी निरीक्षण (टीपीआई) का कार्य किया है बल्कि जीपीएस आधारित क्षेत्र सर्वेक्षण के जरिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य से भी संबद्ध रही है। वर्ष के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने आरजीजीवीवाई-XII वी पंचवर्षीय योजना के तहत 98 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की हैं तथा राजस्थान डिस्कॉम के लिए आरई कार्यों के तहत 33 डीपीआर तैयार की हैं और आरईसी गुणवत्ता मानीटर्स के रूप में 11,000 से अधिक ग्रामों का तृतीय पार्टी निरीक्षण (टीपीआरई) किया है।

आरईसीपीडीसीएल के कार्यनिष्पादन में सुधार आया है तथा कम्पनी का वित्तीय कार्य निष्पादन तीव्र संवृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी की सकल आय 145.5% बढ़कर ₹ 75.16 करोड़ हो गई है जो विगत वर्ष में ₹ 30.61 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत वर्ष के ₹ 15.98 करोड़ की तुलना में 214% बढ़ कर ₹ 50.18 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कर पश्चात् लाभ (पीएटी) भी विगत वर्ष के ₹ 10.81 करोड़ की तुलना में 205.36% बढ़कर ₹ 33 करोड़ हो गया है। आरईसी द्वारा सन्निविष्ट की गई ₹ 0.05 करोड़ की आरंभिक पूंजी की तुलना में आरईसीपीडीसीएल के प्रचालन के 7वें वर्ष में इसका नेटवर्थ ₹ 60.22 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 27.52 करोड़) है।

वर्ष 2012-13 में आबंटित पांच पारेषण परियोजनाओं में से आरईसीटीपीसीएल ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन परियोजनाओं के लिए टीएसपी के चयन के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) की पृथक विशिष्टताओं वाली द्विचरणीय बोली प्रक्रिया पूरी कर ली हैं तथा संबंधित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी इस की सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दी गई हैं। तदनुसार, दो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी अर्थात विजाग ट्रांसमिशन लि. (वीटीएल) तथा ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि. (यूटीएल) अधिग्रहण मूल्य अदा किए जाने पर क्रमशः 30 अगस्त 2013 तथा 24 मार्च, 2014 को मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सफल बोलीदाता) को अंतरित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार, एक अन्य प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी अर्थात कुडगी ट्रांसमिशन लि. (केटीएल) भी अधिग्रहण मूल्य अदा किए जाने के पश्चात् 30 अगस्त, 2013 को मैसर्स एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लि. (सफल बोलीदाता) को अंतरित कर दिया गया है।

उक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान, आरईसीटीपीसीएल को निम्नलिखित पांच पारेषण परियोजनाएं भी आबंटित की हैं :

i. एनटीपीसी की गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मे. वा.) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग - ए);

ii. एनटीपीसी की गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मे. वा.) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग - बी);

iii. माहेश्वरम (हैदराबाद) 765/400 केवी पूलिंग सब-स्टेशन के लिए संयोजक लाइनें;

iv. नेवेली में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि. टीएस-1 (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) के लिए 400 मेगावाट के एलटीए के लिए पारेषण प्रणाली

v. विंध्याचल - V के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण।

ऊपर सूचीबद्ध पारेषण प्रणालियों में से प्रत्येक का विकास शुरू करने के उद्देश्य से, आरईसीटीपीसीएल की दो पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) का निगमन क्रमशः 5 अगस्त 2014 तथा 30 जुलाई 2014 को किया गया है, ये सहायक कंपनियां ऊपर क्रम सं. (i) तथा (ii) पर वर्णित पारेषण परियोजनाओं के साथ संबद्ध हैं तथा अन्य तीन सहायक कंपनियों का निगमन भी प्रक्रियाधीन है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लि. की आय ₹ 35.18 करोड़ हुई। वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात् लाभ क्रमशः ₹ 34.30 करोड़ तथा ₹ 23.86 करोड़ है। वर्ष 2007 में आरईसी द्वारा सन्निविष्ट ₹ 0.05 करोड़ की शुरुआती पूंजी की तुलना में आरईसीटीपीसीएल का नेटवर्थ अब ₹ 68.92 करोड़ है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने समान भागीदार के रूप में एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और पीएफसी नामक तीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मिलकर 10 दिसम्बर, 2009 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया था। ईईएसएल की कारोबार योजना में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा निभाई जा रही वर्तमान वाणिज्यिक कार्य करने के अलावा ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड, कृषि मांग पक्ष प्रबंधन, म्युनिसिपल डीएसएम, बचत लैम्प योजना, ऊर्जा दक्षता उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) आदि संबंधी परियोजनाएं शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

वर्तमान में, ईईएसएल विभिन्न म्यूनिसिपल कारपोरेशन के साथ म्यूनिसिपल स्ट्रीट लाईटिंग परियोजनाएं, कृषि क्षेत्र में अदक्ष कृषि पंपसेटों के प्रतिस्थापन के लिए एजीडीएसएम परियोजनाएं, विभिन्न यूटिलिटियों के साथ ऊर्जा सेवा कम्पनी (ईएससीओ) मोड में घरेलू आवासीय क्षेत्र में डीएसएम आधारित दक्ष लाइटिंग कार्यक्रम (डीईएलपी) तथा विभिन्न कंपनियों की सीएसआर परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

इस कंपनी ने 33 वर्ष पूर्व हैदराबाद में केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) नामक एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की थी जिसका काम विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र तथा विद्युत एवं ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना था। यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्युत क्षेत्र के कार्यपालकों के पारेषण एवं वितरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर नियमित रूप से कार्यक्रम तथा कंपनी के कर्मचारियों के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । 21 वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सायर को और आधुनिक बनाने की योजना है तथा साथ ही प्रशिक्षण के व्यावहारिक अभिमुखीकरण के लिए इस परिसर में एक 'एनर्जी पार्क' बनाने की भी योजना है।

मानव संसाधन प्रबंधन

बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए अपेक्षित कारोबार कौशल तथा सक्षमता को अधिक प्रखर बनाने के उद्देश्य से कर्मचारियों को दक्ष तथा अपने कार्य-निष्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने हेतु उन्हें सभी संभव अवसर और सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। निर्धारित आवश्यकताओं पर आधारित और उनकी संतुष्टि के लिए कंपनी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को देश और विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में प्रायोजित करती है। इसके अलावा, आरईसी के स्वामित्वाधीन सायर प्रशिक्षण संस्थान में और आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल

आपकी कंपनी, अति आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के उन्नयन और कार्यान्वयन के सतत प्रयास कर रही है, ताकि आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार हो सके। आपकी कंपनी एकीकृत ऑरेकल आधारित ईआरपी प्रणाली पहले ही लागू कर चुकी है, जिसके अंतर्गत कारोबार संबंधी सभी प्रमुख कार्य शामिल हैं। इसके अंतर्गत सभी कार्यालयों में वित्त, परियोजना, संवितरण, ऋण खाते, राजकोष, वेतनपत्रक, सीपीएफ, रोकड़ प्रबंधन, बैंकिंग, खरीद आदि जैसे कंपनी के सभी महत्वपूर्ण कारोबार संबंधी कार्य आते हैं। आपकी कंपनी ने एक ऑन लाईन उधार पोर्टल का विकास कर उधारकर्ताओं को सीधे ईआरपी का लाभ प्रदान किया है ताकि तत्समय आधार पर ऋणों तथा स्कीमों की स्थिति जानने में उन्हें सुविधा हो। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने डाक्यूमेंट प्रबंधन प्रणाली, ई-खरीद प्रणाली, कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस), इंटरानेट आदि जैसी कई प्रणालियों को पहले ही लागू कर दिया है ताकि अधिक पारदर्शिता और बेहतर ई-सुशासन संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी में ईआरपी प्रचालन के लिए एक पूर्णतया विकसित आपदा राहत केन्द्र, चयनित प्रभागों और कार्यालयों में निर्णय लेने के इलेक्ट्रॉनिक संचलन के लिए एक कार्य-प्रवाह प्रबंधन प्रणाली है। इन सभी से आंतरिक दक्षता में सुधार और ग्राहकों की संतुष्टि में बढ़ोतरी हुई

है। आपकी कंपनी ने सम्पूर्ण एचआर कार्यों, जिनमें पूरी कंपनी का कर्मचारी स्व-सेवा पोर्टल शामिल है, के स्वचलन के लिए एचआर-ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है। कम्पनी ने विद्यमान स्थैतिक कारपोरेट वेबसाइट को भी रि-डिजाइन तथा रिवेम्प कर इसे एक इंटरेक्टिव तथा डायनमिक वेबसाइट बना दिया है।

निगमित सुशासन

एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, सूचीकरण करारों में निर्धारित निगमित सुशासन की अपेक्षाओं का और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के उपबंधों का भी अनुपालन कर रही है। तथापि, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण निदेशक मंडल का संघटन सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन में निगमित सुशासन नैतिक और जिम्मेदार तरीके से कारोबार का प्रबंधन कर रहा है ताकि विद्यमान विनियामक ढांचे के अंदर विभिन्न हितधारकों का स्थायी मूल्य सृजन किया जा सके। कंपनी का ऐसी सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास है जो निगमित सुशासन के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनाई जाती हैं।

इसके अलावा, एक जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी ''हरित पहल'' के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से सहायता दी है और वार्षिक रिपोर्ट, डाक मत-पत्र सूचना अनुबंधों सहित तथा अंतिम/अंतरिम लाभांश की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी है, जिनके ई-मेल पते पंजीकृत थे।

कंपनी द्वारा अनुसरित अच्छे निगमित सुशासन पद्धतियों के मान्यतास्वरू प, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत गठित सांविधिक संस्थान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने आपकी कम्पनी को एक ''सर्वोत्तम सुशासित कंपनी'' अधिनिर्णीत किया है तथा इस वर्ष 2013 के लिए निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए 13वां आईसीएसआई राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास (सीएसआर एवं एसडी) संबंधी पहल जारी रखी ताकि सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आरईसी के समग्र कारोबार प्रचालन सामाजिक प्रक्रिया के समनुरूप हों। कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास संबंधी परियोजनाओं को सतत् विकास के सिद्धांत से जोड़ा गया था। इस कार्यनीति का प्रमुख ध्यान कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास की उन पहलों की ओर था, जिनसे राष्ट्रीय योजना का लक्ष्य और उद्देश्य पूरा होता हो, जिनमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्यमशीलता और स्थानीय संस्थाओं/लोगों के साथ सहसृजक मूल्य द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी मिलेनियम विकास लक्ष्य शामिल थे। ऐसी पहलों की पहचान करते समय कंपनी ने एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ताकि तीसरे स्तर के निचले आधार दृष्टिकोण के रूप में मापित सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी सरोकारों पर ध्यान दिया जा सके।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, पिछले वर्ष के कर-पश्चात लाभ (पीएटी) के 1% की दर से बजट का आबंटन कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायी विकास क्रियाकलापों के लिए किया गया था। वर्ष के दौरान देश भर के विभिन्न स्थानों/जिलों में 'कौशल विकास /उन्नयनीकरण कार्यक्रमों, शिक्षा, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का संवर्धन, वयोवृद्ध तथा अक्षम और अशक्त लोगों के लिए सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन, पेयजल तथा सफाई स्वच्छता, सौर पीबी स्मार्ट मिनी ग्रिडों की संस्थापना, प्रभावित आवासों के लिए सौर लालटेनों की व्यवस्था तथा मोबाईल-चार्जिंग सौर स्टेशनों की स्थापना के क्षेत्रों में कम्पनी ने विविध सीएसआर तथा एसडी पहलें की है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, सीएसआर तथा एसडी के तहत, कुल ₹ 66.61 करोड़ की वित्तीय सहायता विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई थी तथा ₹ 38.40 करोड़ संवितरित किए गए।

समझौता ज्ञापन रेटिंग एवं पुरस्कार

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार आपकी कंपनी के कार्यानिष्पादन को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94, से, जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह लगातार 20वां वर्ष है जब आरईसी ने 'उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त की है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए भी, निष्पादन के आधार पर यह कंपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने के लिए तत्पर है। आपकी कंपनी को वर्ष के दौरान इंडिया प्राइड अवार्ड, दैनिक भास्कर और डीएनए से ''ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र'', की श्रेणी में पुरस्कार ''एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के तुलनपत्र वाली सर्वोत्तम मूल्य सृजक नवरत्न कम्पनी'' के लिए डीएसआईजे पीएसयू पुरस्कार-2013 प्राप्त हुआ है और साथ ही इसे एओन हेविट द्वारा भारत के सर्वोत्तम नियोक्ताओं में से एक निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आप की कंपनी के लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है कि आपकी कम्पनी को इसकी सीएसआर पहल के तहत वित्तपोषित परियोजना ''वृद्धावस्था गृहों के लिए बहु सुविधा स्वास्थ्य पैकेज'' की मान्यता में वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हेलपेज इण्डिया के 'गोल्ड प्लेट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा राजभाषा श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है।

अन्य पहल

आपकी कंपनी बाजार आवश्यकताओं के साथ-साथ अपने निगमित उद्देश्यों सहित उपयुक्त रूप से संरेखित बनाने के लिए अपनी उधार देने तथा प्रचालन नीतियों/प्रक्रियाविधियों की सतत् समीक्षा तथा उनमें सुधार/संशोधन करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों के श्रेणीकरण, पारेषण एवं वितरण योजनाओं के लिए चुकौती अवधियों के मानकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी दिशानिर्देशों से जुड़ी नीतियों तथा सीएसआर नीति की समीक्षा की है ताकि वे प्रवृत्त पद्धतियों के अनुसार हों तथा समय-समय पर सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना हो सकें।

भावी कार्यनीति

आपकी कंपनी उपभोक्ताओं की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कस्टमर सेगमेंट को लक्षित करने के लिए उत्पादों की व्यापक रेंज की पेशकश करती है। आरईसी, अपने प्रमुख वित्तीय क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और विद्युत उपकरणों के वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता संबंधी क्रियाकलाप, इक्विटी वित्तपोषण आदि जैसे विभिन्न सहबद्ध क्षेत्रों में भी नए कारोबार के क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास करेगा।

आपकी कंपनी सौर, बायोमास और पवन ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा के वित्तपोषण में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे बिजली की कमी, कार्बन के उत्सर्जन और ईंधन की आपूर्ति की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, आपकी कंपनी अपनी उधार और प्रचालन संबंधी नीतियों/प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा और उन्हें संशोधित करती है ताकि वह बाजार की आवश्यकताओं और इसके निगमित लक्ष्यों के अनुकूल बनी रहें।

आपकी कंपनी ने वरिष्ठ अधिकारियों वाले ''कार्यनीतिक कारोबार समूह'' का गठन किया है ताकि वे कारोबार के नए अवसरों का पता लगाएं और कंपनी के कारोबार के विकास के संबंध में नए उत्पादों की खोज कर सकें।

आपकी कंपनी विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा वह सभी हितधारकों तथा कुल मिलाकर समाज के दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य को संवर्धित करने के उद्देश्य से प्रबंधक वर्ग के कार्यकरण में पारदर्शिता जवाबदेहिता तथा व्यावसायिकता से युग्मित प्राधिकार तथा स्वतंत्रता पर जोर देते हुए निगमित सुशासन के सर्वोत्तम मानकों को हासिल करना जारी रखेगी।

भावी अनुमान/योजना

यद्यपि वैश्विक आर्थिक दशाएं अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, हमारे नीति निर्माता ने संभावित पश्च प्रभावों (**स्पिल ओवर**) से सुरक्षोपाय (कुशन) हेतु बफर का पुनर्निर्माण किया है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण के अधिक सकारात्मक होने की आशा है क्योंकि हम एक स्थिर सरकार की ओर बढ़ रहे हैं । यह ऐसे सकारात्मक निर्णय लेगी, जो विनिर्माण, ऋण विस्तार तथा निवेश संवृद्धि में उछाल के परिणामी होंगे तथा वर्ष 2014-15 के दौरान जीडीपी के 5.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

XII वीं पंचवर्षीय योजना में 88,537 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के वर्धन के लक्ष्य के साथ मेल खाते पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के लक्ष्य, विद्युत क्षेत्र, देश की बुनियादी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सबसे बड़े माध्यम की व्यवस्था करना जारी रखेगा। वित्त वर्ष 2013-14 में कंपनी का परिसंपत्ति आकार ₹ 1.49 लाख करोड़ का है। विगत वर्षों में आपकी कंपनी द्वारा रखी गई सुदृढ़ नींव ने इसे बाजार हिस्से को बढ़ाने में समर्थ बनाया जिसमें XII वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹ 9-10 लाख करोड़ की अनुमानित कर्ज आवश्यकता के वित्तपोषण व्यवसाय के अधिकतम हिस्से का अधिग्रहण करना तथा चालू वर्ष के दौरान भी सभी प्रमुख मापदंडों के तहत श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करना शामिल है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रतिबद्ध कार्यबल की सहायता से आपकी कंपनी ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हुए आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतया समर्थ है। यह ग्राहक सेवा के प्रति हमारी सम्पूर्ण प्रतिबद्धता को प्रतिबलित करती है जो व्यवसाय करने का सार तत्व है। अगले पांच वर्षों के लिए स्थायी सरकार की संभावना के साथ मनोभावों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तथा आशा है कि इस वित्त वर्ष के दौरान हमें विश्वास पुनः बहाल करने तथा निवेश चक्र और नौकरी सृजन के पुनः शुरू होने के लिए कुछ निश्चयात्मक उपाय देखने को मिलेंगे।

आभार

माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव (विद्युत), अपर सचिव (विद्युत), संयुक्त सचिव (ग्राम विद्युतीकरण) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से आपकी कंपनी को प्राप्त असीम समर्थन और मार्गदर्शन के लिए, मैं इस अवसर पर उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कंपनी का सुचारू और सफल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयी लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए समस्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं उनका भी आभारी हूं। इस कंपनी में विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं हमारे ऋणदाताओं और निवेशकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं, निदेशक मंडल के अपने सम्मानित सहयोगियों और आरईसी के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं तथा अपने कार्य के प्रति उनकी अथक प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना करता हूं। मैं कंपनी के अन्य सभी हितधारकों को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समर्थन और सहयोग दिया है और कंपनी के कार्य-निष्पादन में निरंतर अपना विश्वास बनाए रखा है।

मुझे पूरा विश्वास है कि समर्पित एवं प्रतिबद्ध कर्मचारियों और हमारे सम्मानित शेयरधारकों के सतत् सहयोग से आपकी कंपनी अपनी जिम्मेदारियों का निरंतर निर्वाह करेगी और अपने हितधारकों के लिए मूल्यवर्धन करती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि (**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, की पैंतालीसवीं वार्षिक आम बैठक वीरवार, 18 सितम्बर, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मानेकशॉ केंद्र, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010**) में निम्नलिखित कारोबार का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगीः-

साधारण कारोबार

1) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वित्त वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण तथा उनके संबंध में निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और उन्हें अंगीकृत करना।

2) वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की अदायगी की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन 02231613) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

4) वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कारोबार

5) निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें आशोधन (आशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

''**संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा 10 जून, 2014 को डाक मतपत्र के जरिए पारित पूर्ववर्ती संकल्प के अधिक्रमण में तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हों, (जिनमें तत्समय प्रवृत्त कोई सांविधिक आशोधन या उनका पुनः अधिनियम शामिल है)। तथा सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीयन) (संशोधन) अधिसूचना, 2012 तथा अन्य प्रयोज्य सेबी विनियमों तथा दिशानिर्देशों, कम्पनी के संस्था अंतर्नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यथा प्रयोज्य आवश्यक अनुमोदनों तथा ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमतियां तथा स्वीकृतियां, जो आवश्यक हों, जिनमें करार/विलेख की शर्तों के अधीन किन्हीं विद्यमान उधारदाताओं/ऋणपत्र धारकों के न्यासियों का अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, शामिल है, की प्राप्ति के अधीन तथा ऐसी शर्तों और आशोधनों के अधीन, जो ऐसे अनुमोदन, अनुमतियां तथा स्वीकृतियां प्रदान करते समय उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित या अधिरोपित किए गए हों जिन्हें कम्पनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति ने या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी ने स्वीकार किया हो, कम्पनी की सहमति एतदद्वारा **इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹** 35,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती है, जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, चाहे वे कम्पनी के बांड/ऋणपत्र धारक हों या न हों, जैसा कि बोर्ड (या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी) अपने अनन्य विवेकाधिकार से निर्णीत करे, जिन में पात्र निवेशक शामिल हैं (चाहे वे निवासी हों तथा/अथवा अनिवासी हों तथा/अथवा घरेलू/तथा/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संस्थाएं/निगमित निकाय हो तथा/अथवा एकल तथा/अथवा न्यासी तथा/अथवा बैंक या अन्यथा हों) जिनमें अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कम्पनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगमित निकाय, कम्पनियां, निजी या सरकारी या अन्य निकाय, प्राधिकारी शामिल हैं, तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को उनके एक या अधिक संयोजनों में एक या अधिक किस्तों में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर तथा ग्रीन शू विकल्प के प्रयोग सहित (यथोक्त **₹** 35,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई हो, यथाप्रयोज्य दिशानिर्देशों के तहत यथा निर्धारित शर्तों पर तथा ऐसी शर्तों तथा निबंधनों पर जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसा अन्य प्राधिकारी निर्धारित करें, कम्पनी के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/ऋण जारी करके जुटाई जाएगी।''

''**आगे संकल्प किया जाता है कि** अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ऋणों पत्रों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, कम्पनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') को या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति को या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी को एतदद्वारा निर्गम की शर्तें निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जिनमें निजी स्थापन पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित निवेशकों की श्रेणी का निर्धारण जिसे बांड/ऋणपत्र आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किस्त में आबंटित किए जाने वाले बांडों/ऋणपत्रों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, प्रवृत्त बाजार कीमत पर प्रीमियम/डिस्काउंट, निर्गम की राशि, बांड/ऋण पत्र धारकों की श्रेणी को निर्गम मूल्य पर डिस्काउंट, सूचीयन किसी घोषणा/वचनबद्धता इत्यादि के निर्गम इत्यादि तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियामक अपेक्षा का निर्धारण शामिल है।''

6) निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी (बोर्ड की बैठकें तथा इस की शक्तियां) नियमावली, 2014 तत्समय प्रवृत्त उसके किसी सांविधिक आशोधन(नों) या पुनः अधिनियमन सहित) के नियम 15 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा तत्समय प्रवृत्त किसी संविधि के तहत किन्हीं अन्य प्रयोज्य कानूनों/नियमों के अनुसरण में तथा ऐसे समुचित प्राधिकारियों के अनुमोदन/सहमति के अध्यधीन, कम्पनी की

सहमति **इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान** रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों तथा एसोसिएट कम्पनी(नियों) (वर्तमान तथा भावी दोनों) के साथ उन्हें सामान्य व्यवसाय क्रम में समय-समय पर लागत आधार पर आवश्यक अवसंरचनात्मक सहायता, मानवशक्ति तथा/अथवा अन्य निविष्टियां/सहायता/सेवाएं उपलब्ध कराने, किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को पट्टे पर देने, किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सामग्री या सम्पत्ति का क्रय/विक्रय करने तथा/अथवा सेवाएं प्राप्त करने/देने के स्वरूप में संविदा(ए) या व्यवस्था(एं) या लेनदेन करने हेतु प्रदान की जाती है बशर्ते कि **इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान** ऐसे संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदा(ओं) या व्यवस्था(ओं) या लेनदेन(नों) का संचयी मूल्य पूर्ववर्ती वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2013-14 के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) से अधिक नहीं होगा।''

''**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को या बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति को या मंडल द्वारा यथानुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी को एतदद्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के भीतर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों तथा एसोसिएट कम्पनी(नियों) के साथ एकल संविदा(ओं) या व्यवस्था(ओ) या लेनदेन(नो) को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जिसमें अन्य बातों के अलावा, संविदा के मूल्य, किए जाने वाले/प्राप्त किए जाने वाले अग्रिम भुगतान, यदि कोई हो, कीमत निर्धारण नियत करने के तरीके तथा संविदा के भाग के रूप में शामिल तथा संविदा का भाग न माने जाने वाली अन्य वाणिज्यिक शर्तों तथा/अथवा इस संबंध में निर्णीत किए जाने वाले किसी अन्य मामले सहित संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध का स्वरूप, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों तथा एसोसिएट कम्पनी(नियों) के साथ निष्पादित की जाने वाली संविदा या व्यवस्था का स्वरूप, अवधि तथा विवरण, ऐसी संविदा या व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें शामिल हैं।''

''आगे संकल्प किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) को एतदद्वारा ऐसे सभी कृत्य, विलेख तथा कार्य करने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।''

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.

ज्योति

(जे. एस. अमिताभ)
महाप्रबंधक तथा कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7 लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003
सीआईएन : एल40101डीएल1969जीओआई005095

दिनांक : 12 अगस्त, 2014

टिप्पणियां:-

1. **बैठक में भाग लेने के लिए तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फॉर्म वार्षिक आम बैठक के आरंभ होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। रिक्त प्रॉक्सी फार्म इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।**

   एक व्यक्ति मताधिकार रखने वाले तथा कुल मिलाकर कम्पनी की कुल अंश पूंजी का अधिकतम दस प्रतिशत धारण करने वाले अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से प्रतिनिधि के रू प में कार्य कर सकता है। मतदान का अधिकार रखने वाला सदस्य जिसके पास कुल अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, प्रतिनिधि के रू प में एक ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि के रू प में कार्य नहीं करेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विशेष कारोबार की प्रत्येक मद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाने वाला एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. स्टाक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीयन करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित पुनः नियुक्ति के लिए प्रयासरत अथवा पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त इतिवृत्त इसके साथ संलग्न है और इस नोटिस का भाग है।

4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **गुरुवार 4 सितम्बर, 2014 से गुरु वार 18 सितम्बर, 2014 तक (जिनमें ये दोनों दिन शामिल हैं)** बंद रहेंगी।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (पहले कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 206क) के प्रावधानों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा 26 मई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में यथा अनुशंसित ₹ 1.75 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश, **यदि वह इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशियों को जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में बुधवार, 3 सितम्बर, 2014 को या उससे पूर्व कम्पनी/आर एवं टी ए के पास दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान हैं, बुधवार पहली अक्टूबर, 2014 को अदा किया जाएगा। डिमेटिरियलाइज शेयरों के संबंध में, अंतिम लाभांश शेयरों के उन ''लाभार्थी स्वामियों'' को देय होगा जिनके नाम बुधवार, 3 सितम्बर, 2014 को कारोबारी बंद होने के समय नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामित्व विवरण में विद्यमान होंगे।**

   इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल ने 14 फरवरी, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 7.75 का अंतरिम लाभांश घोषित किया था जो 28 फरवरी, 2014 को अदा किया गया था। शेयरधारकों से भी इसकी पुष्टि करने का अनुरोध है।

6. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के अंतरण, ट्रांसमिशन, उप-विभाजन, समेकन के पंजीकरण से संबंधित या किसी अन्य शेयर संबंधित मामले से संबंधित तथा/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार कम्पनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. को भेजें तथा इलेक्ट्रानिक मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजे।

7. जिन सदस्यों को अपने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने उनका नकदीकरण उसकी वैद्यता अवधि में नहीं कराया है, वे वारंटों का पुनः वैधीकरण कराने या ऐसे वारंटों के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर या कम्पनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लि. को पत्र लिख सकते हैं।

   कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी लाभांश राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है।

   इसके अतिरिक्त, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (कम्पनियों के पास अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी राशियों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियमावली, 2012 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी ने 13 सितम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) कम्पनी में अप्रदत्त तथा अदावाकृत पड़ी राशियों के ब्यौरे कम्पनी की वेबसाइट (www.recindia.gov.in) पर तथा साथ ही कारपोरेट मामले मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं।

8. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में अपनी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए प्रॉक्सी फॉर्म/उपस्थिति पर्ची के साथ बोर्ड संकल्प और मुखत्यारनामे की एक विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

9. **सदस्यों से अनुरोध है कि वेः-**

   क. नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति लानी होगी;

   ख. बैठक में भाग लेने के लिए, एतदद्वारा इसके साथ प्रेषित उपस्थिति पर्ची, बैठक के प्रवेशस्थल पर विधिवत भरी हुई तथा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करें, क्योंकि सभागार में प्रवेश, बैठक स्थल के काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;

   ग. समस्त पत्राचार में अपना फोलियो/क्लाइंट आईडी और डीपीआईडी संख्या का उल्लेख करें;

   घ. नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ब्रीफ केस, खाने का सामान तथा अन्य सामान को सभागार के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

   ड. नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

10. चूंकि सेबी ने निवेशकों को नकद अदायगी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट/वारंटों के माध्यम से लाभांश की अदायगी कर सके। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयरधारित है, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट

(आर एंड टीए) अर्थात कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्लांट नं. 17-24, विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500 081, भारत से/एनईसीएस/एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट अधिदेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें भेज सकते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारित हैं, वे अपने निक्षेपागार भागीदार (डीपी) से एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म सीधे प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। जिन्होंने कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट/डीपी को पूरे विवरणों सहित एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

11. लाभांश वारंटों के कपटपूर्ण नकदीकरण की घटनाओं को रोकने के लिए, जो सदस्य एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट सुविधा का विकल्प नहीं देना चाहते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक के ब्यौरे अर्थात बैंक का नाम और शाखा का पता, बैंक खाता संख्या, शाखा का 9 अंकों वाला एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, और खाते का प्रकार 18 सितम्बर, 2014 तक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को अवश्य भेज दें, ताकि वे लाभांश के वारंट पर इन विवरणों को मुद्रित करवा सकें।

12. **सेबी ने अंतरिती (अंतरितियों) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक रू प में धारित शेयरों के अंतरण के संबंध में पंजीकरण और प्रतिभूति बाजार लेन-देनों के लिए तथा ऑफ-मार्केट/प्राइवेट लेन-देनों के लिए कंपनी/आरटीए को पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करें। तदनुसार, भौतिक रू प में शेयरधारण करने वाले सदस्य कंपनी/आरटीए को प्रेषित अंतरण के प्रत्येक अनुरोध के संबंध में अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।**

13. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में कई फोलियों में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संगत शेयर प्रमाणपत्रों सहित कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को उनके समेकन के लिए आवेदन पत्र भेजें। यदि संयुक्त शेयरधारक बैठक में उपस्थित हो रहे हों तो केवल वही संयुक्त शेयरधारक मतदान करने का अधिकारी होगा, जिसका नाम क्रम में ऊपर हो।

14. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसरण में, सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त किया जाएगा तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से तय किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करें। इसी के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों तथा पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों को वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कम्पनी के सांविधिक संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

 13 सितम्बर, 2013 को आयोजित 44वीं वार्षिक आम बैठक में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के साथ पठित धारा 224(8)(कक) के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 13 नवम्बर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों में समान रूप से बांटे जाने के लिए ₹ 20,00,000/- (बीस लाख रूपए मात्र) और लागू सेवा कर पारिश्रमिक की अदायगी के रूप में अनुमोदित किया था। निदेशक मंडल ने यह भी अनुमोदित किया है कि उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को समुचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जा सकती है, जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्णीत किया जाए।

 इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5)(पूर्ववर्ती कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2)) के अनुसरण में, राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002074 एन) और पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 006747एन) को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए वार्षिक आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन उसी प्रकार प्राप्त किया जाए, जैसे पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त किया गया था। **तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें कि वह वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, जैसा वह उपयुक्त समझें, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करें।**

15. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 72(पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109क) के अंतर्गत यथा अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियमावली 2014 में यथानिर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें। रिक्त नामांकन पत्र कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है। डिमेटिरियलाइज रूप में धारित शेयरों के मामले में नामांकन पत्र सीधे संबंधित निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास जमा कराया जाना अपेक्षित है।

16. **इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व भेजें ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध कराई जा सके।**

17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 फरवरी, 2011 के अपने सामान्य परिपत्र के जरिए पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अधीन धारिता कंपनी के तुलन-पत्र के साथ अनुषंगी कंपनियों के तुलन-पत्र आदि को संलग्न करने से सामान्य छूट दी है, परन्तु कंपनियों द्वारा इस परिपत्र में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन किया जाना होगा। तदनुसार, आपकी कंपनी ने प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के लेखों का पूर्ण ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ण पाठ के साथ कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध करा दिया है।

18. कम्पनी अधिनियम, 2013 में कम्पनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज फिजिकल रूप से भेजने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज सकती है। तदनुसार कम्पनी का प्रस्ताव अपने शेयरधारकों को सभी दस्तावेज अर्थात नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि अब से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक

तरीके से भेजने का है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आप उपर्युक्त दस्तावेज और कानून के अधीन सभी अन्य अपेक्षित दस्तावेज इस संबंध में कम्पनी से अनुरोध करने पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराएं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी के निक्षेपागार भागीदार के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी ए)/संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवाएं और कंपनी की हरित पहल में अपना योगदान दें।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अधीन रखा जाने वाला निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर और इस नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सभी कार्यदिवसों को (शनिवार और रविवार को छोड़कर) 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न के बीच कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और ये कम्पनी की वार्षिक आम बैठक के समय बैठक के स्थान पर भी उपलब्ध होंगे।

20. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कार्वी को तत्काल निम्न के संबंध में सूचित करें:

(क) स्थायी निवास के लिए भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में।

(ख) भारत में अनुरक्षित अपने बैंक खाते के ब्यौरे, बैंक के पूरे नाम, शाखा, खाते की किस्म, खाता संख्या तथा बैंक के पिनकोड संख्या पते सहित, यदि ये पहले प्रस्तुत न किए गए हों।

21. कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सूचीयन करार के खंड 35ख के प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी के शेयरधारकों को नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मत डालने में समर्थ बनाने के लिए कम्पनी उन्हें ई-मतदान की सुविधा की पेशकश कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, कम्पनी ने वार्षिक आम बैठक में निष्पादित किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने में समर्थ बनाने के लिए ई-मतदान की सुविधा की व्यवस्था करने हेतु, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार निष्पादित किया है। ई-मतदान करना वैकल्पिक है।

कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए संजय ग्रोवर एण्ड एसोशिएटस, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव श्री संजय ग्रोवर को संवीक्षाकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों के मतदान अधिकारों का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि बृहस्पतिवार, **14 अगस्त, 2014** नियत की है। ई-मतदान पोर्टेल मतदान के लिए **बुधवार, 10 सितम्बर, 2014 (प्रातः 10.00 बजे)** खुलेगा तथा **शुक्रवार 12 सितम्बर, 2014 (सांय 6.00 बजे)** बंद हो जाएगा।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रू प से अपने मत डालने से पूर्व निम्न अनुदेशों तथा अन्य जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

(i) URL: https://evoting.karvy.com टाईप करके इंटरनेट ब्राऊजर लांच करें अथवा यदि सदस्य को कार्वी से कोई ई-मेल प्राप्त हुई है, तो उस स्थिति में ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

(ii) प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) प्रपत्र के नीचे उल्लिखित लॉग-इन जानकारी (अर्थात प्रयोक्ता-आईडी तथा पास वर्ड) प्रविष्ट करें। आपका फोलियो/डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी आपका प्रयोक्ता-आईडी होगा।

प्रयोक्ता आईडी	**डिमेट रू प में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:**
	क) एनएसडीएल के लिए : 8 डिजिट वाले डीपीआईडी के पश्चात 8 अंक का डीपी आईडी
	ख) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट का लाभकर्ता आईडी
	फिजिकल रू प में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:-
	ईवीईएन संख्या के पश्चात कम्पनी में पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशेष पासवर्ड प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) पत्र पर मुद्रित है/कार्वी से प्राप्त ई-मेल में उल्लिखित है।
कैपचा	सत्यापन कोड प्रविष्ट करें अर्थात शब्दों तथा संख्या को उसी तरीके से प्रविष्ट करें जैसे सुरक्षा कारणों से वे प्रदर्शित किए गए हैं।

(iii) समुचित रूप से इन ब्यौरों को प्रविष्ट करने के पश्चात, ''लॉगइन'' पर क्लिक करें।

(iv) अब आप पासवर्ड परिवर्तन मेन्यू पर पहुंच जाएंगे जहां पहुंचकर आप के द्वारा अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदला जाना अपेक्षित है। नए पासवर्ड में कम से कम 8 शब्द होंगे जिनमें से कम से कम एक बड़े अक्षरों (A-Z) में, एक छोटे अक्षरों (a-z) में, एक सांख्यिक मूल्य (0-9) में तथा एक विशेष वर्ण (@, #, $ इत्यादि) होगा। सिस्टम आपको प्रथम लॉग-इन पर अपना पासवर्ड बदलने तथा सम्पर्क ब्यौरे यथा मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी इत्यादि अद्यतन करने के लिए कहेगा। आप पासवर्ड भूल जाने के स्थिति में अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का कोई गुप्त प्रश्न तथा उसका उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। आपको यह चेतावनी दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा यह कि आप अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(v) आपको अपने नए ब्यौरों के साथ पुनः लॉग-इन करना होगा।

(vi) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने पर, सिस्टम आपको 'इवेंट' अर्थात रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. का चयन करने के लिए कहेगा।

(vii) यदि आप पहले ही ई-मतदान के लिए कार्वी के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वर्तमान प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग अपना मत डालने के लिए कर सकते हैं।

(viii) मतदान पृष्ठ पर ''के लिए/के विरोध में'' नीचे अंतिम तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या (जो मतों की संख्या दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से आप अंशतः कोई भी संख्या 'के लिए' के नीचे और अंशतः ''विरोध में'' के नीचे प्रविष्ट कर सकते हैं किन्तु ''के लिए/विरोध में'' के तहत कुल संख्या मिलाकर यहां ऊपर यथा उल्लिखित आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप निषेध विकल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि शेयरधारक ''के लिए'' या ''के विरोध में'' में से किसी को भी निर्दिष्ट नहीं करता है तो इसे ''निषेध'' माना जाएगा तथा धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के तहत नहीं की जाएगी।

(ix) बहुल फोलियो/डिमैट खाते धारित करने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डिमैट खाते के लिए पृथक - पृथक रूप से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

(x) नोटिस की प्रत्येक मद के लिए मतदान पृथक-पृथक किया जाना है। यदि आप किसी विशिष्ट मद पर अपना मत नहीं डालना चाहते तो उसे 'निषेध' के रूप में माना जाएगा।

(xi) तब आप किसी समुचित विकल्प का चयन कर अपना मत डालेंगे और ''प्रस्तुत'' पर क्लिक करेंगे।

(xii) एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अथवा आशोधित करने के लिए ''निरस्त'' पर क्लिक करें। आपके द्वारा एक बार पुष्टि कर दिए जाने के पश्चात आपको अपना मत आशोधित करने के अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, सदस्य कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं जब तक कि वे संकल्प(पों) पर अपना मत नहीं डाल देते।

(xiii) कारपोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यष्टियों, हिन्दु अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोड़कर) से भी अपेक्षित है कि वे ई-मेल आईडीः scrutinizer.recl@gmail.com पर संवीक्षाकर्ता को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर(यों) के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र इत्यादि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप में) भेजें तथा उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को चिह्नांकित करें। उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति नाम दिए गए प्रारूप ''Corporate Name_EVEN NO.'' में होनी चाहिए।

22. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मत डाल देने के पश्चात, शेयरधारकों को तदनंतर उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मत डाल दिए हैं, उन्हें पुनः वार्षिक आम बैठक में मत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. संवीक्षक ई-मतदान अवधि की समाप्ति से अधिकतम तीन (3) कार्यदिवसों की अवधि के भीतर कम से कम दो (2) साक्षियों, जो कम्पनी द्वारा नियोजित न हों, की उपस्थिति में मतों को खोलेगा और पक्ष में अथवा विरोध में डाले गए मतों की एक संवीक्षाकर्ता रिपोर्ट तैयार करके बैठक के अध्यक्ष को भेजेगा।

24. बैठक में सभी कार्यसूची मदों पर परिचर्चा एक बार पूरी हो जाने के पश्चात अध्यक्ष सभी मदों के संबंध में मतदान का आदेश देगा। मतदान इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संवीक्षाकर्ता(ओं) के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित किया जाएगा। मतदान पूरा हो जाने के बाद, अध्यक्ष बैठक को समाप्त घोषित करेगा।

25. सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, ई-मतदान के परिणामों के साथ समुच्चय मतदान के परिणाम घोषित किए जाएंगे और कम्पनी की वेबसाइट (www.recindia.gov.in) तथा कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर अपलोड किए जाएंगे और निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने के अध्यधीन वार्षिक आम बैठक की तिथि को संकल्प पारित किए हुए माने जाएंगे।

26. कंपनी इस बैठक के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है।

27. सम्पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.recindia.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

निम्नलिखित विवरण में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद सं. 5

कम्पनी (विवरिणका तथा प्रतिभूति आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी कम्पनी अपनी प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जब तक कि प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश को या प्रतिभूतियों में अभिदान करने के आमंत्रण को कम्पनी के शेयरधारकों ने ऐसी प्रत्येक पेशकश या आमंत्रण के लिए विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया हो। तथापि, **''अपरिवर्तनीय ऋणपत्र'' के लिए पेशकश या आमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा कि कम्पनी वर्ष के दौरान ऐसे ऋणपत्रों के लिए सभी पेशकशों या आमंत्रणों हेतु वर्ष में केवल एक बार एक पूर्ववर्ती विशेष संकल्प पारित कर दे।**

तदनुसार, कम्पनी के शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 37,000 करोड़ के कम्पनी के समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कम्पनी के बांड/ऋणपत्र धारक हों या न हों, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान एक या अधिक किस्तों में ₹ 30,000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/ऋणपत्रों (जिनमें प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर कम्पनी के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/ऋणपत्रों के निर्गम द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान उस तिथि तक पहले से जुटाई गई निधियां शामिल है) का प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए 10 जून, 2014 को डाक मत पत्र के द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया था, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च, 2014 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया था। अतः उक्त अनुमोदन के अनुसार, कम्पनी अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ऋणपत्रों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां केवल 31 मार्च, 2015 तक ही जुटा सकती है जिसके उपरांत कम्पनी अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ऋणपत्रों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर पाएगी जब तक कि वित्त वर्ष 2015-16 के आरम्भ में ही एक विशेष संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

अतः यह प्रस्ताव है कि समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए अनुसार कम्पनी के समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत, 10 जून 2014 को डाक मतपत्र के जरिए पारित पूर्ववर्ती संकल्प के अधिक्रमण में एक विशेष संकल्प पारित किया जाए ताकि कम्पनी को **यह संकल्प पारित करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात 17 सितम्बर, 2015** तक कम्पनी के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ऋणों पत्रों का निर्गम एक या अधिक किस्तों में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कम्पनी के बांड/ऋणपत्र धारक हों या न हो, करके ₹ 35000 करोड़ तक की निधियां जुटाने में समर्थ बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी समिति को या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को अधिकृत किया जाएगा कि वह प्राइवेट प्लेसमेंट के पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित निर्गम की शर्तें निर्धारित करे तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियामक अपेक्षा का निर्धारण, जिनमें निवेशकों की श्रेणी जिसे बांड/ऋणपत्र आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किस्त में आबंटित किए जाने वाले बांडों/ऋणपत्रों की संख्या, निर्गम का मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्समय प्रवृत्त बाजार दर पर प्रीमियम/बट्टा, निर्गम की राशि, बांड/ऋणपत्र धारकों की किसी श्रेणी को निर्गम मूल्य पर बट्टे, सूचीयन, किसी घोषणा/वचनबद्धता का निर्गम करना इत्यादि शामिल हैं।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने 12 अगस्त, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कम्पनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में यथा सन्निहित प्रस्तावित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की है।

उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, आपसे अनुरोध है कि आप कम्पनी की दिनांक 12 अगस्त, 2014 की वार्षिक आम बैठक के नोटिस में मद सं. 5 पर यथा वर्णित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके संबधियों का कम्पनी में उनकी शेयरधारता की सीमा के सिवाए उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा सरोकार या हित नहीं है।

मद सं. 6

कम्पनी (बोर्ड की बैठकें तथा इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों की पूर्व सहमति के सिवाए किसी 'संबंधित पक्षकार' के साथ कोई संविदा या व्यवस्था नहीं करेगी।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) के संदर्भ में पद समूह ''सबंधित पक्षकार'' में अन्यों के अलावा आर ई सी की अनुषंगी तथा एसोसिएट कम्पनियां शामिल हैं। आरईसी की तुलना में इन अनुषंगी कम्पनियों की आय/लाभ का स्तर न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त, नियमित/स्थायी जनशक्ति तथा बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के न होने के कारण, आरईसी सामान्यतः इन अनुषंगी कम्पनियों के कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए अपने पदाधिकारियों का नियोजन करने, इसके पंजीकृत कार्यालय के लिए स्थान तथा अन्य अवसंरचनात्मक सहायता लीज पर देने तथा इन अनुषंगी कम्पनियों के दैनंदिन कार्यकरण के लिए सेवाएं प्रदान करने के स्वरूप में अपनी अनुषंगी कम्पनियों को सहायता प्रदान करता है तथा इस संबंध में व्यय का आनुपातिक आबंटन लागत-दर-लागत आधार पर सबंधित अनुषंगी कम्पनियों के बही खातों में किया जाता है।

अतः आरईसी द्वारा **इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान** आरईसी की निम्नलिखित पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कम्पनियों तथा एसोसिएट कम्पनियों के साथ कारोबार के साधारण क्रम में समय-समय पर उनकी लागत-दर-लागत आधार पर आवश्यक अवसंरचनात्मक सहायता, जनशक्ति तथा/

अथवा अन्य निविष्टियां/सहायता/सेवाएं प्रदान करने, किसी प्रकार की सम्पत्ति पट्टे पर देने, किसी प्रकार की सम्पत्ति या सामग्री या वस्तुओं का क्रय/विक्रय करने तथा/अथवा सेवाएं प्राप्त करने/प्रदान करने के स्वरूप में कोई संविदा(एं) या व्यवस्थाएं(एं) या लेनदेन करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि **इस संकल्प के पारित करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान** ऐसे संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा(ओं) या व्यवस्था(ओं) या लेनदेन (नों) का संचयी मूल्य पूर्ववर्ती वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2013-14 के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) से अधिक नहीं होगा:-

आरईसी की पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कम्पनियां:

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि. (आरईसीपीडीसीएल)

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लि. (आरईसीटीपीसीएल)

(iii) आरईसीटीपीसीएल द्वारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल्स (एसपीवी) के रूप में निगमित विद्यमान स्टेपडाऊन अनुषंगी कम्पनियों या आरईसी टीपीसीएल द्वारा समय-समय पर यथा निगमित एसपीवी।

आरईसी के सबंध में एसोसिएट कम्पनी(नियां)

(i) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) (आरईसी के पास ईईएसएल में कुल प्रदत्त अंश पूंजी का 25% धारित है)।

(ii) कोई अन्य कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आरईसी की एक एसोशिएट कम्पनी बन जाती है।

अत्यंत महत्वपूर्ण लेनदेनों को छोड़कर कारोबार के साधारण क्रम में कम्पनी द्वारा किए गए किन्हीं लेनदेनों के बारे में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं। तदनुसार, प्रस्तावित अनुरोध केवल उन लेनदेनों के लिए किया जाना है जो उक्त सबंधित पक्षकारों के साथ किए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण लेनदेन हों।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति को या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी को वित्त वर्ष 2013-14 के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के भीतर पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कम्पनियों तथा एसोशिएट कम्पनी(नियों) के साथ संविदा(ओं) या व्यवस्था(ओं) के स्वरूप, महत्वपूर्ण शर्तों, मौद्रिक मूल्य तथा विवरणों को अंतिम रूप देने तथा अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल ने 12 अगस्त 2014 को आयोजित अपनी बैठकों में उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा नोटिस में यथा सन्निहित प्रस्तावित विशेष संकल्प को कम्पनी के सदस्यों द्वारा पारित करने की अनुशंसा की है।

उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर, आप से अनुरोध है कि आप कम्पनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना दिनांक 12 अगस्त 2014 की मद सं. 6 पर वर्णित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करे।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके संबंधियों का कम्पनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.

(जे.एस. अमिताभ)
महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7 लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003
सीआईएन : एल40101डीएल1969जीओआई005095

दिनांक : 12 अगस्त, 2014

13 सितंबर, 2013 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	क्योंकि 13 सितंबर, 2013 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में किसी निदेशक को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. के बोर्ड में नियुक्त नहीं किया गया है।
जन्म की तारीख	
नियुक्ति की तारीख	
शैक्षणिक योग्यता	
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक सदस्यता	
आरईसी के अलावा अन्य सार्वजनिक कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	
कंपनी में धारित शेयरों की सं.	

45 वीं वार्षिक आम बैठक में पुन:नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डिआईएन 02231613)
जन्म की तारीख	30 मई, 1960
नियुक्ति की तारीख	1 अगस्त, 2012
शैक्षणिक योग्यता	• वाणिज्य में स्नातक डिग्री; और • दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सदस्य
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 31 वर्ष का अनुभव है। आरईसी में महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर अपनी कार्य अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधन जुटाव, ऋण संवितरण और कारपोरेट लेखा एवं कराधान शामिल है। 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक थे। वह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.(आईईएक्स) के बोर्ड में नामिती निदेशक भी हैं।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक सदस्यता	• आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. ; और • इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.
आरईसी के अलावा अन्य सार्वजनिक कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.-सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
कंपनी में धारित शेयरों की सं.	242

श्री राजीव शर्मा, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), (डिआईएन 00973413)*

श्री राजीव शर्मा, आयु 54 वर्ष, 29 नवंबर, 2011 से हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)हैं। उन्होंने गोविन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर से वैद्युत इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशंस इंजीनियरिंग) और इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, रूड़की से इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में मास्टर डिग्री प्राप्त की हैं।

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। उन्हें विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों में 29 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में, आरईसी ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और विगत सभी लक्ष्यों और कार्यनिष्पादनों को पीछे छोड़ दिया है। आरईसी में कार्यग्रहण करने से पहले, श्री शर्मा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. में निदेशक (प्रोजेक्टस) थे, जहां उन पर परियोजना प्रभाग के सारे क्रियाकलापों, जिनमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का मूल्यांकन शामिल है, का उत्तरदायित्व था। पीएफसी में कार्यकारी निदेशक की सेवा अवधि के दौरान वे कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास हेतु निदेशक (प्रभारी) रहे और उन पर भारत में आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में भी कार्य किया, जहां वह नाथप्पा झाकरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1500 मे.वा.)के डिजाइन, इंजीनियरिंग और परामर्शी कार्यों से जुड़े थे। विद्युत मंत्रालय में कार्यकाल के दौरान, वह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., टीएचडीसी, एसजेवीएनएल, बीबीएमबी और नीपको के प्रचालन कार्यों को देख रहे थे। उनकी एपीडीआरपी और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए नीतियां बनाने में भी मुख्य भूमिका रही।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री राजीव शर्मा के पास कंपनी के 60 इक्विटी शेयर थे।

श्री प्रकाश ठक्कर, *निदेशक (तकनीकी) (डिआईएन 01120152)*

श्री प्रकाश ठक्कर, उम्र 58 वर्ष, 02 मई, 2011 से हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्हें महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त है। श्री ठक्कर को विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों का विविध एवं समृद्ध अनुभव है, जिसमें विद्युत उत्पादन और सब-स्टेशन इंजीनियरिंग शामिल है। वे निगम द्वारा वित्तपोषित विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के सभी तकनीकी एवं प्रचालन संबंधी पक्षों के प्रभारी हैं।

इस कंपनी में निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभालने से पहले वे इसी निगम में कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण/ आरजीजीवीवाई) पद पर सेवारत थे। उन्होंने 19 सितंबर, 2005 को प्रतिनियुक्ति के आधार पर हमारी कंपनी में महाप्रबंधक (तकनीकी) का कार्यभार संभाला था और 18 सितंबर, 2007 को इस कंपनी की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित हो गए। इस कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे 11 वर्षों तक एनएचपीसी में (हाइड्रोजेनरेटरों के अधिष्ठापन और हाइड्रो स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण) और 15 वर्ष तक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर सेवारत थे। वह उस टीम में भी शामिल थे जिसने भारत में पहली 400 केवी की थ्रिस्टर कंट्रोल्ड सीरिज कंपनसेशन (टीसीएससी) परियोजना लागू की थी। वह 800/400/220/132 केवी स्विचगीयर उपकरण विनिर्देशन के भी कोर मेंबर थे। वर्ष 1985-86 में उन्होंने देवीघाट हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण के बारे में नेपाल सरकार के सलाहकार के रूप में सेवा की।

श्री ठक्कर एआईएमए के सदस्य हैं और वे विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक रहे हैं। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए विभिन्न तकनीकी पेपर्स के लेखक/सह लेखक रहे हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री प्रकाश ठक्कर के पास कंपनी के 4030 इक्विटी शेयर थे।

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *निदेशक (वित्त) (डिआईएन 02231613)*

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, उम्र 54 वर्ष, 01 अगस्त, 2012 से हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम.(आनर्स) हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के फेलो सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 31 वर्ष का अनुभव है। आरईसी में महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर उन्होंने विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधन जुटाव, ऋण संवितरण और कारपोरेट लेखा एवं कराधान शामिल है। 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक थे। वह इंडियन ऊर्जा एक्सचेंज लि.(आईईएक्स) के बोर्ड में नामिती निदेशक भी हैं।

उनका दायित्व वित्तीय नीतियां और योजनाएं तैयार करना है, ताकि कंपनी अपने सपनों को साकार कर सके। वह निगम के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में दिशानिर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक एवं वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ और निधि प्रबंधन, कर आयोजना, संसाधन जुटाव और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार व्यावसायियों के साथ संपर्क करना शामिल है। वे खजाना संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण, उधार प्रचालन और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह भी देते हैं ।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री अजीत प्रसाद अग्रवाल के पास कंपनी के 242 इक्विटी शेयर थे ।

श्री बी.एन. शर्मा, *सरकारी नामिती निदेशक (डिआईएन 01221452)*

श्री बी.एन. शर्मा, उम्र 55 वर्ष, 23 अगस्त 2012 से हमारी कंपनी के सरकारी नामिती निदेशक हैं। वह वित्तीय प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हैं। वह वर्ष 1985 से राजस्थान संवर्ग के आईएएस अधिकारी हैं और लगभग 29 वर्षों से सिविल सेवा में हैं। इस समय वह विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जहां वह ग्राम विद्युतीकरण और वितरण के प्रभारी हैं और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक भी हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में पदभार संभालने से पहले वह चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान में प्रमुख सचिव थे। उन्होंने राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग में आयुक्त, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लि. (आरआईआईसीओ) में प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वित्त(व्यय)विभाग और प्रारंभिक, सेकेंडरी और संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान में सचिव के पद पर भी कार्य किया है। इससे पूर्व उन्होंने राजस्थान में जयपुर, अलवर और टोंक जिलों के कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर, के सचिव के पद पर कार्य किया है। श्री शर्मा विभिन्न कंपनियों के निदेशक/नामित निदेशक के तौर पर रहे हैं। वह राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि., राजस्थान असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लि., राजस्थान ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि. और राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लि. के अध्यक्ष भी थे।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री बी.एन.शर्मा के पास कंपनी के ''शून्य'' इक्विटी शेयर थे।

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डिआईएन 00948089)*

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, उम्र 47 वर्ष, 16 मार्च, 2012 से आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। वे व्यवसाय से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और मैसर्स सुनील राम एंड कंपनी, गाजियाबाद के वरिष्ठ भागीदार हैं। वे वाणिज्यिक स्नातक 'दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (एफसीए)' और 'दि इंस्टीच्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (एफआईसीडब्ल्यूए)' के फेलो हैं और 'स्टडी ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम' विषय में पीएचडी की है।

उन्होंने 21 मार्च, 2012 को देना बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के निदेशक के रूप में चुने गए हैं और देना बैंक में वे विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में सहयोजित किए गए थे यथा प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और सूचना प्रौद्योगिकी। उन्होंने 16 मार्च, 2012 को देना बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के निदेशक के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। देना बैंक में वे विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में सहयोजित किए गए थे यथा प्रबंधन समिति, लेखा परीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति।

भारत सरकार ने उन्हें जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया का निदेशक और इस्पात उपभोक्ता परिषद्, इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार) का सदस्य नामित किया है। आप फिक्की की राष्ट्रीय कार्यपालक परिषद् के निर्वाचित सदस्य हैं। आप एसोचैम, सीआईआई और पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और उद्योग एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सहयोजित सदस्य भी हैं। इसके अलावा, आप कई सामाजिक संगठनों, शैक्षिक समितियों और क्लबों के सदस्य भी हैं।

डॉ सुनील कुमार गुप्ता 'दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया' के गाजियाबाद चेप्टर के संस्थापक सदस्य हैं और 'दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया' की गाजियाबाद शाखा के समय समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी रहे हैं। डॉ.सुनील कुमार गुप्ता वर्ष 1998-2000 तक दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद् के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं।

बाल्यावस्था में अपने संघर्ष से सीख प्राप्त करते हुए, आपने ग्राम विकास समिति का आजीवन सदस्य बन कर ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्गठन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, जो 24 से अधिक गांवों में निःशुल्क शिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करता है। आपकी सेवाएं मानवों तक ही सीमित नहीं है, आप श्री कृष्ण गौशाला, गाजियाबाद के संस्थापक सदस्य होने के नाते जानवरों के कल्याण के लिए समर्पित रूप से कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों के लिए शुद्ध दूध उपलब्ध करवा करके कुपोषण के अभिशाप से लड़ना शामिल है। यूनिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के आर्थिक कार्य मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने राष्ट्रों के बीच स्नेहपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करते हुए परिणामोन्मुख नीतियों को स्थायी रूप से निरूपित किया है। आपके बहुमूल्य दिशा निर्देश ने भारत-जापान वैश्विक भागीदारी व दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर (डीएमआईसी) शुरू कराने में सफलता पाने में इंडिया सेंट फाउंडेशन (आईसीएफ) की मदद की।

विविध आयामों के प्रतिभाशाली आप पुस्तकों के लेखक हैं और आपने विभिन्न समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे हैं। विश्लेषणात्मक रूप में आप व्यक्तिगत साक्षात्कारों और सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से ज्ञान का आदान-प्रदान करने में समय निकालने के लिए कभी भी संकोच नहीं करते हैं। आपकी तमाम उपलब्धियों में एक विशिष्ट गुण यह है कि आपने समाज से जो कुछ प्राप्त किया है उसके बदले बहुत कुछ देने का हौसला रखते हैं और इस प्रकार विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार डॉ सुनील कुमार गुप्ता के पास कंपनी के ''शून्य'' इक्विटी शेयर थे।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सहित पैंतालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य बातें

1.1 पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के संबंध में कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ों में)

मापदंड	2013-14	2012-13
स्वीकृत ऋण (आरजीजीवीवाई तथा डीडीजी के अधीन स्वीकृतियों को छोड़कर)	**70,739.48**	79,470.49
संवितरण (आरजीजीवीवाई तथा डीडीजी के अधीन सब्सिडी सहित)	**37,969.99**	40,183.06
वसूलियां (ब्याज सहित)	**30,755.36**	26,728.86
कुल प्रचालन आय	**17,017.98**	13,537.37
कर-पूर्व लाभ	**6,531.12**	5,163.95
कर-पश्चात लाभ	**4,683.70**	3,817.62

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वर्ष के दौरान ₹ 13,537.37 करोड़ से 26% बढ़कर ₹ 17,017.98 करोड़ हो गई है। कर-पश्चात लाभ पिछले वर्ष के ₹ 3,817.62 करोड़ की तुलना में 23% बढ़कर ₹ 4,683.70 करोड़ हो गया है।

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की ऋण परिसंपत्ति बही में 17% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के ₹ 1,27,356 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,48,641 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया उधारियां ₹ 1,26,240 करोड़ थी।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹ 10/- के प्रत्येक शेयर पर ₹ 47.43 था। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की नेटवर्थ में 18% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के ₹ 17,454.38 करोड़ से बढ़कर ₹ 20,669.46 करोड़ हो गई है।

1.3 लाभांश

28 फरवरी, 2014 को प्रदत्त ₹ 7.75 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.75 (एक रूपया तथा पचहत्तर पैसे मात्र) प्रति शेयर (₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो पैंतालीसवीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कुल लाभांश प्रति शेयर (₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) ₹ 9.50 (नौ रु. पचास पैसे मात्र) परिकलित होगा,जो कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी के 95% को दर्शाता है जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 8.25 प्रति शेयर के हिसाब से कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी के 82.50% का द्योतक था। इस वित्त वर्ष के लिए अदा किए जाने वाले कुल लाभांश की राशि ₹ 938.09 करोड़ होगी। (जिसमें ₹ 159.40 करोड़ का लाभांश संवितरण कर शामिल नहीं है)।

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, निर्गत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़ थी, जिसमें प्रत्येक ₹ 10 के 98,74,59,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो ₹ 1200 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी के अनुसार हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने आपकी कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 1.16% शेयर अर्थात 1,14,38,782 (एक करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार सात सौ बयासी मात्र) इक्विटी शेयरों का विनिवेश/विक्रय केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यम एक्सचेंज व्यापारित कोष (सीपीएसई ईटीएफ) के माध्यम से किया था।

भारत के राष्ट्रपति के पास 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 65.64% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की धारिता है जबकि 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार यह धारिता 66.80% थी।

1.5 कम्पनी अधिनियम, 2013

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने सितम्बर, 2013 तथा मार्च, 2014 में किस्तों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं को अधिसूचित किया है, जिनमें से अधिकांश धाराएं तथा नियम मार्च, 2014 में अधिसूचित किए गए हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 के उन सदृश प्रावधानों की सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 1956 अभी प्रवृत्त है जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 4 अप्रैल, 2014 के अपने परिपत्र के तहत स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष के संबंध में उसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण तथा दस्तावेज, लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा बोर्ड की रिपोर्ट, जिन्हें पहली अप्रैल 2014 से पूर्व शुरू किया गया था, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे तथा इसी के समनुरूप, कम्पनी के वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा बोर्ड की रिपोर्ट तथा उनके अनुलग्नक कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संबंध में इस रिपोर्ट में उनका उसी सीमा तक समुचित उल्लेख किया गया है जहां तक कि वे पहली अप्रैल 2014 तक लागू हो गए हैं।

2. स्वीकृत ऋण

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 70,739.48 करोड़ मूल्य का ऋण स्वीकृत किया है, जबकि पिछले वर्ष 79,470.49 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था। इस राशि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) तथा विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के अधीन स्वीकृत राशि शामिल नहीं है। इस वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण का राज्य और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः संलग्न **तालिका 1 और 2** में दिया गया है। इस निगम के प्रारंभ होने से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2014 तक स्वीकृत संचित राशि 554,586.76 करोड़ थी जिसमें केवल XIवीं पंचवर्षीय योजना तक आरजीजीवीवाई तथा डीडीजी परियोजना लागत (पूंजीगत सब्सिडी तथा ऋण) के तहत सब्सिडी शामिल है। वित्त वर्ष 2014 के अंत तक स्वीकृतियों की संचयी राज्यवार स्थिति का विवरण संलग्न **तालिका - 3** में दिया गया है।

3. संवितरण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कुल ₹ 37,969.99 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी, जबकि पिछले वर्ष ₹ 40,183.06 करोड़ की रकम संवितरित की गई थी। इसमें आरजीजीवीवाई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल है। इस निगम की स्थापना से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2014 तक संवितरित की गई संचयी राशि ₹ 2,40,694.10 करोड़ थी, जिसमें आरजीजीवीवाई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है। इस वर्ष के दौरान राज्य-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा लौटाया गया ऋण तथा दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुसार संचयी आंकड़े और बाकी ऋण का विवरण संलग्न **तालिका 4** में दिया गया है।

4. वसूलियां

4.1 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज सहित वसूल की जाने वाली राशि ₹ 31,312.57 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 26,881.04 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 30,755.36 करोड़ की कुल राशि वसूल की है, जबकि पिछले वर्ष ₹ 26,728.86 करोड़ वसूल की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि ₹ 993.04 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2013-14 में वसूली की दर 97.90% थी।

4.2 आपकी कंपनी की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) निम्न स्तर पर बनी रहीं। दिनांक 31 मार्च, 2014 को कंपनी की सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह ₹ 490.40 करोड़ बनी रहीं, जिसके कारण दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सकल ऋण परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों की प्रतिशतता गिरकर/कम होकर 0.33 प्रतिशत हो गई जबकि दिनांक 31.03.2013 को यह प्रतिशतता 0.39% थी। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निवल गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों की राशि ₹ 353.54 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसम्पत्तियों का 0.238% है।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	स्टैंडअलोन		समेकित	
	2013-14	2012-13	**2013-14**	2012-13
प्रचालनों से राजस्व	**17,017.98**	13,537.37	**17,122.21**	13,570.06
अन्य आय	**102.82**	61.30	**106.73**	68.64
कुल आय	**17,120.80**	13,598.67	**17,228.94**	13,638.70
वित्त लागत	**10,038.46**	8,083.76	**10,034.74**	8,083.39
अन्य प्रचालन व्यय	**239.20**	220.28	**264.90**	237.86
ऋण परिसंपत्तियों पर छूट	**312.02**	130.68	**312.59**	131.24
कुल व्यय	**10,589.68**	8,434.72	**10,612.23**	8,452.49
कर-पूर्व लाभ	**6,531.12**	5,163.95	**6,616.71**	5,186.21
कराधान के लिए प्रावधान	**1,847.42**	1,346.33	**1,875.46**	1,353.43
कर-पश्चात लाभ	**4,683.70**	3,817.62	**4,741.25**	3,832.78

5.1.1 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कंपनी ने राजकोष में 2,424.27 करोड़ का अंशदान किया, जबकि पिछले वर्ष इसने ₹ 2,164.25 करोड़ का अंशदान किया था। यह अंशदान भारत सरकार को अदा किए गए लाभांश की अदायगी के रूप में था, जो कंपनी में इसके शेयरधारण, प्रत्यक्ष करों, लाभांश कर और सेवा कर के अनुसार था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	2013-14	2012-13
भारत सरकार को प्रदत्त लाभांश	**610.14**	610.14
प्रत्यक्ष कर	**1,640.42**	1,376.21
लाभांश कर*	**155.20**	148.16
सेवाकर	**18.51**	29.74
जोड़	**2,424.27**	2,164.25

*इसमें चालू वर्ष के दौरान अदा किया गया पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश पर लाभांश कर और चालू वर्ष के संबंध में अंतरिम लाभांश पर लाभांश कर शामिल है।

5.1.2 अनुपात विश्लेषण

वित्त वर्ष 2012-13 की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

ब्यौरे	2013-14	2012-13
प्रति शेयर अर्जन (₹)	**47.43**	38.66
औसत नेटवर्थ पर प्राप्ति (%)	**24.57**	23.85
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**209.32**	176.76
इक्विटी के प्रति ऋण का अनुपात (अवधि)	**6.11**	6.18
मूल्य अर्जन अनुपात (अवधि)*	**4.84**	5.39
ब्याज व्याप्ति अनुपात (अवधि)	**1.65**	1.64

* मूल्य अर्जन अनुपात का परिकलन एनएसई में 31 मार्च, 2014 तथा 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आरईसी के बंद शेयर मूल्य के आधार पर किया गया है।

5.2 संसाधन जुटाव

आपकी कम्पनी ने अपनी प्रचालन आवश्यकताओं के लिए वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बाजार से ₹ 36, 934.37 करोड़ जुटाए हैं। इसमें संस्थागत बांडों के निर्गम के जरिए जुटाए गए ₹ 17,403 करोड़, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15) (iv)(एच)के तहत कर-मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बांडों के द्वारा जुटाए गए ₹ 6000 करोड़ (₹ 1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए तथा ₹ 4500 करोड़ सार्वजनिक निर्गमों के जरिए) शामिल हैं। कम्पनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत पूंजीलाभ कर छूट प्राप्त प्रतिभूत विमोचनीय अपरिवर्तनीय कर योग्य बांडों के रूप में ₹ 5,349.91 करोड़ जुटाए। इसके अतिरिक्त, ₹ 4,986.16 करोड़ कमर्शियल पेपर (सीपी) के माध्यम से और ₹ 1,195 करोड़ सावधि ऋण के जरिए जुटाए गए। कम्पनी ने ₹ 1780.28 करोड़ विदेशी वाणिज्यिक उधार के रूप में तथा 220.02 करोड़ सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में जर्मनी के क्रेडिटांस्टैटफर विडेरोफो (केएफडब्ल्यू) जर्मनी तथा जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से जुटाए थे।

कर-मुक्त बांडों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बाजार से ₹ 6000 करोड़ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) के अधीन कर-मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बांड के द्वारा (प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 1500 करोड़ और सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से ₹ 4500 करोड़) जुटाए थे। इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधि की संपूर्ण आय का उपयोग कंपनी के उधार देने और अन्य प्रचालन कारोबार के संबंध में किया गया।

विदेशी वाणिज्यिक उधार

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सावधि ऋण के रूप में 285 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 1,780.28 करोड़) जुटाए थे।

नकद उधार सुविधा

आपकी कंपनी के पास अपने दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से लेने के लिए ₹ 5000 करोड़ की अनुमोदित नकद उधार/डब्ल्यूसीडीएल सीमा है।

5.3 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आरईसी की घरेलू ऋण लिखतों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों-क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इकरा से ''एएए'' रेटिंग प्राप्त होना जारी रहा है जो इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

आपकी कंपनी को मूडी तथा फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से भारत की सार्वभौमिक रेटिंग के समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो क्रमशः ''बीएए3'' और ''बीबीबी'' है। ''बीएए3'' दर निर्धारित देयताएं संतुलित क्रेडिट जोखिम को दर्शाती हैं और ''बीबीबी'' दर निर्धारित देयताएं यह दर्शाती है कि चूक जोखिम की संभावना वर्तमान में कम है।

5.4 उधार की लागत

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जुटाई गई निधियों की समग्र वार्षिकीकृत औसत भारित लागत 8.48% प्रतिवर्ष थी और ब्याज व्याप्ति अनुपात 1:65 था। इसके परिणामतः आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण करने में समर्थ थी।

5.5 उन्मोचन और पूर्व-भुगतान

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान्, कंपनी ने कुल ₹ 18,005.79 करोड़ की रकम लौटाई है, जिसमें ₹ 6216.32 करोड़ की राशि संस्थागत बांडधारकों को, ₹ 5043.89 करोड़ की राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अधीन पूंजीगत लाभ कर-मुक्त प्रतिभूत विमोचनीय अपरिवर्तनीय करयोग्य बांडों के बांडधारकों

को, ₹ 3,705 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र तथा ₹ 2,739.40 करोड़ का आवधिक ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को लौटाया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने भारत सरकार के ₹ 7.22 करोड़ के ऋण की तथा ₹ 293.96 करोड़ के सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण की वापसी अदायगी की।

5.6 वित्त वर्ष के अंत में संसाधनों का नियोजन

वित्त वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन ₹ 1,52,852.90 करोड़ के थे। इस राशि में से इक्विटी शेयर पूंजी अंशदान ₹ 987.46 करोड़, आरक्षित तथा अधिशेष ₹ 19,682.00 करोड़, वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, और बांडों के माध्यम से बाजार उधार तथा वाणिज्यिक पत्र ₹ 1,26,240.19 करोड़, आस्थगित कर देयताएं ₹ 173.69 करोड़ और अन्य देयताएं तथा प्रावधान ₹ 5,769.56 करोड़ के थे। इस निधि का नियोजन ₹ 1,48,504.24 करोड़ के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋणों में (जिसमें निवल छूट ₹ 136.86 करोड़ की थी), ₹ 81,.83 करोड़ की स्थायी परिसंपत्तियों में (मूल्यह्रास घटाकर) (जिसमें कार्यशील पूंजी और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां शामिल हैं), ₹ 1,707.79 करोड़ के निवेशों में, ₹ 1,192.94 करोड़ नकद और बैंक शेष में तथा ₹ 1,366.10 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियों में किया गया था।

5.7 नीतिगत पहल

आपकी कंपनी बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार तथा साथ ही अपने कारपोरेट उद्देश्यों के अनुसार भी अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी उधार और प्रचालन नीतियों/प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करती है और उनमें संशोधन करती है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग, पारेषण एवं वितरण योजनाओं के लिए वापसी अदायगी अवधियों के मानकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा दिशानिर्देशों तथा सीएसआर नीति संबंधी नीतियों की समीक्षा की है ताकि वह प्रवृत्त पद्धतियों के साथ अनुकूल बन सके तथा समय-समय पर सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना हो सके।

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ उच्च सरकारी उधारों, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि, मुद्रास्फीति में वृद्धि, इत्यादि जैसे कारकों के कारण सरोकारों के बावजूद आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अपना अच्छा विस्तार बनाए रखा और कारोबार की संवृद्धि और लाभकारिता के अपने उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखा।

5.8 पुनः समय निर्धारित ऋणों की प्रास्थिति

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पुनःसमय निर्धारित ऋणों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे		2013-14	2012-13
पुनः समय निर्धारित किए गए मानक ऋण*	उधारकर्ताओं की संख्या	**18**	14
	बकाया राशि	**32,231.84**	22,429.59
पुनः समय निर्धारित किए गए उप-मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	**0**	0
	बकाया राशि	**0**	0
पुनः समय निर्धारित किए गए संदिग्ध ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	**0**	0
	बकाया राशि	**0**	0
जोड़	**उधारकर्ताओं की संख्या**	**18**	14
	बकाया राशि	**32,231.84**	22,429.59

* पुनःसमय निर्धारित ऋण राशि में ₹ 9949.38 करोड़ की राशि शामिल है जिसकी प्रथम वापसी अदायगी तिथि को संबंधित परियोजना की विलम्बित कमिशनिंग के कारण आगे बढ़ा दिया गया था।

6. वर्तमान वितरण परिदृश्य और प्रमुख चुनौतियां

पारेषण और वितरण (टी एंड डी) उद्योग का विद्यमान परिदृश्य विगत की तुलना में तब से काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है जबसे हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक की सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमतावर्धन को प्राप्त किया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88000 मेगावाट के और वर्धन का लक्ष्य निर्धारित किया है। विद्युत के इतने बड़े आयाम के पारेषण और वितरण के लिए एक विश्वसनीय और दक्ष प्रणाली की आवश्यकता है ताकि विद्युत उत्पादन की सुविधाओं से उप-केद्रों तक या लाइनों के जरिए उपभोक्ताओं तक बिजली का अंतरण किया जा सके।

पारेषण और वितरण प्रणाली में मूलतः विभिन्न वोल्टता वाले स्तरों की पारेषण लाइनें (इंटरस्टेट और इंटरास्टेट), उप-केंद्र, स्विचिंग स्टेशन, उप-पारेषण नेटवर्क, वितरण ट्रांसफार्मर तथा लाइनें आदि शामिल होती है। वितरण को विद्युत मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी माना गया है और विभिन्न अंतर्निहित (inherent) कारणों से इससे संबंधित कार्रवाई करना कठिन होता है। उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा वहनीय, विश्वसनीय और उत्कृष्ट विद्युत की निरंतर बढ़ती हुई मांग ने वितरण को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य बना दिया है। आपकी कंपनी नई अवसंरचना के सृजन और विद्यमान एक अवसंरचना के उन्नयनीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का लगातार प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी विद्युत वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित करती है कि वे विभिन्न सुधारात्मक उपायों को तत्काल लागू करें और सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाएं जिनमें प्रणाली/स्मार्ट ग्रिड का आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणाली, वितरण क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकी उपाय शामिल हैं तथा जो उनके प्रचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उनकी सहायता करती हैं। चूंकि वितरण, विद्युत क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सभी राजस्व का द्वार हैं, वह विद्युत क्षेत्र के विकास और स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वितरण क्षेत्र द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों में ये शामिल हैं - देशभर की अधिकांश वितरण कम्पनियों की संचित हानियां और उनका थोड़ा नेटवर्थ जो उनके वित्त साधनों को अत्यधिक बाधित कर रहा है। उच्च ए टी एवं सी हानियां, प्रशुल्क आदेश इत्यादि में विलम्ब विनियामक परिसंपत्तियों के सृजन में परिणामी हुई हैं। मूर्त रूप लेने, वहनीय लागत की वसूली, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता निर्मुक्त करने, राजस्व संग्रहण चक्र में विलम्ब इत्यादि के कारण यूटिलिटियां वित्तीय घाटे का सामना भी कर रही हैं। राज्य वितरण यूटिलिटियों का समग्र कार्य-निष्पादन उपर्युक्त कारणों से चिंता का विषय रहा है। समय तथा गत्यात्मक माहौल के साथ मिलकर चलने के लिए जिसमें यूटिलिटियों उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत संघर्ष कर रही है और प्रयासरत है, आपकी कंपनी आज संपूर्ण वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण मोटे तौर पर प्रणाली सुधार और उसके उन्नयनीकरण, हानियों में कमी के उपायों, आईटी समर्थित बनाने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि आदि के उद्देश्यों के साथ कर रही है। आपकी कंपनी विवेक/योग्यता तथा ठोस मूल्यांकन तंत्र पर आधारित वितरण कंपनियों की किन्हीं भी विशेष मांगो/आवश्यकताओं को पूरा करने और उन पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एक समर्पित कार्यनीतिक प्रबंधन समूह इस प्रयोजन के लिए कंपनी में गठित किया गया है।

मुझे आपको यह सूचित करने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी अपनी सभी प्रमुख पहलों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भागीदारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (नोडल एजेंसी), पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), राष्ट्रीय विद्युत निधि (नोडल एजेंसी), वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी),स्मार्ट ग्रिड कार्यबल आदि जैसे कार्यक्रमों में, गहरी रूचि लेकर देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने और उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी महत्त्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा आपकी कंपनी को आशा है कि वितरण परिदृश्य शीघ्र ही बेहतर हो जाएगा जब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों के साथ मिल कर उक्त विशाल कार्यक्रमों के परिणाम तथा प्रभाव दिखने लगेंगे तथा वितरण के सम्पूर्ण परिदृश्य को रूपांतरित कर देंगे।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति आदि जैसे विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों द्वारा समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर इस क्षेत्र में सुधार करने के सभी प्रयास किए हैं, ताकि एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया जा सके और विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार के संकेत दिखे हैं जिनमें अभी काफी कुछ हासिल किया जाना बाकी है। पृथक्कीकरण की प्रक्रिया, निगमीकरण, विनियामक आयोग की स्थापना आदि की प्रक्रिया अधिकांश राज्यों में पहले ही पूरी की जा चुकी हैं, जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनाया है और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। इसके अलावा, कुछ विद्युत वितरण कंपनियां मामला दर मामला आधार पर फ्रैंचाइजियों की नियुक्तियां कर रही है, ताकि क्षेत्र विशेष में प्रचालन संबंधी दक्षता में सुधार लाया जा सके।

विगत दशक में विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं, ताकि इन डिस्कॉमों की समस्याओं का निराकरण करके उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके जैसे एपीडीआरपी का उद्देश्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना तथा हानियों को कम करना है, आरजीजीवीवाई का उद्देश्य अधिकतम संयोजकता सुनिश्चित करना और सभी ग्रामीण बीपीएल परिवारों को बिजली का सर्विस कनेक्शन जारी करना है, आर-एपीडीआरपी का गठन शहरी क्षेत्रों में सुधार करने और वितरण प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित बनाने के लिए किया गया है, एनईएफ-ब्याज सब्सिडी योजना की शुरूआत पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने और वितरण क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए की गई है, तथा वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) का गठन विद्युत वितरण कम्पनियों को केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए ऋण संबंधी पुनर्गठन के लिए किया गया है।

एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में विद्युत मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रणाली स्थापित की है, जो कार्य-निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन सुकर बनाएंगी। इस प्रणाली से इन विद्युत वितरण कंपनियों की मजबूतियों और कमजोरियों का मूल्यांकन किया जा सकेगा और उनके प्रचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में अधिक सुधार लाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण उपलब्ध कराना सुविधाजनक हो जाएगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सतत दृष्टिकोण को अपनाने में भी यह उस समय सहायता प्रदान करेगी जब वितरण कंपनियों के वित्तपोषण के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

आरईसी काफी अधिक संख्या में आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करने में सहयोगी रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करना है। सुधार की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक ब्याज सब्सिडी योजना राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) का गठन किया है। यह योजना विद्युत वितरण अवसंरचना में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देगी। विद्युत मंत्रालय स्मार्ट ग्रिड की शुरूआत करके प्रौद्योगिकीय उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है और यह अनेक प्रायोगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर चुका है। विद्युत वितरण क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से विद्युत प्रणाली ''स्मार्ट'' और वास्तविक समय के निकट सूचना देने के लिए सक्षम बन जाएगी जिससे यूटिलिटियां अपनी संपूर्ण प्रणाली को व्यवस्थित कर सकेंगी। स्मार्ट प्रणाली विद्युत मांग तथा विद्युत की आपूर्ति तथा गुणवत्ता की गत्यात्मकताओं के प्रति अक्रिय संवेदनशीलता और अनुक्रियाशीलता को समर्थ बनाने में सहायक होगी। इसी प्रकार, बेहतर सूचना समर्थ उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ऊर्जा प्रयोग का प्रबंधन करने में समर्थ बनाएंगी। स्थानीय वितरण स्तर पर बुद्धिमतापूर्ण ग्रिड का विकास सम्पूर्ण नेटवर्क में पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा तत्समय डाटा अधिग्रहण के लिए विद्यमान ग्रिड में सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट/संचार प्रौद्योगिकियां समाहित कर अंतिम संभव स्थल तक विद्युत का दक्ष तथा अबाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा। इसमें एकीकृत संचार प्रणाली, संवेदी और मापन प्रौद्योगिकी, विद्युत व्यवहार के नियंत्रण और निर्धारण के उन्नत घटक और वितरण ट्रांसफार्मर स्तर तक ग्रिड का अंततः उपभोक्ता बिंदु तक आन लाईन प्रबंधन शामिल है। चालू आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम डिस्कॉमों को सुसज्जित करने के लिए एक सीढ़ी का काम करेंगे ताकि वे तकनीकी उन्नयन के साथ एकीकृत होकर ग्रिड को अधिक स्मार्ट बनाएं।

स्मार्ट ग्रिड संकल्पना अब एक वास्तविकता बन रही है तथा भारत में स्मार्ट ग्रिडों का क्रियान्वयन हेतु एक रूपरेखा विकसित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयी समूह अर्थात इण्डिया स्मार्ट ग्रिड कृत्तिक बल (आईएसजीटीएफ) का गठन किया है। भारत के लिए स्मार्ट ग्रिड संकल्पना तथा रूपरेखा सितम्बर 2013 में जारी की गई थी, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड के विकास को समर्थ बनाने के लिए एक ढांचे की व्यवस्था करती है। भारतीय माहौल में विभिन्न कार्यप्रणालियों का परीक्षण करने के लिए भारत सरकार के 50% निधियन के साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा 14 स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी। इन प्रायोगिक परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन (पीक्यूएम), उन्नत मीटरीकरण अवसंरचना (एएमआई) की व्यवस्था, आउटेज प्रबंधन (ओएम), चरम मांग प्रबंधन (पीएलएम) तथा साथ ही डीजी (वितरित उत्पादन) और माईक्रो ग्रिड कार्य प्रणालियां भी है। एएमआई अधिकांश यूटिलिटियों द्वारा विकल्प के रूप में चुनी गई कार्यप्रणाली है। स्मार्ट ग्रिड ज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है तथा साथ ही राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन पहलों के द्वारा मुझे विश्वास है कि डिस्कॉम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे तथा उनके कार्यनिष्पादन में सुधार आएगा।

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण कम्पनियों के लिए वित्तीय पुनर्संरचना योजना अधिसूचित की है। यह योजना आरम्भतः 31 दिसम्बर, 2012 तक वैध थी तथा इसे 31 जुलाई, 2013 तक आगे और बढ़ाया गया था। यह योजना प्रतिभागी राज्यों के स्वामित्वाधीन संचित हानियां उठा रही तथा प्रचालन हानियों का वित्तपोषण करने में कठिनाई का सामना कर रही सभी वितरण कम्पनियों के लिए उपलब्ध है। योजना के तहत, 31 मार्च, 2012 तक बकाया अल्पावधि देयताओं (एसटीएल) का 50% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहीत किया जाएगा। इसे पहले राज्य सरकार की विधिवत गारंटी प्राप्त बांडों में रूपांतरित किया जाएगा जिन्हें डिस्कॉम अपने प्रतिभागी उधारदाताओं को जारी करेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकारें विशेष प्रतिभूतियों के रूप में अगले 2-5 वर्षों में इस देयता का अधिग्रहण कर लेंगी तथा शेष 50% अल्पावधि ऋणों की पुनर्संरचना निर्गम उधारदाताओं द्वारा ऋणों का पुनः समय निर्धारण कर तथा इस पुनर्संरचना के लिए सर्वोत्तम संभव शर्तों पर मूलधन पर ऋण स्थगन की व्यवस्था की जाएगी ताकि इस प्रयास की व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। ऋण की पुनर्संरचना के साथ-साथ डिस्कॉमों/राज्य सरकार द्वारा ठोस उपाय किए जाएंगे तथा इनसे वितरण यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक निष्पादन तथा नकदी प्रवाह में निश्चित रूप से सुधार होगा। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों ने पहले ही एफआरपी का लाभ उठा लिया है।

उपर्युक्त सभी उपायों से, भारत सरकार मूलतः दो अलग-अलग दिशाओं में कार्य कर रही है अर्थात एक है - सभी को बिजली उपलब्ध कराना और दूसरा है सुधार आधारित प्रोत्साहन देकर यूटिलिटियों के प्रचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाना। इन उपायों का परिणाम मिलना शुरू हो गया है जो कई राज्यों में विनियामक द्वारा समय पर टैरिफ अधिसूचित करने, एमवाईटी याचिकाएं दाखिल करने, एआरआर में इक्विटी पर प्राप्ति का दावा करने, राज्य सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करने, वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने इत्यादि में परिलक्षित है।

प्रणाली की उपलब्धता के अर्थ में यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर तक मीटर उपलब्ध करा कर सुधार किया जाएगा, ताकि वाणिज्यिक हानियों में कमी के परिणामों के लिए बेहतर ऊर्जा लेखाकरण किया जा सके। इसके अतिरिक्त फीडरों के पृथक्कीकरण से ग्रामीण परिवारों के साथ-साथ कृषि के लिए विश्वसनीय विद्युत सुनिश्चित होगी।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आपकी कंपनी वितरण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार के लिए प्राइवेट तथा सरकारी, दोनो क्षेत्रों में वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई राष्ट्रीय विद्युत निधि नामक ब्याज सब्सिडी योजना के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना का उद्देश्य वितरण में अति आवश्यक निवेश के लिए प्रोत्साहन देना है। यह योजना सुधारों से जुड़ी हुई है और ऐसे डिस्कॉमों को ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो विद्युत मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2012 में जारी किए गए एनईएफ दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार के मापदंडों को प्राप्त कर लेते हैं। यह ब्याज सब्सिडी (3% से 7%) वितरण क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋण पर दी जाएगी, जो सभी वितरण क्षेत्र अवसंरचना संबंधी ऐसे पूंजीगत कार्यों हेतु लिए गए हो, जो आर-एपीडीआरपी या आरजीजीवीवाई योजनाओं जैसी सरकार की चालू योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं।

एनईएफ के अंतर्गत दो वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए ₹ 25,000 करोड़ की राशि के ऋण संवितरण पर 14 वर्षों में विस्तारित कुल ₹ 8,466 करोड़ की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान ₹ 25000 करोड़ प्रस्तावों को स्वीकृत करने का लक्ष्य पार कर लिया है तथा एनईएफ के अधीन लाभ उठाने के लिए 14 राज्यों में 25 डिस्कॉमों को स्वीकृतियां जारी की हैं। संबंधित राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियां अपनी उपलब्धियों के आधार पर ब्याज दर पर सब्सिडी का लाभ (3% से 7%) लेना शुरू कर देंगी। ये उपलब्धियां मुख्यतः दो प्रमुख दक्षता बेंचमार्क मापदंडों अर्थात समग्र, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने और राजस्व अंतर (एसीएस एंड एआरआर) में कमी लाने से संबंधित हैं।

7. वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार हैः

7.1 विद्युत उत्पादन

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आपकी कंपनी ने 23 विद्युत उत्पादन/आर एंड एम से संबंधित ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनमें ₹ 28,723.50 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय वाली 09 अतिरिक्त ऋण सहायता शामिल है। इसमें अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ कंसोर्टियम वित्तपोषण करना भी शामिल है और चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में ₹ 12,852.44 करोड़ का ऋण संवितरित किया जा चुका है।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत किए गए ऋण का क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र		
नया ऋण	8	22,452.83
अतिरिक्त ऋण	3	
प्राइवेट क्षेत्र		
नया ऋण	6	6,270.67
अतिरिक्त ऋण	6	
जोड़	**23**	**28,723.50**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आपकी कम्पनी ने कुल 98 मेगावाट की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी 6 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 295.48 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनमें 75 मेगावाट की तीन सौर फोटो वोल्टिक परियोजनाएं, 21 मेगावाट की दो लघु जल विद्युत परियोजनाएं तथा 2 मेगावाट की एक पवन ऊर्जा परियोजना शामिल हैं।

इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 993.08 करोड़ है। वर्ष के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 134.99 करोड़ का कुल संवितरण किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

गुजरात के जिला राजकोट, उपलेटा में स्थित आरईसी द्वारा वित्तपोषित सीबीसी सोलर प्रौद्योगिकी की 10 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (ग्रिड से जुड़ी) को सहायता	यूनिट	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संख्या	**6**	11
स्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	**98**	126.6
परियोजनाओं की लागत	₹ करोड़	**993.08**	1,824.75
स्वीकृत ऋण	₹ करोड़	**295.48**	580.06
संवितरित ऋण	₹ करोड़	**134.99**	240.505

7.3 पारेषण और वितरण

आपकी कंपनी अपने पारेषण और वितरण कार्यों के तहत देश में पारेषण और वितरण नेटवर्क के अधीन नई अवसंरचना के सृजन के लिए और विद्यमान एक अवसंरचना में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। अवसंरचना सृजन करके सभी को बिजली उपलब्ध कराने और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप आपकी कंपनी पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने संबंधी योजनाओं की और भी अधिक महत्वपूर्ण वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की व्यवस्था करती आ रही है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी ने 987 पारेषण और वितरण योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें ₹ 32,014.99 करोड़ की कुल ऋण सहायता शामिल थी तथा इसने पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए ₹ 10,789.09 करोड़ की राशि संवितरित की है। इनमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों से संबद्ध प्राथमिक विद्युत निकासी योजनाएं, आर-एपीडीआरपी परियोजना सहित प्रणाली सुधार योजनाएं, फीडर पृथक्कीकरण योजनाएं, बल्क लोन योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं और पंपसेट ऊर्जायन योजनाओं सहित तंत्र सुधार योजनाएं भी शामिल हैं।

स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः **तालिका 1 और 2** के अनुसार है। पारेषण और वितरण मंजूरियों के अधीन आपकी कंपनी द्वारा जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर कार्य किया गया है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:

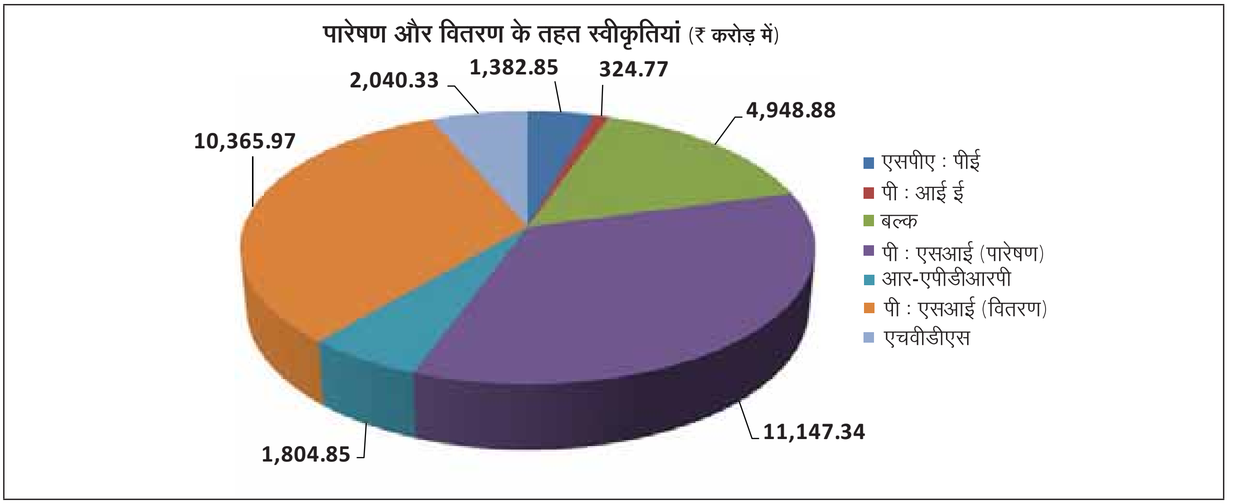

7.3.1 प्रणाली सुधार और बल्क लोन

प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए आरईसी विद्युत वितरण नेटवर्क के प्रणाली अध्ययनों के आधार पर प्रणाली सुधार योजनाओं का वित्तपोषण करता है, जिसमें प्रणाली की क्षमताओं की विद्यमान स्थिति, संबंद्ध मांग, वोल्टता के विवरण और हानियों के स्तर तथा भावी लोड वृद्धि की गुंजाइश पर विचार किया जाता है।

प्रणाली सुधार कार्यक्रम में मीटरों, ट्रांसफार्मरों, कैपेसिटरों इत्यादि की खरीद और संस्थापना संबंधी बल्क लोन योजनाएं, एलवीडीएस से एचवीडीएस में परिवर्तन संबंधी एचवीडीएस योजनाएं शामिल हैं, ताकि एचटीःएलटी अनुपात में सुधार किया जा सके। प्रणाली सुधार योजनाओं से समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में काफी हद तक कमी आती है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल 837 तंत्र सुधार योजनाएं और बल्क लोन योजनाएं स्वीकृत की गई, जिनका ऋण परिव्यय ₹ 30,307.37 करोड़ था। इसमें (1) ट्रांसफार्मरों, मीटरों, कैपिसिटरों आदि जैसे आवश्यक उपस्करों की संस्थापना के रूप में वितरण प्रणाली में निवेश के वित्तपोषण के लिए ₹ 4,948.88 करोड़ की ऋण सहायता संबंधी 107 योजनाएं, (ii) न्यून वोल्टता वितरण प्रणाली से उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए ₹ 2040.33 करोड़ की ऋण सहायता वाली 27 योजनाएं, (iii) वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए ₹ 10,365.97 करोड़ की 415 योजनाएं, (iv) आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के भाग (ख) के काउंटर पार्ट वित्तपोषण के लिए 1804.85 करोड़ की ऋण सहायता वाली 66 योजनाएं; और (v) पारेषण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए ₹ 11,147.34 करोड़ की ऋण सहायता संबंधी 222 योजनाएं शामिल हैं।

7.3.2 गहन विद्युतीकरण

इस क्रियाकलाप के अधीन आने वाली योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण करना है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 21 गहन विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की गई थी जिनका ऋण परिव्यय ₹ 324.77 करोड़ था।

7.3.3 पंपसेटों का ऊर्जायन

आरईसी के ऋण संबंधी कार्यों में कृषि पंपसेटों के ऊर्जायन के लिए ऋण सहायता देना भी शामिल है। ऐसा बताया गया है कि आरईसी की वित्तपोषित योजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 264165 विद्युत सिंचाई पंपसेटों का ऊर्जायन किया गया है। इस श्रेणी के अधीन इस वर्ष के दौरान 129 नई योजनाओं के लिए ₹ 1382.85 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की गई थी। 31 मार्च, 2014 तक ऊर्जायित पंपसेटों का राज्य-वार विवरण और संचयी स्थिति संलग्न **तालिका-5** में दी गई है।

7.4 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए ₹ 670.42 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की गई थी जिसमें उत्तरी सिक्किम में मै. हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा.लि. को इसकी 4x75 मेगावाट पनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना के लिए ₹ 587.67 करोड़ तथा दक्षिण सिक्किम में मै. डैन्स एनर्जी लि. के लिए ₹ 82.75 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सहायता शामिल थी। पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण एवं वितरण के तहत एक पारेषण लाईन के लिए मै. तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लि. को ₹ 88.80 करोड़ की ऋण सहायता भी स्वीकृत की गई थी।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को ₹ 977.41 करोड़ की ऋण सहायता संवितरित की गई थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 509.78 करोड़ थी। इसमें मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड को स्वीकृत ₹ 662.54 करोड़, मैसर्स लैंकों एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹ 42 करोड़, मैसर्स डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹ 55.87 करोड़ और मै. गाटी इफ्रास्ट्रक्चर लि. को दिए गए ₹ 217 करोड़ शामिल हैं। वर्ष के दौरान पारेषण और वितरण योजनाओं के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों को ₹ 7.46 करोड़ की ऋण सहायता भी दी गई।

7.5 वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के लिए आरईसी की अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली है। आरईसी की ब्याज दरें प्राइवेट क्षेत्र की परियोजनाओं तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों को समनुदेशित ग्रेडों के साथ संबद्ध हैं। पीएफसी के साथ

आरईसी राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत दर निर्धारण लाने में विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है तथा विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा संशोधित दर-निर्धारण अपनाता है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग विभिन्न मापदंडों अर्थात वित्तीय, तकनीकी, प्रशुल्क, विनियामक उपायों, सरकारी सहायता तथा प्रबंधन इत्यादि पर आधारित एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

पवन विद्युत/लघु जल विद्युत बायोमास को-जेनरेशन/बायोमास पावर/सौर पीवी/सौर थर्मल और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूरो का ओडीए ऋण लेने के लिए 30 मार्च, 2012 को केएएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के साथ हस्ताक्षरित तीसरी ऋण श्रृंखला के तहत परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी है तथा 50 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 384.12 करोड़) की संचयी राशि दिनांक 31 मार्च 2014 तक आहरित कर ली गयी है।

हरियाणा राज्य में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करके बिजली की आपूर्ति में स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से 'हरियाणा पारेषण प्रणाली परियोजना' के पुनः वित्तपोषण के लिए 10 मार्च, 2008 को दूसरी ऋण श्रृंखला के अधीन जेआईसी के साथ अभिनिर्धारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं जिनका क्रियान्वयन प्रगति पर है और 10,367.39 मिलियन जापानी येन (लगभग ₹ 561.62 करोड़) की संचयी राशि दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुसार क्रेडिट की इस लाइन के अधीन जेआईसीए से आहरित कर ली गई है। जेआईसीए-II ऋण श्रृंखला के अधीन ऋण की राशि 20902 मिलियन जापानी येन के प्रारंभिक परिव्यय से संशोधित कर 13000 मिलियन जापानी येन कर दी गई है। ऐसा मुख्यतः विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण अनुमानित वास्तविक परियोजना लागत अपेक्षाओं की तुलना में अतिरिक्त भारतीय रूपए में राशि उपलब्ध होने के कारण किया गया है।

9. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने दि. 18 मार्च, 2005 के कार्यालय ज्ञापन के तहत ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' (आरजीजीवीवाई) आरंभ की है जो ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और आवास विद्युतीकरण योजना है ताकि सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली मिल सके। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नोडल अभिकरण आरईसी है। इस योजना के अधीन परियोजना की समग्र लागत के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है।

9.1 गांवों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का विद्युतीकरण

Xवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ₹ 5000 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के साथ योजना के चरण-I के क्रियान्वयन के लिए आरंभिक अनुमोदन दिया गया था। इसके बाद XIवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में ₹ 28000 करोड़ के साथ जारी रखने के लिए स्वीकृति विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 फरवरी, 2008 के तहत संसूचित की गई थी। इसके अतिरिक्त, XI पंचवर्षीय योजना में विद्युत मंत्रालय द्वारा भी ₹ 6000 करोड़ की अतिरिक्त परिव्यय राशि स्वीकृत की गई थी।

संचयी रूप से, 31 मार्च, 2014 तक 648 परियोजनाओं को XIवीं पंचवर्षीय योजना तक क्रियान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिनमें 1,11,998 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 2.75 करोड़ बीपीएल आवासों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना शामिल है जिसकी कुल लागत ₹ 4,3579.23 करोड़ है। राज्य-वार विवरण **तालिका-6** में दिए गए हैं।

XIIवीं तथा XIIIवीं पंचवर्षीय योजनाओं में स्कीम को ₹ 35447 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के साथ जारी रखने के लिए अनुमोदन भी विद्युत मंत्रालय द्वारा दे दिया गया था, जिसमें से ₹ 23,397 करोड़ की पूर्ति XIIवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के जरिए की जाएगी तथा शेष ₹ 12050 करोड़ की राशि की पूर्ति XIIIवीं पंचवर्षीय योजना से की जाएगी।

XIIवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ₹ 23,594.31 करोड़ की कुल स्वीकृत परियोजना लागत के साथ 242165 गांवों (12141 अविद्युतीकृत तथा 230024 विद्युतीकृत गांवों) तथा 131.76 लाख बीपीएल परिवारों को शामिल करने वाली 273 परियोजनाओं को भी विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। राज्यवार ब्यौरे **तालिका - 7** में दिए गए हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 1197 अविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है और 961730 बीपीएल आवासों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरईसी को ₹ 2,938.52 करोड़ की आरजीजीवीवाई सब्सिडी संवितरित की गई है। संचयी रूप से इस योजना के अधीन 31 मार्च, 2014 तक 108280 अविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और 2.16 करोड़ बीपीएल आवासों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे **तालिका-8** में दिए गए हैं।

इस वित्त वर्ष के दौरान, ₹ 2686.97 करोड़ की राशि (आरजीजीवीवाई के तहत ₹ 2,394.71 करोड़ की सब्सिडी तथा डीडीजी सब्सिडी के तहत ₹ 29.26 करोड़ रूपए) संवितरित की गई है।

9.2 आरजीजीवीवाई के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की उपलब्धि

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, फ्रैंचाइजी नियोजित करने की शर्त पूरी होने के लम्बित रहते Xवीं तथा XIवीं पंचवर्षीय योजनाओं में यथा स्वीकृत 205 परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, जबकि समझौता ज्ञापन लक्ष्य 200 परियोजनाओं का था। इसके अतिरिक्त, 100 परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में वर्ष के दौरान 181 डीडीजी परियोजनाएं प्रदान की गई हैं जो समझौता ज्ञापन लक्ष्य का 181% है तथा वर्ष के दौरान 92 डीडीजी परियोजनाएं चालू की गई हैं।

10. आरजीजीवीवाई विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)

10.1 आरजीजीवीवाई के अंतर्गत उन गांवों में जहां ग्रिड से कनेक्शन देना व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं होता, डीडीजी परियोजनाओं के लिए परंपरागत अथवा

नवीकरणीय अपारंपरिक स्रोतों जैसे बायोमास, बायोगैस, लघु पनबिजली, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि से कनेक्शन के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। XIIवीं पंचवर्षीय योजना में डीडीजी का विस्तार ग्रिड कनेक्टिड उन क्षेत्रों में जहां विद्युत आपूर्ति दिन में छः घंटे से कम है वहां विद्युत की उपलब्धता की अनुपूर्ति करने के लिए किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत, आरजीजीवीवाई योजना के तहत डीडीजी परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसमें स्थानीय कर अथवा राज्य कर की राशि शामिल नहीं है, जो संबंधित राज्य/राज्य यूटिलिटी द्वारा वहन की जाती है। परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान राज्यों का होता है जो वे अपने स्वयं के संसाधनों से/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर दे सकते हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सब्सिडी के लिए ₹ 900 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तथापि, योजना की समग्र लागत के भीतर किसी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीडीजी के तहत आबंटन लचीला होगा।

10.2 आरजीजीवीवाई के तहत डीडीजी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश विद्युत मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी 2009 को जारी किए गए थे। डीडीजी परियोजनाओं को और अधिक व्याप्त करने और इनके तीव्रतम कार्यान्वयन के लिए तथा साथ ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में डीडीजी को सुविधाजनक बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों में समय समय पर संशोधन किए गए।

10.3 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मेघालय, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में 504 डीडीजी परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹ 166.33 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, डीडीजी परियोजनाओं के लिए कुल ₹ 31.02 करोड़ की धनराशि संवितरित की गई थी। अधिकांश राज्य डीडीजी परियोजनाओं के कार्य को सौंपने और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आरजीजीवीवाई के अधीन स्वीकृत और संवितरित डीडीजी परियोजनाओं के राज्य-वार विवरण निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृति					संवितरण		
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	अविद्युतीकृत शामिल गांवों/पुरबों की संख्या	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	कुल स्वीकृत परियोजना लागत	सब्सिडी की राशि	ऋण राशि	कुल संवितरण
1	आंध्र प्रदेश	214	5	214	6,925	52.34	8.77	0.69	9.46
2	बिहार	-	-	-	-	-	9.85	1.09	10.94
3	छत्तीसगढ़	80	3	81	3,923	24.31	9.35	-	9.35
4	झारखण्ड	43	3	89	1,510	20.91	-	-	-
5	कर्नाटक	93	10	204	4,839	35.90	-	-	-
6	केरल	15	1	15	730	5.32	-	-	-
7	मेघालय	3	1	3	248	3.89	-	-	-
8	मध्य प्रदेश	7	1	7	357	2.78	-	-	-
9	ओडिशा	7	1	7	43	1.97	-	-	-
10	राजस्थान	42	3	42	1,495	18.91	-	-	-
11	उत्तराखण्ड	-	-	-	-	-	1.27	-	1.27
	जोड़	504	28	662	20,070	166.33	29.24	1.78	31.02

11. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आपकी कंपनी राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणाली में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रही है। कंपनी द्वारा जारी किए गए तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह कंपनी नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वितरण क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए निरंतर नवाचारों की खोज करती है।

आरजीजीवीवाई की ग्यारहवीं पंचवर्षीय की स्कीमों के कार्यान्वयन में सामग्री और निर्माण की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुसार (1) स्तर-II के अधीन आरईसी गुणवत्ता मॉनीटरों (आरक्यूएम) की नियुक्ति की गई है, जिसके अधीन 25 राज्यों की 413 परियोजनाएं शामिल की गई हैं; और (ii) स्तर-III के अधीन विद्युत मंत्रालय की ओर से देश के चौबीस राज्यों की 332 परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) की नियुक्ति की गई है, इसके अलावा, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आरक्यूएम ने 87 सामग्री निरीक्षण और 11672 गांवों/33 सब-स्टेशनों का निरीक्षण किया है और एनक्यूएम ने कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 506 गांवों/42 सब-स्टेशनों का निरीक्षण किया है।

विद्युत मंत्रालय ने 196 परियोजनाओं में बीपीएल कनेक्शनों का 100% सत्यापन करते हुए 20% ग्रामों में आरक्यूएम निरीक्षण करने का निदेश आरईसी को दिया। इससे पहले 100% बीपीएल सत्यापन केवल 2.5% गांवों में ही किया गया था। शेष 17.5% गांवों के लिए, 196 परियोजनाओं को शामिल करने वाले देश के 24 राज्यों के अभिनिर्धारित 27,385 गांवों का निरीक्षण करने हेतु 6 एजेंसियां नियोजित की गई थी। यह समनुदेशन मैदानी राज्यों के लिए 6 महीनों में तथा पहाड़ी राज्यों के लिए 12 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य था। 31 मार्च, 2014 के अनुसार, 26,107 गांवों के लिए निरीक्षण आदेश जारी किए गए जिनमें से 21,830 गांवों में निरीक्षण पूरा कर लिया गया है।

12. अधिमानी ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में, एक अधिमानी ग्राहक नीति 2008 में निरूपित की गई जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उनके साथ लम्बे समय तक एक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाना था। इस नीति में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए है जिनमें उधारकर्ता

की बकाया ऋण राशि, ऋण संबंध की अवधि, ऋण वापसी का पिछला रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न कारक अधिमानी ग्राहकों का निर्धारण करने और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों और हैदराबाद स्थित सायर द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण/घरेलू अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित करने के लिए ध्यान में रखे जाते हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, इस नीति के तहत, अधिकांशतः राज्य यूटिलिटियों अर्थात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. (एमएसईडीसीएल), मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लि. (एमएसईटीसीएल), मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लि. (एमएसपीजीसीएल) मुम्बई, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. (आरआरवीपीएनएल), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (यूएचबीवीएनएल), कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल), आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि. (एपीजीईएनसीओ), तथा यूपी पावर कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल), से ऐसे आठ अधिमानी ग्राहकों को पीएमआई, नोएडा में तथा साथ ही इटली और फ्रांस में आयोजित ''विद्युत क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियां'' पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आरईसी द्वारा प्रायोजित किया गया।

13. संयुक्त उद्यम

आरईसी ने 10 दिसम्बर, 2009 को तीन अन्य विद्युत क्षेत्र के उद्यमों अर्थात पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है, जिसका नाम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार आपकी कंपनी ने ₹ 22.50 करोड़ (25% प्रदत्त पूंजी) का अंशदान किया है।

ईईएसएल का गठन विशेष रूप से नगरपालिका, भवनों, कृषि, उद्योग, इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुंच का सृजन करने तथा उसे बनाए रखने एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा किफायती ब्यूरो की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन अर्थात वर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाजार संबंधित क्रियाकलापों का नेतृत्व भी कर रही है। कम्पनी के व्यवसाय संबंधी मूलभूत तत्वों में अन्यों के अलावा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम), म्यूनीसिपल मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम), (वितरण ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, भवन, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई), परफॉर्म, एचीव एण्ड ट्रेड-ज्वांयट एम्पलीमेंटेशन प्लान (पीएटी - जेआईपी), कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों इत्यादि में ऊर्जा सेवा कम्पनी (ईएससीओ) मोड में परियोजनाएं क्रियान्वित करना शामिल है।

वर्तमान में, ईईएसएल विभिन्न म्यूनीसिपल निगम के साथ म्यूनीसिपल स्ट्रीट प्रकाशन परियोजनाएं, कृषि क्षेत्र में अदक्ष कृषि पंपसेट प्रतिस्थापित करने के लिए एजीडीएसएम परियोजनाएं, विभिन्न यूटिलिटियों के साथ ईएससीओ मोड में घरेलू रिहायशी क्षेत्र में डीएसएम आधारित दक्ष प्रकाशन कार्यक्रम (डीईएलपी) और विभिन्न कम्पनियों की सीएसआर परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहलें

कम्पनी के सभी बड़े कारोबार संबंधी कार्य, जिनमें सभी कार्यालयों में किए जाने वाले वित्तीय, परियोजना, संवितरण, ऋण लेखा, खजाना संबंधी कार्य, वेतन चिट्ठा, सीपीएफ, रोकड़ प्रबंधन, बैंकिंग, खरीद शामिल हैं, एकीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं जिससे आंतरिक दक्षता में निरंतर और सतत् सुधार हुआ है और ग्राहकों की अधिक संतुष्टि हुई है। कम्पनी ने उधारकर्ताओं के लिए भी अपनी योजनाओं से संबंधित जानकारी देखने के लिए एक ऑन लाईन ''उधारकर्ता पोर्टल'' विकसित कर उन्हें ईआरपी का सीधा लाभ प्रदान किया है। यह उधारकर्ता की सुविधा के लिए है ताकि वह ऋणों तथा योजनाओं की प्रास्थिति की तत्समय आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकें। यह प्रणाली एक राज्य के डिस्कॉम के लिए लागू की गई है तथा अन्य राज्यों में मांग आधार पर विस्तारित की जा रही है। कम्पनी ने सम्पूर्ण एचआर संबंधी कार्यों के स्वतः संचालन के लिए एकीकृत एचआर-ईआरपी साल्यूशन का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है जिसमें सम्पूर्ण कम्पनी के कर्मचारी स्व-सेवा पोर्टल शामिल है और प्रणाली को विद्यमान व्यवसाय ईआरपी के साथ भी एकीकृत किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन अग्रिम चरण पर है जिसके लिए सम्पूर्ण कम्पनी में गहन परिवर्तन प्रबंधन कार्यशाला का संचालन भी किया गया है।

आरईसी ने प्रलेखों का डिजिटिकरण करने के लिए सम्पूर्ण कम्पनी में प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) लागू कर दी है जिसमें स्कैनिंग, क्लीनिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, सूचकांकन, अपलोडिंग और रिट्रीविंग भी शामिल है। आरईसी ने नोटशीट पर अनुमोदन और संलग्न दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक संचलन के लिए वर्कफ्लो प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) भी लागू कर दी है। दक्ष इलेक्ट्रॉनिक सुशासन और पारदर्शिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए,कम्पनी ने सम्पूर्ण संगठन में ₹ 10 लाख से अधिक की वस्तुओं की खरीद और सेवाओं के लिए ऑनलाइन 'ई-खरीद' प्रणाली, वार्षिक सम्पत्ति विवरणी, आदि का वेब आधारित ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण लागू कर दिया है और भुगतान करने वाले चयनित प्रभागों में विक्रेताओं को बिलों की समय पर अदायगी का पता लगाने के लिए बिल अदायगी ट्रैकिंग प्रणाली लागू कर दी गई है।

आरईसी का सायर, हैदराबाद में एक पूर्ण विकसित आपदा निवारण केद्र (डीआरसी) है। प्राथमिक डाटा केद्र (पीडीसी) तथा डीआरसी, दोनों ही आईएसओ/आईईसी 27001 : 2005 सुरक्षा मानक प्रमाणित हैं।

कम्पनी ने विद्यमान स्टैटिक कारपोरेट वेबसाइट को भी एक इंटरेक्टिव तथा डायनामिक वेबसाइट में रिडिजाइन तथा रिवैम्प कर लिया है। साथ ही कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित बनाने के लिए लगभग 100% कर्मचारियों (श्रेणी-IV कर्मचारियों को छोड़कर) को डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं।

15. केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

आरईसी के तत्वावधान में वर्ष 1979 में हैदराबाद में केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना की गई थी, ताकि विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र तथा विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों एवं प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के विषयों पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

15.1 आरजीजीवीवाई के अधीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

सायर को आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के मानव संसाधन विकास घटक के अधीन फ्रैंचाइजी और समूह ग तथा घ कर्मचारियों से संबंधित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामोदि्ष्ट किया गया है। ये कार्यक्रम, ग और घ श्रेणी के 1,25,000 कर्मचारियों तथा 25,000 विद्यमान फ्रैंचाइजियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखे गए हैं। वर्ष के दौरान, सायर/आरईसी ने श्रेणी ग और घ के अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 33 विद्युत यूटिलिटियों/प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। तथा इन विद्युत यूटिलिटियों/संस्थाओं ने 25,000 के लक्ष्य की तुलना में श्रेणी ग व घ के 26,275 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है।

वर्ष के दौरान, सायर ने अपने बैनर के अधीन श्रेणी ग व घ कर्मचारियों के लिए 14 कार्यक्रम आयोजित किए थे जिनमें विभिन्न स्थलों पर विद्युत यूटिलिटियों के 348 प्रतिभागी शामिल हुए थे।

15.2 आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम

सायर ने भागीदार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम आयोजित किया था। वर्ष के दौरान, सायर ने वितरण तंत्र में दक्षता सुधार के उपाय, वितरण प्रचालन तथा प्रबंधन प्रणाली में सर्वोत्तम परिपाटियां, संचार और ग्राहक संबंध, राजस्व प्रबंधन तथा हानि अपचयन, लाईनमैन के लिए उप केंद्रों का ओ एवं एम तथा विनियामक मॉड्यूल जैसे विभिन्न विषयों पर 37 आर-एपीडीआरपी (क और ख श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 27 तथा ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 10) कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों से 671 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

15.3 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर को आईटीईसी/एससीएएपी के अधीन विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान, सायर ने 9 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 168 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर थे, यथा विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली की योजना और प्रबंधन (8 सप्ताह); विद्युत कंपनियों के लिए वित्तीय प्रबंधन और लेखाकरण प्रणाली (8 सप्ताह); विद्युत वितरण क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों (4 सप्ताह); विद्युत परियोजनाओं की योजना; मूल्यांकन और वित्तीय प्रबंधन (8 सप्ताह), सूचना प्रौद्योगिकी/ऑटोमेटेड सॉल्यूशन का उपयोग करके विद्युत उपयोगिताओं का प्रबंधन (5 सप्ताह), ईएचवी उपकेद्र का अभिकल्प, उन्निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण (4 सप्ताह), सौर विद्युत उत्पादन - ग्रिड इनेब्लिंग (4 सप्ताह), विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणाली में रूझान और घटनाक्रम (8 सप्ताह) तथा विकेद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन और ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबंधन (8 सप्ताह)।

इन कार्यक्रमों में विभिन्न देशों यथा मोरक्को, श्रीलंका, भूटान, दक्षिण सूडान, मलावी, तंजानिया, नाइजीरिया, मारीशस बुंडी, युगांडा, भूटान, जिम्बावे, इथोपिया, म्यांमार, गाम्बिया, अफगानिस्तान, किरगीस्तान, ओमान, लिबिया, सीरिया, बंगलादेश, मिश्र, नामीविया, अल्जीरिया, इरान, लाओस, लीबिया, सीरा लिओन इत्यादि, ने भाग लिया।

15.4 नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर ने विभिन्न विषयों जैसे वितरण प्रणाली में विनिर्देशन, मानक तथा निर्माण पद्धतियां, भारतीय मानकों तथा आईएफआरएस के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र लेखाकरण; बिजली की चोरी- समस्याएं, चुनौतियां तथा उपचारी उपाय;उप-केद्रों में संरक्षण प्रणाली; वैद्युत संस्थापनाओं में अर्थिंग पद्धतियां तथा सुरक्षा के उपाय; सुलभ पहुंच, विद्युत कारोबार तथा प्रशुल्क-एबीटी परिदृश्य; विद्युत तथा वितरण ट्रांसफॉर्मर-दक्ष प्रचालन तथा अनुरक्षण; उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली; विद्युत यूटिलिटियों के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण (स्काडा); सौर विद्युत उत्पादन;ईएचटी पारेषण लाइनें-अभिकल्प, उन्निर्माण तथा प्रचालन और अनुरक्षण; विद्युत तथा नियंत्रण केबलों सहित गैस इंसुलेटिड तथा इनडोर उप-केद्र; 33/11 के वी उप-केद्रों में प्रचालन और अनुरक्षण तथा संरक्षा पहलू; जल विद्युत संयंत्रों का प्रचालन और अनुरक्षण; विद्युत वितरण प्रबंधन; विद्युत कारक सुधार-रिएक्टिव विद्युत प्रबंधन; विद्युत क्रय करार; प्रशुल्क नीति तथा ए आर आर प्रस्तुतीकरण; आटोमेटिड साल्यूशनों के साथ वितरण प्रणाली आयोजना तथा मीटरिंग विलिंग एवं प्रौद्योगिकियों, में अद्यतन रूझान पर विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों/वितरण कम्पनियों के कार्मिकों के लिए 24 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 249 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

15.5 सहयोग से आयोजित किए गए कार्यक्रम

सायर प्रमुख प्रबंधन संस्थान अर्थात लोक उद्यम संस्थान के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तथा इसने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 4 कार्यक्रम आयोजित किए नामतः विद्युत यूटिलिटियों के मानव संसाधन प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियां; सामग्री प्रबंधन, ई-खरीद तथा संविदा प्रबंधन; विद्युत क्षेत्र के कार्यपालकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम; तथा सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, जिनमें 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

15.6 प्रायोजित कार्यक्रम

वित्त वर्ष के दौरान सायर द्वारा 8 प्रायोजित कार्यक्रम संचालित किए गए नामतः गौरखलैंड भू-भाग प्रशासन के लिए 'आरजीजीवीवाई कार्यक्रम'; त्रिपुरा एसईसीएल के लिए 'हानि अपचयन हेतु सर्वोत्तम पद्धतियां', एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि., इंदौर के लिए, ''ट्रांसफार्मरों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सर्वोत्तम पद्धतियां'' तथा पंजाब राज्य विद्युत निगम लि., के लिए ''विद्युत वितरण प्रबंधन'' (चार बैचों में)।

15.7 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सायर ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए भी 8 आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में 123 कर्मचारियों ने भाग लिया। शामिल किए गए विषय थे : सूचना का अधिकार अधिनियम; गैर-वित्त कर्मचारियों के लिए वित्त; सामान्य प्रबंधन (2 बैच), परियोजना मूल्यांकन प्रविधियां; आईएसओ 9001 : 2008 (क्यूएमएस); गैर- तकनीकी कार्यपालकों के लिए तकनीकी पहलू तथा हिन्दी कार्यशाला।

15.8 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान श्रेणी ग एवं घ के कर्मचारियों तथा फ्रैंचाइजियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन तथा मानीटरिंग करने के अलावा, सायर ने विभिन्न विषयों पर कुल मिलाकर 105 कार्यक्रम संचालित किए एवं 12,725 प्रशिक्षण मानव दिवसों के साथ 1,839 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।

16. जोखिम प्रबंधन

16.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसके अंतर्गत परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और सुरक्षा नीति आती है। एएलएम नीति में अमेलताओं की परिभाषा, मापन और मानीटरिंग की व्यवस्था तथा सुरक्षा नीति के अंतर्गत मुद्रा जोखिम प्रबंधन आता है।

एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं।

एएलसीओ नकदी, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों को मॉनीटर करती है। नकदी जोखिम की मॉनीटरिंग नकदी की कमी के विश्लेषण द्वारा की जाती है और यह समिति अनुमानित संवितरण और परिपक्वता रूपरेखा पर आधारित संसाधन संग्रहण कार्यक्रम जैसी भावी कार्यनीतियों के एक मिश्रित समूह के माध्यम से नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है। ब्याज दर जोखिम की मॉनीटरिंग ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से की जाती है और इसका प्रबंधन उधार देने की दरों, उधार की लागत और उधार लेने तथा देने की शर्तों की समीक्षा के माध्यम से किया जाता है। विनिमय दर और ब्याज दर से संबद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पाद लिखतों के माध्यम से किया जाता है।

16.2 उद्यम व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने निगम के एकीकृत जोखिमों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है, जो इस समय अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) इसके सदस्य हैं। आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों को मॉनीटर करना है, जिनके उत्पन्न होने की संभावना हो तथा कम्पनी द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीतियों तथा पद्धतियों की समीक्षा करना है और साथ ही प्रचालन में उत्पन्न जोखिमों और कंपनी के मामलों से संबंधित अन्य जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों का पता लगा लिया है और उन्हें कम करने के समुचित उपाय किए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

i) ऋण जोखिमः

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो वित्तपोषण उद्योग में अंतर्निहित होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न हानियों का जोखिम शामिल होता है और यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता ऋण या पेंशगी के अधीन संविदा में उल्लिखित वापसियों से संबंधित चूक करेगा। इसे कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा क्रेडिट जोखिम प्रशासन उपाय शामिल होते हैं।

ii) बाजार जोखिमः

बाजार जोखिम संभावित हानि होती है जो बाजार दरों और बाजार कीमतों में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। हमारे प्राथमिक बाजार जोखिम उदभासन मुख्यतः ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में घट-बढ़ के कारण होते हैं। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए कंपनी उधार की अपनी लागत के आधार पर अपनी उधार देने की दरों की आवधिक समीक्षा करती है। इसके पश्चात हम प्रवृत्त बाजार दरों, हमारी भारित औसत वित्तपोषण लागत की और हमारे कर-पश्चात मार्जिनों पर आधारित उधार देने की अपनी दरों को निर्धारित करते हैं।

iii) नकदी जोखिमः

नकदी जोखिम देय होने पर अपनी देयताओं का निर्वहन करने में हमारी संभावित असमर्थता का जोखिम होता है। हम ऐसी नकदी जोखिमों का सामना करते हैं, जिनके कारण निधियों को जुटाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। हम अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से करते हैं, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्व देयताओं के आधार पर संसाधनों के संग्रहण का अनुमान लगाना शामिल है।

iv) विदेशी मुद्रा जोखिमः

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं में विनिमय दर की घट-बढ़ शामिल है, जिसका विदेशी मुद्रा, मूल्यवर्गित परिसंपत्तियों, देयताओं और तुलन-पत्र से इतर व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़ी विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पाद लिखतों के माध्यम से करती है। इसके लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा के उधार से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक बचाव (हेजिंग) नीति सुव्यवस्थित की है।

v) विधिक जोखिमः

विधिक जोखिम हमारे उधारकर्ताओं के दायित्वों से संबंधित संविदाओं के प्रवर्तन की अनिश्चितता से उत्पन्न होता है। यह प्रवर्तन की प्रक्रिया को विलंब से शुरू करने या संविदा के दायित्वों की प्रयोज्यता में कठिनाई के कारण उत्पन्न होते हैं। हम विधिक प्रलेखन और विधिक दस्तावेजों में भावी संविदात्मक प्रावधानों के द्वारा विधिक जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं।

vi) प्रचालन जोखिमः

प्रचालन जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जो अपर्याप्त और असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाह्य घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। हमने हमारे व्यवसाय में प्रचालन जोखिमों का पता लगाने और उसे कम करने के लिए अपनी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का निरंतर सुदृढ़ीकरण किया है।

17. आईएसओ 9001 : 2008 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय के 6 प्रमुख प्रभागों और देश में फैले सभी आंचलिक/परियोजना कार्यालयों में दावा प्रक्रियान्वयन के लिए आईएसओ 9001 : 2008 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है।

18. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी के कार्यपालकों को व्यावसायिक बनाने के लिए तथा नए युवा लोगों को शामिल करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 14 कार्यपालकों को खुले विज्ञापन के जरिए नियुक्त किया गया है और 14 अन्य कार्यपालकों को इस प्रयोजन से पैनल में शामिल प्रमुख संस्थाओं से कैम्पस भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2014 के अनुसार कम्पनी की कुल कर्मचारी संख्या 631 थी, जिसमें 442 कार्यपालक और 189 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

18.1 रोजगार में आरक्षण

कंपनी द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूहवार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	377 (372)	35 (34)	12 (11)
ख	122 (141)	18 (19)	2 (2)
ग	45 (46)	7 (8)	0 (0)
घ	87 (89)	27 (27)	1 (1)
जोड़	631 (648)	87 (88)	15 (14)

(कोष्ठकों में दी गई संख्या पिछले वर्ष की सदृश स्थिति दर्शाती है।)

18.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

कर्मचारी कौशल समूहों के उन्नयन सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में तथा उच्च कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दिया जाना जारी रहा। कम्पनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी कार्यनिष्पादन के लिए अपेक्षित व्यवसाय कौशलों तथा सक्षमता को प्रखर बनाना है तथा कर्मचारियों को उनकी कार्यनिष्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सभी संभव अवसर तथा सहायता प्रदान की जाती है। उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें सामाजिक-आर्थिक और ऐसे राजनीतिक वातावरण जिसमें कारोबार किया जाता है, के प्रति सुग्राही बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की स्वास्थ्य लाभ और अभिवृत्ति में परिवर्तन की प्रक्रिया में भी सहायक होता है।

लोनावाला में क्रिसिल द्वारा ''परियोजना जोखिम प्रबंधन'' के संबंध में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आकलित आवश्यकताओं के आधार पर तथा उन्हें पूरा करने के माध्यम के रूप में, कंपनी ने देश तथा विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में शामिल होने के लिए 193 कर्मचारियों को प्रायोजित किया है। इसके अलावा, 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक रूप से आयोजित किए गए जिनमें 223 कर्मचारियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर इन पहलों से कंपनी 1542 प्रशिक्षण श्रम दिवसों का लक्ष्य प्राप्त कर सकी है और इस मापदंड के संबंध में समझौता ज्ञापन लक्ष्य संबंधी उत्कृष्ट रेटिंग भी प्राप्त

करने में समर्थ हुई है। उन्हें वैश्विक उद्भासन का विकास करने में समर्थ बनाने के लिए, 27 अधिकारियों को संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, यूनान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली जैसे देशों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। समझौता ज्ञापन लक्ष्य के अर्थ में, वर्ष के दौरान कम्पनी के 97 कार्यपालकों को जोखिम/सामान्य प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा आरईसी द्वारा पहले से ही स्थापित पीठों (एक आईआईटी, रुडकी में तथा एक अन्य जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय में) पर ₹ 0.22 करोड़ का व्यय किया गया है।

18.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपनी ने छः और अस्पतालों को जोड़कर प्रत्यक्ष भुगतान योजना के अधीन सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची का विस्तार किया है। इसके अलावा, पांच विशेषज्ञता प्राप्त अंशकालिक चिकित्सकों को कार्यस्थल पर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया है। कंपनी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुस्वस्थता का संवर्धन करने के लिए कार्यालय परिसर में प्रयोग हेतु खेलकूद और मनोरंजन उपकरणों जैसे (कैरम बोर्ड आदि) का वित्तपोषण भी कर रही है।

खेल कूद संबंधी क्रियाकलाप

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आरईसी ने इंटर-सीपीएसयू कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी की है और अपने कर्मचारियों को विभिन्न इंटर-सीपीएसयू खेलकूद प्रतियोगिता के लिए प्रायोजित किया था, जिनमें अन्य खेलों के साथ-साथ बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी जैसे टूर्नामेंट शामिल थे, जिन्हें विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में विभिन्न विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा, कर्मचारियों को स्कोप, विद्युत मानव संसाधन मंच, आईएमए जैसे प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, शोध पत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्य सिम्यूलेशन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया ताकि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना अभिप्रेरित हो।

18.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2014 के अनुसार, कंपनी में 102 स्थायी महिला कर्मचारी हैं, जो कुल कार्यबल का 16.16% है। महिला होने के आधार पर इन कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देने और उनके समग्र विकास के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। कम्पनी में यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक उचित संरचना है तथा सरकार के नीतिनिर्देशों के अनुसार एक एनजीओ को भी समिति में शामिल किया गया है। आरईसी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा 08 मार्च, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

महिला दिवस का आयोजन

18.5 औद्योगिक संबंध

वित्त वर्ष 2013-14 में भी औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई है। आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया गया। कर्मचारियों के कल्याण को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर उनसे परामर्श किया गया है। प्रतिभागितापूर्ण प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता इस तथ्य में झलकती है कि अधिकांश मुद्दों पर आम सहमति बनाई जा सकी। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में मदद मिली, जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेरित कार्यबल बना और कारोबार के कार्य-निष्पादन में लगातार सुधार हुआ।

18.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की है। लोक शिकायतों को भी सुनने के लिए इस समिति के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया है। सप्ताह के दौरान एक दिन बैठक रहित दिवस के रूप में नियत किया गया है, जिसमें कारपोरेट कार्यालय और आंचलिक/परियोजना कार्यालयों और सायर के प्रभाग प्रमुखों द्वारा शिकायतों के संबंध में कार्रवाई की जाती है।

19. कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास (सीएसआर एवं एसडी) संबंधी पहलें इस दृष्टि से आरंभ की गई हैं कि आरईसी के सभी हितधारकों के हित को मान्यता देने हेतु इस के कारोबार प्रचालनों और सामाजिक प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित किया जा सके। कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास संबंधी परियोजनाओं को स्थायी विकास के सिद्धांत से जोड़ा गया था। इस कार्यनीति का बल कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास की उन पहलों के प्रति था जो राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा कर सकें, जिनमें मिलेनियम विकास लक्ष्य भी शामिल है, जिसमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, कौशल उन्नयन, उद्यमशीलता और स्थानीय संस्थाओं/लोगों के साथ सह-सृजक मूल्यों द्वारा रोजगार पैदा करना तथा सुनिश्चित करना है। ऐसी पहलों को अभिनिर्धारित करते समय कंपनी ने सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी सरोकारों के निवारण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अंगीकृत किया है, जिसे तीसरे निचले स्तर के दृष्टिकोण के रूप में मापा जाता है। वर्ष के दौरान, देशभर में विभिन्न स्थलों/जिलों में कम्पनी ने कौशल विकास/उन्नयन कार्यक्रमों, शिक्षा, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन जिसमें वयोवृद्ध तथा अक्षम लोगों के

लिए देखभाल शामिल है, पेयजल तथा सफाई स्वच्छता, सौर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिडों की स्थापना, प्रभावित परिवारों के लिए सौर लालटेनों की व्यवस्था तथा मोबाइल चार्जिंग सौर केंद्रों की स्थापना के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर एवं सीडी पहलें की हैं। सीएसआर एवं एसडी कार्यनीति का विकास परियोजना आधारित जवाबदेहिता दृष्टिकोण में कार्य योजना के साथ किया गया है। अधिकांश सीएसआर एवं एसडी क्रियाकलापों को आधार रेखा सर्वेक्षण, विनिर्दिष्ट समय सीमा, अभिनिर्धारित उपलब्धियों तथा आवधिक मानीटरिंग के साथ परियोजना मोड में क्रियान्वित किया गया है। सीएसआर एवं एसडी के तहत आबंटित निधियों का संवितरण उपलब्धियों तथा परिणामों की प्राप्ति के साथ जोड़ा गया था। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थायी विकास के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 66.61 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई तथा ₹ 38.40 करोड़ की राशि संवितरित की गई। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व क्रियाकलापों संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

20. सतर्कता क्रियाकलाप

20.1 सतर्कता प्रभाग ने सभी प्रचालन क्षेत्रों में अधिकतम पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा जवाबदेहिता लाने का प्रयास किया। प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों से जुड़े मामलों में प्रणालियों तथा प्रक्रिया विधियों के सुप्रवाहीकरण को भी प्राथमिकता दी गई। प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया जाना जारी रहा जिसके परिणामस्वरूप ऋणों, योजनाओं, निविदाओं, तृतीय पक्षकार बिलों, भर्ती इत्यादि से संबंधित सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रशासन प्रभाग में एक व्यापक बिल ट्रैकिंग प्रणाली क्रियान्वित की गई है।

20.2 निविदाओं की संवीक्षा की गई तथा क्रय प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धात्मकता और निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए। जहां कहीं भी कमियां जानकारी में आई, मामला संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप निविदा प्रणालियां सुदृढ़ हुई। सतर्कता प्रभाग के द्वारा नियत परिसम्पत्तियों के अभिलेखन/लेखांकन की एक प्रभावी प्रणाली तैयार तथा प्रचालनरत करने के लिए दिए गए सुझाव के अनुपालन में, अचल परिसम्पत्तियों के मिलान तथा अनुरक्षण की प्रक्रिया विधि निरूपित की गई है।

20.3 सतर्कता संबंधी मामलों के बारे में कर्मचारियों की जानकारी को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सतर्कता बुलेटिन तिमाही आधार पर जारी किया जा रहा है। सभी कार्यपालकों के अचल सम्पत्ति विवरणी के ब्यौरे (आईपीआर) आरईसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं तथा सतर्कता समाशोधन को आईपीआर के सामयिक प्रस्तुतीकरण के साथ संबद्ध किया गया है। कर्मचारियों की वार्षिक सम्पत्ति विवरणी की भी प्रणालीबद्ध संवीक्षा की गई।

20.4 सीवीसी के नीतिनिर्देशों के अनुसार, आरईसी ने 28 अक्तूबर, 2013 से 2 नवम्बर, 2013 का सप्ताह सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया गया। कुल मिलाकर अधिकाधिक कर्मचारियों की प्रतिभागिता सूचीबद्ध करने के लिए कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए। कारपोरेट कार्यालय में कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों के लिए प्रश्नोत्तरी तथा निबंधन लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा सतर्कता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आरईसी के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए विशिष्ट हस्तियों को आमंत्रित किया गया।

20.5 सतर्कता प्रभाग द्वारा निरीक्षणों तथा क्षेत्र दौरों का नियमित संचालन किया गया। सतर्कता के दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संवीक्षा की गई।

20.6 कारपोरेट कार्यालय, आंचलिक कार्यालय/परियोजना कार्यालयों तथा केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद के संबंध में सम्मत सूची को केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थानीय शाखाओं के साथ इंटरेक्टिव के पश्चात अंतिम रूप दिया गया। सीवीसी के अनुदेशों के अनुपालन में, मानव संसाधन प्रभाग को क्रमावर्तन द्वारा स्थानांतरणों के प्रयोजनार्थ संवेदी के रूप में अभिनिर्धारित पद की सूचना दी गई।

20.7 निर्धारित आवधिक सांख्यिकी विवरणियां सीवीसी, सीबीआई, विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी गई। सीवीओ द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की गई सतत् समीक्षाओं के अलावा सतर्कता विभाग के कार्यनिष्पादन की सीवीसी, निदेशक मंडल तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियमित समीक्षा की गई।

21. राजभाषा का क्रियान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम 2013-14 में नियत लक्ष्यों के संदर्भ में कम्पनी का निष्पादन उत्कृष्ट रहा। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाएं कम्पनी में लागू की गई हैं। वर्ष के दौरान, कम्पनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने हिन्दी में अत्यंत रूचि दर्शाई जिसके परिणामस्वरूप रोजमर्रा के कामकाज में इसका प्रयोग बढ़ा है।

शासकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, कारपोरेट कार्यालय में 8 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें 83 अधिकारियों तथा 56 कर्मचारियों ने भाग लिया तथा सायर, हैदराबाद में 22 अगस्त से 24 अगस्त 2013 के दौरान एक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 25 अधिकारियों ने भाग लिया। कारपोरेट कार्यालय में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2013 तक एक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिनमें कर्मचारियों के लिए हिन्दी क्विज सहित नौ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, हिन्दी को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सुप्रसिद्ध हिन्दी कवियों श्री हरि ओम पवार, डॉ. सुनील जोगी तथा सुश्री सीता सागर ने हिन्दी में अपनी व्यंग्यपूर्ण काव्य प्रतिभा से सब को मुग्ध किया तथा उन्हें राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कम्पनी को वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा राजभाषा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, राजभाषा संसदीय समिति ने शिमला, गुवाहाटी, पंचकूला, भुवनेश्वर तथा मुम्बई स्थित कम्पनी के 5 आंचलिक/परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण इन कार्यालयों की हिन्दी में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया। राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा समय समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आंतरिक समिति द्वारा की गई तथा लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए उपाय

किए गए। विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय में हिन्दी के कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा 3 परियोजनाओं कार्यालयों का निरीक्षण भी किया।

आरईसी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसे समय-समय पर नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। सभी प्रकाशन, रिपोर्टें, ज्ञापन, प्रेस रिलीज, समझौता ज्ञापन, निविदाएं, वार्षिक रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में जारी की गई हैं। हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट पर भी मानक प्रारूप/प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं।

22. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा से आय एवं व्यय के संबंध में विवरण

22.1 ऊर्जा संरक्षण

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण ब्यौरे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आपकी कंपनी के स्वामित्वाधीन अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। लेकिन, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग किया है।

''स्कोप परिसर'' जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, की सभी सिविल, वैद्युत संस्थापना तथा अनुरक्षण का कार्य एक स्वायत्त निकाय नामतः लोक उद्यमों की स्थायी समिति (स्कोप) द्वारा किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, स्कोप ने अपने द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के कारण ऊर्जा संरक्षण के संबंध में वैद्युत ऊर्जा, डीजल तथा गैस/पीएनजी इत्यादि की खपत को कम करके लगभग ₹ 90 लाख (लगभग) की बचत की है। इन उपायों में ये शामिल हैं : एलीवेटरों को प्रतिस्थापित करना, ऊर्जा दक्ष लाईट फिक्सचर, एलईडी, एक्जास्ट ब्लोअर लगाना, पीएनजी के जरिए प्रचालित गर्म जल बायलरों के माध्यम से परिसर को जलाधारित तापन करना, इत्यादि। उक्त कदमों के कारण हासिल उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1. विगत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 7,89,000 वैद्युत यूनिटों की कम खपत जिनकी लागत ₹ 77 लाख (लगभग) हैं; तथा
2. विगत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 3900 लीटर डीजल तथा 20,886 एससीएम पाईप की गई प्राकृतिक गैस की कम खपत जिसकी लागत ₹ 21.5 लाख (लगभग) और रु. 10.5 लाख (लगभग) है।

22.2 विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई थी। तथापि, ब्याज, वित्त प्रभारों तथा अन्य व्ययों के कारण वित्त वर्ष के दौरान ₹ 437.81 करोड़ की कुल विदेशी मुद्रा व्यय किया गया।

23. सहायक कम्पनियां

वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्र में अतिरिक्त परामर्शी कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी की निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियां हैं:

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल); तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

इसके अलावा, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (आरईसी की एक पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कम्पनी) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने समय-समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित विभिन्न स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाओं हेतु अधिसूचित प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) का चयन करने के लिए 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' के रूप में भी नामित किया है।

तदनुसार, प्रत्येक आबंटित पारेषण परियोजना का विकास आरम्भ करने के उद्देश्य से आरईसीटीपीसीएल ने एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) को पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कम्पनी के रूप में निगमित किया है तथा सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, संबंधित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल एसपीवी को इसकी सभी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया जाना है। आज की तारीख के अनुसार, निम्नलिखित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) आरईसीटीपीसीएल की सहायक कम्पनियों के रूप में विद्यमान हैं:

(i) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल)

(ii) बेरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल)

(iii) एनआरएसएस XXIXट्रांसमिशन लिमिटेड*

(iv) एनआरएसएस XXXI(ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(v) एनआरएसएस XXXI(बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(vi) गदरवारा (ए) ट्रांसको लि.#

(vii) गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लि. #

** 31 मार्च 2014 के पश्चात सफल बोलीदाता को हस्तांतरित.*

 # इन्हें 31 मार्च, 2014 के बाद निगमित किया गया है।

23.1 आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि. ने न केवल तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) का कार्य किया है बल्कि वह जीपीएस आधारित क्षेत्र सर्वेक्षण के जरिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में भी शामिल रही है। वर्ष के दौरान आरईसीपीडीसीएल द्वारा शुरू की गई नवीन पहलों में ये शामिल हैं:

(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना:

- i. आरजीजीवीवाई XIIवीं पंचवर्षीय योजना के तहत;
- ii. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. (सीएसपीडीसीएल) की राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)योजना के तहत;
- iii. विद्युतापूर्ति क्षेत्र (जमशेदपुर, दुमला, धनबाद) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के रिवैम्पिंग के लिए; तथा
- iv. स्कूलों में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए।

(ख) 14 जिलों में पीयूवीवीएनएल के लिए आरजीजीवीवाई XIIवीं पंचवर्षीय योजना के तहत तथा सीएसपीडीसीएल के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के तहत परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य;

(ग) टाटा पावर कम्पनी लि. के लिए मुम्बई के क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए परामर्शी कार्य;

(घ) आरई निर्माण कार्यों के लिए खुली निविदा के जरिए 196 परियोजनाओं तथा 72 परियोजनाओं के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर;

(ड.) निम्न के लिए तृतीय पक्षकार निरीक्षण:

- i. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) की बीआरजीएफ निधि योजना के तहत ग्राम विद्युतीकरण कार्य;
- ii. झारखंड राज्य में विभागीय योजना के तहत 1,291 ग्रामों के आरई कार्य की सामग्री तथा उन्निर्माण कार्य;
- iii. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. (एमएसईडीसीएल) के 17 अंचलों के लिए आरएपीडीआरपी भाग ख निर्माण कार्यों की संरचना तथा निर्माण कार्य।

वर्ष के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने आरजीवीवाई XIIवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 98 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की है तथा राजस्थान डिस्कॉम के लिए आरई कार्यों के तहत 33 डीपीआर तैयार की है और आरईसी गुणवत्ता मानीटर्स के रूप में 11,000 से अधिक ग्रामों का तृतीय पक्षकर निरीक्षण (टीपीआई) किया है।

आरईसीपीडीसीएल के कार्यानिष्पादन में सुधार आया है तथा कम्पनी का वित्तीय कार्य निष्पादन तीव्र संवृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। कंपनी की सकल आय विगत वर्ष की ₹ 30.61 करोड़ की आय की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 145.5% बढ़कर ₹ 75.16 करोड़ हो गई है। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत वर्ष के ₹ 15.98 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 214% बढ़ कर ₹ 50.18 करोड़ हो गया है। कर पश्चात लाभ (पीएटी) भी विगत वर्ष के दौरान ₹ 10.81 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 205.36% बढ़कर ₹ 33 करोड़ हो गया है। आरईसी द्वारा सन्निविष्ट की गई ₹ 0.05 करोड़ की आरंभिक पूंजी की तुलना में आरईसीपीडीसीएल का नेटवर्थ अब इसके प्रचालन के 7वें वर्ष में ₹ 60.22 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 27.52 करोड़) है। कम्पनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 500% दर से (₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 50/-) लाभांश की घोषणा की है जो वार्षिक आम बैठक में कम्पनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

23.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कम्पनी लि.

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, आबंटित पांच पारेषण परियोजनाओं में तीन परियोजनाओं के लिए टीएसपी ने चयन के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) की पृथक विशिष्टताओं वाली द्विचरण बोली प्रक्रिया पूरी की है तथा अन्य दो परियोजनाओं को निम्न ब्यौरों के अनुसार अनधिसूचित कर दिया गया है/रोक दिया गया है।

- i. पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण;
- ii. एनटीपीसी लि. के कुडगी टीपीएस (चरण-Iमें 3x800 मे.वा.) से विद्युत की निकासी के लिए अपेक्षित पारेषण प्रणाली;
- iii. ऊंचाहार टीपी एस का एटीएस;
- iv. एनसीसी विद्युत परियोजना लि. (1320 मेगावाट) के लिए संयोजकता हेतु पारेषण प्रणाली; और
- v. बैरा स्यूल एचईपी-सरना 220 केवीडी/सी लाईन।

ऊपर क्र. सं. (i)तथा(iii)पर परियोजना के संबंध में, मै. पावर ग्रिड कारपारेशन ऑफ इण्डिया लि. निम्नतम बोलीदाता के रूप में उभरे तथा उसने संबंधित विशिष्ट एसपीवी अर्थात विजाग ट्रांसमिशन लि. तथा ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि. (यूटीएल) के 100% शेयर अधिग्रहण मूल्य की अदायगी कर क्रमशः 30 अगस्त, 2013 तथा 24 मार्च 2014 को अधिगृहीत किए।

क्र. सं. (ii)पर परियोजना के संबंध में मै. एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट प्रोजेक्टस लि. निम्नतम बोलीदाता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अधिग्रहण मूल्य का भुगतान करने के पश्चात 30 अगस्त 2013 को कुडगी ट्रांसमिशन लि. के 100% शेयरों का अधिग्रहण कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दि. 2 जनवरी, 2014 की राजपत्र अधिसूचना के तहत क्र. सं. IV पर उल्लिखित पारेषण परियोजना अर्थात ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर कनेक्टिविटी फॉर एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लि. (1320 मेगावाट) को सीईआरसी मानदंडों की तुलना में उच्चतर प्रशुल्क पर जाने के कारण अनधिसूचित कर दिया था। क्रमांक (v)पर उल्लिखित पारेषण परियोजना अर्थात बैरा स्यूल एचईपी सरना 220 केवी डी/सी लाईन के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सलाह दी है कि परियोजना की बोली प्रक्रिया को रोक दिया जाए।

उक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत मंत्रालय ने 20 मई 2013 की राजपत्र अधिसूचना के तहत आरईसीटीपीसीएल को ₹ 32,160 मिलियन की सकल अनुमानित लागत की तीन अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणालियों के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है। ये पारेषण प्रणालियां अनिवार्यतः अंतर्राज्यीय पारेषण नेटवर्क के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण के लिए है। आरईसीटीपीसीएल को आबंटित पारेषण परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

i. उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना एनआरएसएस-XXIX;

ii. उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना एनआरएसएस-XXXI(भाग क); तथा

iii. उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना एनआरएसएस-XXXI (भाग ख)।

प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता का चयन करने के पश्चात प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल एसपीवी अर्थात एनआरएसएस-XXXI(क) पारेषण लि. तथा एनआरएसएस-XXXI(ख) पारेषण लि. को 12 मई, 2014 को क्रमशः मै. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. तथा मै. एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्टस लि. को अंतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस-XXIX के लिए सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल एसपीवी अर्थात एनआरएसएस-XXIXपारेषण लि. को भी 4 अगस्त 2014 को मै.स्टेरलाइट डिस्प्ले टेक्नालाजीज प्रा. लि. (स्टेरलाइट ग्रिड लि. की निवेशिती सहबद्ध कम्पनी) को अंतरित कर दिया गया है।

उक्त के अलावा, वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2014-15 के दौरान वित्त मंत्रालय ने आरईसीटीपीसीएल को विकासकर्ता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित पांच पारेषण परियोजनाएं भी आबंटित की हैं:

i. एनटीपीसी की गदरवारा एसटीपीएस (2x800मे.वा.) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-ए);

ii. एनटीपीसी की गदरवारा एसटीपीएस (2x800मे.वा.) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-बी);

iii. माहेश्वरम (हैदराबाद) 765/400 केवी पूलिंग सब-स्टेशन के लिए संयोजकता लाइनें;

iv. नेवेली में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि. टीएस-I(प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) के लिए 400 मेगावाट के एलटीए के लिए पारेषण प्रणाली;

v. विंध्याचल-V के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण।

ऊपर सूचीबद्ध पारेषण प्रणालियों में से प्रत्येक के विकास को आरंभ करने के उद्देश्य से आरईसीटीपीसीएल ने दो पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों (डब्ल्यूओएस) का निगमन क्रमशः 5 अगस्त 2014 तथा 30 जुलाई, 2014 को किया है, ये सहायक कम्पनियां ऊपर क्रम सं. (i)तथा(ii)पर वर्णित, पारेषण परियोजनाओं के साथ संबद्ध है तथा अन्य तीन सहायक कम्पनियों का निगमन भी प्रक्रियाधीन है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कम्पनी लि. ₹ 35.18 करोड़ की आय सृजित करने में समर्थ रही है। वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 34.30 करोड़ तथा ₹ 23.86 करोड़ है। आरईसीटीपीसीएल का नेटवर्थ वर्ष 2007 में आरईसी द्वारा सन्निविष्ट ₹ 0.05 करोड़ की आरंभिक पूंजी की तुलना में अब ₹ 68.92 करोड़ है। वर्ष के लिए, निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक में कम्पनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर 200% की दर से (₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 20/-) लाभांश की अनुशंसा की है।

24. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अधीन वित्तीय विवरण/दस्तावेज

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 फरवरी, 2011 के अपने परिपत्र के जरिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में सभी कंपनियों को अपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण संलग्न करने से सामान्य छूट दी है, बशर्ते कि इस परिपत्र में यथा निर्धारित कुछ शर्तों का कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाए। तदनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए सहायक कंपनियों के तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के तुलन-पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई हैं।

कम्पनी की सहायक कंपनियों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित सूचना 'सहायक कम्पनियां' शीर्षक के अधीन इस कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। तथापि, ये दस्तावेज, उन्हें प्राप्त करने में रुचि रखने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराएं जाएंगे। केद्र सरकार द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार, सहायक कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों वाला एक विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। सहायक कंपनियों सहित इस कंपनी के वार्षिक लेखे किसी भी सदस्य द्वारा देखे जाने के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाएंगे। इसके अलावा, कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अधीन निर्धारित लेखाकरण मानक 21 (एएस-21) के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों में इसकी सहायक कंपनियों के बारे में वित्तीय सूचना भी शामिल है। तथापि, उन सहायक कम्पनियों को, जिन्हें कम्पनी द्वारा तदनंतर निपटान के लिए निगमित किया गया है, कम्पनी के लेखों में समेकित नहीं किया गया है।

25. समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्तक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार आपकी कंपनी के कामकाज को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94, जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, से यह लगातार 20वां वर्ष है जब आरईसी ने 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए भी, निष्पादन के आधार पर यह कंपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने के लिए तत्पर है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को इंडिया प्राइड अवार्ड, दैनिक भास्कर और डीएनए से ''ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र'' की श्रेणी में अवार्ड प्राप्त हुआ ''एक लाख करोड़ रूपए से अधिक तुलन-पत्र वाली सर्वोत्तम मूल्य सृजक नवरत्न कम्पनी'' के लिए डीएसआईजे पीएसयू पुरस्कार 2013 प्राप्त हुआ है और साथ ही इसे एओन हेविट द्वारा भारत के सर्वोत्तम नियोक्ताओं में रेटिड किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आप की कम्पनी के लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है कि इसे इसकी सीएसआर पहलों के तहत वित्तपोषित परियोजना ''वृद्धावस्था गृहों के लिए बहुसुविधा स्वास्थ्य पैकेज'' की मान्यता में वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हेलपेज इण्डिया के 'गोल्ड प्लेट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा राजभाषा श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा अनुसरित अच्छी निगमित सुशासन पद्धतियों की मान्यतास्वरू प, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने आपकी कम्पनी को एक ''सर्वोत्तम सुशासित कम्पनी'' के रू प में अधिनिर्णीत किया है तथा इसे वर्ष 2013 के लिए निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए 13वां आईसीएसआई राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है।

26. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन कर्मचारियों के ब्यौरे

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन मासिक या वार्षिक आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं लिया था।

27. निदेशक मंडल

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कंपनी के बोर्ड के संघटन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तथापि, डा. देवी सिंह (डीआईएन 00015681) तथा श्री वेंकटारमन सुब्रामणियन (डीआईएन 00357727) अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 जून 2014 को पूरा हो गया है तथा वे दोनों उस तारीख से निदेशक नहीं रहे हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तथा कम्पनी के संगम अनुच्छेद 82(4) के प्रावधानों के अनुसार, श्री अजीत कुमार अग्रवाल 45वीं वार्षिक आम बैठक में क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे तथा पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। निदेशक मंडल उनकी पुनःनियुक्ति की अनुशंसा करता है। उनका संक्षिप्त इतिवृत्त वार्षिक आम बैठक के नोटिस में दिया गया है।

28. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के संदर्भ में आपके निदेशकों ने इस बात की पुष्टि की है किः-

(i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्त्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप से लागू किया गया है (वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में यथा प्रकटित लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को छोड़कर) तथा विवेकपूर्ण एक युक्ति संगत अधिनिर्णय लिए गए है और अनुमान लगाए गए हैं, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सही और उचित चित्रण किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे चालू कम्पनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं।

29. निगमित सुशासन में हरित (ग्रीन) पहल

कम्पनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज अपने सदस्यों को भौतिक रूप में भेजने के अलावा उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकते हैं।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय की 'हरित (ग्रीन) पहल' के कार्यान्वयन में सक्रिय सहयोग दिया है और वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा पिछले तीन वर्षों अर्थात 2010-11 से 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट और अनुबंधों सहित इसके मत-पत्र की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी है, जिनके ई-मेल आईडी पहले ही संबंधित निक्षेपागार भागीदार के पास पहले ही पंजीकृत थे और जिन्हें एनएसडीएल/सीडीएसएल नामक डिपॉजिटरियों से डाउनलोड किया गया था और जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया था। उपर्युक्त परिपत्रों को जारी किए जाने के बाद अदा किए जाने वाले अंतिम/अंतरिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई थी जिनके ई-मेल पते पंजीकृत थे।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के पंजीयक/शेयर अंतरण एजेंट (आर एवं टीए)/संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत कराएं और इलेक्ट्रॉनिक संचार प्राप्त करने तथा 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' को समर्थित करने के लिए कम्पनी की हरित पहल में भाग लें।

यह पुनः अवगत कराया जाता है कि इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के विकल्प का प्रयोग करने वाले सदस्यों सहित किसी भी सदस्य से मांग प्राप्त होने पर कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले विधि द्वारा सभी अन्य दस्तावेज तथा कंपनी के लाभ एवं हानि लेखे और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार है।

कम्पनी सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में है। ई-मतदान के लिए अनुदेश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैं।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में 'सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005' को लागू करने के लिए कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने संबंधी कार्य का समन्वयन करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक आरटीआई पुस्तिका आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है, जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	ब्यौरे	संख्या
1.	प्राप्त आवेदन पत्र (31 मार्च 2014 तक)	248
2.	निपटाए गए आवेदन पत्र (31 मार्च 2014 तक)	236
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	12
4.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	21
5.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई अपीलें	21
6.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त अपीलें	5
7.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा निपटाई गई अपीलें	5

31. सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स राजहर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली और मैसर्स पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

31.1 संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2013-14 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में शर्त रहित रिपोर्ट दी है। तथापि, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट की मद सं. 5(i) में उल्लिखित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध के पैरा (iv)में यथा उल्लिखित कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ करने से संबंधित सुझावों/सलाह पर प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार हैः

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
''हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः कारपोरेशन के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप हैं। लेकिन, कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, यथा विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों/विद्युत उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण, जिसमें दिए गए ऋण के प्रति तैयार किए गए प्रभारों से संबंधित जांच रिपोर्ट प्राप्त करना तथा वाणिज्यिक प्रचालनों की तारीख के बाद प्रतिभूति के रूप में आरईसी को प्रभारित परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करना शामिल है।''	''उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास किया जाता है।''

32. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 5 जुलाई 2014 के पत्र के जरिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में 'शून्य टिप्पणी' दी है। वित्त वर्ष 2013-14 के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गई है।

33. सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स चंद्र शेखरन एसोसिएटस, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली, जिन्हें वित्त वर्ष 2013-14 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है, ने शर्त रहित सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दी है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

34. ऋण-पत्र न्यासी

ऋण सूचीयन करार की अपेक्षाओं के अनुपालन में, समय-समय पर कम्पनी द्वारा निर्गत बांडों की भिन्न-भिन्न श्रृंखला के लिए कम्पनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

35. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार, सरकारी दिशानिर्देश आदि इस रिपोर्ट के साथ नीचे दिए अनुसार संलग्न हैः

ब्यौरे	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट	II
निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कम्पनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र	III
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	IV
कंपनी के सचिवालयीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी की गई सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
सहायक कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(ड.) के अनुसरण में विवरण	VI
कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायित्व क्रियाकलापों संबंधी विस्तृत रिपोर्ट	VII
बांडों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कम्पनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे	VIII

36. आभार

निदेशकगण भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, तथा वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत सहयोग, समर्थन और कंपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और अन्य उधारकर्ताओं का कंपनी को निरंतर सहयोग देने और उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

निदेशकगण कम्पनी के निधि संग्रहण कार्यक्रमों में सम्मानित शेयरधारकों, आरईसी के बांडों के निवेशकर्ताओं, देशीय और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सतत सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों, मैसर्स राजहर गोपाल एंड कंपनी और मैसर्स पी. के.चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों मैसर्स चंद्र शेखरन एसोसिएट्स तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्त्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके समर्पित प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00973413)

नई दिल्ली
12 अगस्त, 2014

सारणी-1: आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत 2013-14 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क.	**पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	178	5,16,166.66
2	बिहार	1	1,35,948.48
3	छतीसगढ	5	27,498.62
4	हरियाणा	111	2,20,292.22
5	हिमाचल प्रदेश	21	14,899.69
6	जम्मू और कश्मीर	7	2,640.22
7	कर्नाटक	167	3,64,332.34
8	केरल	33	1,53,213.52
9	मध्य प्रदेश (केवल अतिरिक्त ऋण)	0	1,752.00
10	महाराष्ट्र	138	4,50,324.03
11	ओडिशा	3	5,083.54
12	पांडिचेरी	1	6,358.18
13	पंजाब	20	1,69,816.99
14	राजस्थान	60	2,16,489.85
15	तमिलनाडु	65	3,05,563.65
16	उत्तर प्रदेश	124	2,42,758.18
17	उत्तराखंड	29	49,559.69
18	पश्चिम बंगाल	21	1,88,557.56
19	प्राइवेट (टीएंडडी)	3	1,30,244.00
	उप-जोड़-(क)	**987**	**32,01,499.42**
ख.	**विद्युत उत्पादन परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	3	8,90,882.00
2	छतीसगढ	2	1,31,500.00
3	जम्मू और कश्मीर	2	78,620.00
4	महाराष्ट्र	2	5,79,918.30
5	ओडिशा (केवल अतिरिक्त ऋण)	0	96,936.00
6	पंजाब	1	1,46,800.00
7	राजस्थान (केवल अतिरिक्त ऋण)	0	26,676.00
8	सिक्किम	1	67,042.00
9	तमिलनाडु	1	1,12,500.00
10	उत्तर प्रदेश (केवल अतिरिक्त ऋण)	0	39,711.00
11	उत्तराखंड	1	65,536.00
12	पश्चिम बंगाल	1	6,36,229.00
	उप-जोड़-(ख)	**14**	**28,72,350.30**
ग	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**		
1	गुजरात	2	15,240.00
2	मध्य प्रदेश	1	7,112.50
3	महाराष्ट्र	2	2,195.50
4	ओडिशा	1	5,000.00
	उप-जोड़-(ग)	**6**	**29,548.00**
घ	**लघु अवधि ऋण और अन्य**		
1	आंध्र प्रदेश	1	50,000.00
2	दिल्ली	1	10,000.00
3	कर्नाटक	6	67,500.00
4	केरल	3	80,000.00
5	महाराष्ट्र	3	1,50,000.00
6	पंजाब	1	79,300.00
7	राजस्थान	2	25,000.00
8	तमिलनाडु	1	50,000.00
9	उत्तर प्रदेश	7	3,78,750.00
10	पश्मि बंगाल	3	80,000.00
	उप-जोड़-(घ)	**28**	**9,70,550.00**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**1,035**	**70,73,947.72**

टिप्पणी: उपर्युक्त में आरजीजीवीवाई स्वीकृतियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें अलग से तालिका 6 में दर्शाया गया है।

सारणी-2: आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत 2013-14 के दौरान श्रेणीवार स्वीकृत स्कीमें

(₹ in Lakh)

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क.	**टी एंड डी परियोजनाएं**			
	वितरण			
1	गहन विद्युतीकरण	पी:आईई	21	32,477.07
2	पंपसेट ऊर्जायन	एसपीए:पीई	129	1,38,285.40
3	तंत्र सुधार	पी:एसआई-वितरण	442	12,40,629.38
4	बल्क	बल्क	107	4,94,888.43
5	आर-एपीडीआरपी	पी:एसआई (आर-एपीडीआरपी)	66	1,80,485.22
	पारेषण			
1	तंत्र सुधार	पी:एसआई-पारेषण	222	11,14,733.92
	उप:जोड़ (क)		**987**	**32,01,499.42**
ख.	**विद्युत उत्पादन**	**पी:जेन**	**14**	**28,72,350.30**
ग.	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**			
1	लघु जल विद्युत	एसएचपी	2	6,292.20
2	सोलर पीवी	एसपीवी	3	22,352.80
3	पवन ऊर्जा	पवन ऊर्जा	1	903.00
	उप:जोड़ (ग)		**6**	**29,548.00**
घ.	**एसटीएल और अन्य**		**28**	**9,70,550.00**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**1,035**	**70,73,947.72**

सारणी-3: वर्ष 2013-14 तक आरईसी परियोजनाओं के तहत राज्यवार संचयी स्वीकृतियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2001-02 तक		10वीं योजना		11वीं योजना		12वीं योजना 2013-14 तक		2013-14 तक संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	4,810	4,40,263	1,104	12,09,532	558	13,00,954	297	17,68,390	6,769	47,19,140
2	अरुणाचल प्रदेश	159	29,954	54	1,04,020	16	73,949	0	0	229	2,07,923
3	असम	393	32,984	33	30,404	20	1,50,197	0	0	446	2,13,585
4	बिहार	1,664	55,272	73	1,89,857	78	16,71,582	1	1,35,948	1,816	20,52,659
5	छत्तीसगढ़	0	0	22	5,16,315	63	4,86,756	16	1,43,035	101	11,46,106
6	दिल्ली	2	817	6	47,323	1	3,63,707	1	10,000	10	4,21,847
7	गोवा	16	2,007	0	0	0	0	0	0	16	2,007
8	गुजरात	1,784	2,53,470	124	5,27,966	42	7,26,832	2	46,224	1,952	15,54,492
9	हरियाणा	1,209	1,16,989	148	3,95,304	253	9,57,795	141	7,11,541	1,751	21,81,629
10	हिमाचल प्रदेश	419	52,240	37	1,16,177	125	2,15,489	45	75,330	626	4,59,236
11	जम्मू और कश्मीर	500	67,243	34	93,792	69	1,62,057	22	99,056	625	4,22,147
12	झारखंड	0	0	27	1,47,602	12	2,55,581	0	0	39	4,03,183
13	कर्नाटक	2,384	3,07,390	472	3,88,445	213	12,76,890	199	9,11,010	3,268	28,83,736
14	केरल	1,454	2,42,741	297	2,41,884	20	1,04,897	79	3,13,624	1,850	9,03,146
15	मध्य प्रदेश	5,111	2,36,175	133	2,35,711	255	9,71,789	6	1,01,862	5,505	15,45,538
16	महाराष्ट्र	4,602	4,40,595	833	15,16,910	418	27,53,167	330	16,42,139	6,183	63,52,811
17	मणिपुर	146	20,696	3	9,463	2	9,169	0	0	151	39,328
18	मेघालय	105	19,351	4	31,571	10	44,645	0	0	119	95,567
19	मिजोरम	46	7,879	24	20,360	7	14,343	0	0	77	42,582
20	नगालैंड	71	7,791	23	5,648	36	28,108	0	0	130	41,547
21	ओडिशा	1,624	77,691	21	1,20,627	55	4,08,199	8	4,61,285	1,708	10,67,802
22	पंजाब	1,303	2,59,737	216	6,57,148	125	11,61,462	109	8,14,854	1,753	28,93,202
23	राजस्थान	3,012	3,82,940	597	5,56,042	449	29,02,506	122	12,24,937	4,180	50,66,424
24	सिक्किम	36	2,910	4	5,626	2	3,101	0	0	42	11,637
25	तमिलनाडु	3,003	1,75,458	597	3,80,610	364	26,04,368	97	5,00,284	4,061	36,60,719
26	त्रिपुरा	172	15,732	6	36,374	3	11,189	0	0	181	63,295
27	उत्तर प्रदेश	3,027	2,23,840	102	6,70,277	557	21,46,380	421	27,52,969	4,107	57,93,466
28	उत्तराखंड	0	0	84	3,06,792	20	1,72,884	49	3,52,811	153	8,32,488
29	पश्चिम बंगाल	1,256	59,750	198	4,42,875	78	11,26,536	84	1,206,303	1,616	28,35,464
30	पुदुचेरी-संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	2	12,507	1	6,358	3	18,865
31	पारेषण एवं वितरण प्राइवेट	0	0	9	4,955	10	1,07,085	7	2,85,328	26	3,97,368
32	जेनरेशन प्राइवेट	6	3,347	19	6,02,003	64	50,66,680	15	13,89,659	104	70,61,689
33	नवीकरणीय प्राइवेट							14	68,050	14	68,050
	योग	**38,314**	**35,35,262**	**5,304**	**96,11,614**	**3,927**	**2,72,90,803**	**2,066**	**1,50,20,996**	**49,611**	**5,54,58,676**

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़ों में आरजीजीवीवाई और डीडीजी परियोजना लागत (पूंजी सबसिडी और ऋण) केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना तक शामिल है।

सारणी-4: वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रमवार संवितरण तथा कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.03.2014 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	पारेषण एवं वितरण	विद्युत उत्पादन	आरजीजीवीवाई (डीडीजी सहित)	एसटीएल/ ऋण पुनर्वित्तपोषण	टीएफएल	एमटीएल	डब्ल्यूसी टीएल	अन्य	वर्ष 2013-14 के दौरान कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2013-14 के अंत में बकाया राशि
												वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	1,46,059	1,72,382	173	-				-	3,18,614	24,51,925	1,71,309	11,58,329.91	12,93,595
2	अरुणाचल प्रदेश	46	-	-	-				-	46	24,348	1,312	18,614.67	5,733
3	असम	-	-	183	-				-	183	50,949	206	26,870.85	24,079
4	बिहार	-	96,129	9,152	-				-	1,05,281	2,72,431	5,616	41,173.13	2,31,257
5	छत्तीसगढ़	20,441	1,13,610	-	-				-	1,34,051	7,69,518	35,776	1,55,167.68	6,14,350
6	दिल्ली								-	-	1,093	-	1,093	-
7	गोवा								-	-	1,479	-	1,479	-
8	गुजरात	-	18,857	48	-				-	18,905	6,85,159	6,516	6,29,818.40	55,340
9	हरियाणा	64,260	466	50	-	1,38,000			1,38,000	2,02,776	13,40,832	88,821	4,47,974.94	8,92,857
10	हिमाचल प्रदेश	27,917	1,132	-	-				-	29,049	3,62,008	25,734	2,14,834.48	1,47,174
11	जम्मू और कश्मीर	595	-	359	-				-	954	1,26,401	7,350	76,238.01	50,163
12	झारखंड	5,023	11,710		-				-	16,733	2,30,813	7,880	89,971.30	1,40,842
13	कर्नाटक	86,901	2,11,080	356	38,900		10,000		10,000	3,47,237	8,49,286	80,995	4,08,720.11	4,40,566
14	केरल	4,583	-	252	15,000		65,000		65,000	84,835	4,80,801	35,406	3,83,168.22	97,633
15	मध्य प्रदेश	70,697	48,531	1,416	-				-	1,20,644	7,48,008	15,661	1,92,986.77	5,55,021
16	महाराष्ट्र	1,02,335	2,18,931	-	-		1,50,000		1,50,000	4,71,266	37,17,890	2,37,567	11,06,869.64	26,11,021
17	मणिपुर	-	-	322	-				-	322	18,630	822	5,380.50	13,250
18	मेघालय	-	-	202	-				-	202	46,275	110	12,500.25	33,774
19	मिजोरम	-	-	451	-				-	451	26,970	108	23,773	3,197
20	नगालैंड	700	-	84	-				-	784	23,227	1,133	10,600.01	12,627
21	ओडिशा	5,602	54,730	-	-				-	60,332	3,44,521	2,539	1,33,878.55	2,10,642
22	पुदुचेरी	1,617	-	-	-				-	1,617	3,574	-	-	3,574
23	पंजाब	96,845	7,517	-	-			65,000	65,000	1,69,362	17,02,823	94,370	7,82,086.49	9,20,736
24	राजस्थान	1,60,647	14,841	87	15,000	10,000			10,000	2,00,575	24,73,913	1,33,217	10,45,024.49	14,28,889
25	सिक्किम	-	97,741	185	-				-	97,926	3,85,719	1,179	4,520.57	3,81,198
26	तमिलनाडु	1,24,166	87,660	64	-	1,50,000	50,000		2,00,000	4,11,890	27,84,186	1,08,769	6,98,257.22	20,85,929
27	त्रिपुरा	-	-	-	-				-	-	12,792	-	11,055	1,737
28	उत्तर प्रदेश	78,224	48,919	12,257	75,000	3,03,750			3,03,750	5,18,150	26,65,189	2,57,850	10,69,128	15,96,061
29	उत्तराखंड	13,756	9,009	-	-				-	22,765	4,58,463	29,595	1,97,534.90	2,60,928
30	पश्चिम बंगाल	68,495	85,498	659	15,000		50,000		50,000	2,19,652	10,07,174	76,204	2,56,959.85	7,50,214
31	विंड एनर्जी	-	-	-	-				-	-	3,013	-	1,291	1,722
	कुल	**10,78,909**	**12,98,743**	**26,300**	**1,58,900**	**6,01,750**	**3,25,000**	**65,000**	**9,91,750**	**35,54,602**	**2,40,69,410**	**14,26,045**	**92,05,300**	**1,48,64,110**
	आरजीजीवीवाई सब्सिडी									2,39,471				
	डीडीजी सब्सिडी (आरजीजीवी वाई के अंतर्गत)									2,926				
	समग्र योग	**10,78,909**	**12,98,743**	**26,300**	**1,58,900**	**6,01,750**	**3,25,000**	**65,000**	**9,91,750**	**37,96,999**	**2,40,69,410**	**14,26,045**	**92,05,300**	**1,48,64,110**

सारणी-5: वर्ष 2013-14 के दौरान, आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत ऊर्जायित पंपसेट और 31.03.2014 तक की संचयी स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2013-14 के दौरान उपलब्धि (संख्या)	31.03.2014 तक संचयी उपलब्धि (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	1,33,087	22,94,997
2	असम	0	1,922
3	बिहार	0	1,13,354
4	गुजरात	0	4,20,456
5	हरियाणा	0	2,33,570
6	हिमाचल प्रदेश	141	6,535
7	जम्मू और कश्मीर	110	15,551
8	कर्नाटक	0	8,62,387
9	केरल	0	3,40,882
10	मध्य प्रदेश	0	10,54,106
11	महाराष्ट्र	1,13,710	24,72,273
12	मणिपुर	0	29
13	मेघालय	0	58
14	नगालैंड	0	164
15	ओडिशा	0	63,015
16	पंजाब	0	5,01,913
17	राजस्थान	5,829	5,10,572
18	तमिलनाडु	11,288	11,61,546
19	त्रिपुरा	0	1,530
20	उत्तर प्रदेश	0	3,79,544
21	पश्चिम बंगाल	0	82,202
	कुल	**2,64,165**	**1,05,16,606**

सारणी-6: 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत आरजीजीवीवाई परियोजनाएं

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार

क्रम. सं.	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं (10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना मिलाकर)					
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल किए गए अविद्युतीकृत गावों की सं.	शामिल आंशिक रू प से विद्युतीकृत गांवों की सं.	शामिल बीपीएल आवासों की सं.	परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)
1	आंध्र प्रदेश	26	22	0	25,902	27,50,400	880.87
2	अरुणाचल प्रदेश	16	16	2,096	1,408	53,312	1,032.22
3	असम	23	23	8,353	12,897	12,70,332	2,837.03
4	बिहार	43	38	22,956	5,832	25,49,972	4,459.04
5	छत्तीसगढ़	16	14	1,605	15,037	11,83,831	1,190.49
6	गुजरात	25	25	0	16,189	8,41,219	316.45
7	हरियाणा	18	18	0	5,391	2,19,826	174.93
8	हिमाचल प्रदेश	12	12	95	11,419	17,045	338.54
9	जम्मू और कश्मीर	14	14	237	3,247	79,991	954.05
10	झारखंड	22	22	18,615	6,085	14,70,196	3,521.65
11	कर्नाटक	25	25	58	23,494	8,89,153	884.9
12	केरल	7	7	0	629	1,05,204	147.76
13	मध्य प्रदेश	32	32	696	33,000	13,42,332	1,875.26
14	महाराष्ट्र	34	34	0	35,325	12,06,906	663.61
15	मणिपुर	9	9	882	1,378	1,07,369	437.33
16	मेघालय	7	7	1,867	3,145	1,09,387	458.34
17	मिजोरम	8	8	142	570	30,917	317.22
18	नगालैंड	11	11	105	1,169	74,064	270.19
19	ओडिशा	32	30	14,525	29,083	30,85,925	3,948.21
20	पंजाब	17	17	0	6,580	1,02,176	186.91
21	राजस्थान	40	33	4,226	34,047	12,65,533	1,279.04
22	सिक्किम	4	4	25	413	12,108	217.92
23	तमिलनाडु	26	26	0	9,673	5,01,202	348.19
24	त्रिपुरा	4	4	148	658	1,17,163	199.08
25	उत्तर प्रदेश	64	65	27,761	2,982	10,62,226	3,768.27
26	उत्तराखंड	13	13	1,512	9,506	2,63,593	763.42
27	पश्चिम बंगाल	28	17	4,185	23,918	22,82,634	2,730.53
	कुल	**576**	**546**	**1,10,089**	**3,18,977**	**2,29,94,016**	**34,201.45**
11वीं योजना के तहत चरण-II के अंतर्गत आरजीजीवीवाई की स्वीकृत नई परियोनाएं							
1	छत्तीसगढ़	2	2	126	1,077	84,334	176.12
2	हरियाणा	3	3	0	625	21,432	17.03
3	कर्नाटक	2	2	0	587	27,782	119.38
4	केरल	7	7	0	643	18,839	89.83
5	मध्य प्रदेश	20	20	183	15,635	4,96,714	983.20
6	तमिलनाडु	3	3	0	729	24,369	37.27
7	बिहार	11	11	1,338	12,790	28,98,328	2,994.11
8	महाराष्ट्र	1	1	0	1,139	19,279	33.64
9	पश्चिम बंगाल	1	1	17	289	24,423	198.99
10	उत्तर प्रदेश	22	22	245	19,991	9,43,641	4,728.21
	कुल	**72**	**72**	**1,909**	**53,505**	**45,59,141**	**9,377.78**
	कुल-जोड़	**648**	**618**	**1,11,998**	**3,72,482**	**2,75,53,157**	**43,579.23**

सारणी-7: 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत आरजीजीवीवाई परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की सं.	गांव			कुल वासस्थल	आवास		स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)
			अविद्युतीकृत	आंशिक रूप से विद्युतीकृत	कुल		ग्रामीण	बीपीएल	
1	असम	16	1,009	10,259	11,268	28,884	15,27,797	5,41,943	1,621.07
2	बिहार	27	6,882	21,377	28,259	71,110	1,00,54,670	54,42,691	5,220.65
3	छत्तीसगढ़	4	0	3,240	3,240	8,175	1,13,515	63,828	285.61
4	जम्मू और कश्मीर	3	45	352	397	1,324	42,911	26,233	101.28
5	झारखंड	17	125	18,308	18,433	37,493	12,40,557	4,71,972	1,260.93
6	कर्नाटक	9	0	9,210	9,210	11,129	2,07,778	1,16,861	98.20
7	मध्य प्रदेश	34	221	25,832	26,053	51,608	17,56,426	8,63,360	1,419.17
8	मणिपुर	6	136	1,721	1,857	2,138	69,399	36,362	204.73
9	मिजोरम	8	0	0	0	0	0	0	77.03
10	नगालैंड	11	1	199	200	229	45,220	39,314	92.31
11	ओडिशा	31	3,144	41,018	44,162	1,06,618	38,43,136	16,68,454	3,550.77
12	राजस्थान	28	0	25,397	25,397	59,127	13,35,791	4,43,757	1,453.91
13	त्रिपुरा	8	26	778	804	6,881	2,01,381	89,604	316.23
14	उत्तर प्रदेश	64	541	66,638	67,179	1,34,649	93,49,025	31,20,460	7,282.81
15	पश्चिम बंगाल	7	11	5,695	5,706	14,626	5,90,658	2,51,488	609.61
	कुल	**273**	**12,141**	**2,30,024**	**2,42,165**	**5,33,991**	**3,03,78,264**	**1,31,76,327**	**23,594.31**

सारणी-8: आरजीजीवीवाई - संचयी उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2013 तक उपलब्धि		वित्त वर्ष 2013-14 में उपलब्धि*		संचयी उपलब्धि (31-03-2014 की स्थिति के अनुसार)	
		अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल
1	आंध्र प्रदेश	0	27,52,833	0	0	0	27,50,400
2	अरुणाचल प्रदेश	1,700	28,786	282	18,762	1,982	47,548
3	असम	8,019	9,08,550	125	2,04,904	8,144	11,13,454
4	बिहार	22,730	23,50,915	206	1,06,007	22,936	24,56,922
5	छत्तीसगढ़	1,071	9,79,911	164	69,538	1,235	10,49,449
6	गुजरात	0	8,29,547	0	11,672	0	8,41,219
7	हरियाणा	0	1,94,461	0	5,432	0	1,99,893
8	हिमाचल प्रदेश	83	15,278	0	927	83	16,205
9	जम्मू और कश्मीर	176	53,086	27	14,276	203	67,362
10	झारखंड	18,086	12,98,825	47	11,608	18,133	13,10,433
11	कर्नाटक	62	8,58,836	0	16,560	58	8,75,396
12	केरल	0	52,993	0	60,229	0	1,13,222
13	मध्य प्रदेश	596	9,61,816	98	1,80,737	694	11,42,553
14	महाराष्ट्र	0	11,81,880	0	32,709	0	12,14,589
15	मणिपुर	616	28,851	0	807	616	29,658
16	मेघालय	1,654	85,495	144	18,262	1,798	1,03,757
17	मिजोरम	94	15,144	13	4,096	107	19,240
18	नगालैंड	88	37,562	4	8,237	92	45,799
19	ओडिशा	14,345	28,26,140	84	38,896	14,429	28,65,036
20	पंजाब	0	80,404	0	20,000	0	1,00,404
21	राजस्थान	4,137	11,40,660	18	17,163	4,155	11,58,009
22	सिक्किम	25	9,783	0	346	25	10,129
23	तमिलनाडु	0	5,01,202	0	0	0	5,01,202
24	त्रिपुरा	143	99,502	1	16,383	144	1,15,885
25	उत्तर प्रदेश	27,762	10,47,531	0	14,695	27,750	10,62,226
26	उत्तराखंड	1,511	2,34,593	0	29,000	1,511	2,63,593
27	पश्चिम बंगाल	4,185	21,47,044	0	62,927	4,185	22,09,971
	कुल	**1,07,083**	**2,07,21,628**	**1,197**	**9,61,730**	**1,08,280**	**2,16,83,554**

* 2013-14 के दौरान अविद्युतीकृत गांवों की उपलब्धि 1,213 है, लेकिन कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने 2013-14 के दौरान क्रमशः 4 और 12 अविद्युतीकृत गांवों को पहले सूचित आंकड़ों में से कम कर दिया है। लेकिन 2013-14 के दौरान वास्तविक उपलब्धि 1,197 है, जो 1,213 से 16 कम है।

इसी प्रकार 2013-14 के दौरान बीपीएल आवासों की उपलब्धि 9,64,173 है, लैकिन आंध्र प्रदेश ने 2013-14 के दौरान 2,443 बीपीएल आवासों को पहले सूचित आंकड़ों में से कम कर दिया है। लेकिन 2013-14 के दौरान वास्तविक उपलब्धि 9,61,730 है, जो 9,64,173 से 2,443 कम है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
[सूचीकरण करार के खंड 49(iv) (च) के अनुसरण में]

कंपनी के प्रबंधन वर्ग के वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के कार्यनिषादन सहित औद्योगिक परिदृश्य संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. औद्योगिक ढांचा और विकास

उद्योग सिंहावलोकन

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 20,623 मेगावाट की तुलना में 17,825 मेगावाट रही जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.57 प्रतिशत कम थी। मुख्य सहयोग/योगदान थर्मल श्रेणी से हुई है जो कुल क्षमता अभिवृद्धि का लगभग 94 प्रतिशत है। 17,825 मेगावाट में से निजी क्षेत्र का शेयर 66.7 प्रतिशत था और कुल थर्मल क्षमता अभिवृद्धि के 70 प्रतिशत से अधिक निजी विकासकों से आया है। विद्युत उत्पादन वर्ष 2012-13 में 912 बीयू की उपलब्धि से 6 प्रतिशत अधिक था। वित्त वर्ष 2014 के दौरान वास्तविक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 966.4 बीयू था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में विद्युत उत्पादन 912 बीयू था।

वित्त वर्ष 2014 के दौरान कुल विद्युत आपूर्ति की कमी 4.3 प्रतिशत थी, जबकि व्यस्ततम घंटों में बिजली की कमी 4.5 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2013 में, कुल विद्युत कमी 8.7 प्रतिशत थी जो कि वित्त वर्ष 2012 और 2011 में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत थी। इसी तरह से वित्त वर्ष 2013 में व्यस्ततम विद्युत कमी वित्त वर्ष 2012 में 11.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2011 में 10.3 प्रतिशत की तुलना में 9.0 प्रतिशत थी। सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कमी और व्यस्ततम विद्युत कमी उत्तरी क्षेत्र के बाद दक्षिणी क्षेत्र में अत्यधिक थी।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, देश की कुल संस्थापित क्षमता 2,43,029 मेगावाट थी, जो पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समाप्ति पर 8.8 प्रतिशत अधिक थी। इसलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, 88,537 मेगावाट के लक्ष्यगत क्षमता संवर्धन के प्रति 12वीं पंचवर्षीय योजना में 38,448 मेगावाट संवर्धित थी।

हाल के वर्षों में विद्युत उत्पादन की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता वर्धन 62,374 मेगावाट के संशोधित लक्ष्य का 88 प्रतिशत था। तथापि, पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन क्षमता में यथा अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई थी और उपलब्धि योजना लक्ष्यों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत के लक्ष्य की लगभग 88,537 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त कल्पना की गई है। इस तथ्य के संदर्भ में कि 43 प्रतिशत से अधिक क्षमता की चालू योजना के पहले दो वर्षों में वृद्धि हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि बारहवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (वित्त वर्ष 2013-2017) के लिए विद्युत क्षेत्र की निधि की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगभग ₹ 14 लाख करोड़ लगाया गया है। 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि 9 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर पर वर्ष 2022 तक प्रदर्शित मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 94,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता होगी और उसके अनुरूप पारेषण और वितरण प्रणाली का भी विस्तार करना होगा।

औद्योगिक ढांचा

विद्युत उत्पादन

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन की क्षमता 2,43,029 मेगावाट रही और राज्य क्षेत्र में 92,187 मेगावाट (37.93 प्रतिशत) रही, केंद्रीय क्षेत्र में 68,125 मेगावाट (28.03 प्रतिशत) रही और प्राइवेट क्षेत्र में 82,715 मेगावाट (34.03 प्रतिशत) रही। प्राइवेट क्षेत्र के अंश में पिछले दो वर्षों में वृद्धि देखी गई है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, विद्युत उत्पादन क्षमता के रूप में 1,68,255 मेगावाट (69.29 प्रतिशत) थर्मल में, 40,531 मेगावाट (16.67 प्रतिशत) हाइड्रो में थी और 29,463 मेगावाट (12.12 प्रतिशत) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में थी। न्यूक्लियर क्षमता में इस अवधि के दौरान नई संवृद्धि देखी गई थी जो 4,780 मेगावाट (1.96 प्रतिशत) रही।

क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद भारतीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र प्रमुख बाधाओं के कारण अभी भी नीति उलझन के बीच खड़ा है और अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, ये बाधाएं हैं : अभिनिर्धारित परियोजनाओं तक दीर्घकालिक कोयला संपर्क में कमी, केप्टिव कोयला खान ब्लाकों से योजनाबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता, देशज कोयला एवं गैस उत्पादन के जुटाव में अक्षमता, आयातित ईंधन की कीमत में वृद्धि , भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर और पर्यावरणीय मुद्दे आदि रहे हैं। भारत सरकार ने मौजूदा देशज विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, नवीनतम प्रौद्योगिकी कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा त्वरित मंजूरियां एवं ईंधन लिंकेज प्राप्त करने में डेवलपरों को सुविधा देने के लिए सक्रिय पहलें की हैं। कोयले पर, निर्भरता को कम करना, न्यून गौण खपत, उच्च दक्षता प्राप्त करना तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, अधिकतर परियोजनाओं को 13वीं पंचवर्षीय योजना में अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर आधारित किया जाना तय है।

योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि विद्युत उत्पादन क्षमता के लगभग 88.5 जीडब्ल्यू को 2017 तक परिवर्धित किए जाने की जरूरत है, ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संवृद्धि को सहायता मिल सके। इसके अलावा, योजना आयोग के अनुसार, वित्त वर्ष 2032 तक 8 प्रतिशत की स्थायी आर्थिक संवृद्धि बनाए रखने के लिए भारत को अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा, जिसके लिए विद्युत उत्पादन क्षमता को वित्त वर्ष 2032 तक लगभग 8,00,000 मेगावाट तक बढ़ाना आवश्यक है।

पारेषण और वितरण

पारेषण

विगत में देश में पारेषण प्रणाली की आयोजना को पारंपरिक रूप से विद्युत निकासी प्रणाली के भाग के रूप में उत्पादन परियोजनाओं से जोड़ा गया है। उत्पादन की रिशेड्यूलिंग और लोड शेडिंग किए बिना ऊर्जा प्रणाली को सुरक्षित रूप से आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार करने में सक्षम बनाना पारेषण तंत्र की आयोजना के लिए मुख्य मानदंड था। लेकिन, नेटवर्क के लोड में भारी वृद्धि मूल रूप से प्लान किए गए लोड सेंटर उत्पादक यूनिटों का चालू न होना तथा प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूर्ति में कमी जैसे विभिन्न कारणों से विद्युत प्रणाली के कतिपय क्षेत्र सामान्य दशा में भी सुरक्षापूर्वक कार्य नहीं कर सके। इससे उत्पादन को निम्न स्तर पर लाने तथा विगत में निम्न लोड उत्पादन संतुलन पर प्रचालन करना अनिवार्य हो गया। अतः दीर्घकालीन ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पारेषण आयोजना को पूर्व की उत्पादन निकासी प्रणाली आयोजना के स्थान पर समेकित प्रणाली आयोजना की ओर ले जाया गया।

भारत में पारेषण एवं वितरण तंत्र में क्षेत्रीय ग्रिडों, राज्य ग्रिडों और वितरण तंत्र की त्रि-स्तरीय संरचना शामिल है। भौगोलिक संशक्ति के आधार पर बनाए गए पांच क्षेत्रीय ग्रिड विद्युत के अभाव वाले राज्य से विद्युत अधिशेष वाले राज्य में विद्युत स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं। क्षेत्रीय ग्रिड भी बाह्य अनुरक्षण की अभीष्ट समय-सूची बनाने तथा बिजली घरों के बीच बेहतर समन्वय को सुसाध्य बनाते हैं। वर्तमान में, ये क्षेत्रीय ग्रिड 32,000 से अधिक मेगावाट की अंतरक्षेत्रीय स्थानांतरण क्षमता के साथ राष्ट्रीय ग्रिड के एक एकीकृत यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं जिससे एक क्षेत्र में अधिशेष विद्युत को विद्युत के अभाव का सामना कर रहे अन्य क्षेत्र में भेजा जा सके और इससे राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके।

दक्षिणी ग्रिड के पहले से काम कर रहे ग्रिड के संबंध में, अंतरक्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टीविटी को प्राप्त कर लिया गया है, जिससे प्रणाली में अधिक लचीलापन एवं ढीलापन लाया जा सके। देश अब रायचूर-शोलापुर 765 केवी पारेषण लाइन के जरिए राष्ट्रीय ग्रिड से दक्षिणी ग्रिड के समकालिक कनेक्शन के बाद विश्व में सबसे बड़ा काम करने वाला समकालिक ग्रिडों में से एक है। अबाधित अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण, खुली पहुंच की उपलब्धता, नई ईएचवी एवं एचवीडीसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रयास भी किए गए हैं। इसके अलावा, उचित नियंत्रण और संतुलन को बनाए रखा गया है ताकि कोई बड़ी ग्रिड हानि से बचने के लिए ग्रिड के अनुशासन को सुदृढ़ किया जा सके। विद्युत अधिनियम, 2003 में उपयुक्त संशोधन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आरएलडीसी और एनएलडीसी को विशेष शक्तियां दी जा सकें ताकि वे उस ग्रिड को विनियमित कर सकें, जिसमें उनके सशक्तीकरण के लिए कानूनी प्रावधान भी शामिल हैं। आरएलडीसी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह ग्रिड अनुशासन का अनुपालन न करने वाले राज्यों के लोड को काट सकते हैं।

वित्त वर्ष 2014 के अंत में पारेषण लाइनों की कुल लंबाई लगभग 2.91 लाख सीकेएम हो जाएगी जो पिछले वर्ष के अंत में लगभग 2.74 लाख सीकेएम थी।

संस्थापित पारेषण लाइन प्रणाली का विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं:

पारेषण लाइन	31.03.2014 के अनुसार (सर्किट किलोमीटर)	31.03.2013 के अनुसार (सर्किट किलोमीटर)	वृद्धि (सर्किट किलोमीटर)
765 केवी	11,096	6,459	4,637
400 केवी	1,25,957	1,18,180	7,777
220 केवी	1,44,851	1,40,517	4,334
+/- 500 केवी एचवीडीसी	9,432	9,432	0
कुल	**2,91,336**	**2,74,588**	**5,895**

वित्त वर्ष 2014 के अंत में 5.30 लाख एमवीए पर कुल सब स्टेशन रूपांतरण क्षमता 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी स्तर पर रही। वित्त वर्ष 2013 के अंत में कुल क्षमता 4.73 लाख एमवीए थी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार पारेषण प्रणाली के विकास के लिए अपेक्षित निधि लगभग ₹ 2-3 लाख करोड़ होगी, जिसमें केंद्रीय और राज्य क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल होगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा सशक्त एकीकृत ग्रिड तंत्र बनाना है जो देश के एक भाग से दूसरे भाग तक बिजली का भारी अंतरण कर सके।

वितरण

वितरण क्षेत्र, विद्युत उत्पादन-पारेषण-वितरण की श्रृंखला में राजस्व उत्पादक लिंक, विद्युत क्षेत्र की मूल्यवान श्रृंखला में स्पष्ट रूप से कमजोरतम कड़ी है और इससे विद्युत क्षेत्र के सुधारों की संपूर्ण प्रक्रिया के मार्ग से हटने का खतरा है, जो भारत में संवृद्धि की कहानी के लिए भी एक खतरा है। हालांकि, देश में विद्युत

उत्पादन क्षेत्र वितरण क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और घाटे में चल रहा है, और भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है।

वितरण क्षेत्र से संबंधित मुद्दे विद्युत उत्पादन और पारेषण क्षेत्र के मुद्दों के समान नहीं हैं। वितरण में महत्वपूर्ण अंतिम स्थल (मील) की कनेक्टिविटी उपलब्ध की जाती है और इसमें अलग-अलग किस्म के कई और विभिन्न उपभोक्ता होते हैं। हालांकि, अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों का विभाजन कर दिया गया है, तथापि वितरण अभी भी काफी हद तक सरकारी यूटिलिटियों के नियंत्रण में है। विभाजन किए जाने से पूर्व विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन अच्छे वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर उनके प्रचालन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। उच्च एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों के कारण विद्युत वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई है, वे सिद्धांत रूप में और भावनात्मक रूप से संशोधित टैरिफ को सख्ती से लागू नहीं कर पा रहे हैं, अधिकांश राज्यों में लंबे समय से संशोधन के लिए संबंधित ई आर सी के निदेशों के बावजूद उन पर सब्सिडी का भार बढ़ता जा रहा है, घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए उद्योग द्वारा क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है, बिलिंग में दक्षता नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिए काफी महंगी बिजली की खरीद की जा रही है, जिनसे नीतिगत पहलों के लाभों की हानि हो रही है। उनकी आपूर्ति की औसत लागत (ए सी एस) और प्राप्त औसत राजस्व (ए आर आर) के बीच का अंतर ₹ 1.50 प्रति केडब्ल्यूएच से अधिक का है, जिसके परिणामतः इन यूटिलिटियों का नेटवर्थ लगातार गिरता जा रहा है।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार करने और उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए संक्रमणकालीन वित्त तंत्र (टी एफ एम) नामक राज्य के स्वामित्व की वितरण कंपनियों के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है। इस तंत्र में राज्य सरकार से वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफ आर पी) का अनुमोदन और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, (एसईआरसी) से टैरिफ में संशोधन जैसे उपाय शामिल हैं, जिनके परिणामतः प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) के अंतर को कम किया जा सकेगा और केवल ऐसी राज्य सरकारों को ही सब्सिडी दी जाएगी जो बाद में ए आर आर में नियमित आधार पर लेखापरीक्षित लेखों में दर्ज करके उनका समायोजन करेंगे, उन्हें पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन ई एफ) में प्रौद्योगिकी सहायता देकर प्रोत्साहन दिया जाएगा, यूटिलिटी-वार समग्र योजना तैयार की जाएगी और उच्च स्तर पर इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि सभी उपायों को लागू किया जाए और अत्याधिक उच्च पारेषण और वितरण हानियों की बड़ी चुनौतियों पर काबू पा लिया जाएगा, विनियामक संस्थाओं के आंतरिक कार्यों, असंगत टैरिफ आदि को सुचारू किया जाएगा ताकि विद्युत वितरण क्षेत्र का कायापलट किया जा सके।

नीति के मामले में एक एकीकृत रेटिंग प्रणाली विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सभी यूटिलिटियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर उनकी श्रेणी तय करना और दीर्घकालिक वाणिज्यिक व्यवहार्य प्रचालनों को जारी रखने के लिए उनकी क्षमता को बनाए रखना है। इस तंत्र का मुख्य ध्यान प्रतिष्ठानों की रैकिंग और उन्हें प्रोत्साहन देने/हतोत्साहित करने पर है, ताकि उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्यनिष्पादन को बढ़ाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। इस एकीकृत प्रणाली से बैंकों/वित्तीय संस्थानों को जोखिम से जुड़े एकसमान और वास्तविक मूल्यांकन और अलग-अलग यूटिलिटियों की निधि संबंधी आवश्यकता को अपनाने में सुविधा होगी। इससे समुचित ऋणों सहित वित्तपोषण किया जा सकेगा ताकि उनके प्रचालनात्मक, वित्तीय और प्रबंधकीय कार्यनिष्पादन को और तेज किया जा सके तथा उसमें बढ़ोतरी की जा सके। यह प्रणाली ए पी डी आर पी, एन ई एफ आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य विद्युत यूटिलिटियों को सरकारी सहायता देने के लिए आधार के रूप में कार्य करेगी।

विद्युत यूटिलिटियों को निधियां प्राप्त करने में सहायता देने हेतु वितरण क्षतियों को कम करने तथा देश में वितरण संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सुधार में निवेश को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने की नीति के लिए वित्त वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय विद्युत निधि की स्थापना की गई है। यूटिलिटी/डिस्कॉम को कार्यनिष्पादन के आधार पर ब्याज दर पर छूट दी जाएगी।

फीडर पृथक्कीकरण योजना के कार्यान्वयन, वितरण तंत्र में उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस), स्वचालित मीटर रीडिंग (ए एम आर) जैसे स्मार्ट एनर्जी मीटरों के संस्थापन और द्वि-मार्गीय वास्तविक समय डिजिटल संचार वाले 100 प्रतिशत कवरेज तथा रिमोट मीटरिंग के उपयोग की सुविधा, प्रचालन तथा अनुरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और उसके साथ-साथ सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियां उपयोग में लाने जैसे तकनीकी उपाय, ऐसे उपाय हैं, जो कम से कम हानि और कम लागत वाली बिजली की सुरक्षित और विश्वसनीय सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं।

उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच द्वि-मार्गीय संवाद के अवसर प्रदान करने के लिए इंटेलिजेंट स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से बिजली के उपयोग और सुपुर्दगी का तरीका पूरी तरह बदल दिया जाएगा। चूंकि, भारतीय वितरण क्षेत्र विद्युत मूल्य श्रृंखला में कमजोर कड़ी है, अतः गुणवत्तापूर्ण विद्युत सुपुर्दगी की कुशल और विश्वसनीय व्यवस्था के लिए यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं दीर्घकालिक व्यवसाय के अवसर पैदा करेंगी।

देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार लाने एवं व्यवस्थित करने के लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय से कार्यक्रमों, जैसे कि आरजीजीवीवाई (नोडल एजेंसी), आर-एपीडीआरपी, एनईएफ (नोडल एजेंसी) वित्तीय संरचना योजना (एफआरपी), स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स आदि से अपनी अंतर्ग्रस्तता द्वारा प्रमुख पहलें शुरू की हैं। इन सभी प्रमुख व्यवस्थापनों से आपकी कंपनी ने एक बेहतर एवं उन्नत वितरण परिदृश्य प्राप्त किया है जबकि संबंधित राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों के संयोजन में इन कार्यक्रमों के परिणाम एवं प्रभाव संपूर्ण वितरण परिदृश्य और ट्रांसफार्म में आने शुरू हो गए हैं।

लगभग ₹ एक लाख करोड़ का उपयोग सब उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के विकास के लिए किया गया है, जिसमें आर-एपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई योजनाएं भी शामिल हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने ₹ 3.14 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया है जिसमें मांग पक्ष के प्रबंधन (डीएसएम) के संबंध में योजनाबद्ध निवेश और इस क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता भी शामिल है।

विद्युत क्षेत्र नीतिगत परिवेश

पिछले कुछ वर्षों में बिजली की निरंतर कमी बने रहने तथा भारत में बिजली की मांग में हुई अनुमानित वृद्धि की दर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना, क्षमता विस्तार, पारेषण और उप-पारेषण तथा वितरण तंत्र में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारत सरकार द्वारा की गई इन बड़ी नीतिगत पहलों से विद्युत क्षेत्र को एक आकर्षक निवेश का क्षेत्र बनाने की क्षमता पैदा करने तथा इसे पुनः परिभाषित करने में सहायता मिली है।

अपने नए स्वरूप और संशोधित विधिक संरचना में विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने के साथ ही विद्युत क्षेत्र का शासन, पूंजी की व्यवस्था तथा बृहत विद्युत परियोजनाओं का संस्थापन एक वास्तविकता बन गया है। इस अधिनियम ने उन अनेक कानूनों की जगह ले ली है जिनमें भारतीय बिजली क्षेत्र पहले अधिशासित होता था और इसने एक बहु-क्रेता और बहु-विक्रेता प्रणाली की शुरूआत की है। इसके अलावा, विनियामक प्रशासन को आय प्राप्ति की दर (रेट आफ रिटर्न) के विनियमों से बाधित हुए बिना टैरिफ निर्धारण में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसे राष्ट्रीय विद्युत नीति की अधिसूचना द्वारा अनुसरित किया गया था। तत्पश्चात राष्ट्रीय टैरिफ नीति, आरई नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा पावर पालिसी अधिसूचित की गई थी।

3,500 मेगावाट अथवा उससे अधिक की प्रत्येक अनुबंधित क्षमता सहित भारत में विस्तृत क्षमता विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य के साथ अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) की संकल्पना की शुरूआत की गई है। एक एकल स्थान के आधार पर विस्तृत उत्पादन क्षमताओं पर आधारित पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, उत्सर्जन कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक के उपयोग तथा विकासकर्ताओं के चयन हेतु अपनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रियाओं पर आधारित टैरिफ से विद्युत उत्पादन टैरिफों में महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना बनी है। प्रारंभिक स्थान, जहां से लेकर उपर्युक्त विनियामक तथा अन्य अनुमोदनों (भूमि, जल, पर्यावरण और विद्युत विक्रय सहित) को प्राप्त करने, बोली प्रक्रिया का संचालन करने और अंततः इन परियोजनाओं को सुपुर्द करने तक की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) का सृजन किया गया है। स्पेशल पर्पज व्हिकल की भूमिका परियोजना को सफल बोलीदाताओं को अंतरित किए जाने के साथ समाप्त हो जाती है। इनमें से चार स्पेशल पर्पज व्हिकल को पहले से ही सफल बोलीदाताओं को अंतरित किया जा चुका है। विद्युत मंत्रालय ने यूएमपीपी के लिए अनुपालित तर्ज पर अंतरराज्य और अंतःराज्य पारेषण तंत्रों के विकास हेतु स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनियों (आईपीटीसी) के लिए एक टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया भी शुरू की है। स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनियों का उद्देश्य विद्युत उत्पादन केंद्रों से स्वतंत्र निकासी करना तथा विद्युत को पूलिंग स्टेशनों से अन्य ग्रिड स्टेशनों तक पारेषित करना है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे भारत में तंत्र मजबूत होता है। गत दो-तीन वर्षों में विकासकर्ताओं को अनेक पारेषण परियोजनाएं अंतरित की गई हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में प्राइवेट क्षेत्र से निधियों को आकर्षित करने के उपाय के रूप में वर्ष 2008 में जल विद्युत नीति लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य विगत व्यापार को प्रोन्नत करने तथा सांविधिक मंजूरियों को प्राप्त करने में तेजी लाने के अलावा, निजी विकासकर्ताओं के साथ संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहित करने तथा आईपीपी मॉडल का उपयोग करके निजी क्षेत्र से निधियों को आकर्षित करना है, जो विद्युत व्यापार बढ़ाने एवं सांविधिक मंजूरियों की उपलब्धता को तेज करने के अतिरिक्त थी।

विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को संवितरित ऋणों पर सुधार से जुड़े पैरामीटरों में कार्यों में वितरण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना बनाई है जिन्हें आर-एपीडीआरपी अथवा आरजीजीवीवाई में शामिल नहीं किया गया है। वितरण योजनाओं के लिए दो वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत किए जाने वाली ₹ 25,000 करोड़ रकम के ऋण के संवितरण के लिए 14 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि से कुल ₹ 8,466 करोड़ की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आपकी कंपनी को यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी की राशियों को सारणीबद्ध करने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

ईंधन की गंभीर कमी को दूर करने के साथ ही विद्युत क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों के वित्तपोषण के लिए प्रयास करने में परियोजना प्रगति को रोकने वाले मुद्दों को हल करने के फास्टट्रेकिंग हेतु, साथ ही इसे शुरू करने हेतु जरूरी कदम उठाए गए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

जलवायु पर मंडराती चुनौतियों को कम करने के लिए जून, 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की घोषणा की गई थी। यह प्रयास देश में कुल बिजली उपभोग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करने के लिए किया गया था। इस पहल को गति प्रदान करने के लिए (आरईसी) के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की क्रय संबंधी बाध्यताओं को राज्य यूटिलिटियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। यह तंत्र राज्य सीमाओं से बाहर कार्बन क्रेडिटों से अप्रभावित रहकर नवीकरणीय ऊर्जा घटक के क्रय-विक्रय को सक्षम बनाएगा।

राष्ट्रीय सौर मिशन

एमएनआरई ने जवाहरलाल नेहरूराष्ट्रीय सौर मिशन द्वारा भारत में सौर ऊर्जा के विकास की एक नई नीति को अनुमोदित कर दिया है। मिशन ने 13वीं पंचवर्षीय योजना (2017-2022) के अंत तक तीन चरणों में 20,000 मेगावाट की एक अधिष्ठापित क्षमता के कार्यान्वयन की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त एक एकल विंडो निवेशक - अनुकूल तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है, इस तंत्र से जोखिम में कमी होगी तथा यह एक ही समय में ग्रिड से सौर विद्युत की खरीद

हेतु एक आकर्षक आवश्यक पूर्वानुमान और पर्याप्त मात्रा में टैरिफ उपलब्ध कराएगा। सौर विद्युत को प्रोन्नत करने के लिए प्रमुख चालक, एक विशिष्ट सौर घटक के साथ विद्युत यूटिलिटियों हेतु एक नवीकरणीय खरीद बाध्यता के द्वारा अधिदेशित होगा।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार ने मार्च, 2003 में ''त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)'' नामक एक योजना को मंजूरी दी थी, जिसे और अधिक निष्पादन आधारित तथा वित्तीय रूप से आकर्षित बनाने के लिए पुनर्संरचित एपीडीआरपी के रूप में (आर-एपीडीआरपी) में पुनः शुरू किया गया है।

एपीडीआरपी कार्यक्रम की भारत सरकार द्वारा पुनर्संरचना की गई है ताकि एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्र में राजस्व तथा ऊर्जा के विश्वसनीय और सत्यापन योग्य आंकड़े एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के माध्यम से निरंतर प्राप्त किए जा सकें और एकीकृत तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को सतत रूप से कम किया जा सके। आर-एपीडीआरपी को 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में जुलाई, 2008 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अगस्त, 2006 में अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाना और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना था ताकि कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादनकारी उपयोगों के लिए एक निवेश के रूप में बिजली उपलब्ध करवाकर त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य (i) कम से कम एक 33/11 केवी सब स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आरईडीबी) उन ब्लाकों में जहां पर मौजूद नहीं हैं, (ii) एक गांव या पुरवे में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर सहित ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचा (वीईआई); तथा (iii) जहां पर ग्रिड व्यवहार्य नहीं है, वहां पर एकल ग्रिडों की स्थापना करना है। पूंजीगत खर्च को वहन करने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी, आरईसी, जो इस योजना कार्यान्वयन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है, के माध्यम से दी जाती है। अविद्युतीकृत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आवासों के विद्युतीकरण के लिए 100 प्रतिशत पूंजीगत सहायता दी जाती है। ग्रामीण वितरण का प्रबंधन फ्रैंचाइजियों के द्वारा किया जाता है। योजना में एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता मानीटरिंग व्यवस्था का गठन किया गया है। इस प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है।

उपरोक्त नीतियों/पहलों के अलावा, भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के संबंध में कुछ अन्य पहलें विद्युत केंद्रों की स्थापना और मांग साइड प्रबंधन पहलें हैं, जैसे कि संवर्धित ऊर्जा दक्षता संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई); पूरा करना, प्राप्त करना और ट्रेड (पीएटी) योजना; और ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड (ईसीबीसी) आदि।

2. अवसर

विद्युत क्षेत्र में निवेशों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (वित्त वर्ष 2013-2017) का लक्ष्य ₹ 14 लाख करोड़ था, जिसमें सहयोजित पारेषण तथा वितरण तंत्र के साथ 88,537 मेगावाट की क्षमता वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 30,000 मेगावाट क्षमता की पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा बढ़ाए जाने की योजना है। संवर्धित क्षमता की हैंडलिंग के लिए पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में लगातार विस्तार के साथ उत्पादन क्षमता में लगभग 94,000 मेगावाट (30,000 मेगावाट पर्यावरण ऊर्जा से अलग) की वृद्धि की परिकल्पना 13वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। पर्यावरण अनुकूल कॉरीडोर सृजित करने का विचार, जो विशेष रूप से पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए है, जो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर मुख्य जोर के साथ है, निकट भविष्य में व्यवसाय अवसर का एक संपूर्ण स्वरग्राम देता है। समय बीतने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का हिस्सा पुराने ईंधन स्रोतों को पर्याप्त रूप से कम करने में वृद्धि करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) - नामक ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की गई है, और यह भविष्य में आय का एक संभावित स्रोत होगी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निधियों का पर्यवेक्षण करने तथा उन्हें सारणीबद्ध करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में इस कंपनी ने ग्रामीण विद्युतीकरण के सामाजिक-आर्थिक दायित्व को स्वीकार किया है। अतः विद्युत क्षेत्र का निकट भविष्य में महत्वपूर्ण निवेश के अवसर प्रदान करने की आशा है।

3. खतरे, जोखिम और चिंताएं

नए कारोबारियों और बैंकों (अधिकांशतः कंसोर्टियम के रूप में) के प्रवेश के साथ विद्युत क्षेत्र वित्तपोषण उद्योग निरंतर प्रतियोगी और व्यापक आधार वाला हो गया है और ये बातें हमारी कंपनी को कड़ी चुनौती दे रही हैं।

वित्तपोषित अवसंरचना परियोजनाएं, विशेष तौर पर विद्युत में जोखिम कम नहीं हैं, बजाय इसके जोखिम अधिक है, क्योंकि संबद्ध समय संस्तर लंबा है, और गतिज कारोबारी परिवेश में विभिन्न नीति संबंधी पहलुओं से जुड़ा है। किए गए पुनर्संरचना प्रयासों के बावजूद, देशभर में राज्य विद्युत बोर्डों एवं राज्य विद्युत उपयोगिताओं की स्थिति वित्तीय क्षेत्र में एक गंभीर दृश्य प्रस्तुत करती रही है, क्योंकि उनमें से अधिकांश, कुछ को छोड़कर कठोर वित्तीय दावों के अधीन हैं। एनटिटि की अपने ऋण से संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने में असफलता कम लागत निधियों को गतिशील बनाने में हमारी कंपनी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। चूंकि, कंपनी का इन राज्य विद्युत बोर्डों एवं राज्य विद्युत यूटीलिटियों पर विशेष ध्यान है, अतः हमारी कंपनी के संबंध में जोखिम अवबोधन अधिक है।

हमारी कंपनी प्रचलित प्रकटन मापदंडों, कर बचत बांडों से धन एकत्र करने की सीमा संबंधी बाधा, राज्य वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति, नए कारोबारियों के प्रवेश तथा बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा, अस्थायी व्यावसायिक पर्यावरण, बढ़ती हुई ब्याज दर के परिदृश्य, ₹ की कीमत में उतार-चढ़ाव तथा डांवाडोल बाजार दशाओं/निधियों की बढ़ती मांग के कारण लागत में संभावित वृद्धि से चिंतित है।

अनिश्चित कारोबार एवं नीति परिवेश, जिसमें ब्याज दर, तंत्र, सांविधिक विनियमों और नीतियों, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, दीर्घकालिक उत्पादन अवधि, भारी पूंजी परिव्यय, अन्य प्रमुख निवेश और सामान्य आर्थिक दशा पर व्यापक प्रभाव हो, परियोजनाओं की व्यवहारिता पर बुरा असर डाल सकते हैं, जिससे 'उधारकर्ताओं के ऋण चुकाने की क्षमता' प्रभावित हो सकती है।

ऐसी प्रचलित स्थिति में कम और किफायती लागत पर संसाधन जुटाना तथा इन निधियों को सर्वाधिक उत्पादक स्थान पर लगाना सुनिश्चित करना ही हमारी कंपनी की लाभप्रदता तथा वृद्धि का सतत विकास होगा।

4. खंड-वार या उत्पादन-वार कार्यनिष्पादन

प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में आरईसी के मुख्य उत्पादों में विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सभी खंडों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों और निजी क्षेत्र को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। हमारी कंपनी का रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग घटक नहीं है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस कंपनी ने ₹ 70,739.48 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की थी। इसमें विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए ₹ 28,723.50 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹ 295.48 करोड़, पारेषण और वितरण क्षेत्र के लिए ₹ 32,014.99 करोड़ और अल्पकालिक एवं अन्य ऋण उत्पादों के अधीन ₹ 9,705.50 करोड़ का स्वीकृत ऋण भी शामिल है। आरजीजीवीवाई के अधीन विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाओं के लिए ₹ 166.33 करोड़ की कुल परियोजना लागत स्वीकृत की गई थी।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 37,969.99 करोड़ के कुल संवितरण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया था। इसमें विद्युत उत्पादन के अधीन ₹ 12,987.43 करोड़ (जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं), टी एंड डी योजनाओं के अधीन ₹ 10,789.09 करोड़ अल्पकालिक ऋण के अधीन, ₹ 1589.00 करोड़ अन्य अवधि ऋणों के तहत, ₹ 9,917.50 करोड़ अन्य ऋणों के तहत और आरजीजीवीवाई के अधीन ₹ 2,686.97 करोड़ (जिसमें आरजीजीवीवाई के अधीन ₹ 2,394.71 करोड़ की सब्सिडी और डीडीजी के अधीन ₹ 29.26 करोड़ की सब्सिडी शामिल है) शामिल है।

5. दृष्टिकोण

देश में विद्युत उत्पादन की निरंतर कमी पर विचार करते हुए वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में निम्न स्तरों तथा दीर्घकालिक अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विकास अनुमानों और विकसित व्यवस्था को छूने के सरकारी प्रयासों से यह महसूस किया गया है कि विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधा का क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से लाभ में रहेगा। ₹ 34 लाख करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेशों के साथ 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना (वित्त वर्ष 2013 से 2022) के दौरान 180 जीडब्ल्यू की प्राक्कलित समग्र क्षमता वृद्धि देश में विद्युत क्षेत्र की संभावना को पूरा करेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) पर बल देने में, अन्य बातों के साथ-साथ देश में बिजली की पहुंच बढ़ेगी जिससे और मांग भी बढ़ेगी। विद्युत उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए हस्तक्षेपों के साथ वित्तीय उत्पादों के लिए उपलब्ध पर्याप्त बाजार अवसरों से इस क्षेत्र का भविष्य पूरी तरह आशान्वित करने वाला है।

मांग, आपूर्ति और खपत प्रवृत्तियां भारतीय विद्युत क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करने में अहम होंगी और विद्युत मांग में वर्तमान कमी मुख्य रूप से यूटिलिटियों एवं मौसमी उतार-चढ़ावों से औद्योगिक नरमी, विद्युत प्रापण की कमी से अल्पावधि मुद्दे बढ़ सकते हैं। विद्युत मांग के लिए दीर्घावधि दृष्टिकोण मजबूत बना रहेगा। न्यून प्रति व्यक्ति खपत और प्रत्याशित आर्थिक विकास दीर्घ अवधि ऊर्जा अपेक्षा के संकेतक हैं।

भारत को विद्युत उत्पादन के संबंध में शीर्ष देशों में स्थान प्राप्त है और उत्पादन में ब्रिक्स देशों में लगभग 5 गुना तक चीन को पीछे छोड़ता है। तथापि, ब्रिक्स राष्ट्रों में भारत की न्यूनतम प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है। न्यून प्रति व्यक्ति बिजली खपत देश में भारी अव्यक्त मांग को व्यक्त करता है। वित्त वर्ष 2013-14 के अपवाद से पिछले 10 वर्षों के दौरान ऊर्जा घाटा एवं व्यस्ततम घाटा सामान्य तौर पर 7 प्रतिशत से 17 प्रतिशत की रेंज में बना हुआ है।

विश्व की तुलना में भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति न्यून खपत भारत में बिजली की मांग में स्थायी संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रस्तुत करती है। भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेजी से वृद्धि होने के अनुमान से भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए भारी संभावनाएं पैदा करने का अनुमान है।

विशाल पूंजी व्यय, वितरण क्षेत्र में भावी विस्तारण हेतु भारी संभावना को संघटित करते हुए भारी प्रचालनात्मक बुनियादी सुविधा के समान रूप से विकास कंपनी के लिए अति आशावादी व्यावसायिक दृष्टिकोण सृजित करता है। आर-एपीडीआरपी और एनईएफ में निष्पादनोन्मुखी निर्माण भी वितरण अवसंरचना में आकर्षक एवं त्वरित निवेशों के लिए संभावित है, इस प्रकार, नुकसान को कम करने वाले लक्ष्यों को तेजी से पूरा किया जा सकता है।

6. समझौता ज्ञापन निर्धारण एवं अवार्ड

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में आपकी कंपनी का कार्यनिष्पादन ''उत्कृष्ट'' रूप में निर्धारित है। यह लगातार 20वां वर्ष है, जिसमें आईसी ने वर्ष 1993-94 से जब सरकार के साथ पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ''उत्कृष्ट'' स्थान प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए भी कंपनी के कार्यनिष्पादन को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने इंडिया प्राइड अवार्ड, दैनिक भास्कर एवं डीएनए से ''ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र'' की श्रेणी में पुरस्कार, ''₹ 1 लाख करोड़'' से अधिक के तुलनपत्र के साथ नवरत्न सृजन करते हुए बेहतर उपयोगिता हेतु डीएसआईजे पीएसयू पुरस्कार प्राप्त किया और एओन हेविट द्वारा भारत में बेहतर नियोजकों में भी स्थान दिया गया।

आपकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ''वृद्धा आश्रमों हेतु बहुविध सुविधा स्वास्थ्य पैकेज'', जो इसके सीएसआर पहलों के तहत वित्तपोषित हैं, के सम्मान में वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पेज इंडिया ''गोल्ड प्लेट पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया था। आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा भी राजभाषा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा अनुपालित अच्छी निगमित सुशासन पद्धतियों के सम्मान में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई सी एस आई), जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, ने आपकी कंपनी को एक ''बेहतर सुशासन कंपनी'' के रूप में स्वीकार किया है और वर्ष 2013 के लिए निगमित सुशासन में उत्कृष्टता हेतु 13वां आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है।

7. अधिमान्य ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में एक अधिमान्य ग्राहक नीति को कंपनी के ग्राहकों को बेहतर स्तर की सेवाएं प्रदान करने के मूलभूत प्रयोजन के साथ वर्ष 2008 में सूत्रबद्ध किया गया था और उनके साथ एक दीर्घ अवधि पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध रहा है। नीति पात्रता मापदंड निर्धारित करती है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे कि अधिमान्य ग्राहकों के निर्धारण हेतु बकाया ऋण राशि, ऋण देयता की अवधि, कर्जदारों आदि का चुकौती ट्रैक रिकार्ड और विभिन्न बाहरी एजेंसियों के साथ-साथ सीआईआरई, हैदराबाद द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण/घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उन्हें प्रायोजित करना।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, इस नीति के तहत आठ ऐसे अधिमान्य ग्राहकों से भागीदारों ने, जो अधिकतर राज्य यूटिलिटियों अर्थात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल), मुंबई, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (एमएसईटीसीएल), मुंबई, महाराष्ट्र राज्य पावर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमएसईटीसीएल), मुंबई, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल),कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल) आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एपीजीईएनसीओ) और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से हैं, को आरईसी द्वारा पीएमआई, नोएडा, भारत और इटली एवं फ्रांस में भी आयोजित ''विद्युत क्षेत्र में ग्लोबल बेहतर पद्धतियों'' पर 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी ने उपयुक्त मॉनीटरिंग क्रियाकलापों सहित आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को बनाए रखा है, जो विभिन्न संव्यवहारों की परिशुद्ध और सामयिक वित्तीय रिपोटिंग, प्रचालनों की कुशलता तथा सांविधिक नियमों, विनियमों और कंपनियों की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। एकरूप अनुपालन के लिए शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है और लेखांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियंत्रण प्रणालियां सुव्यवस्थित हैं, कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है तथा कुछ चयनित परियोजना कार्यालयों की सनदी लेखाकारों की अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित गंभीर/जोखिम के क्षेत्रों सहित प्रचालन के सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति, कंपनी अधिनियम और सूचीकरण करार में निर्धारित विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

9. वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 70,739.48 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 79,470.49 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था (इसमें आरजीजीवीवाई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है)। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान संवितरण की रकम भी घटकर ₹ 37,969.99 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान यह ₹ 40,183.06 करोड़ थी (इसमें आरजीजीवीवाई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल है)।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज सहित वसूल की जाने वाली रकम ₹ 31,312,57 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह ₹ 26,881.04 करोड़ थी। चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय रकम दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 993.04 करोड़ थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 30,755.36 करोड़ की कुल रकम वसूल की थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 26,728.86 करोड़ की रकम वसूल की गई थी।

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रचालनात्मक आय में ₹ 3,480.61 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2012-13 में ₹ 13,537.37 करोड़ से बढ़कर ₹ 17,017.98 करोड़ हो गई है। वर्ष 2012-13 में कर-पूर्व लाभ ₹ 5,163.95 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 में ₹ 6,531.12 करोड़ था। वर्ष 2013-14 में कंपनी का निवल लाभ ₹ 4,683.70 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 866.08 करोड़ अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति अनुसार कंपनी का नेटवर्थ ₹ 17,454.38 करोड़ से बढ़कर ₹ 20,669.46 करोड़ हो गया है, जो 18 प्रतिशत वृद्धि है।

10. मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध

आरईसी के कार्यपालक वर्ग की व्यावसायिकता बढ़ाने के लिए और उनमें युवा कार्यपालकों को शामिल करने के लिए समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान खुले विज्ञापन के माध्यम से 14 कार्यपालकों और इस प्रयोजन के लिए मुख्य सूचीबद्ध संस्थानों से कैम्पस भर्ती द्वारा 14 कार्यपालकों को नियुक्त किया गया था।

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल जनशक्ति 631 कर्मचारियों की थी, जिनमें 442 कार्यपालक और 189 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर और उन्हें पूरा करने के लिए कंपनी ने 193 कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में देश के अंदर और विदेश में प्रायोजित किया था। इसके अलावा, आंतरिक रूप से 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 223 कर्मचारियों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर, इन पहलों से कंपनी 1,542 प्रशिक्षण श्रम दिवस का लक्ष्य प्राप्त कर सकी है और इस मापदंड के आधार पर समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के संबंध में इसने उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। कार्मिकों का वैश्विक प्रकटन विकसित करने के लिए 27 अधिकारियों को यूएसए, ग्रीक, फ्रांस, जर्मनी और इटली, जापान आदि जैसे देशों में विभिन्न कार्यक्रमों में विदेशों में भेजा गया था।

11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायी विकास

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी विकास (सीएसआर एवं एसडी) संबंधी पहलों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की गई थी। तदनुसार, कर-पश्चात लाभ (पीएटी) के 1 प्रतिशत की दर से वित्त वर्ष 2013-14 के लिए सीएसआर बजट आबंटित किया गया था, जिसकी रकम ₹ 38.18 करोड़ थी। कंपनी ने कौशल विकास/उन्नयन कार्यक्रम, शिक्षा ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों को बढ़ाने, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाना, पेयजल एवं सफाई, सौर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिडों की स्थापना, प्रभावित आवासों को सौर लालटेन उपलब्ध कराना और पूरे देश में विभिन्न स्थानों/जिसमें में मोबाइल चार्जिंग सौर स्टेशन संस्थापित करने के क्षेत्र में विभिन्न सी एस आर एवं एसडी पहलें शुरू की गई हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी विकास के तहत ₹ 66.61 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी और विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 38.40 करोड़ संवितरित किए गए थे।

सचेतक टिप्पणी

''प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण'' खंड में कतिपय कथन भविष्यलक्षी दृष्टिकोण से हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्यनिष्पादन तथा दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-II

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

एक सूचीबद्ध कंपनी और एक अच्छी निगमित संस्था होने के नाते यह कंपनी विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व पर आधारित अच्छी निगमित परिपाटियों के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि निरंतर दीर्घकालिक संवृद्धि और लाभकारिता प्राप्त करने के लिए उसके सभी हितधारकों में विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

सूचीकरण करार के उपबंधों का पालन करने के अलावा, हम सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का भी अनुसरण कर रहे हैं। कारपोरेट सुशासन की विभिन्न शर्तों के अनुपालन के बारे में लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र के साथ एक रिपोर्ट नीचे दी गई है:-

1. निगमित सुशासन की संहिता पर कंपनी की विचारधारा

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आर ई सी) का निगमित सुशासन एक नीतिपरक और जिम्मेदार ढंग से व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है, जो लागू विनियामक संरचना के अंदर हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए प्रयासरत है। कंपनी उन सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाने में विश्वास रखती है जिन्हें दुनिया भर में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाया जाता है कंपनी में अच्छी, पारदर्शी और नीतिपरक सरकारी परिपाटियों को अपनाने की मजबूत परम्परा है। आरईसी त्वरित वृद्धि तथा ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुसाध्य तथा देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण तथा विद्युत वितरण तंत्र के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं उन्नयन हेतु प्रतिस्पर्धा, ग्राहक अनुकूल तथा विकास उन्मुखी संगठन के रूप में कार्य करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

आरईसी के निगमित सुशासन ढांचे का आधार वाक्य निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का सही अर्थों में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त हितधारकों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित पारदर्शी तंत्र प्रणाली और प्रक्रिया विधियां अपनाना; तथा
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

कंपनी द्वारा अनुपालित कारपोरेट सुशासन पद्धतियों के अनुपालन में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई सी एस आई), जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, ने हमारी कंपनी को एक बेहतर सुशासित कंपनी'' के रूप में स्थापित किया है और वर्ष 2013 के लिए कारपोरेट सुशासन में उत्कृष्टता के लिए 13वां आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल नेतृत्व और कार्यनीति संबंधी मार्गदर्शन, उद्देश्यात्मक निर्णय देता है और इसके साथ ही कंपनी के कार्यनीति संबंधी दिशानिर्देशों को मॉनीटर करता है। कंपनी का प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष होता है। कोई भी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक कंपनी में निदेशक के पद पर 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्य नहीं कर रहा है और सभी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास समुचित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव होता है, जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में सक्षम हैं।

(क) बोर्ड का गठन

हमारी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि कंपनी के कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 65.64 प्रतिशत इस समय भारत के राष्ट्रपति के नाम है और आरईसी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा, कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 03 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में सात (7) सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन (3) कार्यकारी निदेशक हैं, एक (1) सरकारी नामिती निदेशक है और तीन (3) स्वतंत्र निदेशक हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार है:

क्रम संख्या	नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी आई एन)	पद
पूर्णकालिक निदेशक (प्रकार्यात्मक निदेशक)			
1	श्री राजीव शर्मा	00973413	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री प्रकाश ठक्कर	01120152	निदेशक (तकनीकी)
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	02231613	निदेशक (वित्त)

क्रम संख्या	नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी आई एन)	पद
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक)			
4	श्री बद्री नारायण शर्मा	01221452	निदेशक (सरकारी नामिती)
स्वतंत्र निदेशक (गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक)			
5	डॉ. देवी सिंह	00015681	स्वतंत्र निदेशक
6	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन	00357727	स्वतंत्र निदेशक
7	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	00948089	स्वतंत्र निदेशक

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कंपनी ने निदेशक मंडल के गठन में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में निदेशक मंडल का गठन सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड (I) (क) के उपबंधों एवं डीपीई द्वारा जारी किए गए सीपीएसई के लिए निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसरण में नहीं था। इसके अलावा डॉ. देवी सिंह और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का तीन वर्ष का कार्यकाल 9 जून, 2014 को पूरा हो गया है और उनमें से दोनों उस तारीख से निदेशक पद पर नहीं हैं। अतः उस तारीख के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या तीन तक कम हो गई है।

कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नियुक्तिकर्ता प्राधिकरण से कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले से अनुरोध किया है और यह प्रक्रियाधीन है। कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद कंपनी निदेशक मंडल के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, सूचीकरण करार और सीपीएसई के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।

(ख) निदेशक मंडल और उनकी समितियों के बारे में अन्य प्रावधान

(i) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा

कंपनी, निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें आमतौर पर सभी निदेशकों के साथ परामर्श करके तय की जाती हैं, ताकि इन बैठकों में पूरे निदेशक मंडल की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। निदेशक मंडल की अगली बैठक की कार्यसूची और उसके संबंध में स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशक मंडल की बैठक की तारीख से पर्याप्त समय पहले परिचालित कर दी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैठकें अल्प समय की सूचना पर भी बुलाई जाती हैं, परंतु सूचना की न्यूनतम अवधि का पालन करने का हरसंभव प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित कराया जाता है, ऐसे संकल्पों को निदेशक मंडल की अगली बैठक में नोट किया जाता है। बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों पर निदेशक मंडल को विस्तृत प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) भी उपलब्ध कराई जाती है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की आठ (8) बैठकें आयोजित की गई थीं, ये बैठकें (i) 28 मई, 2013; (ii) 04 जुलाई, 2013; (iii) 08 अगस्त, 2013; (iv) 20 सितम्बर, 2013; (v) 13 नवम्बर, 2013; (vi) 20 दिसम्बर, 2013; (vii) 14 फरवरी, 2014; और (viii) 28 मार्च, 2014 को आयोजित की गई थीं।

निदेशक मंडल की किन्हीं दो बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः पैंतीस (35) दिन और छप्पन दिन (56) था। प्रबंधन द्वारा निदेशक मंडल को दी जाने वाली सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक है।

(ii) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना

निदेशक मंडल की कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से जो सूचना दी जाती है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैः

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना।
3. निधियों को बढ़ाने और वित्तीय सहायता की मंजूरियों से संबंधित प्रस्ताव।
4. कंपनी के तिमाही परिणाम और इसके प्रचालनकर्ता प्रभाग या कारोबार के क्षेत्र संबंधी सूचना।
5. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
6. निदेशक मंडल से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में सूचना जिनमें वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उसे हटाए जाने संबंधी सूचना भी शामिल होती है।
7. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और अर्थदंड नोटिस, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
8. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरों का घटित होना या कोई अन्य महत्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण समस्या।

9. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर-अदायगी।
10. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें स्थायी प्रकृति का संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व शामिल हो जिसमें कोई न्याय निर्णय या आदेश भी शामिल है, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो या किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण हो जिससे इस कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
11. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी करार का विवरण।
12. ऐसा लेन-देन जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो।
13. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना, जैसे मजदूरी करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि लागू करना।
14. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण सामग्री की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आती हो।
15. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर घटना, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई।
16. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब करना आदि।
17. बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का गठन और संयुक्त उद्यम, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि।
18. निधियों की निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
19. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के लेखा समाधान पर तिमाही अनुपालन।
20. विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
21. सभी लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।
22. कोई अन्य सूचना, जिसे सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

(iii) वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठक एवं अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति अन्य निदेशकों की संख्या (सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में/समितियों की सदस्यता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति) (आरईसी से भिन्न) का विवरण निम्नलिखित सारणी ने दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (13 सितम्बर, 2013 को आयोजित)	दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए	प्रतिशतता		अन्य संस्थाओं की संख्या जिनमें वह निदेशक है	अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या$	
							अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री राजीव शर्मा	8	8	100	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	8	8	100	उपस्थित	3	शून्य	शून्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	8	8	100	उपस्थित	2	शून्य	1
4.	श्री बद्री नारायण शर्मा	8	7	87.50	अनुपस्थित	1	शून्य	शून्य
5.	डॉ. देवी सिंह	8	8	100	उपस्थित	4	1	शून्य
6.	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन	8	8	100	उपस्थित	4	शून्य	2
7.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	8	2	25	उपस्थित	1	शून्य	1

टिप्पणी:

कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(4) के उपबंधों के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक, कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक में क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण वे पुनर्नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव देंगे।

$ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुरू प केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति (पूर्व में शेयरधारकों, निवेशकों की शिकायत समिति) में समिति सदस्यता संख्या को गिनने के लिए केवल अध्यक्षता/ सदस्यता को ध्यान में रखा गया है।

निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशक मंडल स्तर की 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है, न ही वे ऐसी कंपनियों की 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष हैं, जिनमें वे सदस्य हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से एक-दूसरे का रिश्तेदार नहीं है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल या तो पूर्ण निदेशक मंडल के रूप में कार्य करता है या गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों का पर्यवेक्षण कर सके। निदेशक मंडल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल में आयोजित की जाती है और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. पारिश्रमिक समिति;
3. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति;
4. जोखिम प्रबंधन समिति;
5. ऋण समिति;
6. कार्यकारी समिति;
7. बांड समिति;
8. अल्पकालिक ऋणों/आवधिक ऋणों को उधार देने के लिए दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति;
9. मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने संबंधी उप-समिति;
10. डिबेंचर को छोड़कर, उधार लेने संबंधी उप-समिति;
11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (पूर्व में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति); और
12. अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति।

कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 93 के अनुसार समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए हैं:

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम, समिति के अध्यक्ष सहित दो स्वतंत्र सदस्यों का है। निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि लेखापरीक्षा की बैठकों के आमंत्रिती हैं। जब कभी अपेक्षित हो समिति को इनपुट प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्रकार्यात्मक कार्यपालकों को भी आमंत्रित किया जाता है। कंपनी का कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ख) सूचीकरण करार के खंड 49 में यथा-परिकल्पित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ग) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा यथा-अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 का अनुपालन करना; और

(घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित लागू किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन करना।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक-मंडल ने 26 मई, 2014 को आयोजित अपनी 404वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति के विचारणीय विषयों को कंपनी अधिनियम, 2013, उनके तहत बने नियमों एवं संशोधित सूचीकरण करार (जिसे 1 अक्तूबर, 2014 से लागू किया जाना है) के उपबंधों की दिशा में संरेखित करने के लिए संशोधित किया है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की छह (6) बैठकें आयोजित की गई थीं अर्थात (i) 28 मई, 2013; (ii) 24 जून 2013; (iii) 8 अगस्त, 2013; (iv) 13 नवम्बर, 2013; (v) 14 फरवरी, 2014; और (vi) 28 मार्च, 2014 । दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल चार माह से अधिक का नहीं था।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अलग-अलग सदस्य द्वारा बैठक में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैः-

समिति के सदस्यों/प्रतिभागियों का नाम	समिति में पद	बैठकें			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
		निदेशक/आमंत्रित अधिकारी के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित हुए	उपस्थित की प्रतिशतता	
डॉ. देवी सिंह	अध्यक्ष/सदस्य	6	6	100	हां
श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन	सदस्य	6	6	100	हां
श्री प्रकाश ठक्कर	सदस्य	6	5	83.33	हां

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 13 सितम्बर, 2013 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास लेखाकरण और वित्तीय प्रबंधन की विशेषज्ञता है और समिति के सभी अन्य सदस्य वित्तीय मामलों के ज्ञाता हैं।

3.2 पारिश्रमिक समिति

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों में मुख्यतः निष्पादन संबंधित भुगतान, वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतनपूल और निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर-एकीकृत पर्यवेक्षकों के संबंध में इसके वितरण हेतु नीति के संबंध में निर्णय लेना होगा।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

पारिश्रमिक समिति का कोरम 2 सदस्यों का है, जिसमें समिति का अध्यक्ष भी शामिल है। निदेशक (वित्त) निदेशक (तकनीकी) और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)/महाप्रबंधक (मानव संसाधन) पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 4 जुलाई, 2013 को आयोजित की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, उनके तहत बने नियमों और संशोधित सूचीकरण करार (जिसे 1 अक्तूबर, 2014 से लागू किया जाना है) के अनुसार कंपनी के निदेशक-मंडल की अपनी 26 मई, 2014 को आयोजित 404वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति के नाम को बदल कर ''नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति'' रखा गया है और समिति के विचारणीय विषयों को भी कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा अनुसार संशोधित किया गया है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए जाने वाला पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार था। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया हैः

(रकम ₹ में)

क्र. सं.	नाम	वेतन और भत्ते	अन्य लाभ	प्रोत्साहन	सीपीएफ अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ	जोड़
1.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	23,85,102	2,91,107	26,48,881	2,24,668	1,68,501	0	57,18,259
2.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)	23,30,090	1,98,140	21,01,918	2,19,470	1,64,603	0	50,14,221
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	24,09,888	4,39,554	16,66,953	2,01,058	1,50,793	0	48,68,246

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक-मंडल और उनकी और समिति के प्रत्येक बैठक के लिए केवल ₹ 20,000 की दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है, जैसाकि 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 395वीं बैठक द्वारा निर्धारित किया गया है और जो निदेशक मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों में

उपस्थिति के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की बैठक शुल्क के रूप में की गई अदायगी का विवरण इस प्रकार है:-

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	
1.	डॉ. देवी सिंह	1,60,000	3,55,000	5,15,000
2.	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन	1,60,000	2,40,000	4,00,000
3.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	40,000	शून्य	40,000
	जोड़			**9,55,000**

सरकारी नामिती निदेशक, कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

3.3 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

(i) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का गठन

कंपनी ने शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का गठन किया है। यह समिति विशेष रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों, जैसे कि शेयरों का अंतरण, तुलनपत्र का न मिलना और घोषित लाभांश आदि शिकायतों का निवारण करने का कार्य देखती है। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होता है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, उनके तहत बने नियमों और संशोधित सूचीकरण करार (जिसे 1 अक्तूबर, 2014 से लागू किया जाना है) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की अपनी 26 मई, 2014 को आयोजित 404वीं बैठक में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के नाम को बदल कर ''हितधारक संबंध समिति'' रखा गया है और समिति के विचारणीय विषयों को भी कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा अनुसार संशोधित किया गया है।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठक का कोरम समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी ए) के प्रतिनिधियों को शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 28 मई, 2013; (ii) 8 अगस्त 2013; (iii) 13 नवम्बर, 2013; और (iv) 14 फरवरी, 2014 को शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत प्रक्रिया और लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी।

कंपनी सचिव शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठक के संयोजक हैं और सूचीकरण करार के खंड 47(क) के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

(ii) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

यह कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों पर तत्परता से और तुरंत ध्यान देती है। सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में इक्विटी शेयरों/सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:-

वित्त वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायत	2
वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	3,601
वित्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	3,603
31 मार्च, 2014 के अनुसार अनिर्णीत शिकायतें	0

कंपनी ने निदेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए तीन चरण स्थापित किए हैं जिनमें संबंधित रजिस्ट्रारों से सहायक सेवा, आंतरिक निवेशक प्रकोष्ठ और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण शामिल है, जिनके परिणामतः सभी शिकायतों का समय पर समाधान हो जाता है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य पैदा होने वाले संभावित विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों की जांच करना और कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की जांच करना तथा कंपनी के प्रचालन तथा अन्य संबंधित मामलों में पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

वित्त प्रभाग (संसाधन जुटाव) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालनात्मक प्रमुख जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित अधिकारी होते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें, (i) 16 अगस्त, 2013 और (ii) 28 मार्च, 2014 को आयोजित की गई थीं।

3.5 ऋण समिति

निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए के रूप में आवधिक ऋण में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है:

प्रतिष्ठान का प्रकार	अलग-अलग योजना/परियोजना के लिए सीमा	कुल वार्षिक सीमा (₹ करोड़ में)
केंद्रीय/राज्य सरकारी विद्युत यूटिलिटियों या केंद्रीय/राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यम	150 ₹ करोड़ से अधिक, लेकिन 500 ₹ करोड़ तक	25,000
प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों	₹ 100 करोड़ से अधिक, लेकिन ₹ 500 करोड़ तक	6,000

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री बद्री नारायण शर्मा	सरकारी नामिति निदेशक	सदस्य

ऋण समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सरकारी नामिती निदेशक सहित तीन सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ऋण समिति की नौ (9) बैठकें आयोजित की गई थीं, ये बैठकें (i) 23 अप्रैल, 2013; (ii) 6 जून 2013; (iii) 16 जुलाई, 2013; (iv) 29 जुलाई, 2013; (v) 20 सितम्बर, 2013; (vi) 20 दिसम्बर, 2013; (vii) 14 फरवरी, 2014; (viii) 3 मार्च, 2014; और (ix) 24 मार्च, 2014 को आयोजित की गई थीं।

3.6 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कार्यकारी समिति का गठन निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए में आवधिक ऋण में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है:

प्रतिष्ठान का प्रकार	अलग-अलग योजना/परियोजना के लिए सीमा	कुल वार्षिक सीमा (₹ करोड़ में)
केंद्रीय/राज्य सरकारी विद्युत यूटिलिटियों या केंद्रीय/राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यम	₹ 150 करोड़ तक	20,000
प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों	₹ 100 करोड़ तक	5,000

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यकारी समिति की प्रबंध (15) बैठकें आयोजित की गई थीं, ये बैठकें (i) 30 अप्रैल, 2013; (ii) 7 मई, 2013; (iii) 21 मई, 2013; (iv) 31 मई, 2013; (v) 8 जुलाई, 2013; (vi) 25 जुलाई,

2013; (vii) 19 अगस्त, 2013; (viii) 10 सितम्बर, 2013; (ix) 18 अक्तूबर, 2013; (x) 13 नवम्बर, 2013; (xi) 11 दिसम्बर, 2013; (xii) 20 दिसम्बर 2013; (xiii) 23 जनवरी, 2014; (xiv) 10 फरवरी, 2014; और (xv) 12 मार्च, 2014 को आयोजित की गई थी।

3.7 बांड समिति

निदेशक मंडल की बांड समिति का गठन विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों को अंतिम रूप देने एवं अनुमोदित करने के लिए किया गया था, जिसमें निर्गम का आकार, जारी किए जाने वाले बांडों की संख्या, प्रकृति, प्रकार, कीमत, समय, अवधि, कूपन रेट, निर्गम आदि के वार्षिक ब्याज की अदायगी की तारीख, जो बाजार की प्रचलित शर्तों द्वारा अपेक्षित हो, निर्गम के विपणन के लिए कंसोर्टियम सदस्यों और वित्त वर्ष 2013-14 में कंपनी के कर-मुक्त प्रतिभूत उन्मोचनीय अपरिवर्तनीय बांड के सार्वजनिक निर्गम के लिए अन्य शर्तें भी शामिल हैं।

बांड समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

निदेशक मंडल की बांड समिति का कोरम दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बांड समिति की पांच (5) बैठकें आयोजित की गई थीं, ये बैठकें (i) 16 अगस्त, 2013; (ii) 26 अगस्त, 2013; (iii) 12 सितम्बर, 2013; (iv) 24 दिसंबर, 2013; और (v) 24 मार्च, 2014 को आयोजित की गई थीं।

3.8 अल्पकालिक आवधिक ऋण/आवधिक ऋण को उधार देने के लिए दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति

अल्पकालिक/आवधिक ऋणों को उधार देने की दर की समीक्षा संबंधी निदेशकों की उप-समिति का गठन अल्पकालिक ऋणों और आवधिक ऋणों के उधार देने की दर की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, अल्पकालिक/आवधिक ऋणों को उधार देने की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

अल्पकालिक/आवधिक ऋणों को उधार देने की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष के दौरान अल्पकालिक/आवधिक ऋणों को उधार देने की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति की पंद्रह (15) बैठकें आयोजित की गई थीं, ये बैठकें (i) 16 मई, 2013; (ii) 31 मई, 2013; (iii) 19 जून, 2013; (iv) 25 जून, 2013; (v) 16 जुलाई, 2013; (vi) 19 अगस्त, 2013; (vii) 12 सितम्बर, 2013; (viii) 23 सितम्बर, 2013; और (ix) 8 अक्तूबर, 2013; (x) 6 नवम्बर, 2013; (xi) 12 नवम्बर, 2013; (xii) 26 नवम्बर 2013; (xiii) 23 दिसंबर, 2013; (xiv) 25 फरवरी, 2014; और (xv) 13 मार्च, 2014 को आयोजित की गई थीं।

3.9 मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने संबंधी उप-समिति

मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करने और उन्हें अद्यतन करने संबंधी उप-समिति का गठन मानव संसाधन संबंधी नीतियों के विकास, समीक्षा और संशोधन के लिए किया गया था, इसमें तुलनात्मक सरकारी क्षेत्र के उद्यम के अनुसार मोटे तौर पर कर्मचारियों के लाभ/सुविधाएं शामिल हैं और निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना भी शामिल है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने संबंधी उप-समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

इस समिति का कोरम समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)/महाप्रबंधक (मानव संसाधन), मानव संसाधन संबंधी नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने के लिए इस उप-समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रिती हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान मानव संसाधन संबंधी नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने के लिए निदेशक मंडल की इस उप-समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

3.10 डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति

डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति का गठन निदेशक-मंडल द्वारा डिबेंचरों को छोड़कर अन्य उधारों के संबंध में कीमतों, समय, तरीके, उधार के स्रोत और विपणन का निर्णय लेने के लिए किया गया है जो डिबेंचरों से भिन्न जैसेकि : जीवन बीमा निगम, वाणिज्यिक बैंकों आदि से आवधिक ऋण आदि जो बाजार उधार कार्यक्रम के समग्र आकार के अंतर्गत बाजार की विद्यमान शर्तों पर निर्भर करते हुए उधारियों के संबंध में हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, डिबेंचरों को छोड़कर, उधार के लिए निदेशक मंडल की उप-समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी निदेशकों की उप-समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

3.11 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति (पूर्व में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी विकास पर डीपीई द्वारा जारी किए गए एवं 1 अप्रैल, 2013 से लागू संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल की 28 मई, 2013 को आयोजित अपनी 395वीं बैठक में ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति'' नाम की एक समिति का गठन किया गया था और दो समितियों, नामतः, ''सीएसआर पहलों/परियोजनाओं की समीक्षा संबंधी समिति'' और ''स्थायी विकास पर निदेशक समिति'' को भंग किया गया था।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों एवं उनके तहत बनाए नियमों के अनुरूप लाने के लिए शेयर बाजार में प्रवृत्त सूचीकरण करार, निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मार्च, 2014 को आयोजित अपनी 402वीं बैठक में इस नाम को ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति'' से बदल कर ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति'' रख दिया था और उक्त बैठक में समिति की विचारणीय विषयों का भी संशोधन किया गया है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति'' में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक का कोरम समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की चार (4) बैठकें, (i) 24 जून, 2013; (ii) 31 अक्तूबर, 2013; (iii) 14 फरवरी, 2014; और (iv) 28 मार्च, 2014 को आयोजित की गई थीं।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के संशोधित विचारणीय विषयों में निम्नलिखित शामिल है:

क. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, जो कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाएगा, जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट है;

ख. समय-समय पर कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को मॉनीटर करना;

ग. खंड (क) में उल्लिखित कार्यकलापों पर वहन किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

घ. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के प्रयोजन के भीतर आने वाले सीएसआर परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

ड. कंपनी द्वारा शुरू किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु पारदर्शी मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करना;

च कंपनी के सीएसआर पहलों पर कार्यनीतियां तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

छ. नियमों में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु को स्वीकृत करना, साथ ही दायित्व विवरण को शामिल करना कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है;

ज. रिपोर्टों को आवधिक रूप में निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचारण एवं आवश्यक निर्देशन हेतु प्रस्तुत करना; और

झ. समय-समय पर यथा-संशोधित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना।

3.12 अधिशेष निधियों की निवेश संबंधी समिति

कंपनी में अधिशेष निधियों के निवेश के प्रयोजन के लिए निवेशकों की एक निवेश समिति है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ''अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति'' का गठन इस प्रकार है:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

इस समिति की बैठकों का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो निदेशकों का है। यह समिति किसी भी समय अधिकतम बाकी सीमा के अंदर म्यूचुअल फंड में ₹ 1000 करोड़ और सावधि जमा में ₹ 2000 करोड़ तक के निवेश का अनुमोदन देने के लिए सक्षम है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अधिशेष निधियों की निवेश संबंधी समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

4. शेयर अंतरण समिति

बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित निदेशक मंडल की समितियों के अलावा जैसाकि उपरोक्त 3.1 से 3.12 में दिया गया है, एक शेयर अंतरण समिति भी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, इस समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/समेकित करने और प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, शेयर अंतरण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
1.	श्री जे. एस. अमिताभ	कंपनी सचिव
2.	श्री बी. के. जौहर	उप-महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) - संसाधन

निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिभूतियों के विभाजन/समेकन/अंतरण को सुकर बनाने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी) को शेयरधारकों से प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति तक विभाजन/समेकन एवं अंतरण शेयर के अंतरण हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई ''महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी'' नहीं है जैसा कि तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में सूचीकरण करार के खंड 49 में परिभाषित है। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। अन्य गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों की समीक्षा नियंत्रक कंपनी के द्वारा की गई थी, इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण लेन-देन और व्यवस्थाएं अन्य गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा नियंत्रक कंपनी के निदेशकों के समक्ष लाए गए थे। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियां थीं:

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना का विकास शुरू करने के लिए आरईसी टीपीसीएल को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल (एसपीवी) शामिल किया गया है और पारेषण परियोजनाओं के लिए अधिसूचित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद संबंधित एसपीवी को इसका सभी संपत्तियों एवं देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित किया जाना होता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल (एसपीवी) आरईसीटीपीसीएल की सहायक कंपनियों के रूप में मौजूद हैं:

(i) नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एन टी एल)

(ii) बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बी एस एस टी एल)

(iii) एन आर एस एस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(iv) एन आर एस एस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(v) एन आर एस एस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

**31 मार्च, 2014 के बाद चयनित बोलीदाता को स्थानांतरित।*

उपरोक्त के अतिरिक्त, आरईसीटीपीसीएल ने भी दो और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यू ओ एस) कंपनियों, नामतः ''गदरवारा (ए) ट्रांस्को लिमिटेड''

और '' गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड'' को भी क्रमशः 5 अगस्त, 2014 और 30 जुलाई, 2014 को निगमित किया है और अन्य तीन सहायक कंपनियों का निगमन प्रक्रियाधीन है।

आरईसी की सभी सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एवं संबंधित सूचना ''सहायक कंपनी'' शीर्ष के तहत कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय डाटा वाला एक विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का मुख्य भाग है। इसके अलावा कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के तहत निर्धारित लेखाकरण मानक 21 (ए एस-21) के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों में इसकी सहायक कंपनियों के बारे में वित्तीय जानकारी शामिल है। तथापि, वे सहायक कंपनियों को, जिन्हें कंपनी द्वारा परवर्ती निपटान के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है, कंपनी के लेखों में समेकित नहीं किया गया है।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

बैठक संख्या	वित्त वर्ष	तारीख	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
42वीं	2010-11	सितम्बर 17, 2011	11.00 बजे प्रातः	एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुंआ, नई दिल्ली-110010	हां
43वीं	2011-12	सितम्बर 20, 2012	11.00 बजे प्रातः		हां
44वीं	2012-13	सितम्बर 13, 2013	11.00 बजे प्रातः	मानेकशाह सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोमेंट, नई दिल्ली-110010	नहीं

वित्त वर्ष 2013-14 में पोस्टल बैलट के जरिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। तथापि, वित्त वर्ष 2014-15 में उधारियों से संबंधित तीन विशेष प्रस्तावों को, जैसा कि दिनांक 30 अप्रैल, 2014 की पोस्टल बैलट सूचना में विस्तार में दिया गया है, 10 जून, 2014 को पोस्टल बैलट के जरिए पारित किया गया है। 45वीं वार्षिक आम बैठक में निष्पादित किए जाने हेतु किसी कार्य को डाक बैलट के जरिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करना अपेक्षित नहीं है।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दस्तावेजों को भेजना

नया कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनियों के दस्तावेजों जैसे कि वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को उनके पंजीकृत ई-मेल पत्रों पर अपने सदस्यों को इलेक्ट्रिक साधन के जरिए भेजने की अनुमति देता है, जो इन्हें प्रत्यक्ष रूप में भेजने के अतिरिक्त है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट सिटीजन के रूप में आपकी कंपनी ने कारपोरेट मामलों संबंधी मंत्रालय (एमसीए) के ''ग्रीन पहल'' के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से मदद की है और पिछले तीन वर्षों से, अर्थात वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक सूचना और अनुबंधनों के साथ पोस्टल बैलट सूचना उन शेयरधारकों को भेजी है जिनके ई-मेल आईडी पहले से संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों (डीपी) के पास पंजीकृत थे। न्यासियों, अर्थात एन एस डी एल/सी डी एस एल से डाउनलोड किया और जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में वार्षिक रिपोर्ट के लिए विकल्प नहीं चुना है। अप्रैल, 2011 के बाद, प्रदत्त अंतिम/अंतरिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई थी जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत थे।

सदस्य, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अपने ई-मेल पते को अपने न्यासी भागीदार (डीपी) अथवा रजिस्ट्रार के पास और कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट (आर एवं डी ए) के पास इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है।

8. सचिवालयी लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2013-14 की सचिवालयी लेखापरीक्षा मैसर्स चंद्र शेखरन एसोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव, दिल्ली द्वारा की गई थी और उन्होंने दिनांक 20 मई, 2014 की अपनी पूर्ण सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी को प्रस्तुत कर दी है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

9. प्रकटन

(i) कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों अथवा कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से या निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई महत्वपूर्ण वित्तीय वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है।

(ii) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदारहणार्थ कंपनी शेयरों की खरीद-बिक्री करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो)।

(iii) विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। इस संबंध में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी के विरूद्ध न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है। सभी विवरणियां/रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों/अन्य प्राधिकरणों के पास निर्धारित समय-सीमा के अंदर जमा कर दी गई थी।

(iv) संबंधित पक्षकारों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा अति महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया है, जिसका कंपनी के हित के साथ, टकराव हो।

(v) कंपनी ने जोखिम निर्धारण करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

(vi) वित्त वर्ष 2013-14 का तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(vii) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के साथ संपर्क स्थापित रखने के लिए मना नहीं किया गया है।

(viii) कंपनी ने निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सुझाई गई सभी मदों को अपनाया है।

(ix) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस कंपनी को कोई राष्ट्रपति के निदेश जारी नहीं किए गए थे।

(x) कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया था जो निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन की व्यक्तिगत प्रकृति का था।

(xi) वित्त वर्ष 2013-14 के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी आय 1.00 प्रतिशत है (जबकि पिछले वर्ष 0.77 प्रतिशत थी) और वित्त वर्ष 2013-14 के वित्तीय व्यय का प्रतिशत 1.05 प्रतिशत है (जबकि पिछले वर्ष 0.80 प्रतिशत था) वित्त वर्ष 2013-14 का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय बढ़कर ₹ 105.47 करोड़ हो गया है, जो पहले ₹ 64.69 करोड़ था। वित्त वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक एवं कार्यालयी खर्चों में वृद्धि वित्त वर्ष 2012-13 की तुलना में मुख्य रूप से वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 38.40 करोड़ की सीएसआर और स्थायी विकास के संबंध में अधिक खर्चों के कारण है, जो वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 17.50 करोड़ था। विभिन्न अन्य शीर्षों के तहत खर्चों में मामूली वृद्धि हुई है।

(xii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के अनुसरण में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 15 दिन के अंदर विद्युत मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2013	02 जुलाई, 2013
30 सितम्बर, 2013	07 अक्तूबर, 2013
31 दिसम्बर, 2013	07 जनवरी, 2014
31 मार्च, 2014	04 अप्रैल, 2014

वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों के समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट भी 23 मई, 2014 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसकी नियत तारीख 31 मई, 2014 थी।

(xiii) लेखापरीक्षा योग्यता : वित्त वर्ष 2013-14 के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकनों/टिप्पणियों और प्रबंधन द्वारा उनके उत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के पैरा 31.1 में दिया गया है। यह कंपनी सूचीकरण करार के खंड 31(ए) के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, (वित्त), संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपेक्षित फार्म में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(xiv) निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण : निदेशक मंडल के सदस्यों ने अपनी आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक नीति तैयार की है।

वित्त वर्ष के दौरान, ''बोर्ड स्तर के/वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए निगमित सुशासन'' पर एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था; जिसमें कंपनी के अधिकांश निदेशकों ने भाग लिया था।

10. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की मानीटरिंग करने के लिए एक सशक्त प्रणाली है। निदेशक मंडल, सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है, ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

11. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी 318वीं बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता को अनुमोदित किया है। इसके बाद आरईसी के निदेशक मंडल ने 08 सितम्बर, 2010 को आयोजित अपनी 367वीं बैठक में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार इस संहिता को संशोधित किया है और आचरण की विद्यमान संहिता के अधिक्रमण में ''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' को अंगीकृत किया है।

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता एक व्यापक संहिता है, जो कंपनी के सभी निवेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू है। इसे कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों के प्रबंधन में नैतिकता और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है। कारेबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बारे में एक घोषणा इस प्रकार की गई है :

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन अपेक्षित घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में कंपनी के ''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' के अनुपालन के संबंध में स्वीकारोक्ति दी है।

ह./-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तारीख : 23 जून, 2014
स्थान : नई दिल्ली

इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड (सीपीएसई) के संबंध में गैर-सरकारी निदेशकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व'' जारी किया है, जो स्वतंत्र निदेशकों के विभिन्न कार्यों, प्रकार्यों एवं कर्त्तव्यों को दर्शाता है, जो न्याय-निर्णयन के पारदर्शी माहौल को बढ़ाने और एक दक्ष एवं प्रभावी तरीके में उनके निर्धारित दायित्व को पूरा करने में मदद करता है। इसे 28 मई, 2013 को आयोजित अपनी 395वीं बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया था।

12. आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार की निवारण संबंधी संहिता

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार निवारण के लिए एक व्यापक संहिता तैयार की है, ताकि गोपनीयता बनाए रखी जा सके और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के दुरुपयोग को रोका जा सके। कंपनी का प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और नामित कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी सभी सूचनाओं की गोपनीयता की सुरक्षा करे जो उसे कंपनी में अपने कार्यों के दौरान प्राप्त हुई हो और वह कंपनी के बारे में अपने पद या सूचना का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए या किसी तीसरे पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए न करे। इस संहिता में ऐसे दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं दी गई है, जिनका पालन किया जाएगा और कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों का लेनदेन करते समय प्रकटन किया जाएगा और इस संहिता का अनुपालन न करने पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह ''आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार निवारण संबंधी संहिता'' का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। इस संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार व्यापार विंडो को तब समय-समय पर बंद कर दिया जाता है, जब कीमत संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है। व्यापार विंडो को बंद करने की सूचना सभी कर्मचारियों को काफी पहले दे दी जाती है और इसकी उचित घोषणा भी की जाती है, जिसमें कंपनी के विंडो के बंद होने पर कंपनी के शेयरों के संबंध में कार्रवाई न करने की संविदा के अधीन नामित कर्मचारियों को पृथक रखा जाता है।

आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार का निवारण करने संबंधी इस संहिता के अधीन ''नामित कर्मचारी'' से तात्पर्य है :-

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशक (सरकारी और गैर-सरकारी) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी।

ख. कंपनी के सभी कार्यपालक और गैर-कार्यपालक।

ग. सहायक कंपनियों के निदेशक और कर्मचारी।

घ. सहायक कंपनियों सहित इस कंपनी के ऐसे अन्य कर्मचारी जो अस्थायी/तदर्थ कर्मचारी हों और जिन्हें समय-समय पर निदेशक द्वारा पदनामित किया जाता है और जिन पर व्यापार प्रतिबंध लागू होते हों।

यदि कोई पदनामित कर्मचारी कंपनी की सेवा छोड़ देता है, तो उसे उसके द्वारा कंपनी की सेवा छोड़ देने की तारीख के बाद छह महीने की अगली अवधि तक के लिए पदनामित कर्मचारी समझा जाएगा, जैसाकि सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992 में अभिकल्पित है।

13. कपट को रोकने की नीति

कपट का पता लगाने और उसे रोकने, किसी पता लगाए गए या संदिग्ध कपट की सूचना देने और कपट संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में कपट के रोकथाम की एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है:-

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन कपट का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा कपट हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है;

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिनमें उन्हें किसी कपट में शामिल होने से वर्जित किया गया हो तथा जहां कपट की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा दी जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो;

iii. कपट के मामलों की छानबीन करना; और

iv. यह आश्वासन देना कि कपट के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

14. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय आदेश संख्या 33/5/2004, दिनांक 17 मई, 2004 के जरिए जारी व्हिसल ब्लोअर पालिसी (पीआईडीपीआई संकल्प) को अपना लिया है और इस पालिसी को सतर्कता प्रभाग ने अक्तूबर, 2010 में जारी की गई ''सतर्कता पुस्तिका'' में शामिल भी कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, सूचीकरण करार के खंड 49 और सीपीएसई के निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के खंड 8 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 नवम्बर, 2011 को आयोजित अपनी 380वीं बैठक में ''निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' का समर्थन करने के लिए व्हिसल ब्लोअर पालिसी अनुमोदित की थी। यह नीति कर्मचारियों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों, परामर्शदाताओं और ठेकेदारों (''व्यक्तियों'') को आंतरिक रूप से ऐसी सूचना के बारे में ''चिंता'' व्यक्त करने के बारे में सहायता करेगी, जिसे व्यक्ति कथित रूप से ऐसा अनाचार या गलत कार्य समझता है, जिससे कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ता हो।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने किसी भी कार्मिक को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया है तथा उन्होंने शिकायतकर्ता को प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है, नीचे दी गई है:

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

ह./-

(राजीव शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तारीख : 1 जुलाई, 2014

स्थान : नई दिल्ली

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013, उसके तहत बने नियमों और शेयर बाजार में प्रवृत्त सूचीकरण करार के अनुबंधों के अनुपालन के क्रम में कंपनी के निदेशक मंडल ने 15 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 405वीं बैठक में आरईसी की संशोधित ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' को अनुमोदित किया है।

15. संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्यौरे	रकम
1.	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क - वार्षिक	0.32
2.	कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.06
3.	सीमित समीक्षा रिपोर्ट	0.06
4.	प्रमाणीकरण और किसी अन्य मामले के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों को की जाने वाली अदायगी	0.22
	जोड़	**0.66**

16. संचार के साधन

i. कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि शेयरधारकों का अधिकार एवं संचार संपूर्ण निगमित सुशासन ढांचे का महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसलिए वह शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ सतत, दक्ष एवं सुसंगत संपर्क पर जोर देती है।

ii. कंपनी अपने शेयरधारकों को वेबसाइट के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों और प्रकटनों की संसूचना देती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल की जाती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित लेखे, (एकल और समेकित), निदेशकों की रिपोर्ट लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल होती है, जिसे सदस्यों और उनके लिए अन्य हकदार व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

iii. कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को भेजे जाते हैं और दि इकनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी और अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी) आदि में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

iv. कंपनी निवेशकों के सम्मेलन और आपसी बैठक के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ भी संपर्क करती है।

17. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आंतरिक कंट्रोल के संबंध में एक प्रमाणपत्र, जो श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, दिनांक 26 मई, 2014 को आयोजित इसकी 404वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष तब प्रस्तुत किया गया था, जब 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों पर विचार किया जा रहा था।

18. सामान्य शेयरधारक सूचना

i. वित्त वर्ष 2013-14 की वार्षिक आम बैठक

तारीख एवं दिन	समय	स्थान
18 सितम्बर, 2014, बृहस्पतिवार	11.00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशा केंद्र, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010

ii. वित्त वर्ष 2014-15 तथा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय कैलेंडर

ब्यौरे	वित्त वर्ष 2013-14		वित्त वर्ष 2014-15	
लेखाकरण की अवधि	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014		01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	8 अगस्त, 2013	पहली तीन तिमाहियां	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	13 नवम्बर, 2013		
	तीसरी तिमाही	14 फरवरी, 2014		
	चौथी तिमाही	26 मई, 2014	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्त वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के अंदर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	18 सितम्बर, 2014 बृहस्पतिवार		सितम्बर, 2015	

iii. लाभांश का भुगतान

क. वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 और कंपनी (आरक्षितों में लाभ का अंतरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 104 के अनुसरण में कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 28 फरवरी, 2014 को ₹ 7.75 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) अंतरिम लाभांश अदा किया है।

(2) अंतिम लाभांश का विवरण:

कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 मई, 2014 को आयोजित अपनी 404वीं बैठक में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.75 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिसके संबंध में 18 सितम्बर, 2014 को आयोजित की जाने वाली 45वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) ₹ 9.50 प्रति इक्विटी शेयर (जो प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य पर) होगा।

ख. पिछले पांच वित्त वर्षों के लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि	लाभांश की दर (प्रतिशत)	अदायगी की तारीख	
				अंतरिम	अंतिम
2008-09	858.66	386.40	45	5 मार्च, 2009	25 सितम्बर, 2009
2009-10	987.46	603.21	65	12 जनवरी, 2010	15 सितम्बर, 2010
2010-11	987.46	740.59	75	24 फरवरी, 2011	28 सितम्बर, 2011
2011-12	987.46	740.59	75	7 फरवरी, 2012	4 अक्तूबर, 2012
2012-13	987.46	814.65	82.50	18 फरवरी, 2013	27 सितम्बर, 2013

ग. निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरण हेतु देय अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश एवं शेयर आवेदन राशि

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में लाभांश राशि एवं शेयर आवेदन राशि, जो सात वर्षों की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी है, को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

तदनुसार फरवरी/मार्च 2008 में शुरूआती सार्वजनिक ऑफर (आई पी ओ) के समय प्राप्त शेयर आवेदन राशि से संबंधित अप्रदत्त/अदावाकृत राशि वित्त वर्ष 2014-15 में आईईपीएफ में अंतरित करने के लिए देय होगी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2007-08 के लिए अंतिम लाभांश की अप्रदत्त/ अदावाकृत राशि वित्त वर्ष 2015-16 में आईईपीएफ में अंतरण हेतु देय होगी।

अतः, अप्रदत्त/अदावाकृत शेयर आवेदन राशि से संबंधित नकदी वारंटों और/अथवा लाभांश के तुरंत नकदीकरण करने अथवा पुनर्वैधीकरण अथवा पुराने वारंटों के स्थान पर डीडी जारी करने के लिए कंपनी के आर एवं टीए को लिखने की सलाह दी जाती है।

iv. खाता बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर, 2014 से बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2014 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रखी जाएंगी।

v. अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए पे-आऊट की तारीख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 206क) के उपबंधों के अध्याधीन निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश को, यदि कंपनी के सदस्यों द्वारा अपनी 45वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, बुधवार 1 अक्तूबर, 2014 को सदस्यों अथवा उनके अधिदेशित व्यक्तियों को अदा किए जाएंगे जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में बुधवार 3 सितम्बर, 2014 को अथवा इससे पहले कंपनी/आर एंड टीए में दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को स्वीकार करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। डिमैट किए गए शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के ऐसे ''लाभार्थी स्वामित्व'' को अदा किया जाएगा, जिनके नाम 3 सितम्बर, 2014, बुधवार को कारोबारी घंटों के समाप्त होने पर नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त लाभार्थी स्वामित्व के विवरण में शामिल हों।

vi. इक्विटी शेयरों पर सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नाम और पता	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल पता/वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई-400051	दूरभाषः (022) 26598100 - 8114 फैक्सः (022) 26598120 ई-मेल आईडीः cmlist@nse.co.in वेबसाइटः www.nseindia.com	आरईसी लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001	दूरभाषः (022) 22721233/4 फैक्सः (022) 22721919 ई-मेल आईडीः corp.relations@bseindia.com वेबसाइटः www.bseindia.com	532955

vii. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आई एस आई एन)

आईएसआईएन ट्रेडेड स्क्रिप की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। इस संख्या का कंपनी की डिमैट की गई प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक लेन-देन में उल्लेख किया जाना होता है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन, आईएनई 020बी01018 है।

viii. वित्त वर्ष 2013-14 के बाजार कीमत आंकडे

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी शेयर का निष्पादन

एन एस ई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				एनएसई निफ्टी की गतिविधि		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)
अप्रैल, 13	228.50	199.30	224.40	5,962.30	5,477.20	5,930.20
मई, 13	245.50	216.25	221.10	6,229.45	5,910.95	5,985.95
जून, 13	226.90	182.80	200.75	6,011.00	5,566.25	5,842.20
जुलाई, 13	212.00	151.60	158.50	6,093.35	5,675.75	5,742.00
अगस्त, 13	191.55	146.10	168.85	5,808.50	5,118.85	5,471.80
सितम्बर, 13	204.90	161.10	188.05	6,142.50	5,318.90	5,735.30
अक्तूबर, 13	198.45	180.10	194.25	6,309.05	5,700.95	6,299.15
नवम्बर, 13	228.00	193.00	226.85	6,342.95	5,972.45	6,176.10
दिसम्बर, 13	231.90	200.60	220.60	6,415.25	6,129.95	6,304.00
जनवरी, 14	223.25	166.50	179.75	6,358.30	6,027.25	6,089.50
फरवरी, 14	195.00	175.00	193.60	6,282.70	5,933.30	6,276.95
मार्च, 14	233.30	186.00	229.70	6,730.05	6,212.25	6,704.20

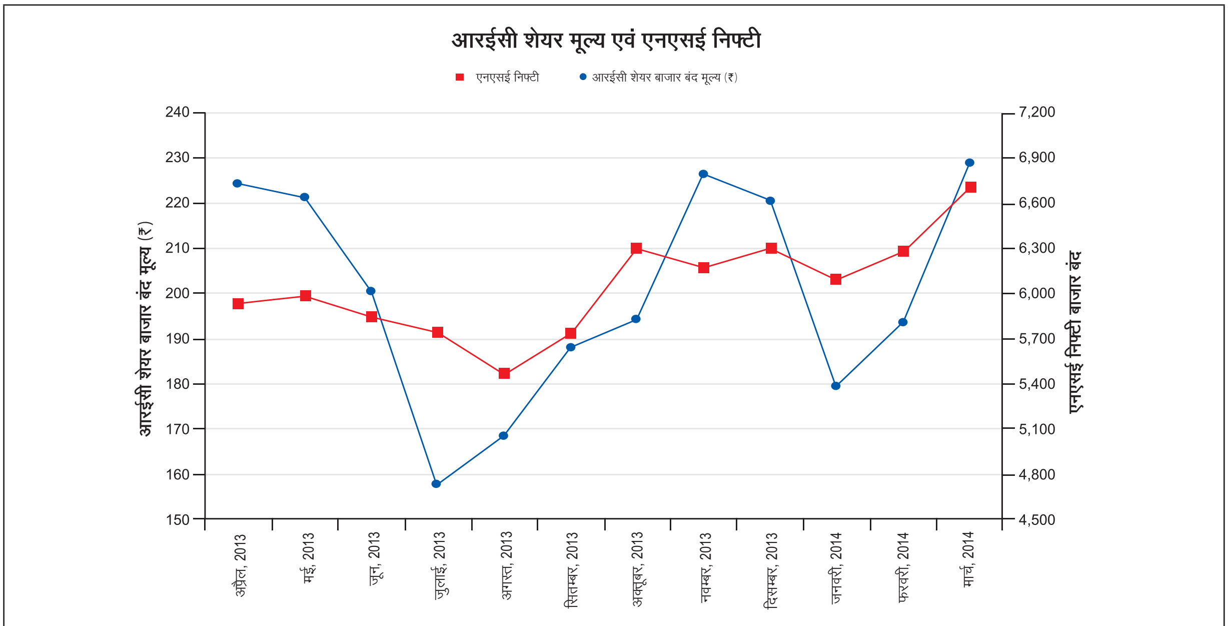

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आरईसी शेयर का निष्पादन

बी एस ई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				बीएसई निफ्टी की गतिविधि		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)
अप्रैल, 13	228.55	199.25	224.30	19,622.68	18,144.22	19,504.18
मई, 13	245.20	216.35	221.10	20,443.62	19,451.26	19,760.30
जून, 13	226.60	182.95	200.50	19,860.19	18,467.16	19,395.81
जुलाई, 13	212.00	151.80	158.05	20,351.06	19,126.82	19,345.70
अगस्त, 13	191.60	146.15	168.50	19,569.20	17,448.71	18,619.72
सितम्बर, 13	204.50	161.50	188.10	20,739.69	18,166.17	19,379.77
अक्तूबर, 13	198.00	180.60	194.25	21,205.44	19,264.72	21,164.52
नवम्बर, 13	227.80	193.50	226.60	21,321.53	20,137.67	20,791.93
दिसम्बर, 13	231.80	201.10	220.50	21,483.74	20,568.70	21,170.68
जनवरी, 14	223.20	166.60	179.55	21,409.66	20,343.78	20,513.85
फरवरी, 14	194.80	175.15	193.50	21,140.51	19,963.12	21,120.12
मार्च, 14	233.00	186.10	228.80	22,467.21	20,920.98	22,386.27

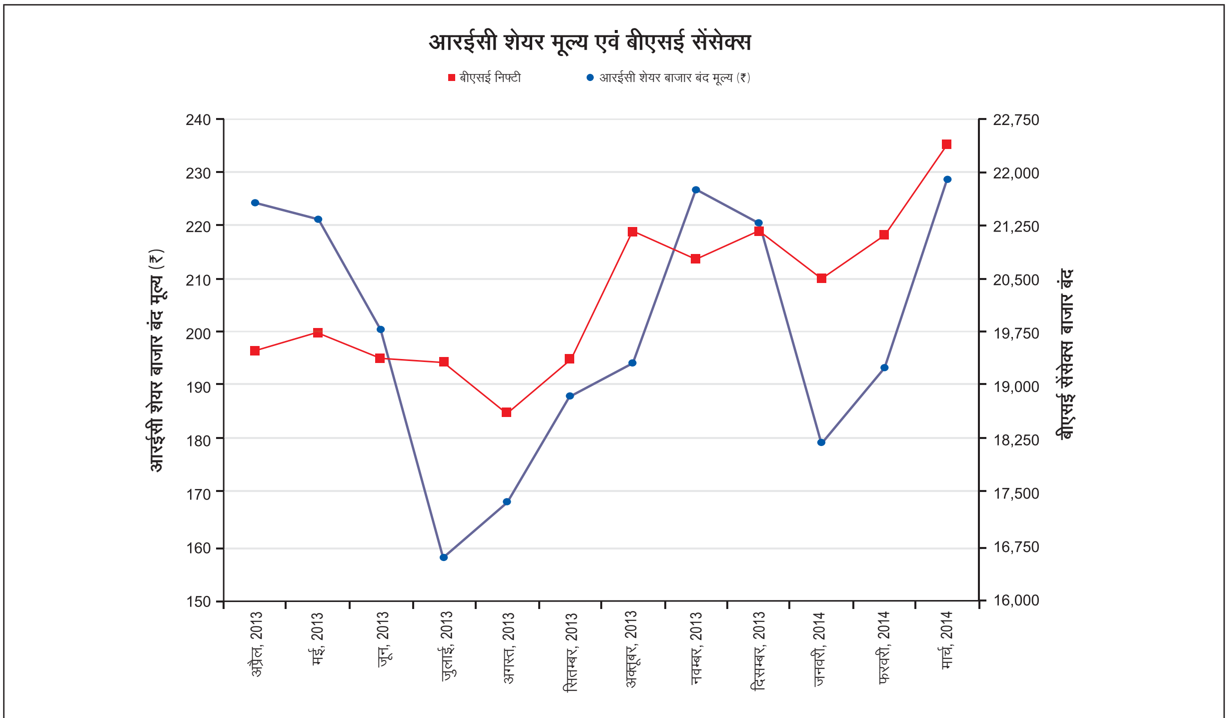

ix. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
प्लाट 17 से 24, विट्ठलराव नगर,
मधापुर, हैदराबाद-500081, भारत
दूरभाष: 91 40 44655000
फैक्स: 91 40 23420814
ई-मेल: raju.sv@karvy.com; balaji.reddy@karvy.com; einward.ris@karvy.com
वेबसाइट: www.karvycomputershare.com

x. शेयर अंतरण प्रणाली

फिजिकल सेगमेंट के तहत शेयरों को कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी, अंतरिती से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और इसका अंतरण ज्ञापन आदि तैयार करता है। प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक फिजिकल शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे अनुमोदित किया जाता है।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयर धारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/समेकन के लिए शेयर अंतरण समिति भी गठित की गई है।

इसके अलावा, सूचीकरण करार की धारा 47(ग) के अनुसरण में अर्ध-वार्षिक आधार पर शेयर अंतरण औपचारिकताओं के अनुपालन की कंपनी द्वारा पुष्टि करते हुए किसी व्यवसायी कंपनी सचिव से शेयर बाजार प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके अलावा, यह भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों का संपूर्ण अंतरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया गया था।

xi. शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	रकम (₹)	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	2,24,779	97.11	2,04,40,355	20,44,03,550	2.07
5001-10000	3,996	1.73	28,63,346	2,86,33,460	0.29
10001-20000	1,203	0.52	17,48,049	1,74,80,490	0.18
20001-30000	365	0.16	9,22,255	92,22,550	0.09
30001-40000	169	0.07	6,01,331	60,13,310	0.06
40001-50000	148	0.06	6,84,901	68,49,010	0.07
50001-100000	201	0.09	14,40,972	1,44,09,720	0.15
100001 और इससे अधिक	608	0.26	95,87,57,791	9,58,75,77,910	97.09
जोड़	**2,31,469**	**100**	**98,74,59,000**	**9,87,45,90,000**	**100**

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का पैटर्न

वर्ग	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति*	64,81,68,218	65.64	65,96,07,000	66.80
विदेशी संस्थागत निवेशक	18,44,92,738	18.68	20,41,96,515	20.68
निगमित निकाय	2,69,38,990	2.73	2,68,16,276	2.72
निवासी व्यक्ति	2,62,55,532	2.66	2,94,00,306	2.98
बीमा कंपनियां	5,63,88,536	5.71	3,84,11,126	3.89
म्यूचुअल फंड	3,41,35,283	3.46	2,06,33,558	2.09
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	55,35,285	0.56	7,78,011	0.08
क्लियरिंग सदस्य	13,10,192	0.13	30,60,010	0.31
एचयूएफ	12,11,477	0.12	13,55,492	0.14
बैंक	12,76,714	0.13	12,66,867	0.13
अनिवासी भारतीय	6,18,401	0.06	6,90,259	0.07
न्यास	3,11,711	0.03	3,18,480	0.03
कर्मचारी	8,15,923	0.08	9,25,100	0.09
जोड़	**98,74,59,000**	**100**	**98,74,59,000**	**100**

* वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विनिमय ट्रेडेड निधि (सीपीएसईईटीएफ) के जरिए, 1,14,38,782 इक्विटी शेयर, अर्थात आपकी कंपनी के कुल प्रदत्त पूंजी का 1.16 प्रतिशत का विनिवेश किया/बेचे।

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता के प्रतिरूप

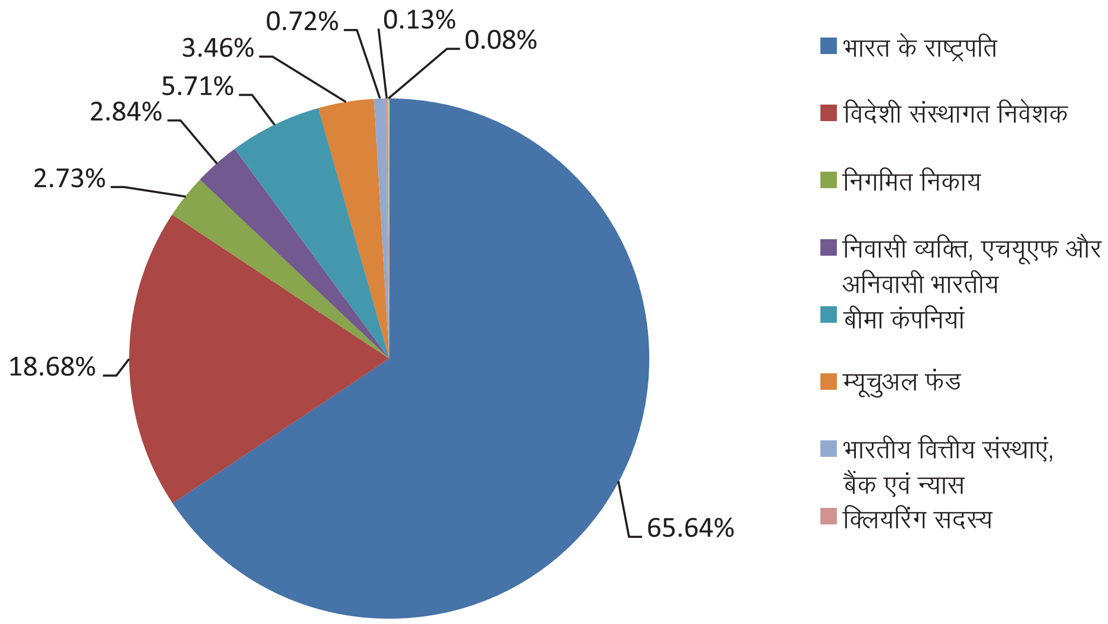

xii. शेयरों को डिमैट किया जाना

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमैट किए जाने के सेगमेंट में है और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और केंद्रीय डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं।

व्यक्तियों के नाम एवं पते निम्नवत हैं:

राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल कमला मिल्स कंपाउंड सेनापती बापट मार्ग लोअर पारेल, मुंबई-400013	**सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड** फिरोज जीजीभोय टावर्स 28वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट मुंबई-400023

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार डिमैट किए गए और फिजिकल रूप से धारित शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
फिजिकल	7,345	12,147	नगण्य
एनएसडीएल (डिमैट)	1,58,590	97,94,58,771	99.19
सीडीएसएल (डिमैट)	65,534	79,88,082	0.81
जोड़	**2,31,469**	**98,74,59,000**	**100.00**

xiii. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का लेखा मिलान

वित्त वर्ष 2013-14 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति, एसोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव सिकन्दराबाद ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास प्रविष्ट, जारी और सूचीबद्ध कुल शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा की और वित्त वर्ष 2013-14 की प्रत्येक तिमाही की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कुल निर्गमित/प्रदत्त शेयरों की पूंजी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध फिजिकल रूप में शेयरों की कुल संख्या और डिमैट किए गए शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है और यह रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

xiv. डिमैट उचंत लेखा के ब्यौरे

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20.000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम जारी किया, जिसमें कंपनी के 7,80,60.000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम जारी किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सूचीकरण करार की धारा 5ए के अनुसार, डिमैट उचंत लेखे में 31 मार्च, 2014 के अनुसार अदावाकृत शेयरों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014			
		आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव		अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव	
		मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1.	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार शेयरधारकों की कुल संख्या और उचंत खाते में अदावाकृत बाकी शेयरों की संख्या	300	24,490	6	510
2.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने इस वित्त वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया था	25	1,899	1	60
3.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिनके अदावाकृत शेयर वित्त वर्ष के दौरान उचंत खाते से अंतरित किए गए थे	25	1,899	1	60
4.	31 मार्च, 2014 के अनुसार शेयरधारकों और उचंत खाते में बाकी अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	275	22,591	5	450

उक्त शेयरों के संबंध में वोट देने के अधिकार को उस समय तक बंद रखा जाएगा, जब तक उनके सही मालिक ऐसे शेयरों का दावा नहीं करते हैं।

xv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की गई है।

xvi. स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक सूचीकरण फीस

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक सूचीकरण फीस की अदायगी की है।

xvii. डिपाजिटरियों को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क की अदायगी की है।

xviii. संयंत्र की अवस्थिति

लागू नहीं। तथापि, इसमें पांच आंचलिक कार्यालय, 18 परियोजना कार्यालय, दो उप-कार्यालय और एक प्रशिक्षण केंद्र है।

xix. पत्राचार का पता

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप, कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, भारत

xx. कारपोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)

एल40101डीएल1969जीओआई005095

xxi. अनुपालन अधिकारी और सरकारी प्रवक्ता

श्री जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
दूरभाष: 91 11 24367305, फैक्स: 91 11 24362039
ई-मेल: jsamitabh@recl.nic.in

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00973413))

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 49 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी के सूचीकरण के खंड 49 और सार्वजनिक उद्यम विभाग, केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2013-14 में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न होने के कारण निदेशक मंडल का गठन सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड (1) (ए) के उपबंधों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के उपबंधों के अनुसार नहीं था।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता है, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते, राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002074एन

(गोपाल कृष्णन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 081085

कृते, पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 006747एन

(के. एस. पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध-IV

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. **कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सी आई एन) :** एल40101डीएल1969जीओआई005095
2. **कंपनी का नाम :** रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
3. **पंजीकृत पता :** कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
4. **वेबसाइट :** www.recindia.gov.in
5. **ई-मेल पता :** complianceofficer@recl.nic.in
6. **रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष :** 2013-14
7. **क्षेत्र, जिसमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)**

   ग्रुप : 649, श्रेणी : 6492, उपश्रेणी : 64920

   विवरण : इस श्रेणी में मुख्यतया उन संस्थानों द्वारा जो मौद्रिक मध्यमान (जैसे कि वेंचर पूंजी कंपनियां, औद्योगिक बैंक, निवेश क्लब) में शामिल नहीं हैं, ऋण देने से संबंधित वित्तीय सेवा कार्यकलाप शामिल हैं, जहां ऋण की मंजूरी कई रूपों में, जैसे कि ऋणों, बंधक, क्रेडिट कार्ड, आदि रूप में हो सकती है।

8. **तीन ऐसे मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी विनिर्माण /प्रदान कर रही है (जिनका उल्लेख तुलनपत्र में है)**

   आरईसी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र, दोनों की विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार, विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण का कार्य करती है। इसके मुख्य उत्पाद में मिआदी ऋण, मध्यवर्ती ऋण, अल्प अवधि ऋण आदि शामिल हैं। आरईसी को सभी ग्रामीण आवासों में बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) - ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधा और आवासों का विद्युतीकरण की योजना'' के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, आरईसी का राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों - सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों को संवितरित ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना की नोडल एजेंसी भी नामित किया गया है, ताकि वितरण के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

9. **उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कंपनी कारोबार संबंधी क्रियाकलाप करती है -**

   i. **अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (पांच प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण दें):**

      शून्य

   ii. **राष्ट्रीय स्थानों की संख्या:**

      आरईसी के 21 राष्ट्रीय स्थानों, नामतः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पंचकूला, शिमला, जम्मू, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, वड़ोदरा, बेंगलुरू तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, हैदराबाद [परियोजना कार्यालय तथा केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)] शिलांग, गुवाहाटी, रांची, देहरादून, पटना और रायपुर में कार्यालय हैं।

10. **बाजार, जिनमें कंपनी कार्य कर रही है - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय:**

    आरईसी केवल भारतीय बाजारों में कारोबार करती है और इसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है।

खंड ख : कंपनी के वित्तीय विवरण

1. **प्रदत्त पूंजी (भारतीय ₹ में):** 987.46 करोड़
2. **कुल कारोबार (भारतीय ₹ में):** 17,120.80 करोड़
3. **कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय ₹ में):** 4,683.70 करोड़
4. **कर-पश्चात लाभ के प्रतिशत के रू प में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्चः**

   वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आरईसी ने 38.40 करोड़ ₹ की राशि खर्च की है जो कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं स्थायी विकास पहलों पर पिछले वर्ष के इसके कर-पश्चात लाभ से 1.00 प्रतिशत से अधिक है।

5. **ऐसे क्रियाकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त 4 में खर्च किया गया हैः**

   प्रमुख क्षेत्र, जिनमें उपरोक्त व्यय हुआ है, में निम्न शामिल हैं:

   क. रोजगार उन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम

   ख. शिक्षा

   ग. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन

घ. स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करना जिसमें प्रौढ़ एवं अशक्त व्यक्ति एवं अन्य शामिल हैं (जिसमें ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तीकरण शामिल है)

ङ स्थायित्व एवं अन्य शीर्ष।

खंड -ग - अन्य विवरण:

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं ?

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं:

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड; और

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड

इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं का विकास शुरू करने की दिशा में आरईसी ट्रांसमिशन परियोजना कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ने एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल (एसपीवी) को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया है और ट्रांसमिशन परियोजनाओं हेतु अधिसूचित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद संबंधित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित किया जाना होता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल(एसपीवी) आरईसी टीपीसीएल की सहायक कंपनियों के रूप में मौजूद हैं:

(i) नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल)

(ii) बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल)

(iii) एन आर एस एस XXIX ट्रांसमिशान लिमिटेड*

(iv) एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(v) एन आर एस एस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

**31 मार्च, 2014 के बाद चयनित बोलीदाता को स्थानांतरित।*

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल एसपीवी अर्थात एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड और एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड को क्रमशः मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स इस्सेल इफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 12 मई, 2014 को अंतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस XXIX के लिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद परियोजना विशिष्ट एसपीवी अर्थात एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड को भी मैसर्स स्टेरलाइट डिस्पले टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (स्टेरलाइट ग्रिड लिमिटेड की संबद्ध निवेशकर्ता कंपनी) को 4 अगस्त, 2014 को अंतरित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, चालू वित्त वर्ष अर्थात वर्ष 2014-15 के दौरान विद्युत मंत्रालय ने निम्नलिखित पांच ट्रांसमिशन परियोजनाओं को भी आरईसी टीपीसीएल को आबंटित किया है:

i. एनटीपीसी की गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली (भाग क);

ii. एनटीपीसी की गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली (भाग ख);

iii. महेश्वरम (हैदराबाद) 765/400 केवी पूलिंग सब स्टेशन हेतु कनेक्टीविटी लाइनें;

iv. नैवेली में 2x500 मेगावाट नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड टीएस-1 (प्रतिस्थापित) (एनएनटीपीएस) के लिए 400 मेगावाट के एलटीए के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली; और

v. विंध्याचल-V से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण।

ऊपर सूचीबद्ध प्रत्येक ट्रांसमिशन प्रणालियों का विकास शुरू करने की दिशा में आरईसीटीपीसीएल ने दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस), नामतः, -गदरवारा (ए) ट्रांस्को लिमिटेड'' और ''गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड'' को क्रमशः 5 अगस्त, 2014 और 30 जुलाई, 2014 को ऊपर क्रम संख्या (i) और (ii) में विस्तृत ट्रांसमिशन परियोजनाओं के संबंध में निगमित किया है और अन्य तीन सहायक कंपनियों को शामिल करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां,तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें।

जी, हां। आरईसी व्यापक विषयों पर कारोबार दायित्व संबंधी पहलों के व्यापक समूहों में भाग लेने के लिए सहायक कंपनियों को प्रोत्साहित करती है। ऐसी सहायक कंपनी की संख्या एक है अर्थात आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।

3. क्या कोई अन्य प्रतिष्ठान/संस्था (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) है जो कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठान/ संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें। (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)

जी, नहीं

खंड घ : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

(क) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण।

डीआईएन 01120152

नाम : श्री प्रकाश ठक्कर

पदनाम : निदेशक (तकनीकी)

(ख) कारोबार दायित्व संबंधी प्रमुख का विवरण

क्रम सं.	ब्यौरे	विवरण
1.	डीआईएन (यदि लागू हो)	01120152
2.	नाम	श्री प्रकाश ठक्कर
3.	पदनाम	निदेशक (तकनीकी)
4.	दूरभाष नम्बर	011-24367479
5.	ई-मेल पता	thakkar@recl.nic.in

2. सिद्धांत-वार (एन वी जी के अनुसार) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं में दें)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई, 2011 में ''कारोबार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक दायित्व संबंधी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश जारी किए हैं।'' इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित नौ सिद्धांत हैं, जिन्हें अपनी कारोबार की परिपाटियों और एक ढांचागत कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग फार्मेट के भाग के रूप में अंगीकृत करने की आवश्यकता है, जिसमें उक्त सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए कुछ विशिष्ट प्रकटन, कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का प्रदर्शन शामिल है।

पी1 - कारोबार को नैतिक, पारदर्शी और दायित्वपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए और उस पर ये बातें लागू होनी चाहिए।

पी2 - कारोबार को ऐसे माल और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में स्थायी योगदान दें।

पी3 - कारोबार को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 - कारोबार को सभी हितधारकों और विशेषतः ऐसे हितधारकों का जो साधनहीन हैं, संवेदनशील हैं और सीमांत हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 - कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 - कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

पी7 - कारोबार जब जनता और विनियामक नीति को लागू करने में लगा हो, उसे जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहिए।

पी8 - कारोबार का समावेशी संवृद्धि और समान विकास को समर्थन देना चाहिए।

पी9 - कारोबार को चाहिए कि वह जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के काम में लगा रहे और उन्हें बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करें।

सिद्धांतवार उत्तर नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपकी इन सिद्धांतों के संबंध में कोई नीति/नीतियां हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके यह नीति बनाई गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो स्पष्ट करें।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या इस नीति का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/ सीईओ/ समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में किसी नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल/निदेशक/अधिकारियों की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	क्या इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए कोई लिंक है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
7.	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को इस नीति के संबंध में औपचारिक तौर पर सूचित किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों को कार्यान्वयन करने के लिए कोई आंतरिक संरचना है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इस नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

संगत स्पष्टीकरण/सूचना/लिंकों का इस रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लेख किया गया है।

2क. यदि किसी सिद्धांत के सामने क्रम संख्या 1 का उत्तर ''नहीं'' हो, तो कृपया बताएं कि क्यों नहीं (दो विकल्पों को टिक करें)

लागू नहीं होता

3. कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित सुशासन

- **कृपया उस बारम्बारता का उल्लेख करें जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक मंडल की समिति या सीईओ कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं- तीन माह के अंदर, 3-6 माह, वर्ष में, एक वर्ष से अधिक समय के भीतर।**

  तिमाही आधार पर

- **क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व या स्थायी रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने का संपर्क साधन क्या है ? यह कितनी बार प्रकाशित की जाती है ?**

  जी, हां। आरईसी कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित करती है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को देखने हेतु संपर्क सूत्र http://recindia.govt. in/download/ar2013-14. pdf है।

खंड ड : सिद्धांतवार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1 - नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1. क्या कंपनी में केवल नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति इसके अंतर्गत आती है ? हां/नहीं। क्या इसे संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य पर भी लागू किया गया है ?

आरईसी अपने सभी क्रियाकलापों में व्यावसायिक रूप से निष्पक्षता के साथ और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस निगम में ''कपट निवारण नीति'' और ''व्हिसल ब्लोअर नीति'' है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह कपट, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के किसी कृत्य के बारे में निवारण, पता लगाने और सूचना देने का कार्य करे। आरईसी ने आचरण, अनुशासन और अपील नियम (सीडीए) भी बनाए हैं, जिनमें कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता को परिभाषित किया गया है और आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली के रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कर्मचारी के संबंध में कदाचार के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश/अनुदेशों आदि का भी इस संबंध में पालन किया जाता है। उपर्युक्त नीतियां, नियम, दिशानिर्देश/अनुदेश आदि आरईसी की सहायक कंपनियों पर भी लागू होते हैं और ये (आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली के सिवाय) अन्य हितधारकों, यथा उधारकर्ताओं, बैंकों, जनता आदि को भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, ''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' भी अंगीकृत की गई है, जिसमें व्यवहार और नैतिकता के मानदंडों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उचित प्रक्रिया संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आरईसी ने भी अपने ऋण से चलने वाले कार्यों के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता (एफपीसी) तैयार की है जो उचित लेन-देन और अपने व्यावसायिक लेन-देनों में पारदर्शिता लाने हेतु सभी कर्जदारों को कंपनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन देने की इच्छा रखती है।

2. पिछले वित्त वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषपूर्ण ढंग से समाधान किया गया है ? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों या इससे अधिक शब्दों में विवरण दें।

व्हिसल ब्लोअर पालिसी और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अधीन कंपनी के वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, कंपनी को वर्ष के दौरान नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित 8 सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई थी और इनमें से 4 शिकायतों (50 प्रतिशत) को जांचयोग्य तथ्यों के अभाव में बंद किया गया था और 4 शिकायतें जांचाधीन हैं।

कंपनी को शेयरधारकों एवं बांडधारकों (सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति) से क्रमशः 604 और 2,997 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वर्ष के दौरान शेयरधारकों एवं बांडधारकों की सभी शिकायतों को संतोषपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया और वित्त वर्ष के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

सिद्धांत 2: उत्पाद के जीवन चक्र में स्थायित्व

1. अपने उत्पादों या सेवाओं में से किन्हीं 3 की सूची दीजिए जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं, जोखिमों और/या अवसरों के संबंध में शामिल किया गया हो।

आरईसी देश में स्थायी विकास की जरूरत और अपने ऋण प्रचालनों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को अपने परियोजना वित्त कारोबार में शामिल करने हेतु सचेत है। कंपनी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा नियमावली के लिए वित्तपोषण करके पर्यावरण संबंधी चिंताओं का निराकरण कर रही है। इस कंपनी ने आरजीजीवीवाई के माध्यम से भारत सरकार की पहलों का भी कार्यान्वयन किया है जिसमें ''सबके लिए बिजली'' मिशन के अधीन ऋण की ब्याज दरों में रियायत और अन्य वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अलावा, कंपनी पारेषण और वितरण, विद्युत उत्पादन और आरजीजीवीवाई के कार्यक्रमों के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के संबंध में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) के संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चे माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें:

कंपनी के कारोबार की प्रकृति पर विचार करते हुए और ऊपर उल्लिखित उत्पादों/पहलों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्न आरईसी लिमिटेड पर लागू नहीं होते हैं:

i. पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त स्रोत/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी ?

जैसाकि हमारे उत्पाद वित्तीय सेवाएं हैं, खपत का मुख्य स्रोत पेपर है। वर्ष के दौरान, आरईसी ने प्रिंटिंग एवं अपने पेपर प्रापण प्रक्रिया के व्यवस्थापन के जरिए पेपर की खपत को कम करने पर ध्यान दिया है। आरईसी ने कंपनी के परिसरों से रद्दी पेपर एकत्र करने के लिए तथा इसके रिसाइकिलिंग के लिए एक तंत्र भी आउटसोर्स किया है।

ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कमी लाई गई है ?

जैसाकि आरईसी के उत्पाद वित्तीय सेवाए हैं, उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा एवं जल जैसे संसाधन खपत मामूली थे तथा इसे और कम करने के प्रयास किए गए थे।

3. क्या कंपनी के पास स्थायी स्रोतों के स्थान पर प्रक्रियाएं है (जिसमें परिवहन भी शामिल है) ? यदि हां, तो आपके निवेश की कितनी प्रतिशतता की स्थायी स्रोतों से व्यवस्था की जाती है ?

आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। हमारी प्रमुख महत्वपूर्ण अपेक्षाएं कार्यालय, संचार एवं आईटी से संबंधित उपकरण हैं। अपने प्रापण जरूरतों के सीमित कार्य-क्षेत्र के बावजूद हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार स्रोतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पहल बनाए हुए हैं। हमारे पास अपनी प्रमुख उपलब्धियों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली विस्तृत प्रापण दिशानिर्देश हैं।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कार्रवाई की है ? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। तथापि, हम अन्यों से तुलना करने की बजाय स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान एवं सेवाओं को तरजीह देते हैं। हम उपलब्धियों में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन करते हैं।

5. क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए कोई तंत्र है ? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के पुनः चक्रण की प्रतिशतता क्या है (5 प्रतिशत से कम, 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक, 10 प्रतिशत से अधिक के रू प में अलग-अलग)। इसके ब्यौरे लगभग 50 शब्दों में अथवा इसके आसपास के शब्दों में दें।

कंपनी, जो कि एक वित्तीय संस्थान है, के पास उत्पादों एवं अपशिष्ट को रिसाइकिल करने के लिए सीमित तंत्र क्षमता है। तथापि, कंपनी ने इन्हें रिसाइकिल करने हेतु कंपनी के परिसरों से रद्दी पेपरों को एकत्र करने के लिए तंत्र को आउटसोर्स किया है।

इसके अलावा, हमने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 मई, 2011 के तहत यथा अधिसूचित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2011 का भी केवल सरकार/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अपशिष्ट रिसाइकिलों के जरिए ई-अपशिष्ट की संपूर्ण मात्रा को कम से कम करने के और महत्वपूर्ण निपटान के विशिष्ट उद्देश्य से पालन किया है।

सिद्धांत 3: कर्मचारी हित

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 631 कर्मचारी थे।

2. कृपया अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर भाड़े पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर किसी भी कर्मचारी को भाड़े पर नहीं रखा था। तथापि, कंपनी ने अपेक्षाओं के आधार पर समय-समय पर व्यवस्थापन एजेंसियों के जरिए अस्थायी स्टाफ की सेवाओं का उपयोग किया।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2014 के अनुसार, कंपनी में 102 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।

4. कृपया अशक्तता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 10 अशक्त स्थायी कर्मचारी थे।

5. क्या आपकी कंपनी में कर्मचारियों की ऐसी कोई संस्था है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो ?

जी, हां। आरईसी में इसके गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कर्मचारियों की एक यूनियन और आरईसी कार्यपालकों की एसोसिएशन मान्यताप्राप्त है।

6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संस्थान के सदस्य हैं ?

कंपनी की नियमित नामावलियों में उल्लिखित कर्मचारी दो प्रतिनिधिक निकायों अर्थात आरईसी कर्मचारी यूनियन अथवा आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें और वित्त वर्ष के अंत में लंबित ऐसी शिकायतों का उल्लेख करें।

कंपनी को बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्त वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और 31 मार्च, 2014 को ऐसी कोई शिकायत भी लंबित नहीं है। इसके अलावा, कंपनी न तो बाल मजदूर/बंधुआ मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर को किसी भी रूप में काम पर लगाती है और न कोई भेदभावपूर्ण नियोजन परिपाटी अपनाती है। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक उचित ढांचा है तथा एनजीओ को भी सरकार के निर्देशों के अनुसार समिति में शामिल किया गया है।

8. पिछले वर्ष में निम्नलिखित को सुरक्षा और कौशल उन्नयन का क्या प्रशिक्षण दिया गया था ?

स्थायी कर्मचारी

स्थायी महिला कर्मचारी

नैमित्तिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी

अशक्त कर्मचारी

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के संबंध में इन प्रश्नों की सीमित सुसंगता है।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास कंपनी की कार्यनीति का अनिवार्य घटक है। आरईसी की उचित प्रशिक्षण प्रक्रिया है और यह अपने कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के संबंध में किसी मापदंड में भेदभाव नहीं करती है। आरईसी के 58 प्रतिशत स्थायी कर्मचारियों, 68 प्रतिशत स्थायी महिला कर्मचारियों और 55 प्रतिशत अशक्त स्थायी कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कौशल उन्नयन, स्वास्थ्य और अभिवृति प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 1,542 प्रशिक्षण श्रम दिवस लगे हैं।

कंपनी का हैदराबाद में ''केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)'' नामक प्रशिक्षण संस्थान भी है, जहां इसके कर्मचारियों हेतु बदलती हुई कौशल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए कर्मचारियों के लिए अभिमुखी सत्र, विभिन्न प्रकार्यात्मक अकादमियों द्वारा संचालित कार्यक्रम, नेतृत्व प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम और अन्य प्रबंधन विकास कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत 4: हितधारकों को काम पर लगाना

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मापित किया है ?

जी, हां।

2. उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है ?

जी, हां। कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है।

आरईसी ने सेवा के दौरान मृतक कर्मचारियों एवं स्टाफ के आश्रितों से संबंधित कर्मचारी उन्मुखी नीतियों को सामान्य नियमों एवं विनियमों की दिशा में स्वीकार किया है और ठोस नीतिपरक पद्धतियों का कर्मचारी लाभों, भर्ती में समान अवसरों की प्रतिबद्धता और कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की प्रतिबद्धता जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय रूप से अपनाया, जो सुरक्षा, पोषण का माहौल प्रदान करने और व्यावसायिक प्रेरणा को पूरा करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास है। कंपनी, भर्ती में महिलाओं और ओबीसी/एससी/एसटी/शारीरिक रूप से अशक्त श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/मार्गदर्शी नियमों का भी पालन कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी पहलों के तहत, कंपनी ने समुदाय के शोषित वर्गों से ग्रामीण युवा की रोजगार परख क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों से बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने, गरीब और शोषित वर्गों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा में सुधार लाने पर भी जोर दिया है, जिसमें प्रौढ़ एवं अशक्त व्यक्ति शामिल हैं तथा देश के विभिन्न भागों में समाज के शोषित वर्गों से महिलाओं का उत्थान एवं सशक्तीकरण शामिल है।

3. क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों को काम पर लगाने के लिए कोई विशेष पहल की है ? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में अथवा इतने ही शब्दों में दें।

जी, हां। कंपनी नियमित रूप से अपने भीतरी एवं बाहरी साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों को काम पर लगाने के लिए पहल करती है।

आरईसी मोटे तौर पर मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में ''यूएन वैश्विक समझौता'' के सिद्धांत का पालन करती है, जो वैश्विक रूप से सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं।

प्रत्येक वर्ष कंपनी सीएसआर कार्यकलापों के लिए अपने पीएटी का प्रतिशत अलग निर्धारित करती है जो साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों को ऊपर उल्लिखित हितधारकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से, उन्हें गौरवपूर्ण जीवन जीने में मदद करने तथा आर्थिक विकास के उद्देश्य से संबंधित है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान शुरू किए गए इस तरह की कुछ पहलें निम्नवत हैं:

1. उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में, गांवों के कमजोर वर्गों से बच्चों के लिए स्कूल में पठन कक्ष की बुनियादी सुविधा का विकास;

2. बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें महाराष्ट्र में दो निर्माण स्थलों पर प्राथमिक शिक्षा को प्रवासी कामगारों के बच्चों को दहलीज पर प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए मोबाइल ''स्कूल ऑन व्हील्स'' का विकास शामिल है ;

3. अरूणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में 500 अविद्युतीकृत एवं खराब रूप में विद्युतीकृत गांवों में 2400 एलईडी आधारित सौर प्रकाश सिस्टमों की संस्थापना को बढ़ावा देना;

4. स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं जिसमें प्रौढ़ एवं अशक्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुविधा, पेय जल एवं सफाई शामिल है।

सिद्धांत 5: मानव अधिकारों को बढ़ावा देना

1. क्या कंपनी की मानव अधिकार संबंधी नीति के अंतर्गत केवल कंपनी आती है या समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर-सरकारी संगठन/अन्य भी आते हैं ?

आरईसी ''यू एन वैश्विक समझौता'' का सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो वैश्विक आधार पर सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं और मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा मूल सिद्धांतों और कार्य के अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, पर्यावरण और विकास संबंधी आरआईओ घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन से प्राप्त किए जाते हैं।

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकार केवल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तक सीमित हैं तथा कर्मचारियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आरईसी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जो सामान्य कानूनों और विनियमों के अनुसार है और राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक व्यवहार संबंधी नीतियों को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने जैसे क्षेत्र आते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य व्यावसायिक महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ी पर्यावरण संबंधी सावधानियां, उनका पोषण और अवसर प्रदान करना है।

इसके अलावा, कंपनी का विश्वास है कि स्थायी संगठन मानव अधिकारों की नैतिकता और सम्मान की नींव पर खड़ा होता है और कंपनी भर्ती, विकास और विविध उम्मीदवारों के पूल से अधिक प्रतिभावान लोगों को रखते हुए कार्यस्थल की विविधता सुनिश्चित करती है। यह उस सिद्धांत को महत्व देती है जो प्रतिभा और कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ता है और जो समान अवसरों के लिए इसकी प्रतिबद्धता है। यह कंपनी सुरक्षित सामाजिक वातावरण, सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण सहित मानव के हितों पर भी बल देती है। यह ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करती है जिसमें निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण अवसरों को प्रदान किया जाता है या उस पर रोक लगाई जाती है और जिससे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।

2. पिछले वित्त वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है ?

कंपनी को हितधारकों से मानव अधिकारों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 6: पर्यावरण संरक्षण

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कंपनी की नीति हमारे सभी ग्रुप के व्यक्तियों पर लागू है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक (कर्जदार) अपने प्रचालनों में पर्यावरण एवं सामाजिक स्थिति की शिकायत किए जाने हेतु अपेक्षित हैं।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्यनीति/पहल है ? यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के संबंध में संपर्क सूत्र दें।

आरईसी ''यूएन वैश्विक समझौते'' का सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो वैश्विक आधार पर सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं और मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा, मूल सिद्धांतों और कार्य के

अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा पर्यावरण और विकास संबंधी आरआईओ घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध नेशन कन्वेंशन का भी पालन करती है। सभी संगत नीतियां कंपनी की वेबसाइट www:recindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

आरईसी ने अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है तथा देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के प्रोन्नयन के लिए वित्तपोषण और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए विशेष योजना लागू की है।

आरईसी ने अपने प्रचालनों से जीएचजी उत्सर्जन के स्रोतों के अनुमान हेतु उत्सर्जन स्तरों की मात्रा का पता लगाने और संभावित अल्पीकरण उपायों की पहचान करने हेतु एक परियोजना शुरूकी है। नियत कार्य को मैसर्स इनर्जी इफीशिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा आईएसओ 14064 मानकों के अनुसार संचालित किया गया था और कारपोरेट बिल्डिंग की ''ऊर्जा लेखापरीक्षा'' को भी शामिल किया गया था। डाटा का 24 महीने की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2012 और 2013 का आरईसी कारपोरेट कार्यालय भवन हेतु मिलान एवं विश्लेषण किया गया था तथा प्रयुक्त रूपांतरण पैरामीटर अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों एवं डाटाबेसों के अनुसार थे। 24 माह की अवधि के लिए आरईसी कारपोरेट कार्यालय हेतु जीएचजी उत्सर्जन स्तर को समग्र 5,236 टन सीओ2 समतुल्य के रूप में मूल्यांकित किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष उत्सर्जन (874), ऊर्जा अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (1,845) और अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (2,517) शामिल है। आरईसी द्वारा वित्त वर्ष 2013 में क्रेडिट/आफसेट संधारणीय विकास व्यय के रूप में स्वैच्छिक आधार पर खरीदे गए 16.400 गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (सीओ2 के 15,458 टन के बराबर) के लिए भी उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रकार, आरईसी कारपोरेट कार्यालय को ''कार्बन न्यूट्रल'' होना समझा जा सकता है, क्योंकि उत्सर्जन अल्पीकरण उपायों से कम हैं।

3. क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरण संबंधी जोखिम की पहचान और मूल्यांकन कर लिया है ? हां/नही

उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। लेकिन, आरईसी ने सभी बुनियादी सुविधाओं वाली परियोजनाओं में संभावित पर्यावरण और सामाजिक जोखिम का पता लगा लिया है और उसका मूल्यांकन कर लिया है, जो आरईसी द्वारा वित्तपोषित हैं। आरईसी एकीकृत पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करने और समग्र निवेश जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में इसकी कमी करने में सबसे आगे रहा है। परियोजना मूल्य निरूपण के भाग के रूप में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और एक विस्तृत उचित श्रमसाध्य कार्य किया जाता है जिसमें कार्यस्थल का निरीक्षण, गौण सूचना संग्रहण और विश्लेषण, लागू अनुपालनों और सहमतियों की समीक्षा भी शामिल है।

4. क्या कंपनी की कोई स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें। इसके अलावा, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है ?

आरईसी ने अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है तथा देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोन्नयन के लिए वित्तपोषण और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आदि को कम करने के लिए विशेष योजना लागू की है। तथापि उपरोक्त प्रश्न कंपनी पर सीधे लागू नहीं होता है क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि संबंधी कोई अन्य पहलें की हैं ? हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के हाइपर लिंक का उल्लेख करें।

जी, जहां। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्थायी विकास के तहत 7 परियोजनाओं के लिए सहायता मंजूर की गई थी जो कुल मिलाकर ₹ 23.20 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 13.10 करोड़ इसी वर्ष के दौरान व्यय हुआ था। परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्णिया, बिहार में जूट कलस्टर में जूट-इंड-उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए एक सामूहिक ''भागीदारी'' मॉडल स्थापित करना, घेनकनल, उड़ीसा में 5 आफ ग्रिड स्थानों में सौर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिडों का अधिष्ठापन, प्रभावित आवासों को 4000 सौर लालटेन उपलब्ध कराना और उत्तराखंड आदि में 100 मोबाइल चार्जिंग सौर स्टेशनों का अधिष्ठापन शामिल है। स्थायी विकास के तहत पहलों का लाभ सीधे लगभग 1,60,000 लाभार्थियों को पहुंचने की आशा है। अप्रत्यक्ष लाभ, इस संख्या का कई गुना लाभार्थियों को प्राप्त हो सकता है। परियोजनाएं विशेषज्ञ क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों में हैं।

इसके अलावा, आरईसी ने अपने प्रचालनों से जीएचजी उत्सर्जन के स्रोतों के अनुमान हेतु उत्सर्जन स्तरों की मात्रा का पता लगाने और संभावित अल्पीकरण उपायों की पहचान करने हेतु एक परियोजना शुरू की है और आरईसी कारपोरेट कार्यालय हेतु जीएचजी उत्सर्जन स्तर को समग्र 5,236 टन सीओ2 समतुल्य के रूप में मूल्यांकित किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष उत्सर्जन (874), ऊर्जा अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (1,845) और अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (2,517) शामिल है। आरईसी द्वारा वित्त वर्ष 2013 में क्रेडिट/आफसेट संधारणीय विकास व्यय के रूप में स्वैच्छिक आधार पर खरीदे गए 16,400 गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (सीओ2 के 15,458 टन के बराबर) के लिए भी उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रकार, आरईसी कारपोरेट कार्यालय को ''कार्बन न्यूट्रल'' होना समझा जा सकता है, क्योंकि उत्सर्जन अल्पीकरण उपायों से कम हैं।

कंपनी के संधारणीय पहलों के ब्यौरों के लिए कृपया ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय कार्यकलाप संबंधी रिपोर्ट'' को देखें, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का मुख्य भाग है।

6. क्या इस वित्त वर्ष के संबंध में सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा उल्लिखित अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में सूचना दी गई है ?

उपर्युक्त प्रश्न की इस कंपनी के संदर्भ में सीमित सुसंगतता है, क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी परिसरों एवं प्रचालनों के संबंध में अनुप्रयोज्य पर्यावरणीय विनियमनों का पालन करती है।

7. वित्त वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या, जो लंबित पड़े हों (अर्थात जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान न हुआ हो)।

आरईसी को सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

सिद्धांत 7: जिम्मेदार लोक नीति की पैरवी

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल ऐसे प्रमुख एसोसिएशन आदि के नाम का उल्लेख करें जिनके साथ आपका संव्यवहार है।**

   जी, हां। आरईसी विश्व एनर्जी काउंसिल, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी), स्टैंडिंग कांफ्रेंस आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), पावर एचआर फोरम, इंडिया सी एफ ओ फोरम, आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए), लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) और ग्लोबल कंपैक्ट का सदस्य है।

   कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों में भाग लेते हैं।

2. **क्या आपने सरकारी हितों के उन्नयन और सुधार के लिए उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से पैरवी/लॉबी की है ? हां/नहीं, तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स : सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा स्थायी कारोबार के सिद्धांत, अन्य)**

   कंपनी ने समय-समय पर उपर्युक्त संस्थाओं के विभिन्न मंचों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दे उठाए हैं।

   यह कंपनी जनता के हित के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के संबंध में कई पहलों पर कार्य कर रही है जैसे विद्यालय में स्वच्छता की सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों में जल-मल प्रसंस्करण संयंत्र, सभागार, लड़कियों के छात्रावास आदि। इसके अलावा, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल संबंधी पहल भी शामिल है, ग्रामीण औद्योगिक प्रोन्नयन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों आदि का प्रोन्नयन शामिल है। इसके अलावा, यह कंपनी अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए भी धन प्रदान करती है।

सिद्धांत 8: समावेशी संवृद्धि और समान विकास

1. **क्या कंपनी की सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण दें।**

   आरईसी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए ''केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व'' संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति बनाई है, जिसमें इसके आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहलें/परियोजनाएं संचालित की गई हैं। इस नीति के अनुसरण में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान संचालित विशिष्ट कार्यक्रमों और पहलों से संबंधित विस्तृत सूचना ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी कार्यकलाप संबंधी रिपोर्ट'' में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का मुख्य भाग है।

   इसके अलावा, आरईसी भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रम, अर्थात राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु नोडल एजेंसी है, जो सभी ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधा एवं सहूलियत प्रदान करते हेतु कार्यरत है। यह गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन भी प्रदान करती है।

   आरजीजीवीवाई उन गांवों के लिए जहां ग्रिड कनेक्टीविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या फिर लागत प्रभावी नहीं है, बायोमास, बायोगैस, माइक्रो हाइड्रो विंड, सौर आदि जैसे पारम्परिक अथवा नवीकरणीय गैर पारम्परिक स्रोतों से विकेंद्रीकृत संवितरित उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाओं के लिए अनुदान भी प्रदान करती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, डीडीजी भी उन क्षेत्रों में जहां आपूर्ति छह घंटे प्रतिदिन से कम है, विद्युत की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ग्रिड कनेक्टेड क्षेत्रों को जोड़ेगी।

2. **क्या इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का संचालन आंतरिक दल/अपने फाउंडेशन/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी ढांचे/किसी अन्य संगठन द्वारा किया गया है ?**

   कंपनी की अधिकांश कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी परियोजनाएं/पहलें प्रचालन के मुख्य क्षेत्र के अनुसार विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों की सहायता से चलाई जा रही हैं, जो सरकारी संगठन/अर्ध-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन/खंड 25 की कंपनियां हैं या सार्वजनिक उद्यम विभाग के नामित राष्ट्रीय सीएसआर हब में सूचीबद्ध कंपनियां हैं और/या उन्हें इसी प्रकार के कार्यों के संबंध में सरकारी/अर्ध-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठनों के साथ कार्य करने का अनुभव है।

3. **क्या आपने अपनी पहलों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है ?**

   आरईसी की सीएसआर नीति के अधीन अपनी सभी पहलों की समीक्षा की एक प्रणाली है, जिनमें महत्वपूर्ण पहलों की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है।

   इसके अलावा, आरईसी अपनी चयनित पहलों के प्रभाव को समझने के संबंध में निरंतर फीडबैक प्राप्त करती है, जिसमें इसके अपने दल का कंपनी द्वारा वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं का दौरा करना भी शामिल है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - रकम भारतीय रुपए में और संचालित परियोजनाओं का विवरण क्या है ?**

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष के कर पश्चात लाभ (पीएटी) 1 प्रतिशत की दर पर बजट सीएसआर और एसडी कार्यकलापों के संबंध में आबंटित था। वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास/उन्नयन कार्यक्रम, शिक्षा, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा, प्रौढ़ एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा, पेयजल एवं सफाई, सौर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिडों का अधिष्ठापन, प्रभावित आवासों को सौर लालटेन प्रदान करना और पूरे देश में विभिन्न स्थानों/जिलों में मोबाइल चार्जिंग सौर स्टेशन संस्थापित करने के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर एवं एसडी पहलें शुरू की हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी विकास के तहत ₹ 66.61 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी और ₹ 38.40 करोड़ विभिन्न परियोजनाओं हेतु संवितरित किए गए थे।

शुरू किए गए परियोजनाओं के विवरण हेतु कृपया ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी कार्यकलाप संबंधी रिपोर्ट'' को देखें, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का मुख्य भाग है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अंगीकृत किया है ? कृपया, लगभग 50 शब्दों में बताएं।**

यह कंपनी समुदाय, सरकारी एजेंसी/विभाग, गैर-सरकारी संगठन और परियोजना की योजना बनाने, उसके कार्यान्वयन से संबंधित अन्य स्थानीय संस्थाओं जैसे मुख्य हितधारकों को सक्रिय काम पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि सामुदायिक स्वामित्व का विकास और निर्माण सुकर हो सके और इसके साथ ही इन कार्यक्रमों के स्थायित्व को भी सुनिश्चित किया जा सके। समुदाय के फीडबैक को उसी अथवा अन्य स्थानों में ऐसे और कार्यक्रमों को तैयार करने में उपयुक्त रूप से शामिल किए जाता है।

सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य

1. **वित्त वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ताओं के मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं ?**

रिपोर्टिंग अवधि में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी शिकायतों (जिसमें वर्ष के शुरू में लंबित निवेशकों की दो शिकायतें शामिल हैं) का समाधान कर लिया गया है और वित्त वर्ष की समाप्ति पर कोई शिकायत लंबित नहीं है।

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के लेबलों पर उत्पाद की सूचना को प्रदर्शित करती है ? हां/नहीं टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)**

उपरोक्त लागू नहीं है, क्योंकि यह कंपनी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी सुनिश्चित करती है कि परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में इसके उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में उपयुक्त प्रकटन किए गए हैं।

3. **क्या किसी हितधारक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दायर की है और इस वित्त वर्ष के अंत में कितनी शिकायतें लंबित हैं ? यदि हां, तो कृपया लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी हितधारकों ने अनुचित व्यापार परिपाटी, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई मामला दायर नहीं किया है।

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि का सर्वेक्षण किया है ?**

यह कंपनी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने में विश्वास रखती है। समय-समय पर ग्राहकों के साथ बैठक (बैठकें) आयोजित की जाती हैं,ताकि उनकी अपेक्षाओं को समझा जा सके और हम कारोबार में अपनी प्रतियोगिता को अनिवार्यतः बढ़ा सकें। ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक को सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से,

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00973413)

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट का अनुबंध

पी1	क्रम संख्या 3: आरईसी में कंपनी की कपट निवारण नीति, कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता तथा व्हिसल ब्लोअर नीति है। कपट निवारण संबंधी नीति व्यापक है, जिसमें कपट का पता लगाने और उसके निवारण की प्रणाली, ऐसे कपट की सूचना देने की प्रणाली, जिसका पता लगाया गया हो या जो संदिग्ध हो और कपट से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने की निष्पक्ष नीति है। हालांकि, सूचीकरण करार के अधीन निगमित सुशासन की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता तैयार की है, जो ऐसे व्यावसायिक और नैतिक मानदंडों पर आधारित है, जिनके संबंध में कंपनी का विश्वास है कि उन्हें उसके सभी कर्मचारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। व्हिसल ब्लोअर नीति व्यापक रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप है। क्रम संख्या 6: कपट निवारण नीति और कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता वेबसाइट http/:recindia.gov.in/download/prevention_fraud_policy.pdf और http/:recindia.gov.in/download/code_conduct_pdf पर उपलब्ध हैं। अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेजों में हैं और उन तक केवल संगठन के कर्मचारियों की पहुंच होती है।
पी2	कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत की इस कंपनी पर सीमित प्रयोज्यता है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले विनियमों का पालन करती है और इस कंपनी ने समावेशी संवृद्धि और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व को बढ़ावा दिया है।
पी3	क्रम संख्या 3: सामान्य कानून और विनियमों तथा देश में अपनाए जाने वाले अच्छे नैतिक व्यवहार के अनुरूप कंपनी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना शामिल है, इन प्रयासों के जरिए यह कोशिश की गई है कि व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के साथ-साथ उसकी देखभाल का परिवेश, उसका पोषण उपलब्ध हो और उसे अवसर प्रदान किए जाए। क्रम सं. 6: इन नीतियों को केवल संगठन के कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से या ऑनलाइन देखा जा सकता है।
पी4	यह सिद्धांत सभी हितधारकों, विशेष रूप से उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी के पहलुओं को सुनिश्चित करता है, जो साधनहीन, संवदेनशील और सीमांत हैं और कंपनी के पास इसके लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है। कंपनी ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाएं तय कर रखी हैं। इसके अलावा, कंपनी रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी कौशल विकास, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्तजनों की देखभाल संबंधी पहलें भी शामिल हैं, ग्रामीण उद्योगों के प्रोन्नयन और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत आदि के प्रोन्नयन जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके समावेशी संवृद्धि के संबंध में कार्य करती है।
पी5	क्रम संख्या 3: कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता (कोड) जिसे कंपनी ने इस सिद्धांत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंगीकृत किया है। इस संहिता में निष्पक्ष रोजगार परिपाटी और विविधता, निष्पक्ष प्रतियोगिता, उत्पीड़न और धमकी का निषेध एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा पर बल दिया गया है। क्रम संख्या 6: कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता वेबसाइट http/:recindia.gov.in/ download/code _conduct.pdf पर उपलब्ध है।
पी6	इस सिद्धांत के अधीन उल्लिखित पहलू कंपनी के कारोबार की प्रकृति के सुसंगत नहीं हैं। यह कंपनी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में लागू पर्यावरण संबंधी विनियमों का पालन करती है। इसके अलावा, यह कंपनी पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए की जाने वाली पहलों में भाग लेती है। यह कंपनी परियोजना ऋण के उधारकर्ताओं से भी यह अपेक्षा करती है कि वे विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानकों/अपेक्षाओं का अनुपालन करें।
पी7	हालांकि, इस सिद्धांत के संबंध में कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है, तथापि यह कंपनी राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में पहलों के प्रोन्नयन के लिए कार्य कर रही है, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी माडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल की पहलें भी इसमें शामिल हैं, ग्रामीण उद्योग प्रोन्नयन और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोन्नयन के संबंध में कार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त कंपनी अनुसंधान एवं विकास हेतु निधियन की व्यवस्था प्रदान करती है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूह में भाग लेते हैं।
पी8	हालांकि, इस सिद्धांत में कोई विशेष नीति उल्लिखित नहीं है, तथापि आरईसी ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी माडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्तजनों की देखभाल के लिए की जाने वाली पहलें भी शामिल हैं, ग्रामीण उद्योग और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत आदि के प्रोन्नयन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों के अधीन व्यय किया है।
पी9	क्रम संख्या 3: कंपनी की ऋण और ग्राहक प्रतिपूर्ति नीति के संबंध में उचित परिपाटी और शिकायत निवारण फोरम है, जो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप है। क्रम संख्या 6: उपरोक्त संहिता/फार्म को क्रमशः http/:recindia.gov.in/download/ fair_ practice_code.pdf और http/:recindia.gov.in/download/griev_ redressal_ form_ loans.pdf पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।
	सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा की जाती है और समय-समय पर कंपनी में इनकी आंतरिक समीक्षा की जाती है।

सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

शेयरधारकगण,
रू रल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष की अवधि के रजिस्टरों और अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है;

- कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 1992; और
- शेयर बाजार के साथ कंपनी द्वारा प्रवृत्त सूचीकरण करार में राष्ट्र-व्यापक व्यापार टर्मिनल।

क. हमें उपलब्ध कराए गए रिकार्डों की हमारी जांच एवं सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं तथ्यों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बने नियमों तथा विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों, विनियमों एवं उनके तहत बने दिशानिर्देशों, सूचीकरण करार, जैसा कि कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था अंतर्नियमों में ऊपर उल्लेख किया गया है, निम्न के संबंध में पालन किया है:

1. विभिन्न सांविधिक एवं गैर सांविधिक रजिस्टरों और दस्तावेजों का रखरखाव और जब भी समय की मांग हो, उनमें आवश्यक परिवर्तन करना।
2. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में फार्म, विवरणियां और प्रस्ताव दाखिल करना।
3. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, रजिस्ट्रार और स्टाक एक्सचेंज के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराना।
4. बोर्ड का गठन, निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र।
5. कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक।
6. बोर्ड की बैठकों की सूचना एवं कार्यसूची भेजना और निदेशकों की समिति की बैठकें।
7. बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठक।
8. वार्षिक आम बैठक आयोजित करना और उसमें विभिन्न रजिस्टरों को पेश करना।
9. बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों और आम बैठकों के कार्यवृत्तों को रिकार्ड करना।
10. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक।
11. कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 205 के उपबंधों के अनुपालन में पात्र शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा की है और भुगतान किया है।
12. फिजिकल मोड में रखे शेयरों के अंतरण का पंजीकरण।
13. शेयरों का डिमैटरीलाइजेशन और रिमैटरीलाइजेशन।
14. संविदाओं का निष्पादन, कॉमन सील, पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम की पुष्टि करना।
15. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण एवं ग्रहण) विनियमन, 2011 की अपेक्षा।
16. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेधन) विनियमन, 1992 की अपेक्षा।
17. स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार में निर्धारित अपेक्षाएं राष्ट्र-व्यापक व्यापार टर्मिनल, जो सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के गठन के अतिरिक्त हैं।

ख. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

कंपनी ने बोर्ड ऑफ कंपनीज की, जिनके वे निदेशक हैं, डायरेक्टरशिप, समितियों की सदस्यता, उनकी शेयरधारिता तथा कंपनी द्वारा अपने सामान्य कारोबार के अनुपालन में प्रवृत्त संविदाओं के संबंध में निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों, घोषणाओं से संबंधित विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

इसमें कंपनी के विरूद्ध कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया था अथवा कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था और पूर्व उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमनों और उनके तहत बने दिशानिर्देशों के तहत कंपनी पर अथवा इसके निदेशकों और अधिकारियों पर कोई जुर्माना अथवा अर्थदंड नहीं लगाया गया था।

कृते **चंद्रशेखरन एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
एफसीएस: 1644
सीपी: 715

नई दिल्ली,
20 मई, 2014

सहायक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (1)(ङ.) के अनुसरण में विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. (आरईसी टीपीसीएल)	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (आरईसी पीडीसीएल)	नेल्लौर ट्रांसमिशन लि. (एनटीएल)	बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लि. (बीएसएसटीएल)	एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लि.	एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लि.	एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लि.
1	निम्न को समाप्त सहायक कंपनी के वित्त वर्ष	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014
2.	तारीख, जब वे सहायक कंपनी बनी थी	8 जनवरी, 2007	12 जुलाई, 2007	4 दिसम्बर, 2012	24 जनवरी, 2013	29 जुलाई, 2013	29 जुलाई, 2013	29 जुलाई, 2013
3.	दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर							
	क) सं. और अंकित मूल्य	प्रत्येक ₹ 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर
	ख) शेयरधारण की सीमा	आरईसी लि. द्वारा धारित 100 प्रतिशत शेयर	आरईसी लि. द्वारा धारित 100 प्रतिशत शेयर	आरईसी टीपीसीएल द्वारा धारित 100 प्रतिशत शेयर	आरईसी टीपीसीएल द्वारा धारित 100 प्रतिशत शेयर	आरईसी टीपीसीएल द्वारा धारित 100 प्रतिशत शेयर	आरईसी टीपीसीएल द्वारा धारित 100 प्रतिशत शेयर	आरईसी टीपीसीएल द्वारा धारित 100 प्रतिशत शेयर
4.	जहां तक नियंत्रक कंपनी के सदस्यों का संबंध है, सहायक कंपनियों के लाभ/(हानि) की निवल कुल रकम							
	(क) जिन पर नियंत्रक कंपनी के लेखों में कार्रवाई नहीं की गई:							
	(i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	23.85	32.96	-	-	-	-	-
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्त वर्ष तक	45.12	27.47	-	-	-	-	-
	(ख) जिन पर नियंत्रक कंपनी के लेखों में कार्रवाई की गई:							
	(i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनियां बनने की तारीख से सहायक कंपनी के पिछले वित्त वर्ष तक।	0.20	0.25	शून्य	शून्य	-	-	-

टिप्पणी:

(i) (क) नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल); (ख) बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बी एस एस टी एल); (ग) एन आर एस एस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड; (घ) एन आर एस एस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लि.; और (ङ.) एन आर एस एस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आर ई सी टी पी सी एल) द्वारा धारित हैं, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(1)(ग) के अनुसार ये कंपनियां 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आरईसी की सहायक कंपनियां भी हैं।

(ii) तब से एन आर एस एस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लि. और एन आर एस एस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड को 12 मई, 2014 को क्रमशः मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स इस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया है; और एन आर एस एस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड को भी 4 अगस्त, 2014 को मैसर्स स्टेरलाइट डिस्पले टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड (स्टेरलाइट ग्रिड लिमिटेड की संबद्ध निवेशकर्ता कंपनी) को स्थानांतरित किया गया है।

(जे. एस. अमिताभ)	**(अजीत कुमार अग्रवाल)**	**(राजीव शर्मा)**
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी कार्यकलापों पर रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 1 अप्रैल, 2013 से लागू ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम संबंधी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व स्थायित्व'' (दिशानिर्देश) पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे। तदनुसार, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व संबंधी आरईसी की नीति, जैसा कि उपरोक्त दिशानिर्देशों में दिया गया है, को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2013 को आयोजित अपनी 395वीं बैठक में पारित किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी था।

1. कारपोरेट सामाजिक दायित्व का दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी पहलें अपने हितधारकों के हितों को संज्ञान में लेते समय आरईसी के कारोबार प्रस्तावों को सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करने की दृष्टि से जारी की गई थी। सीएसआर परियोजनाएं स्थायी विकास के नियमों से जुड़ी हुई थीं। कार्यनीतिक फोकस का उद्देश्य लिंग संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, स्थानीय संस्थानों/लोगों के साथ सह-सृजन मूल्य द्वारा उद्यमता एवं रोजगार उत्पादन को सुनिश्चित करते हुए मिलेनियम विकास लक्ष्यों सहित राष्ट्रीय योजना लक्ष्य एवं उद्देश्य को पूरा करने के संबंध में सीएसआर पहल पर था। सीएसआर पहलों की पहचान करते समय कंपनी ने ट्रिप्पल बॉटम लाइन एप्रोच के संबंध में सामुदायिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। सीएसआर कार्यनीति को परियोजना आधारित उत्तरदायित्व दृष्टिकोण में कार्य योजना के साथ तैयार किया गया है। अधिकांश सीएसआर पहलों को बेसलाइन सर्वे, विनिर्दिष्ट समय-सीमा, अभिज्ञात महत्वपूर्ण कार्यों और आवधिक मानिटरिंग के साथ परियोजना मोड में क्रियान्वित किया गया है। सीएसआर के तहत आबंटित निधियों का वितरण महत्वपूर्ण कार्यों एवं सौंपे जाने योग्य कार्यों की उपलब्धि से जुड़ा हुआ था।

पिछले तीन वर्षों में सीएसआर एवं स्थायी विकास (एसडी) के संबंध में कंपनी की प्रतिबद्धता निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष के पीएटी का प्रतिशत	बजटगत राशि	प्रतिबद्ध राशि (मंजूरी)	संवितरित राशि
2011-12	0.5%	12.85	14.10	12.99
2012-13	0.5%	14.09	18.87	14.19
2013-14	1%	38.18	66.61	38.40

2. कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों का क्रियान्वयन

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों हेतु पिछले वर्ष के कर-पश्चात लाभ के (पीएटी) के 1 प्रतिशत की दर से बजट का आबंटन किया गया था, जिसकी रकम ₹ 38.18 करोड़ थी, यह आबंटन 18 मार्च, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 394वीं बैठक के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित था।

स्थायी कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं की पहचान की गई थी और स्वीकृत वित्तीय सहायता कुल मिलाकर ₹ 66.61 करोड़ थी, जो मुख्यतः छह चयनित क्षेत्रों अर्थात कार्योन्मुखी कौशल विकास, शिक्षा, गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों का प्रोन्नयन तथा स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा, जिसमें प्रौढ़ एवं अशक्त व्यक्ति शामिल हैं, (जिसमें ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण शामिल हैं) तथा स्थायित्व एवं अन्य शीर्ष के संबंध में है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व विकास कार्यकलापों के सार को चयनित क्षेत्रवार वर्ष के दौरान वितरित राशि एवं सीधे लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या के साथ नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना शीर्ष का नाम	संवितरित रकम (₹ लाख में)	अनुमानित लक्षित सीधे लाभार्थी (संख्या)
1	रोजगार के अवसर पैदा करने वाला कार्योन्मुखी कौशल विकास	6.97	2,987
2	शिक्षा	3.28	30,063
3	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का प्रोन्नयन	4.05	4,62,750
4	स्वास्थ्य देखभाल का प्रोन्नयन, जिसमें वृद्धजनों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल, पेयजल एवं सफाई शामिल है	5.58	53,635
5	परियोजना आधारित अन्य (जिसमें ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और जलवायु प्रभावित राज्यों के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्यकलापों के लिए अंशदान शामिल है)	5.00	1,84,800

क्र.सं.	परियोजना शीर्ष का नाम	संवितरित रकम (₹ लाख में)	अनुमानित लक्षित सीधे लाभार्थी (संख्या)
6	स्थायी विकास	13.11	7,59,888
7	विविध व्यय-कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रभावी मूल्यांकन/ आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रशिक्षण आदि	0.17	-
8	गैर-परियोजना आधारित	0.24	43
	कुल जोड़	**38.40**	**14,94,166**

निम्नलिखित मुख्य परियोजना आधारित सीएसआर पहलों को देश के विभिन्न भागों में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न चयनित क्षेत्रों के अधीन शुरू किया गया था:

(क) कौशल विकास

कंपनी ने 8 राज्यों के 12 पिछड़े जिलों में योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के लिए चिन्हित पिछड़े जिलों से संबंधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुबंध-II के अनुसार अभिज्ञात पावर क्षेत्र से संबंधित ट्रेडों में कार्योन्मुखी कौशल विकास/उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें महिलाओं सहित एससी/एसटी/ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित 2,987 लाभार्थी शामिल हैं। चलाए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे और उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया
1	मध्य प्रदेश	911
2	उत्तर प्रदेश	253
3	ओडिशा	566
4	तमिलनाडु	250
5	राजस्थान	250
6	पंजाब	361
7	छत्तीसगढ़	250
8	हरियाणा	146
	जोड़	**2,987**

युवाओं को विभिन्न ट्रेडों, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, साइट लेखाकार, भूमि सर्वेयर, लैब टैक्नीशियन, सामान्य कार्य पर्यवेक्षक, डाटा इंट्री ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर, वेल्डिंग टैक्नीशियन और औद्योगिक फिटर में कौशल विकास प्रशिक्षण आधारित प्रमाणपत्र दिया गया था।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, मध्य प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रम के उदघाटन अवसर पर।

पंजाब में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कौशल विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थी।

(ख) शिक्षा

कंपनी ने शिक्षा के चयनित क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य परियोजनाओं की पहचान की है और उन्हें शुरू किया है:

(i) उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले में, गांव में कमजोर वर्गों से बच्चों के लिए स्कूल में पठन कक्ष संबंधी बुनियादी सुविधा का विकास;

(ii) ओडिशा के एक जिले में 18 सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास;

(iii) उत्तराखंड में टीएचडीसी जल विद्युत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में लगभग 160 छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु भवन का निर्माण;

(iv) चार राज्यों, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 80 स्कूल पुस्तकालयों की स्थापना एवं प्रचालन;

(v) छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, दिल्ली और जम्मू व कश्मीर से चयनित 20 अल्पसुविधा वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आईआईटी/एनआईटी एवं अन्य कोचिंग कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना;

(vi) ''बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी के लिए प्रत्येक बाल संख्या परियोजना'' को प्रोत्साहित करना, जिसमें महाराष्ट्र में दो निर्माण स्थलों पर प्रवासी कामगारों के बच्चों के लिए दहलीज पर प्राथमिक शिक्षा को लाने के लिए मोबाइल ''स्कूल ऑन व्हील्स'' का विकास शामिल है;

(vii) हरियाणा के एक जिले में 7 सरकारी स्कूलों में सफाई सुविधाओं के व्यवस्थापन को प्रोत्साहित करना;

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, उत्तराखंड में इंजीनियरिंग संस्थान में बालिका छात्रावास के लिए भवन निर्माण हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करते हुए।

आरईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, आईआईटी/एनआईटी एवं अन्य अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला हेतु आवासीय कोचिंग कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए।

(viii) केरल में सुनामीग्रस्त सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में छह कमरों का एक नये पठन कक्ष के निर्माण में सहायता देना; और

(ix) केरल में एक सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में ऑडिटोरियम भवन के निर्माण में सहायता करना।

(ग) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना

कंपनी ने गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू किया है:

(i) असम और ओडिशा प्रत्येक के दो जिलों में अत्यधिक पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने के संबंध में 60 अविद्युतीकृत/खराब रूप में विद्युतीकृत गांवों को सौर प्रकाश सेवा का विस्तार करने में सहायता करना;

केरल में सुनामी ग्रस्त सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में नए रूप में निर्मित पठन कक्ष ब्लाक।

अविद्युतीकृत/खराब रूप में विद्युतीकृत गांवों में सौर प्रकाश सेवाओं के विस्तारण हेतु असम में स्थापित सौर चार्जिंग स्टेशन।

राजस्थान में अविद्युतीकृत हैमलेटों/आवासों में स्मार्ट ग्रीन पावर प्रोजेक्ट।

मध्य प्रदेश में अविद्युतीकृत और खराब रू प में विद्युतीकृत गांवों में एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम।

(ii) राजस्थान में स्वच्छ एवं स्थायी ग्रिड स्तरीय बिजली लाने के उद्देश्य से 14 अविद्युतीकृत हैमलेटों/आवासों में स्मार्ट ग्रीन पावर प्रोजेक्ट की स्थापना में मदद करना; और

(iii) अरूणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में 500 से अधिक अविद्युतीकृत और खराब रूप में विद्युतीकृत गांवों में लगभग 2,460 एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट प्रकाश सिस्टमों को लगाने में सहायता करना।

(घ) स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें प्रौढ़ एवं अशक्त व्यक्ति शामिल है, पेयजल और सफाई व्यवस्था को प्रोत्साहित करना:

कंपनी ने स्वास्थ्य देखभाल हेतु, जिसमें प्रौढ़ एवं अशक्त व्यक्ति शामिल हैं, पेयजल एवं सफाई हेतु निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को शुरू किया है:

(i) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा ओडिशा के विभिन्न स्थानों/जिलों में स्थित अशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि एवं उपकरण साधन वितरित करना;

(ii) उत्तर प्रदेश में गौरवपूर्ण जीवन को बहाल करने और अपेक्षित एवं कंगाल वृद्ध विधवाओं की देखभाल के उद्देश्य से वृद्धाश्रम के निर्माण में सहायता करना;

(iii) नई दिल्ली में मानसिक रूप से कमजोर एवं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को आत्म निर्भर बनाने के लिए, जो एक सामान्य जीवन में अपेक्षित उपयुक्त शिक्षा विधि एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके आत्म निर्भर बनाएगा, एक पुनर्वास केंद्र के निर्माण में सहायता करना;

(iv) उत्तर प्रदेश, जहां सफाई सुविधाएं नहीं हैं, के एक जिले में दूरस्थ गांव में 235 गृहों में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करना;

(v) आंध्र प्रदेश में स्थित पुनर्वास सेंटर में शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पुनर्संरचनात्मक सर्जरी एवं पुनर्वास हेतु केयर फिजियोथैरेपी यूनिट और आक्यूपेशनल थैरेपी यूनिट के एक चल वैन एवं उपकरण को स्थापित करना, जो अधिक स्वतंत्रता के साथ उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करने में उनकी मदद करेगा।

(vi) असम में पुनर्वास सेंटर के मानसिक रूप से अशक्त विद्यार्थियों को लाने ले-जाने के लिए एक वाहन की सुविधा प्रदान करना;

(vii) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में उनकी दहलीज पर रोगनाशक, निवारक एवं प्रोत्साहक सेवाओं के जरिए समाज के पददलित वर्गों से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु दो चल चिकित्सा यूनिटों (प्रत्येक के लिए एक) की सुविधा प्रदान करना:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, आरईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को शुरू करने के लिए मोबाइल चिकित्सा यूनिट की चाबियां सौंपते हुए।

(viii) उत्तर प्रदेश में एक नेत्र अस्पताल में कमजोर वर्गों के लोगों के लिए उन्नत नेत्र चिकित्सा सर्जरी हेतु उपकरण की व्यवस्था करना;

(ix) समाज के कमजोर वर्गों से 1000 पोलियो प्रभावित एवं जन्म से अशक्त बच्चों के लिए उपचारात्मक सर्जरियां उपलब्ध कराना तथा मरीजों के पुनर्वास हेतु बैसाखियों के साथ 500 कैलीपर वितरित करना;

(x) समाज के कमजोर वर्गों से 500 लोगों के लिए मोतिया बिंद निदान एवं सर्जरी की सुविधा प्रदान करना; और

(xi) ग्रामीण समुदाय को साफ पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु ''आंध्र प्रदेश में तीन गांवों को स्वच्छ पेयजल लाने के लिए'' कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।

(ङ.) परियोजना आधारित अन्य (जिनमें आपदा प्रभावित राज्यों के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्यकलापों हेतु ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण एवं अंशदान शामिल है)

(i) कर्नाटक में एक गांव में पर्यावरणीय परिरक्षण को बढ़ाने, इकोलॉजीकल संतुलन में सुधार लाने और पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने के उद्देश्य से इको पार्क का विकास करना तथा इको पार्क को सड़क से जोड़ना;

(ii) उत्तर प्रदेश में दो गांवों के बीच स्थानीय लोगों की मुश्किलों को कम करने, जीवन स्तर को सुधारने और उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से, जिनसे दो गांवों के साथ-साथ पड़ोसी गांवों की लगभग 5,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए दीर्घ अवधि प्रभाव हो, एक पुलिया का निर्माण करना;

(iii) तीन अविकसित गांवों, जिसमें एक उत्तर प्रदेश, एक ओडिशा और एक छत्तीसगढ़ में है, इन गांवों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से एकीकृत गांव विकास, जिसमें समुदाय जुटाव, शिक्षा हस्तक्षेप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा और सफाई संबंधी संभावित क्षेत्र शामिल हैं;

(iv) ओडिशा में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यकलापों के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष में ₹ 1.00 करोड़ का अंशदान;

(v) उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यकलापों के लिए ₹ 2.00 करोड़ का अंशदान, जिसे सहायक पीएसयू, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा चलाया जाना है;

(vi) बिहार और उत्तर प्रदेश से 600 महिलाओं के लिए गरीबी कम करने के उद्देश्य से और पददलित महिलाओं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उनके बच्चों के लिए बेहतर

आरईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, आंध्र प्रदेश के एक गांव में ग्रामीण समुदाय के लिए साफ पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु साफ पेयजल प्लांट का उदघाटन करते हुए।

आरईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु सहयोग करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री, ओडिशा को ₹ 1.00 करोड़ का चेक सौंपते हुए।

आरईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में निदेशक (तकनीकी), आरईसी, उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल को ₹ 2.00 करोड़ का चेक सौंपते हुए।

उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थी।

आजीविका, उच्च आय, सुरक्षित भविष्य के लिए उनकी इच्छाओं और अवसरों को बनाने के उद्देश्य से परिधान एवं ड्रेस निर्माण; हस्तकला निर्माण, आरी एवं जरदोजी, हस्तकला और ब्यूटी कल्चर में कौशल विकास एवं जीविका सामाजिक कार्यक्रम; और

(vii) गुजरात में लगभग 1,000 कारीगरों को क्राफ्ट परम्परा का पुनर्जीवन और स्थायी आजीविका प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करना।

(च) आरईसी स्थायी पहलों का क्रियान्वयन

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, स्थायी विकास के तहत, 7 परियोजनाओं के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी जो कुल ₹ 23.20 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 13.10 करोड़ इसी वित्त वर्ष के दौरान खर्च किए गए थे। इन परियोजनाओं से लाभ प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1,60,000 लाभार्थियों को पहुंचने की आशा है। अप्रत्यक्ष लाभ इस संख्या के कई गुना लाभार्थियों को मिल सकता है। परियोजनाएं विशेषज्ञ क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों में हैं। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सार निम्नानुसार है:

BUREAU VERITAS
Certification

Greenhouse Gases Verification Statement

For

Rural Electrification Corporation Limited

Corporate Office

For Organization boundaries covering operations of

STANDARD

ISO 14064 - 1: 2006

SCOPE OF VERIFICATION

Greenhouse Gas emissions and removals:

Direct Emissions	: 874 tons CO_2-equivalent
Energy Indirect Emissions	: 1845 tons CO_2-equivalent
Other Indirect Emissions*	: 2517 tons CO_2-equivalent
Carbon Offset due to RECs Purchase #	: 15458 tons CO_2-equivalent
Emission due to Biomass Combustion	: Nil

* Limited to verification of reported emission sources for the reporting period.

Reporting Period : 1st April 2011 to 31st March 2013
Level of Assurance: Reasonable

Date: 16 December 2013

R. K. SHARMA
Director

(i) ''आरईसी कारपोरेट कार्यालय का कार्बन फुटप्रिंट अध्ययन और न्यूनीकरण'' - ऊर्जा, सामग्री, मशीनों एवं मानव क्रियाकलापों के प्रयोग के कारण संगठन के व्यावसायिक प्रचालनों एवं विनिर्माण प्रक्रियाओं का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा शायद ऐसी प्रथम पहल में आरईसी ने इसके प्रचालनों से जीएचजी उत्सर्जन के स्रोतों का अनुमान लगाने, उत्सर्जन स्तरों की मात्रा का पता लगाने और संभावित न्यूनीकरण उपायों की पहचान करने के लिए एक परियोजना शुरूकी। निर्धारित कार्य को मैसर्स एनर्जी इफीशिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा आईएसओ 14064 मानकों के अनुसार शुरूकिया गया था और इसमें कारपोरेट बिल्डिंग की ''ऊर्जा लेखापरीक्षा'' को भी शामिल किया गया था। डाटा का 24 माह की अवधि के लिए अर्थात वित्त वर्ष 2012 और 2013 के लिए आरईसी कारपोरेट कार्यालय निर्माण हेतु मिलान और विश्लेषण किया गया था। इसमें प्रयुक्त संपरिवर्तन पैरामीटर अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों एवं डाटाबेस के अनुसार थे। इस माह की अवधि के लिए आरईसी कारपोरेट कार्यालय के लिए जीएचजी उत्सर्जन स्तर का कुल 5.236 टन सीओ2 - समतुल्य के रूप में मूल्यांकन किया गया है, जिनमें प्रत्यक्ष उत्सर्जन (874), ऊर्जा अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (1,845) और अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (2,517) शामिल था। क्रेडिट/आफसेट भी 16,400 गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (जो सीओ2 के 15,458 टन के समतुल्य थे) उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें आरईसी द्वारा वित्त वर्ष 2013 में स्थायी विकास व्यय के भाग के रूप में स्वैच्छिक आधार पर खरीदा गया था। इस प्रकार, आरईसी कारपोरेट कार्यालय को ''कार्बन न्यूट्रल'' होना समझा जा सकता है, क्योंकि उत्सर्जन न्यूनीकरण उपायों से कम है। नियत कार्य को प्रतिबद्ध समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

(ii) प्रक्रिया के परिणामों को एक स्वतंत्र, यूएनएफसीसीसी अधिकृत, तीसरे पक्ष एजेंसी, नामतः मैसर्स ब्यूरो वेरीटास द्वारा भी मान्य ठहराया गया था, जिसने दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 के प्रमाणपत्र के तहत आईएसओ 14064-1:2006 के अनुसार अंततः एक आश्वासन विवरण जारी किया गया।

(iii) इनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा पूरा किए जा रहे दूसरे स्थायी परियोजना में, आरईसी ने पूर्णिया बिहार में लूमिंग मशीनों के लिए विश्वसनीय एवं आश्वस्त 2x100 किलोवाट बायोमास - गैसीफायर आधारित लगभग 36 ऑटोमैटिक लूम्स एवं प्रावधान के साथ जूट कलस्टर में जूट ऐंड उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए सामूहिक ''भागीदारी'' मॉडल स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई है। परियोजना की लागत ₹ 572 लाख होने का अनुमान है जिसमें से आरईसी, आरईईईपी (नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता भागीदारी),जो एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय

निकाय है, सहित अन्य ''भागीदारों के साथ ₹ 221 लाख की सीमा तक इस परियोजना को सह-वित्तपोषित कर रहा है। परियोजना को दो वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। माडल की शक्ति संस्थागत ढांचा है, जो जूट प्रोसेसिंग कलस्टर के लिए बायोमास गैसीफिकेशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास/राइस हस्क के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्याशित है। विश्वसनीय एवं आश्वस्त विद्युत आपूर्ति के साथ परियोजना के तहत स्थापित किए जा रहे ऑटोमैटिक लूमिंग मशीनों को संभवतः बिहार राज्य में प्रोसेसिंग के शेयर को बढ़ाना है, जो महिलाओं के संबंध में अधिक ध्यान देने के साथ स्थानीय रोजगार को सृजित करने के अलावा है। परियोजना का उद्देश्य दूसरे कलस्टरों को रिप्लीकेबल विस्तारणों पर ध्यान देने के साथ जागरूकता एवं जानकारी साझा करना है।

(iv) धेनकनल ओडिशा में 5 आफ ग्रिड स्थानों में सौर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड संस्थापित करने के लिए भी वर्ष के दौरान एक परियोजना क्रियान्वित की गई थी। लक्ष्य गांव अविद्युतीकृत हैं और इनमें विद्युत सुविधा प्राप्त करने के कम अवसर हैं; क्योंकि वे ओडिशा के धेनकनल जिले के हिंडोल ब्लाक में स्थित ''एलीफैंट कारीडोर'' के नजदीक कंधारा रिजर्व फारेस्ट के भीतर आते हैं। आरईसी ने ₹ 21.65 लाख की राशि के लिए परियोजना लागत के लगभग 30 प्रतिशत को वित्तपोषित किया है और शेष भाग को अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा वित्तपोषित कर सभी छोटे ग्रिडों को शुरू कर दिया गया है।

(v) आरईसी ने अभूतपूर्व आपदा, जिसने वर्ष के दौरान उत्तराखंड को आहत किया है, के दौरान प्रभावित परिवारों को 4000 सौर लालटेन उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना शुरू करके तथा उत्तराखंड में, विशेष, उखीमठ, कालीमठ, फाटा जैसे क्षेत्रों में जहां भयंकर बाढ़ के कारण तबाही और बादल फटने से सबसे अधिक तबाही हुई थी, 100 मोबाइल चार्जिंग सौर स्टेशन को संस्थापित करके एक सहायता प्रदान की है। ₹1.10 करोड़ की सहायता उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूआरईडीए) के माध्यम से चैनलीकृत थी।

(vi) स्थायी पहलों के तहत, आरईसी ने ओडिशा के 9 पिछड़े जिलों में 16 आवासीय स्कूलों में 5 के डब्ल्यू पी प्रत्येक के सौर पीवी रूफटॉप प्लांट लगाने की इच्छा जताई है, जो एसटी एवं एससी विकास विभाग, ओडिशा सरकार के स्वामित्व में है, जिसकी कुल लागत ₹ 202.40 लाख है। उपरोक्त 16 स्कूलों में से 9 स्कूल प्रधान रूप से एससी/एसटी पृष्ठभूमि के साथ विशेष रूप से ''बालिका'' स्कूल हैं। कुल विद्यार्थियों में से 65 प्रतिशत बालिकाएं हैं। शामिल 16 स्कूलों की कुल संख्या 6,782 विद्यार्थियों की है जिसमें से 5,718 विद्यार्थी छात्रावासों में रहते हैं। बेसलाइन सर्वे से पता चलता है कि इन अभिज्ञात स्कूलों में औसत ग्रिड आपूर्ति 6.7 घंटे प्रतिदिन है और वह भी सामान्य तौर पर शाम को व्यस्त घंटों में उपलब्ध नहीं रहती है। सौर रूफटॉप प्लांट लगभग 24 घंटे आधार पर पूर्ण विश्वसनीय एवं आश्वस्त आपूर्ति उपलब्ध कराएगा।

(vii) भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे दूसरे महत्वाकांक्षी परियोजना में आरईसी ने उन्नत डिजाइन के लगभग 1,50,000 सौर लालटेन के वितरण के लिए ₹ 17.20 करोड़ की सहायता स्वीकृत की है।

(viii) लालटेन एक बार चार्ज होने पर दो दिन (प्रत्येक दिन 8 घंटे) लगातार प्रकाश उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। आरईसी ने 1 से 2 वाट एलईडी प्रकाश स्रोत चार्ज माडलों के साथ अपरिष्कृत एवं उन्नत डिजाइन के लालटेन विभिन्न प्रदीपन एंगलों और लीड एसिड के साथ-साथ लिथियम आईओएन बैटरी के साथ विकसित किए हैं। ग्रामीण गृह प्रकाश हेतु सौर लालटेनों के उपयोग को बढ़ावा, ग्रामीण भारत के लिए आर्थिक सम्पन्नता एवं जीवन गुणवत्ता को शामिल करने के लिए प्रत्याशित है। परियोजना क्षेत्र बड़ा है और आपूर्ति श्रृंखला तथा प्रचालन एवं रखरखाव कार्यकलापों से रोजगार उत्पादन की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक गांवों को शामिल किया जा सकता है।

3. सीएसआर हेतु संस्थागत ढांचा

कंपनी के निदेशक मंडल की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, जिसका प्रमुख स्वतंत्र निदेशक है, सीएसआर कार्यकलापों का निरीक्षण करता है और निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार आवधिक रूप में उनकी समीक्षा करता है। प्रत्येक परियोजना पर दो स्तरीय स्क्रीनिंग समिति अर्थात (i) डीजीएम/एजीएम स्तर के अधिकारियों के पहले स्तर की समिति और (ii) वरिष्ठ स्तर की समिति, जिसका प्रमुख कंपनी के कार्यपालक निदेशक स्तर का अधिकारी होता है, द्वारा विचार किया जाता है और इसके बाद सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी लेने से पूर्व सीएसआर समिति के निदेशकों द्वारा वित्त व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाता है और समीक्षा की जाती है। सीएसआर कार्यकलापों की प्रगति रिपोर्टों को भी समय-समय पर निदेशकों की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और निदेशक मंडल, आरईसी को भी प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाओं/पहलों को एजेंसियों की मदद से प्रचालनों के प्रमुख क्षेत्रों के अनुरूप पूरा किया जा रहा है, जो या तो टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस/किसी अन्य त्वरित एजेंसियों में सूचीबद्ध है, और/या फिर उन्हें सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संगठनों में अथवा पीएसयू/सरकारी निकायों के जरिए अथवा अन्य पीएसयू के साथ गठबंधन करके कार्य करने का पिछला कार्य अनुभव हो।

4. सीएसआर परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन प्रगति/मॉनीटरिंग दिशानिर्देश

सीएसआर एवं स्थायित्व संबंधी आरईसी नीति और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकांश सीएसआर पहलों को ''परियोजना'' विधि में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन को समय-समय पर मानीटर किया गया है ताकि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन प्रगति/मानीटरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाया जा सके।

5. चयनित परियोजनाओं का मूल्यांकन

कंपनी द्वारा शुरू किए गए सीएसआर पहलों के पांच चयनित क्षेत्रों में निम्नलिखित चुनिंदा परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) को सौंपा गया था:

चयनित क्षेत्र	परियोजनाएं	स्थान
शिक्षा	सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थापना	दिल्ली और उत्तराखंड
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना	अविद्युतीकृत गांवों में सौर प्रकाश का व्यवस्थापन	असम
ग्रामीण विद्युतीकरण आपूर्ति माडल	दूरस्थ एवं असुलभ अविद्युतीकृत हैमलेटों में माइक्रो ग्रिड के जरिए ''स्मार्ट ग्रीन पावर प्रोजेक्ट''	राजस्थान
ग्रामीण उद्योग प्रोत्साहन	क्राफ्ट परम्परा को पुनर्जीवित करना और कारीगरों को स्थायी जीविका प्रदान करना	गुजरात
रोजगार अवसर सृजन हेतु महत्वपूर्ण कौशल विकास	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 500 शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पड़ोसी राज्य

मूल्यांकन रिपोर्टें परियोजनाओं के संतोषप्रद क्रियान्वयन और परियोजना क्षेत्रों में लाभार्थियों एवं समाज पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं।

6. जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच चलाए जा रहे सीएसआर कार्यकलापों के बारे में जागरूकता लाने के लिए उन्हें कई उपाय किए हैं जैसे कि उन्हें परियोजना की मानीटरिंग में शामिल करना, माल एवं सेवा आदि के प्रापण एवं वितरण में देखरेख करना तथा अपने भौगोलिक क्षेत्र में सीएसआर परियोजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना जैसे सीएसआर कार्यकलापों के पोस्टरों/विज्ञापनों/प्रेस सूचनाओं का और सफल कहानियों का समय-समय पर इसके कार्यालयों में प्रचार-प्रसार किया गया है। सीएसआर नीतियों/परियोजनाओं के संबंध में सूचना को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जा रहा है।

प्रचार प्रक्रिया के भाग के रूप में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों एवं कंपनी द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों के ब्यौरों को संकलित करने वाली एक कारपोरेट विवरणिका को माह मई, 2014 में प्रकाशित किया गया था और विभिन्न हितधारकों को परिचालित किया गया था।

सीएसआर कार्य में नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं रि- ओरिएंटेशन प्रदान किया गया था और सीएसआर पर आवधिक रूप से संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/परामर्शी बैठकों की जानकारी दी गई थी। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को भी कंपनी के अपने कारपोरेट कार्यालय लखनऊ एवं चेन्नई कार्यालयों में इंडियन सेंटर फार सीएसआर एंड टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को सीएसआर के विभिन्न स्तरों में संवेदनशील बनाने की दृष्टि से सीएसआर के संबंध में, डीपीई दिशानिर्देशों एवं सीपीएसई संबंधी स्थायित्व की दिशा में संवेदनशील बनाने के लिए कर्मचारियों के बीच सीएसआर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संचालित किए गए थे।

7. पुरस्कार एवं सम्मान

कंपनी को 1 अक्तूबर, 2013 को सीएसआर पहलों के तहत वित्तपोषित ''मल्टी फैसीलिटी हैल्थ पैकेज फॉर ओल्ड ऐज होम्स'' परियोजना के सम्मान में आयोजित समारोह में वृद्ध व्यक्ति संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हेल्पेज इंडिया ''गोल्ड प्लेट अवार्ड'' से

निदेशक (तकनीकी) आरईसी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वृद्धजन संबंधी हेल्पेज इंडिया ''गोल्ड प्लेट अवार्ड'' प्राप्त करते हुए।

सम्मानित किया गया था। आरईसी बहु सुविधा युक्त स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराती है जिसमें भारत के 8 राज्यों में वृद्ध लोगों को सम्मान के साथ स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में 40 वृद्ध आश्रमों को अधिक जरूरतमंद चिकित्सा एवं फिजियोथैरेपी यंत्र/उपकरण शामिल हैं।

8. संसदीय स्थायी समिति का दौरा

उद्योग के संबंध में विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने माह मार्च, 2014 में कोलकाता, पोर्टब्लेयर और चेन्नई का दौरा किया और 1 मार्च, 2014 को कोलकाता में सीएसआर हेतु आरईसी सहित कुछ पीएसयू का चयन किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण किया गया था।

9. प्रलेखन

अभिज्ञात चयनित क्षेत्रों, सीएसआर दृष्टिकोण, नीतियों, कार्यक्रमों, क्रियान्वयन, मानीटरिंग व्यय आदि, जिसमें प्रचार सामग्री, प्रसारण सामग्री शामिल है, के भीतर पहचान, मूल्यांकन एवं मंजूरी से संबंधित प्रलेखन को विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए अनुरक्षित रखा गया है।

10. लागू करना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची-VII के उपबंध तथा ''कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति), नियमावली, 2014'' (नियम), 1 अप्रैल, 2014 से लागू होंगे। उपरोक्त विनियामक परिवर्तनों की दिशा में ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व'' संबंधी मौजूदा आरईसी नीति, जो व्यापक रूप से डीपीई द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों संबंधी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप है; को कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों एवं उसके तहत बने नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है और आरईसी की संशोधित ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति'' 1 अप्रेल, 2014 से लागू हो गई है।

11. आभार

कंपनी के निदेशकों की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति समय-समय पर प्राप्त असीम सहायता एवं मूल्यवान मार्गदर्शन हेतु विद्युत मंत्रालय, कंपनी के निदेशक मंडल तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी के हृदय से आभारी हैं। समिति स्थानीय प्रशासन/ग्राम प्राधिकारियों एवं कारपोरेट कार्यालय में कंपनी के कर्मचारियों तथा सीएसआर कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न परियोजना एवं आंचलिक कार्यालयों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रयासों का भी आभार व्यक्त करती और सराहना करती है।

12. उत्तरदायित्व विवरण

सीएसआर नीति का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

(प्रकाश ठक्कर)
निदेशक (तकनीकी)

(देवी सिंह)
अध्यक्ष, निदेशकों की सीएसआर समिति

नई दिल्ली
9 जून, 2014

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-VIII

बांडों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण

(सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/18/2013 दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 की शर्तों के अनुसार)

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	स्क्रिप कोड
1.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17 आर, कमानी मार्ग, बिलियार्ड इस्टेट, मुंबई-400001 संपर्क:श्री अजीत गुरूजी, फोन: 022-40807001 फैक्स: 022-66311776 ई-मेल: ajit.guruji@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com वेबसाइट: www.idbitrustee.com	आईएनईओ 20बी07 एएक्स 7	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. एसआर 73 6.90 बीडी 8 अक्तू 14 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 बीपी 1	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 75-आई 7.2 एलओए 17सितं. 14 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 बीजी 0	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 75-जे 7.2 एलओए 17मार्च.15 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 बीडब्ल्यू 7	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 77-डी 7.3 एलओए 30 जून 14 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 बीएक्स 5	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 77-एफ 7.3 एलओए 30 जून 15 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 सीके 0	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 78-7.65 एलओए 16 जून 16 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 सीएल 8	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 79-7.85 एलओए 14मार्च 16 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 सीएम 6	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 80- 8.20 एलओए 20मार्च 16 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 सीक्यू7	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 81- 8.85 एलओए 20 जन.17 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 सीयू9	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 82- 9.85 एलओए 28 सितं.17 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 डीई1	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 83- 9.07 एलओए 28 फर.18 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 डीजी6	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 85- 9.68 एलओए 13 जून 18 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 डीटी9	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 86 ए- 10.70 एलओए 29 जुलाई 18 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 डीडब्ल्यू 3	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 86बी- iii 10.85 एलओए 14 अगस्त 18 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 डीवाई9	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 87-ii 10.85 एलओए 30 सितं.18 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 ईबी 5	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 87ए-iii 11.15 एलओए 24 अक्तू.18 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 ईजी 4	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 88- 8.65 एलओए 15 जन.19 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 ईके 6	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 89-ii -7.70 एलओए 02 जून 14 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 ईपी 5	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 90 -8.80 एलओए 03 अगस्त 19 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 ईओ 8	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 90ए-ii -8.00 एलओए 05 अगस्त 14 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ20बी07ईक्यू 3	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 90बी-i -8.35 एलओए 04 सितं.14 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 ईआर 1	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 90बी-ii -8.72 एलओए 04 सितं. 19 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 ईवी 3	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 90सी-ii -8.80 एलओए 06 अक्तू. 19 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 ईवाई 7	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 91-ii -8.80 एलओए 17 नवं. 19 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 एफसी 0	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 92-ii -8.65 एलओए 22जन.20 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 एफएफ 3	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 93-ii -8.45 एलओए 19 फर. 15 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ20बी07 एचडब्ल्यू 4	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 116-i -9.05 बीडी 17 अक्तू. 16 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 एचएक्स 2	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. 116-ii -9.24 बीडी 17 अक्तू. 18 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 एचवाई 0	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. एसआर 117 -9.38बीडी 06नवं. 18 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बीओ7 एचजैड 7	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. एसआर 118 -9.61 बीडी 03 जन. 19 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 आईए 8	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. एसआर 119 -9.63 बीडी 05 फर. 19 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 आईबी 6	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. एसआर 120 -9.67 बीडी 10 मार्च. 17 एफवीआरएस 10 लाख
		आईएनईओ 20बी07 आईआई 1	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपो. एसआर 121 -9.52 बीडी 25 मार्च. 17 एफवीआरएस 10 लाख

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	स्क्रिप कोड
2.	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लि. 8, खेतान भवन, 5वां तल, 198 जे.टी.रोड, चर्च गेट, मुंबई-400020 संपर्क:श्री अजीत जोशी फोन: 022-43025555 फैक्स: 022-43025500 ई-मेल: corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com	वित्तीय वर्ष 2011-12, वित्तीय वर्ष 2012-13, वित्तीय वर्ष 2013-14 में आबंटित आरईसी टैक्स फ्री बांडों के सार्वजनिक निर्गम हेतु	
3.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17 आर, कमानी मार्ग, मुंबई-400001 संपर्क: श्री प्रदीप हांडे सुश्री स्वाति बोरकार फोन: 022-56311771-3 फैक्स: 022-56311776 ई-मेल: itsl@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com	ऋंखला VIII और ऋंखला IX (01-04-2013 से और इसके बाद आबंटन) के अंतर्गत आबंटित 54 ईसी केपिटेल गेन बांडों के लिए	
4.	आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लि. दि आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051 संपर्क: सुश्री श्वेता अग्रवाल फोन: 022-26593843 फैक्स: 022-26533297 ई-मेल: shweta.agrawal@ilfsindia.com, dtoperations.itcl@ilfsindia.com	ऋंखला I (वित्तीय वर्ष 2010-11)और ऋंखला II (वित्तीय वर्ष 2011-12) के अंतर्गत आबंटित इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों के लिए	

31 मार्च, 2014 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	1	**987.46**	987.46
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	**19,682.00**	16,466.92
उप-जोड़ (1)		**20,669.46**	17,454.38
(2) गैर-चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालिक उधार	3	**110,162.30**	90,960.38
(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	**173.69**	-
(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	**23.52**	80.25
(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	6	**442.24**	188.45
उप-जोड़ (2)		**110,801.75**	91,229.08
(3) चालू देयताएं			
(क) अल्पकालिक उधार	7	**2,540.00**	2,480.00
(ख) अन्य चालू देयताएं	8	**18,583.73**	19,116.40
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	6	**257.96**	227.43
उप-जोड़ (3)		**21,381.69**	21,823.83
जोड़ (1+2+3)		**152,852.90**	130,507.29
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां	9		
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**69.67**	67.59
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**2.45**	3.71
(iii) पूंजीगत चालू कार्य		**9.71**	8.75
		81.83	80.05
(ख) गैर-चालू निवेश	10	**1,660.63**	613.45
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	**-**	9.51
(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	11	**135,898.97**	114,574.53
(ङ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	12	**32.12**	187.99
उप-जोड़ (1)		**137,673.55**	115,465.53
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	10	**47.16**	47.16
(ख) नकदी और बैंक शेष	13	**1,192.94**	1,484.26
(ग) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	**381.58**	1,915.95
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	**13,557.67**	11,594.39
उप-जोड़ (2)		**15,179.35**	15,041.76
जोड़ (1+2)		**152,852.90**	130,507.29

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 40 टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अभिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747एन

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे		टिप्पणी सं.	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनों से राजस्व	16	**17,017.98**	13,537.37
II.	अन्य आय	17	**102.82**	61.30
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**17,120.80**	13,598.67
IV.	**व्यय**			
	(i) वित्तीय लागत	18	**10,038.46**	8,083.76
	(ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	19	**129.91**	151.84
	(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन	9	**4.21**	3.75
	(iv) अन्य व्यय	20	**105.47**	64.69
	(v) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**47.32**	25.00
	(vi) मानक ऋण परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक भत्ता		**264.70**	105.68
	कुल व्यय (IV)		**10,590.07**	8,434.72
V.	**पिछली अवधि की मदों एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**6,530.73**	5,163.95
VI.	पिछली अवधि की मदें		**-0.39**	-
VII.	**कर-पूर्व लाभ (V-VI)**		**6,531.12**	5,163.95
VIII.	**कर व्यय:**			
	(i) चालू वर्ष		**1,704.66**	1,345.79
	(ii) पिछले वर्ष /(वापसियां)		**14.04**	-
	(iii) आस्थगित कर		**128.72**	0.54
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**1,847.42**	1,346.33
IX.	**सतत प्रचालनों से अवधि का लाभ (VII-VIII)**		**4,683.70**	3,817.62
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		**-**	-
XI.	**इस अवधि का लाभ (IX+X)**		**4,683.70**	3,817.62
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में)**			
	(1) मूल	21	**47.43**	38.66
	(2) डायल्यूटिड	21	**47.43**	38.66

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 40 टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अभिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखाकरण परम्परा:-** वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में अधिसूचित है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परम्परा के तहत तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग:-** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. राजस्व मान्यता

निगम ने स्वयं के विस्तृत विवेकपूर्ण मानदंडों का निरूपण किया है। लेखांकन आरईसी के इन विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान की मुख्य विशेषताएं नीचे पैरा 2.1क, 2.1 ड़, 2.2 और 2.3 में दिए गए हैं।

2.1. आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः संरचित एवं प्रतिधारित हो, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है।

(अनर्जक परिसम्पत्तियां) ऋणों के संबंध में आय को प्रोद्भवन आधार पर तब स्वीकार किया जाता है जब उचित रूप से अपेक्षित हो कि कर्जदारों से देय राशियों की प्राप्ति की कोई अनिश्चितता नहीं है और यह तब तक पुनः बातचीत अथवा पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना शर्तों के अधीन संतोषप्रद निष्पादन नहीं है जब तक कि पुनः बातचीत अथवा पुनः निर्धारण अथवा पुनःसंरचना शर्तों के तहत संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है।

ख. आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के सेवा प्रभारों की आय को दी गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सेवा प्रभारों की रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

ड. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परन्तु यह तब जबकि इन लिखतों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

(3) कारपोरेट निकायों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

2.2 परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण के किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामतः

(i) **मानक परिसंपत्तियां:** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन और ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

मानक अवसंरचना ऋण परिसम्पत्ति का पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना अथवा पुनः वार्ता को पुनः वर्गीकृत किए जाने की जरूरत नहीं होगी यदि संशोधित परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवहार्य होना पाया गया हो।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(ii) **उप-मानक परिसंपत्तियां**: 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है:

(क) ऐसी परिसंपत्तियां जो 18 महीने से अनधिक अवधि तक अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हों;

(ख) ऐसी परिसंपत्तियां जिनके संबंध में ब्याज और/या मूलधन के बारे में करार की शर्तों के संबंध में पुनः बातचीत की गई हो या जिन्हें पुनः निर्धारित किया गया हो या जिन्हें पुनर्गठित किया गया हो, बशर्ते कि बातचीत या पुनः निर्धारण या पुनर्गठन की शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन का एक वर्ष समाप्त न हुआ हो।

(iii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां:** संदिग्ध परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो 18 माह से अधिक अवधि तक उप-मानक परिसंपत्ति रही हो।

(iv) **हानि परिसंपत्तियां:** हानि वाली परिसंपत्ति से तात्पर्य है -

क) ऐसी परिसंपत्ति जिन्हें आरईसी द्वारा उस सीमा तक हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया हो, जिस सीमा तक आरईसी द्वारा इसे बट्टेखाते नहीं डाला गया हो या ऐसी परिसंपत्ति जो 5 वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में रही हो, इनमें से जो भी पहले हो।

ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

मानक, उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि श्रेणी में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, सुविधाओं को निम्नलिखित अपवाद के साथ कर्जदार-वार वर्गीकृत किया जाएगा:

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग रूप में अभिज्ञेय हो और उसी परियोजना पर प्रयुक्त होती है, आरईसी परियोजना-वार आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

(i) **हानि वाली परिसंपत्तियां**: समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा:

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां:**

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अन्तर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को प्रावधान के संदिग्ध % रूप में माना गया है:	प्रावधान की प्रतिशतता
1 वर्ष तक	20 %
1 से 3 वर्ष	30 %
3 वर्ष से अधिक	50 %

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां:** 10% का प्रावधान किया जाएगा।

कोई परिसंपत्ति जिसे पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा पुनः संरचित किया गया है, एक उप-मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में परिसंपत्ति अथवा संदिग्ध परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो, बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारण या पुनः संरचना से पूर्व थी। ऐसी उक्त परिसंपत्ति पर उसे उन्नयीकृत किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

(iv) **मानक परिसंपत्तियां:** मानक परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान बकाया मानक परिसंपत्तियों के 0.25% दर पर किया जाता है।

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितकरण के बाद ही प्रत्यावर्तित है।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसम्पत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

4. मूल्यह्रास

4.1. परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, बशर्ते कि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया गया हो बजाय इस पर मूल्यह्रास क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित हो।

4.3. वर्ष के दौरान क्रय की गई ₹ 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4. पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान की तुलना में व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। वर्तमान निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा करयोग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) के तहत अधिसूचित है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलपनपत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूलीयोग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलपनपत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलपनपत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1. बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2. निगम बांड संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3. निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परन्तु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (विदेशी वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

12. पूर्वावधि/पूर्व प्रदत्त समायोजन

12.1. व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षों की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2. प्रत्येक मामलों में ₹ 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

14.1 विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरू में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

1 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरूहोने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में, प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्‌गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के अंतर का अंतरण लेखा'' में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्‌गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

14.2 भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा ऋण के भाग का उल्लेख विनिमय लेन-देनों में निर्धारित दर पर किया जाता है न कि वर्ष के अंत की दरों में अंतरित किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान कीघ अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1 व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

लेखा टिप्पणियां

1. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**1,200,000,000**	**1,200.00**	1,200,000,000	1,200.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	**987,459,000**	**987.46**	987,459,000	987.46
योग	**987,459,000**	**987.46**	987,459,000	987.46

1.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम, 1956 (अनुप्रयोज्य सीमा में), कंपनी अधिनियम 2013 (अनुप्रयोज्य सीमा में) के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड) के साथ निष्पादित सूचीकरण करारों और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं।

1.2 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक:

नाम	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**648,168,218**	**65.64%**	659,607,000	66.80 %
भारतीय जीवन बीमा निगम	**59,352,864**	**6.01%**	36,853,654	3.73 %

2. आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
पूंजीगत आरक्षित निधि		**105.00**		105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 2.1 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**3,222.48**		3,222.43
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन		**1.24**		0.05
वर्ष के अंत में शेष		**3,223.72**		3,222.48
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 2.2 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**160.19**		113.99
जोड़ें: अधिशेष लेखें से अंतरित रकम		**185.79**		46.20
वर्ष के अंत में शेष		**345.98**		160.19
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**5,529.64**		4,587.64
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		**1,291.00**		942.00
वर्ष के अंत में शेष		**6,820.64**		5,529.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**980.97**		754.97
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		**288.00**		226.00
वर्ष के अंत में शेष		**1,268.97**		980.97

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अन्तरण अंतर खाते (टिप्पणी 2.3 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**-160.28**		-181.88
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/ हानि (-)		**-676.64**		-56.97
वर्ष के दौरान परिशोधन		**304.27**		78.57
वर्ष के अंत में शेष		**-532.65**		-160.28
सामान्य आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**3,111.40**		2,729.40
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		**470.00**		382.00
वर्ष के अंत में शेष		**3,581.40**		3,111.40
अधिशेष लेखा				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**3,517.52**		2,244.03
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ		**4,683.70**		3,817.62
घटाएं: विनियोजन				
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,291.00**		942.00	
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**288.00**		226.00	
- लाभांश				
- अंतरिम लाभांश	**765.28**		666.53	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**172.81**		148.12	
- लाभांश संवितरण कर				
- अंतरिम लाभांश	**130.06**		108.11	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**29.34**		25.17	
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**185.79**		46.20	
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**470.00**	**3,332.28**	382.00	2,544.13
वर्ष के अंत में शेष		**4,868.94**		3,517.52
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि		**19,682.00**		16,466.92

2.1 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम पर प्राप्त ₹ 1.24 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 0.05 करोड़) के प्रीमियम को निरूपित करता है।

2.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117ग के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.02.2013 को जारी परिपत्र संख्या 4/2013 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है।

तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 185.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.20 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

2.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अन्तरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/ लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित किए जाने वाली शेष राशि ₹ 532.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 160.28 करोड़) है।

लेखा टिप्पणियां

2.4 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर राशि		
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)	172.81	148.12
- लाभांश की दर	17.50%	15.00 %
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	1.75	1.50

3. दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि उधार' के रूप में वर्गीकृत किया गया और टिप्पणी 8 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिवक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ए) प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां				
(क) बॉण्ड				
- संस्थागत बॉण्ड	24,974.50	2,925.88	17,297.38	3,826.32
- 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	10,253.16	5,239.36	10,142.61	5,043.89
- कर मुक्त बॉण्ड	11,648.41	-	5,648.41	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंकों से	-	19.40	19.40	19.40
- वित्तीय संस्थाओं से	2,645.00	350.00	1,800.00	2,220.00
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	49,521.07	8,534.64	34,907.80	11,109.61
(बी) अप्रतिभूत दीर्घ अवधि ऋण				
(क) बॉण्ड				
- संस्थागत बॉण्ड	41,979.20	4,565.80	39,695.00	2,440.00
- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	376.32	-	376.32	-
- जीरो कूपन बॉण्ड	844.08	-	779.11	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंको से	125.00	125.00	250.00	500.00
- भारत सरकार से	3.07	4.86	7.93	7.21
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम				
- विदेशी मुद्रा उधारियां	17,313.56	307.59	14,944.22	293.97
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि (क+ख+ग)	60,641.23	5,003.25	56,052.58	3,241.18
कुल दीर्घावधि उधार (क+ख)	110,162.30	13,537.89	90,960.38	14,350.79
कुल दीर्घावधि ऋण (गैर चालू + चालू)	123,700.19		105,311.17	

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

लेखा टिप्पणियां

दीर्घावधि ऋण के ब्योरे:

3.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्यौरे:
(प्रतिभूति के ब्योरों के लिए टिप्पणी 3.3 को देखें)

3.1.1 बांड

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.1.1.1	**संस्थागत बांड**				
	92-II श्रृंखला	**945.30**	**-**	945.30	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
	91-II श्रृंखला	**995.90**	**-**	995.90	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय				
	90- सी-II श्रृंखला	**1,040.00**	**-**	1,040.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2019 को विमोचनीय				
	90- ख-II श्रृंखला	**868.20**	**-**	868.20	-
	8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
	90वीं श्रृंखला	**2,000.00**	**-**	2,000.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक on 03.08.2019 को विमोचनीय				
	119वीं श्रृंखला	**2,090.00**	**-**	-	-
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय				
	88वीं श्रृंखला	**1,495.00**	**-**	1,495.00	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
	118वीं श्रृंखला	**1,655.00**	**-**	-	-
	9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय				
	117वीं श्रृंखला	**2,878.00**	**-**	-	-
	9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय				
	87-क-III श्रृंखला	**61.80**	**-**	61.80	-
	11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
	116-II श्रृंखला	**850.00**	**-**	-	-
	9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय				
	87-II श्रृंखला	**657.40**	**-**	657.40	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2018 को विमोचनीय				
	86-ख-III श्रृंखला	**432.00**	**-**	432.00	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				
	86-क श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	10.70% सममूल्य पर दिनांक 29.07.2018 को विमोचनीय				
	85वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
	83वीं श्रृंखला	**685.20**	**-**	685.20	-
	9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				
	82वीं श्रृंखला	**883.10**	**-**	883.10	-
	9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
	121वीं श्रृंखला	**1,600.00**	**-**	-	-
	9.52% सममूल्य पर दिनांक 25.03.2017 को विमोचनीय				

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
120वीं श्रृंखला	**1,100.00**	**-**	-	-
9.67% सममूल्य पर दिनांक 10.03.2017 को विमोचनीय				
81वीं श्रृंखला	**314.80**	**-**	314.80	-
8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
116-I श्रृंखला	**430.00**	**-**	-	-
9.05% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2016 को विमोचनीय				
80वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचनीय				
79वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचनीय				
78वीं श्रृंखला	**1,795.70**	**-**	1,795.70	-
7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचनीय				
93-II श्रृंखला	**-**	**443.10**	443.10	-
8.45% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2015 को विमोचनीय				
73वीं श्रृंखला	**-**	**46.78**	46.78	46.78
6.90% सममूल्य पर 46.78 करोड़ ₹ के समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय, अगली किस्त 08.10.2014 को देय है।				
75वीं श्रृंखला	**-**	**100.00**	100.00	100.00
7.20% सममूल्य पर ₹ 50.00 करोड़ के समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में विमोचनीय, अगली किस्त 17.09.2014 को देय है।				
90-ख-I श्रृंखला	**-**	**883.90**	883.90	-
8.35% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2014 को विमोचनीय				
90- क-II श्रृंखला	**-**	**1,000.00**	1,000.00	-
8.00% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2014 को विमोचनीय				
77वीं श्रृंखला	**197.10**	**197.10**	394.20	197.10
7.30% सममूल्य पर ₹ 197.10 करोड़ के समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय, अगली किस्त 30.06.2014 को देय है।				
89-II श्रृंखला	**-**	**255.00**	255.00	-
7.70% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2014 को विमोचनीय				
69वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	133.84
6.05% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2014 को विमोचनीय				
87-ग-III श्रृंखला	**-**	**-**	-	860.00
11.50% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2013 को विमोचनीय				
87- क-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	36.40
11.20% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2013 को विमोचनीय				
87-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	370.20
10.90% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2013 को विमोचनीय				
86- ख -II श्रृंखला	**-**	**-**	-	354.10
10.90% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2013 को विमोचनीय				
86वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	727.90
10.75% सममूल्य पर दिनांक 24.07.2013 को विमोचनीय				
84वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,000.00
9.45% सममूल्य पर दिनांक 04.04.2013 को विमोचनीय				
कुल संस्थागत बॉड	**24,974.50**	**2,925.88**	17,297.38	3,826.32

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.1.1.2	**54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड**				
	श्रृंखला IX (2013-14)	**5,349.91**	**-**	-	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला VIII (2012-13)	**4,903.25**	**-**	4,903.25	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला VIII (2011-12)	**-**	**5,239.36**	5,239.36	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला VIII (2010-11)	**-**	**-**	-	5,043.89
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान विमोचनीय				
	जोड़ - 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड	**10,253.16**	**5,239.36**	10,142.61	5,043.89
3.1.1.3	**कर मुक्त बांड**				
	श्रृंखला 2013-14 ट्रांचे 2	**1,059.40**	**-**	-	-
	सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बांड 24.03.2024 को विमोचनीय है, ₹ 530.42 करोड़ के बांड 24.03.2029 को विमोचनीय है और ₹ 109.66 करोड़ के बांड 24.3.2034 को विमोचनीय है, और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 8.19% से 8.88% के बीच हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	**150.00**	**-**	-	-
	₹ 105.00 करोड़ के बांड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोचनीय हैं, और ₹ 45.00 करोड़ के बांड 11.10.2028 को विमोचनीय हैं, जो वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 8.18% से 8.54% के बीच हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 ट्रांचे 1	**3,440.60**	**-**	-	-
	₹ 575.06 करोड़ के बांड सममूल्य पर 24.09.2023 को विमोचनीय हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 24.09.2028 को विमोचनीय है और ₹ 55.28 करोड़ 24.09.2033 को विमोचनीय है जो वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 8.01% से 8.77% के बीच हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	**1,350.00**	**-**	-	-
	₹ 209.00 करोड़ के बांड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोचनीय है और ₹ 1,141.00 करोड़ के बांड 29.08.2028 को विमोचनीय है, जो वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 8.01% से 8.46% के बीच हैं।				
	श्रृंखला 2012-13-ट्रांचे 2	**131.06**	**-**	131.06	-
	सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 81.35 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 25.03.2023 को विमोचनीय है और ₹ 49.71 करोड़ के बांड दिनांक 25.03.2028 को विमोचनीय है और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 6.88% से 7.54% के बीच है।				
	श्रृंखला 2012-13-ट्रांचे 1	**2,017.35**	**-**	2,017.35	-
	सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 1,165.31 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय है और ₹ 852.4 करोड़ के बांड दिनांक 19.12.2027 को विमोचनीय है और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.22% से 7.88% के बीच है।				
	श्रृंखला 2012-13-श्रृंखला 2क और 2ख	**500.00**	**-**	500.00	-
	सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 255.00 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय है और ₹ 245.00 करोड़ के बांड दिनांक 21.11.2027 को विमोचनीय है और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.21% से 7.38% के बीच है।				
	श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 839.67 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 27.03.2022 को विमोचनीय है और ₹ 2,160.33 करोड़ के बांड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय है और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.93% से 8.32% के बीच है।				
जोड़ - कर-मुक्त बांड	**11,648.41**	**-**	5,648.41	-

3.1.2 आवधिक ऋण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
बैंक से आवधिक ऋण				
- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	**-**	**19.40**	19.40	19.40
7.25% ऋण जो ₹ 9.70 करोड़ की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 24.09.2014 को देय है।				
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण				
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	**1,450.00**	**350.00**	1,800.00	350.00
₹ 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में 6.242% की दर पर ₹ 400 करोड़ तथा 6.231% की दर पर ₹ 200 करोड़ बकाया है) ₹ 2000 करोड़ (जो वर्तमान 7.35% की दर पर ₹ 1,200 करोड़ बकाया है) क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू10 समान वार्षिक किस्तों में देय है।				
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	**1,195.00**	**-**	-	1,870.00
10.00% ऋण जो दिनांक 10.09.2023 को देय है।				
जोड़: आवधिक ऋण	**2,645.00**	**369.40**	1,819.40	2,239.40

3.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:

3.2.1 बांड

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.1.1 संस्थागत बांड				
95-II श्रृंखला	**1,800.00**	**-**	1,800.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2025 को विमोचनीय				
94वीं श्रृंखला	**1,250.00**	**-**	1,250.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2025 को विमोचनीय				
115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टीयर-II बांड	**2,500.00**	**-**	-	-
8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय				
114वीं श्रृंखला	**4,300.00**	**-**	-	-
8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय				
111-II श्रृंखला	**2,211.20**	**-**	2,211.20	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
107वीं श्रृंखला	**2,378.20**	**-**	2,378.20	-
9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय				
105वीं श्रृंखला	**3,922.20**	**-**	3,922.20	-
9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय				

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
101-III श्रृंखला	**3,171.80**	**-**	3,171.80	-
9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
100वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
98वीं श्रृंखला	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
97वीं श्रृंखला	**2,120.50**	**-**	2,120.50	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2020 को विमोचनीय				
96वीं श्रृंखला	**1,150.00**	**-**	1,150.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 25.10.2020 को विमोचनीय				
113वीं श्रृंखला	**1,542.00**	**-**	1,542.00	-
8.87% सममूल्य पर दिनांक 08.03.2020 को विमोचनीय				
111-I श्रृंखला	**452.80**	**-**	452.80	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
108-II श्रृंखला	**960.00**	**-**	960.00	-
9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
95-I श्रृंखला	**200.00**	**-**	200.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
112वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
109वीं श्रृंखला	**1,734.70**	**-**	1,734.70	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 27.08.2017 को विमोचनीय				
108-I श्रृंखला	**2,125.00**	**-**	2,125.00	-
9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				
106वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
103-I श्रृंखला	**50.00**	**-**	-	915.00
9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय				
102वीं श्रृंखला	**2,216.20**	**-**	2,216.20	-
9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				
101-II श्रृंखला	**394.60**	**-**	394.60	-
9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय				
74वीं श्रृंखला	**-**	**250.00**	250.00	-
7.22% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2014 को विमोचनीय				
110वीं श्रृंखला	**-**	**3,475.00**	3,475.00	-
8.84% सममूल्य पर दिनांक 16.10.2014 को विमोचनीय				
101-I श्रृंखला	**-**	**395.60**	395.60	-
9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय				
99-II श्रृंखला	**-**	**445.20**	445.20	-
9.75% सममूल्य पर दिनांक 07.06.2014 को विमोचनीय				
103-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	500.00
9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2013 को विमोचनीय				

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
104वीं श्रृंखला	-	-	-	1,025.00
9.30% सममूल्य पर दिनांक 03.05.2013 को विमोचनीय				
जोड़ - संस्थागत बांड	**41,979.20**	**4,565.80**	39,695.00	2,440.00

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.1.2 **इंफ्रास्ट्रक्चर बांड**				
श्रृंखला-II (2011-12)	**157.59**	-	157.59	-
सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.5 देखें।				
श्रृंखला-I (2010-11)	**218.73**	-	218.73	-
सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.5 देखें।				
जोड़: इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	**376.32**	-	376.32	-
3.2.1.3 **जीरो कूपन बांड**				
जेडसीबी - श्रृंखला - II - दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय	**151.35**	-	139.18	-
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय है)।				
जेडसीबी - श्रृंखला - I - दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय	**692.73**	-	639.93	-
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय है)।				
जोड़: जीरो कूपन बांड	**844.08**	-	779.11	-

3.2.2 आवधिक ऋण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.2.1 **बैंकों से आवधिक ऋण**				
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**125.00**	**125.00**	250.00	-
8.00% ऋण दिनांक 30.06.2014 और 30.06.2015 को समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय।				
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-	-	-	500.00
3.2.2.2 **भारत सरकार से ऋण**	**3.07**	**4.86**	7.93	7.21
मूलधन के संबंध में 30 वर्ष की मूल अवधि और पांच वर्ष के ऋण स्थगन सहित विभिन्न खंडों में ऋण और अवरोही छठी वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 समान वार्षिक किस्तों में 6.75% से 7.75% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ प्रतिदेय।				
जोड़ - आवधिक ऋण	**128.07**	**129.86**	257.93	507.21

3.2.3 अन्य ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.3.1 **विदेशी मुद्रा उधार**				
सीएचएफ बांड - सीएचएफ 200 मिलियन	**1,350.32**	-	1,139.38	-
3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
आरईजी एस बांड - 500 मिलियन अमरीकी डालर	**2,641.31**	**-**	2,498.55	-
4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचनीय				
जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**735.25**	**203.81**	921.89	192.61
0.75% जेआईसीए-I ऋण दिनांक 20.3.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 20.09.2014 को देय हो रही है और 0.65% जेआईसी-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक ¥995.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में देय हो रही है। अगली किश्त 20.09.2014 को देय है।				
केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**195.83**	**50.34**	246.17	47.92
3.73% ऋण 3.68 मिलियन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय। दिनांक 30.06.2014 को देय है।				
ईसीवी - बैंक- II से सिंडिकेट ऋण-400 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,788.96**	**-**	1,788.96	-
दिनांक 22.09.2015 को प्रतिदेय				
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मारीशस-70 मिलियन अमेरिकी डालर	**311.36**	**-**	311.36	-
दिनांक 28.10.2015 को प्रतिदेय।				
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मिजूहो - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	**446.50**	**-**	446.50	-
दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय।				
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - बीटीएमयू - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	**446.50**	**-**	446.50	-
दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - 300 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,367.24**	**-**	1,367.24	-
दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय।				
केएफडब्ल्यू-II ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**320.66**	**53.44**	374.10	53.44
2.89% ऋण जो € 3.88 एमएन के समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय है। अगली किस्त दिनांक 30.06.2014 को देय है।				
सिंडिकेट ऋण- ¥12.525 बिलियन	**1,184.43**	**-**	1,143.76	-
दिनांक 27.03.2017 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण- $250 मिलियन	**1,366.49**	**-**	1,366.49	-
150 मिलियन अमेरिकी डालर और 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण क्रमशः 17.09.2015 और 19.11.2015 को प्रतिदेय है।				
केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**416.99**	**-**	173.86	-
1.86% ऋण जो € 5.26 एमएन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त दिनांक 30.06.2015 को देय है।				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन	**1,488.37**	**-**	1,359.73	-
दिनांक 05.02.2016 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन	**1,473.07**	**-**	1,359.73	-
दिनांक 21.03.2016 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $285 मिलियन	**1,780.28**	**-**	-	-
दिनांक 02.12.2018 को प्रतिदेय।				
जोड़: विदेशी मुद्रा उधार	**17,313.56**	**307.59**	14,944.22	293.97

3.3 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखला 73, 75 को (क) 51 और 52/58-ख, 5वीं मंजिल, मित्तल टावर-ब्लॉक-II, बैकबे स्कीम, नरीमन प्वाइंट, कोलाबा मुंबई-400 005, महाराष्ट्र भारत के परिसर को बंधक रखकर और (ख) दिनांक 24 सिम्बर, 2010 के संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान एवं भावी दोनों में वसूलनीय एवं सुरक्षित पर समरूप प्रभार के साथ प्रतिभूत है और आईएल एवं एफएस ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड में बंधकित को छोड़कर है।

लेखा टिप्पणियां

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखला 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86ए, 86बी-III, 87-II, 87ए-II, 87 ए-III - 88, 89-II, 90, 90 ए -II, 90बी-I, 90 बी-II, 90 सी-II, 91-II, 92-II, 93-II और सभी 54ईसी पूंजीगत लाभ कर-मुक्त बांडों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली-110049 को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितम्बर, 2010 को संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को आडमान रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखलाएं 116-I, 116-II, 117, 118, 119, 120, 121 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके सुरक्षित हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बांडों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ ऋणपत्रों/बांड ट्रस्ट सहबंधीकरण विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमक और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांडों की बांड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584 पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्य बंधकित है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बांड, शॉप नं. 12, भू-तल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति हैं और आईएल एवं एफएल ट्रस्ट कम्पनी लि. के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ की प्राप्यों पर भाराक्रान्त हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584 पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूतित है और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कम्पनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर भाराक्रान्त हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांड एसबीआई कैप न्यासी कम्पनी लि. के पक्ष में कम्पनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

मियादी ऋण हमारी कम्पनी के प्राप्यों पर वर्तमान एवं भावी, दोनों में प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं, सुरक्षित हैं और आईएल एवं एफएस ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड को बंधीकृत कुछेक विशिष्ट प्राप्यों को छोड़कर हैं।

3.4 विदेशी मुद्रा उधारियों को 6 माह के यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर) पर 129 बीपीएस से 220 वीपीएस के फैलाव के रेंज में ब्याज दरों पर बढ़ाए गए हैं, सिवाय उन दरों के, जहां दरों का टिप्पणी सं. 3.2.3.1 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.5 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों का विवरण इस प्रकार है:

दिनांक 31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला-I (2010-11)

(₹ करोड़ों में)

ब्याज दर	रकम	विमोचन का विवरण
8.00%	61.60	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	151.74	
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	
जोड़	**218.73**	

दिनांक 15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ों में)

ब्याज दर	रकम	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	95.23	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	32.85	
9.15% संचयी	13.43	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	5.01	
8.95% संचयी	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
जोड़	**157.59**	

लेखा टिप्पणियां

4. आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (-) निवल

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	5.02	5.17
विदेशी मुद्रा विनिमय घटबढ़ हानि	181.04	-
जोड़	186.06	5.17
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अर्जित अवकाश देयता के लिए प्रावधान	7.79	7.93
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	4.58	4.12
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रावधान	-	2.63
जोड़	12.37	14.68
आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (-) (निवल)	173.69	-9.51

4.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत सृजित तथा अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती और इस प्रकार यह एएस-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गई है। जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) के तहत अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त प्रारक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

5. अन्य दीर्घावधिक देयताए

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
- उपचित ब्याज का गैर चालू भाग किंतु उधारों पर देय नहीं	23.52	80.25
जोड़	23.52	80.25

6. दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

	ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
	- निम्न के लिए प्रावधान				
(क)	**कर्मचारी लाभ**				
	अर्जित अवकाश देयता	20.19	2.73	19.54	3.78
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	63.43	3.21	54.26	1.54
	चिकित्सा अवकाश देयता	12.83	1.91	11.03	2.37
	निपटान भत्ता	1.02	0.14	1.03	0.13
	आर्थिक पुनर्वास योजना	2.58	0.07	1.95	0.28
	दीर्घ सेवा अवार्ड	3.02	0.36	2.44	0.62
	उप-जोड़ (क)	103.07	8.42	90.25	8.72
(ख)	**अन्य**				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	339.17	31.21	95.16	10.52
	पुनः समय निर्धारित ऋण परिसंपत्तियां	-	-	3.04	0.14
	प्रोत्साहन	-	15.42	-	34.03
	धन कर	-	0.37	-	0.37
	अनुषंगी लाभ कर	-	0.36	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश	-	172.81	-	148.12
	कारपोरेट लाभांश कर	-	29.37	-	25.17
	उप-जोड़ (ख)	339.17	249.54	98.20	218.71
	जोड़ (क + ख)	442.24	257.96	188.45	227.43

लेखा टिप्पणियां

6.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी को 31 मार्च, 2015 तक चरणबद्ध तरीके से ''मानक परिसंपत्तियों'' पर 0.25 प्रतिशत का प्रावधान सृजित करने की अनुमति दी थी। विगत वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 105.68 करोड़ की व्यवस्था की थी तथा शेष ₹ 264.70 करोड़ की पूर्ण राशि की व्यवस्था कर दी गई है जिससे यह वर्तमान वर्ष 2013-14 में ही बकाया मानक परिसंपत्तियों के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य हो गई है।

6.2 एएस-29 के तहत यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ों में)

निम्न के लिए प्रावधान	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित	बंद शेष
अर्जित अवकाश देयता	**23.32**	**6.17**	**6.57**	**22.92**
विगत वर्ष	23.45	5.66	5.79	23.32
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**55.80**	**15.05**	**4.21**	**66.64**
विगत वर्ष	46.82	11.75	2.77	55.80
चिकित्सा अवकाश देयता	**13.40**	**2.64**	**1.30**	**14.74**
विगत वर्ष	11.99	2.23	0.82	13.40
निपटान भत्ता	**1.16**	**0.10**	**0.10**	**1.16**
विगत वर्ष	1.12	0.07	0.03	1.16
आर्थिक पुनर्वास योजना	**2.23**	**0.89**	**0.47**	**2.65**
विगत वर्ष	2.19	0.25	0.21	2.23
दीर्घ सेवा अवार्ड	**3.06**	**0.94**	**0.62**	**3.38**
विगत वर्ष	3.01	0.45	0.40	3.06
मानक ऋण परिसंपत्तियां	**105.68**	**264.70**	**-**	**370.38**
विगत वर्ष	-	105.68	-	105.68
पुनः समय निर्धारित ऋण परिसंपत्तियां	**3.18**	**-**	**3.18**	**-**
विगत वर्ष	3.18	-	-	3.18
प्रोत्साहन	**34.03**	**10.95**	**29.56**	**15.42**
विगत वर्ष	25.10	41.47	32.54	34.03
अनुग्रह राशि	**-**	**-**	**-**	**-**
विगत वर्ष	0.10	-	0.10	-
धन कर	**0.37**	**0.37**	**0.37**	**0.37**
विगत वर्ष	0.38	0.36	0.37	0.37
अनुषंगी हितलाभ कर	**0.36**	**-**	**-**	**0.36**
विगत वर्ष	0.36	-	-	0.36
अंतरिम लाभांश	**-**	**765.28**	**765.28**	**-**
विगत वर्ष	-	666.53	666.53	-
प्रस्तावित लाभांश	**148.12**	**172.82**	**148.13**	**172.81**
विगत वर्ष	246.86	148.12	246.86	148.12
कारपोरेट लाभांश कर	**25.17**	**159.40**	**155.20**	**29.37**
विगत वर्ष	40.05	133.28	148.16	25.17
आय कर	**2,321.78**	**1,707.92**	**40.74**	**3,988.96**
विगत वर्ष	1,887.74	1,347.85	913.81	2,321.78

7. अल्पावधिक उधार

(₹ करोड़ों में)

	ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	**मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण, अप्रतिभूत**		
	- बैंकों से	-	500.00
	- वित्तीय संस्थाओं से	-	1,000.00
(ख)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	2,540.00	980.00
	जोड़ (क + ख)	2,540.00	2,480.00

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

लेखा टिप्पणियां

8. अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ों में)

	ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	**दीर्घावधिक कर्ज की वर्तमान परिपक्वताएं (देखें टिप्पणी 3)**	13,537.89	14,350.79
(ख)	**उपचित ब्याज किन्तु उधारों पर देय नहीं**	4,400.95	3,736.70
(ग)	**उपचित तथा उधारों पर देय ब्याज**	1.10	1.05
(घ)	**अग्रिम में प्राप्त आय**	0.01	0.01
(ड.)	**अप्रदत्त लाभांश**	2.31	1.84
(च)	**अप्रदत्त मूलधन तथा बांडों पर ब्याज**		
	- परिपक्व बांड तथा उन पर उपचित ब्याज	61.05	72.77
	- बांडों पर ब्याज	11.38	19.82
(छ)	**अन्य देय राशियां**		
	- भारत सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान	30,260.46	27,347.67
	जोड़ें : आर्थिक सहायता/अनुदान पर ब्याज (देखें टिप्पणी 8.3)	11.55	3.65
	घटाएं : लाभग्राहियों को संवितरित	-29,760.21	-27,330.93
	असंवितरित आर्थिक सहायता/अनुदान	511.80	20.39
	- भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	24.38	21.62
	- वित्तपोषित कर्मचारी लाभों के लिए देय राशियां	0.82	1.35
	- अन्य देयताएं	32.04	890.06
	उप-जोड़ (छ)	569.04	933.42
	जोड़ (क से छ)	18,583.73	19,116.40

8.1 त्वरित उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत आर्थिक सहायताः

कंपनी एक ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता निधि खाते का अनुरक्षण कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक पुनर्भुगतान समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष तथा पुनर्भुगतान अवधि कुछ भी होने के बावजूद भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का. ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के तहत निर्दिष्टात्मक दरों तथा वर्ष के अनुसार परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी आर्थिक सहायता (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गई थी। आहरण के समय विचार में ली गई निर्दिष्टात्मक दर तथा वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 3.53 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 5.20 करोड़) की निवल राशि ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता निधि की शेष राशि की द्योतक है, जिसे त्वरित उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यक्रम (ए जी एवं एस पी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्न शामिल हैं :-

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता निधि का आरंभिक शेष	5.20	7.76
जोड़े : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.22	0.26
घटाएं : उधारकर्ता को दी गई ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	1.89	2.82
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता का बंद शेष	3.53	5.20

इसके अतिरिक्त ₹ 0.44 करोड़ की राशि 02 अप्रैल, 2014 को संवितरित अनुदान के संबंध में ''अन्य देयताओं'' में शामिल की गई है।

8.2

भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियां पृथक बैंक खाते में रखी जाती हैं। योजना की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष ''अन्य वर्तमान देयताएं'' के तहत ''असंवितरित आर्थिक सहायता/अनुदान'' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई आर्थिक सहायता खाते में ₹ 38.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 20.02 करोड़) का अर्जित ब्याज जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ₹ 29.51 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 98.92 करोड़) की राशि का प्रतिदाय विद्युत मंत्रालय को आर्थिक सहायता पर कुल ब्याज में से किया गया है।

8.3 आर्थिक सहायता/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
आरंभिक शेष	3.65	83.14
जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	38.32	20.45
घटाएं : वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	29.51	98.92
घटाएं : एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	0.91	1.02
बंद शेष	11.55	3.65

9. 31 मार्च, 2014 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31.03.2014 को बंद	31.03.2013 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2014 को यथास्थिति	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.75	-	-	**34.75**	-	-	-	**-**	**34.75**	34.75
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	**1.45**	0.20	0.01	-	**0.21**	**1.24**	1.25
भवन	24.51	3.98	-	**28.49**	6.41	0.43	-	**6.84**	**21.65**	18.10
फर्नीचर और जुड़नार	7.49	0.29	1.04	**6.74**	4.26	0.29	0.48	**4.07**	**2.67**	3.23
वाहन	0.51	-	0.06	**0.45**	0.41	0.02	0.06	**0.37**	**0.08**	0.10
ईडीपी उपस्कर	15.22	1.10	0.49	**15.83**	8.35	1.87	0.27	**9.95**	**5.88**	6.87
कार्यालय उपस्कर	5.77	0.55	0.35	**5.97**	2.48	0.22	0.13	**2.57**	**3.40**	3.29
जोड़	89.70	5.92	1.94	**93.68**	22.11	2.84	0.94	**24.01**	**69.67**	67.59
पिछले वर्ष	88.02	2.46	0.78	**89.70**	19.78	2.73	0.40	**22.11**	**67.59**	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6.85	0.11	-	**6.96**	3.14	1.37	-	**4.51**	**2.45**	3.71
जोड़	6.85	0.11	-	**6.96**	3.14	1.37	-	**4.51**	**2.45**	3.71
पिछले वर्ष	4.34	2.51	-	**6.85**	2.12	1.02	-	**3.14**	**3.71**	
पूंजीगत चालू कार्य	8.75	0.96	-	**9.71**	-	-	-	**-**	**9.71**	8.75
पिछले वर्ष	7.92	0.83	-	**8.75**	-	-	-	**-**	**8.75**	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**	-
पिछले वर्ष	0.10	0.10	0.20	**-**	-	-	-	**-**	**-**	

9.1 कम्पनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 4.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.59 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी जी जा रही हैं।

9.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसम्पत्तियों में कमी' के अधीन यथा-अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9.3 एएस-26 'अमूर्त परिसम्पत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:

उपयोगी समय सीमा	5 वर्ष
समाशोधन दर	20%, 100% यदि परिसंपत्ति की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो
समाशोधन विधि	स्ट्रेट लाइन

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

लेखा टिप्पणियां

10. निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
लागत पर मूल्यांकित				
(1) गैर-चालू निवेश				
(क) अन्य निवेश (अनुद्धृत)				
(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
- सहायक कम्पनियां				
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	50,000	0.05
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्ण प्रदत्त हैं।				
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	50,000	0.05
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्ण प्रदत्त हैं।				
- संयुक्त उद्यम				
- इनर्जी इफीसिएंसी सर्विज लिमिटेड	**22,500,000**	**22.50**	22,500,000	22.50
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्ण प्रदत्त हैं।				
- अन्य				
- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	**1,250,000**	**1.25**	1,250,000	1.25
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सजेंच लिमिटेड	**16,000,000**	**16.00**	16,000,000	16.00
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड -II	**10**	**471.60**	12	565.92
प्रत्येक एक बांड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2014 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बांड)*				
(iii) वेंचर पूंजी निधियों में निवेश				
- केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड				
प्रति यूनिट ₹ 10.00 के अंकित मूल्य के 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि के यूनिट	**7,682,816**	**7.68**	7,682,816	7.68
₹ 9.70 प्रति यूनिट का एनएवी (पिछले वर्ष ₹ 9.77)				
(iv) ऋणों में निवेश	**114,150**	**1,141.50**	-	-
यूपी पॉवर कार्पोरेशन लि. के 9.68% बांड				
₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बांड				
जोड़ गैर-चालू निवेश (1)		**1,660.63**		613.45
(2) चालू निवेश				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II	**1**	**47.16**	1	47.16
प्रत्येक एक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2014 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड)*				
जोड़-चालू निवेश (2)		**47.16**		47.16
जोड़ (1+2)		**1,707.79**		660.61

* चालू अंश में बॉण्डों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 मास के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर-चालू अंश है।

लेखा टिप्पणियां

निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(i)	उद्धृत निवेशों की समग्र राशि	-	-
(ii)	अनद्धृत निवेशों की समग्र राशि		
	- गैर-चालू निवेश	1,660.63	613.45
	- चालू निवेश	47.16	47.16
(iii)	निवेशों के मूल्य में गिरावट के समग्र प्रावधान	-	-

10.1 निवेश में ₹ 7.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.68 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत 'स्माल इज ब्यूटीफुल' (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है। वर्ष के दौरान शून्य यूनिटों (पिछले वर्ष 1,42,311 यूनिट) को विमोचित किया गया था।

कम्पनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 7.68 करोड़	भारत	9.74%

10.2 लेखाकरण मानक - 27 के अधीन यथा अपेक्षित संयुक्त उद्यम में कम्पनी के ब्याज से संबंधित सूचना:

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात	25%
निगमन देश	भारत

31.03.2014 के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर इसके अपरीक्षित लेखों के आधार पर संयुक्त उद्यम के संबंध में वर्ष हेतु आय एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ों में)

कुल परिसम्पत्तियां	31.62
कुल देयताएं	4.90
कुल आरक्षित एवं अधिशेष	4.22
आकस्मिक देयताएं	Nil
पूंजी प्रतिबद्धताएं	5.52
कुल आय	8.39
कुल व्यय	7.13

11. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	**पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	20.20	23.79
(ख)	**प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	7.45	7.60
(ग)	**संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम**		
	- निदेशकों को	0.06	0.07
		0.06	0.07
(घ)	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (निदेशकों को छोड़कर)	15.85	13.73
	- ऋण परिसंपत्तियां	135,855.41	114,529.34
		135,871.26	114,543.07
	योग (क+ख+ग+घ)	135,898.97	114,574.53

लेखा टिप्पणियां

स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम तथा ऋण परिसम्पत्तियों के ब्यौरे:

11.1 स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ को ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-15 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**सुरक्षित स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(क1)	**निदेशकों को**				
	(क) शोध्य समझा गया	0.01	-	0.01	-
(क2)	**अन्य को**				
	(क) शोध्य समझा गया	4.13	0.69	3.78	1.01
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	0.02	0.05	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की राशि	0.02	0.05	-	-
		-	-	-	-
	उप-जोड़ (क1+क2)	4.14	0.69	3.79	1.01
(ख)	**अरक्षित स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(ख1)	**निदेशकों को**				
	(क) शोध्य समझा गया	0.05	0.03	0.06	0.04
(ख2)	**अन्यों को**				
	(क) सही समझा गया	11.72	4.51	9.95	5.94
	उप जोड़ (ख1+ख2)	11.77	4.54	10.01	5.98
	सकल जोड़ (क+ख)	15.91	5.23	13.80	6.99

11.2 ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-15 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत ऋण**				
(क1)	**राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों की अमूर्त/मूर्त परिसंपत्तियों को बंधक करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	82,521.17	7,670.75	66,215.52	6,781.75
(क2)	**अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	22,027.26	1,160.66	17,716.40	734.32
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	308.02	182.38	353.48	136.92
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	119.64	17.22	57.02	32.52
		188.38	165.16	296.46	104.40
	उप-जोड़ (क1+क2)	104,736.81	8,996.57	84,228.38	7,620.47
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**				
(ख1)	**संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	27,201.58	2,363.27	27,278.56	2,975.03
(ख2)	**राज्य सरकारों को ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	2,860.78	340.09	2,919.40	230.83
(ख3)	**ऋण - अन्य**				
	(क) शोध्य समझे गए	1,056.24	572.29	103.00	1.33
	उप-जोड़ (ख1+ख2+ख3)	31,118.60	3,275.65	30,300.96	3,207.19
	समग्र जोड़ (क+ख)	135,855.41	12,272.22	114,529.34	10,827.66

लेखा टिप्पणियां

11.2.1 31 मार्च, 2014 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 85% हेतु शेष ऋण अभिपुष्टियों की उधारकर्ताओं से प्राप्त किया गया है।

11.2.2 ऋण परिसम्पत्तियों में राज्य संवितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना स्कीम के अनुसार कम्पनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

12. अन्य गैर-परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश**	**4.03**	3.00
(ख)	**पुनः निर्धारित ऋणों पर उपचित ब्याज**	**2.11**	118.79
(ग)	**अग्रिम आय कर एवं टीडीएस**	**4,010.81**	2,379.01
	घटाएं: आयकर संबंधी प्रावधान	**3,988.96**	2,321.78
	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल)	**21.85**	57.23
(घ)	**अपरिशोधित व्ययों का गैर-चालू भाग:**		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	**4.13**	8.97
	जोड़ (क से घ)	**32.12**	187.99

13. नकदी और बैंक में शेष

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	- **बैंकों में शेष रकम**	**117.94**	366.33
	- **अन्य**		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशियां	**1,075.00**	1,117.93
	उप-जोड़ (क)	**1,192.94**	1,484.26
(ख)	**अन्य**	**-**	-
	जोड़ (क+ख)	**1,192.94**	1,484.26
	बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल है:		
	- बैंकों में अलग खातों में निर्दिष्ट शेष		
	- अप्रदत्त लाभांश हेतु	**2.31**	1.84
	- आरजीजीवीवाई अनुदान हेतु	**0.20**	2.81
	- एजी एंड एसपी अनुदान हेतु	**3.97**	6.11
	- अन्य अनुदान हेतु	**1.75**	2.35
	- कर मुक्त बांड पब्लिक इश्यू लेखा	**5.96**	0.63
	- अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि	**2.38**	-

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्प अवधि जमा में आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए ₹ 503.50 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 10.00 करोड़) शामिल है।

13.1 कम्पनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्येक 1,000.00 के अंकित मूल्य के कुल ₹ 2,148.41 करोड़ के कर-मुक्त बांडों का पब्लिक इश्यू दो भागों में जारी किया है, जो ₹ 500 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यू के अतिरिक्त है। 31 मार्च, 2013 को शेष अप्रयुक्त ₹ 0.63 करोड़ की इश्यू आय को अब प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 4,500 करोड़ के समग्र मूल्य के ₹ 1,000.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू किए हैं, जो ₹ 1,500 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के प्राइवेट प्लेसमेंट के अतिरिक्त हैं। पब्लिक इश्यू के तहत बांडों को निर्धारित दिशानिर्देशों में और 2013-14 के वित्तीय वर्ष के भीतर आबंटित किया गया है। इश्यू से प्राप्त राशि को प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है, जो ₹ 5.96 करोड़ के अतिरिक्त है, जिसे इसके उपयोग होने तक नामोदिष्ट पब्लिक इश्यू खाते में रखा गया है।

लेखा टिप्पणियां

14. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
	- संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम, (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए ऋण)	3.63	3.35
	- अन्य		
	- नकदी या वस्तु रू प में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए)	1.34	3.60
	- ऋण परिसंपत्तियां		
(क)	प्रतिभूत ऋण		
	- राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/कारपोरेशन को ऋण (सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखने तथा/या बंधक करके प्रतिभूत)		
	- शोध्य समझे गए	259.94	1,759.00
	उप-जोड़ (क)	259.94	1,759.00
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण		
	- शोध्य समझे गए	116.67	150.00
	उप-जोड़ (ख)	116.67	150.00
	कुल ऋण परिसंपत्ति (क+ख)	376.61	1,909.00
	सकल जोड़	381.58	1,915.95

15. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलीयोग्य(निवल) (टिप्पणी 11.2 को देखें)	12,272.22	10,827.66
(ख)	स्टाफ अग्रिमों का चालू वसूलीयोग्य (निवल) (टिप्पणी 11.1 देखें)	5.23	6.99
(ग)	उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज:		
	- दीर्घावधि निवेशों पर	43.06	-
	- आवधिक जमा	4.41	3.38
	उप-जोड़	47.47	3.38
(घ)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज	547.49	120.26
(ड.)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय नहीं ब्याज	561.70	560.89
(च)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश	0.08	0.33
(छ)	भारत सरकार से प्राप्य		
	- आरजीजीवीवाई व्यय	8.49	8.99
	- आरजीजीवीवाई/यूएनडीपी एजेंसी प्रभार	3.30	-
	उप-जोड़	11.79	8.99
(ज)	एसईबी सरकारी विभागों/अन्यों से प्राप्य	3.29	14.61
(झ)	वसूलीयोग्य आय कर	9.28	0.12
(ञ)	कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार	94.29	46.33
(ट)	अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	4.83	4.83
	योग (क से ट)	13,557.67	11,594.39

लेखा टिप्पणियां

16. प्रचालनों से राजस्वः

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**				
	(i) दीर्घावधि वित्त व्यवस्था	**16,413.47**		12,479.02	
	घटाएंः समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने के लिए छूट	**3.18**	**16,410.29**	4.25	12,474.77
	(ii) अल्पावधि वित्त-व्यवस्था		**396.10**		816.18
	उप-जोड़ (क)		**16,806.39**		13,290.95
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से राजस्व**				
	(i) प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीडफीस, एलसी कमीशन आदि		**52.90**		108.62
	(ii) प्रीपेमेंट प्रीमियम		**17.19**		12.50
	(iii) आरजीजीवीवाई कार्यान्वयन/अन्यों के लिए एजेंसी/रखरखाव प्रभार		**28.76**		9.97
	उप-जोड़ (ख)		**98.85**		131.09
(ग)	**अधिशेष निधियों के अल्पअवधि निवेश से आय**				
	(i) जमा राशि से ब्याज		**98.07**		96.82
	(ii) म्यूचुअल फण्डों की बिक्री पर लाभ		**14.67**		18.51
	उप-जोड़ (ग)		**112.74**		115.33
	जोड़ (क से ग)		**17,017.98**		13,537.37

17. अन्य आय

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय से भिन्न)**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	**47.16**	54.71
	- दीर्घावधि निवेशों से ब्याज	**43.06**	-
	- आयकर वापसी से ब्याज	**4.56**	0.67
	- कर्मचारी अग्रिमों से ब्याज	**1.25**	1.35
	- सहायक कंपनियों से ब्याज	**0.35**	0.13
	उप-जोड़ (क)	**96.38**	56.86
(ख)	**लाभांश आय**		
	- सहायक कंपनियों से लाभांश	**0.15**	0.15
	- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	**0.38**	0.25
	उप-जोड़ (ख)	**0.53**	0.40
(ग)	**दीर्घ अवधि निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ**	**-**	0.34
(घ)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- रिटन बैक प्रावधान	**3.18**	1.69
	- विविध आय	**2.73**	2.01
	उप-जोड़ (घ)	**5.91**	3.70
	जोड़ (क से घ)	**102.82**	61.30

लेखा टिप्पणियां

18. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- सरकारी ऋणों पर	**0.90**	1.53
	- आरईसी बांडों पर	**7,881.47**	6,554.77
	- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	**415.78**	414.32
	- बाह्य वाणिज्यिक उधार पर	**1,064.92**	790.52
	- कमर्शियल पेपर पर	**230.88**	86.49
	- एआरईपी सब्सिडी पर	**0.22**	0.24
	- अग्रिम आयकर पर ब्याज	**2.96**	2.06
	उप-जोड़ (क)	**9,597.13**	7,849.93
(ख)	**अन्य उधार लागत**		
	- गारंटी शुल्क	**18.66**	27.32
	- पब्लिक इश्यू व्यय	**30.37**	10.37
	- बांड रखरखाव प्रभार	**1.11**	1.67
	- बांडों की दलाली	**16.35**	14.69
	- बांडों पर स्टाम्प शुल्क	**3.73**	0.84
	- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	**59.08**	101.43
	उप-जोड़ (ख)	**129.30**	156.32
(ग)	**निवल अंतरण/लेन देन विनिमय क्षति**	**312.03**	77.51
	जोड़ (क से ग)	**10,038.46**	8,083.76

19. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	**88.81**	116.11
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**10.95**	9.94
- उपदान	**0.82**	1.35
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**15.05**	11.75
- कर्मचारी कल्याण व्यय	**14.28**	12.69
जोड़	**129.91**	151.84

लेखा टिप्पणियां

20. अन्य व्यय

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
- सीएसआर एवं संधारणीय विकास के संबंध में व्यय		38.40		17.50
- यात्रा एवं वाहन		10.12		9.01
- प्रचार एवं संवर्धन व्यय		6.46		5.11
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	1.64		1.68	
- ईआरपी और डाटा केंद्र	3.95		3.04	
- अन्य	0.59	6.18	0.42	5.14
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		3.43		2.17
- दर और कर		1.04		1.46
- बिजली और ईंधन		1.12		1.07
- बीमा खर्च		0.04		0.04
- डाक टिकट, एवं टेलीफोन		1.81		1.10
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		0.66		0.58
- परामर्शी प्रभार		2.26		1.99
- दान और परोपकार		-		0.01
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.69		0.33
- स्टाफ के अग्रिमों पर छूट		0.07		-
- विविध व्यय		33.19		19.18
जोड़		105.47		64.69

20.1 लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.32	0.27
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.06	0.05
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.06	0.06
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी #	0.22	0.19
- व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	0.01
जोड़	0.66	0.58

उपर्युक्त आंकड़ों में सेवा कर नियमावली के अनुसार किए गए 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़) के सेवा पर क्रेडिट रिवर्सल भी शामिल है।

इसमें वर्ष के लिए कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू की विवरणिका के प्रमाणन के लिए ₹ 0.18 करोड़ का (पूर्ववर्ती वर्ष 0.15 करोड़) प्रमाणन शुल्क शामिल है।

20.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	-
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	0.21	0.39
- ब्याज	388.23	289.56
- वित्त प्रभार	47.67	86.72
- अन्य व्यय	1.70	0.72
जोड़	437.81	377.39

लेखा टिप्पणियां

20.3 कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थल तथा आवास और ईआरपी डाटा केंद्र के लिए स्थल पट्टे पर लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डाटा के संबंध में ₹ 4.43 करोड़ (पिछले वर्ष 2.39 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.57 करोड़) का पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इसप्रकार है:

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया अदायगियां	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
	डाटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डाटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.39**	**3.98**	0.39	2.52
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**0.18**	**9.60**	0.38	7.94
5 वर्ष से अधिक	**-**	**0.69**	-	0.01
कुल	**0.57**	**14.27**	0.77	10.47

21. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
न्यूमीरेटर		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर-पश्चात लाभ (₹ करोड़ों में)	**4,683.70**	3,817.62
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**987,459,000**	987,459,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटिड अर्जन (₹ में)	**47.43**	38.66

22. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

22.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
क - कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	**56.16**	51.28
ख - अन्य		
- लैटर्स ऑफ कंफर्ट	**1,273.81**	1,904.17

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 5.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.17 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायलयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है और इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 50.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.11 करोड़) की रकम भी शामिल है।

22.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके		
- मूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में	**11.69**	5.82
- अमूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में	**4.75**	0.33
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- असंवितरित सीएसआर प्रतिबद्धता	**34.42**	7.41

लेखा टिप्पणियां

23. कम्पनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2013 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं. 333/03.02.001/2013-14 के अनुच्छेद संख्या 1(3)(iv) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अधीन परिभाषित एक सरकारी कंपनी होते हुए आरईसी गैर-बैकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंडों (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। इसके अलावा, आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(आई) सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितम्बर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में प्राइवेट सेक्टर को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा। आरईसी को 15% का पूंजी-जोखिम धारित संपत्ति अनुपात रखना होता है (न्यूनतम स्तर-I पूंजी का 10%)। तदनुसार, 25 सितम्बर, 2010 को बोर्ड के अनुमोदन से विवेकपूर्ण मानंदडों में संशोधन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्ति के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो संस्था के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

24. 13 दिसम्बर, 2006 को हमारे निवेश-मंडल ने कम्पनी के विवेकपूर्ण मानदंडों को अनुमोदित किया तथा 21 फरवरी, 2009 और 25 सितम्बर, 2010, 28 मई, 2013 एवं 26 मई, 2014 को इनमें संशोधन अनुमोदित किए गए थे। इनमें से कुछ आवश्यक विशेषताएं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में भी दी गई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसम्बर, 2006 को हमारे कम्पनी को सभी 'व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण' सरकारी स्वामित्व एनबीएफसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे के अधीन एक 'रूपरेखा' प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।

कम्पनी ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 29 जून, 2010 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2012 तक विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के संघ में विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों से छूट प्रदान की है। इस छूट अवधि को कम से कम 12वीं योजना के अंत तक आगे बढ़ाने के आरईसी के अनुरोध, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 के पत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित किया गया था, के उत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बैंक के अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के पत्र द्वारा 31 मार्च, 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने से छूट की अवधि बढ़ाने की सहमति प्रदान कर दी है, बशर्ते कि 01 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाले तीन वर्ष के अंदर, समय-समय पर यथा संशोधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैर-जमा स्वीकृति या प्रतिधारण) विवेकपूर्ण मानंदड (भारतीय रिजर्व बैंक) संबंधी निर्देश, 2007 में निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में 30 जून, 2012 तक एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

तदनुसार, आरईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का 2012-13 से एक चरणबद्ध तरीके से अनुपालन करने के लिए 22 जून, 2012 के पत्र द्वारा विद्युत मंत्रालय को एक रूपरेखा प्रस्तुत की, मंत्रालय ने उसे 6 जुलाई, 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित कर दिया। आरबीआई ने 25 जुलाई, 2013 के पत्र द्वारा आरईसी को सूचित किया है कि परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट संकेद्रण मानकों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण/पुन-वार्ताकरण से संबंधित मामले बैंक के विचाराधीन हैं और आरईसी को 31 मार्च, 2016 तक आरबीआई के विवेकपूर्ण मानकों के अनुपालन में कदम उठाने की सलाह दी है। बाद में, आरबीआई ने दिनांक 4 अप्रैल, 2014 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2016 तक केंद्र/राज्य सरकार के संस्थाओं को प्रकटन के संबंध में तथा परिसम्पत्तियों के पुनर्गठन के संबंध में क्रेडिट संकेंद्रण मानकों से छूट प्रदान की है। आरईसी को सलाह दी है कि इसी तारीख की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) सं. 271/सीजीएम (एनएसवी)-2014 के तहत जारी आरबीआई के परिपत्र डीएनबीएस, सीओ, पीडी 367/03, 10.01/2013-14, दिनांक 23 जनवरी, 2014 में निहित अनुदेशों का पालन किया जाए। आरबीआई के पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 2012, 25 जुलाई, 2013 और 4 अप्रैल, 2014 के संबंध में 31 मार्च, 2016 तक आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तथापि आरईसी ने मामले को इस संबंध में समुचित निदेश हेतु आरबीआई के साथ तथा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भी उठाया है और आवश्यक कार्रवाई परवर्ती वर्षों में आरबीआई की सलाह के अनुसार की जाएगी।

25. वर्ष 2012-13 के दौरान, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, को क्रियाशील बनाया गया है। योजना को, वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। योजना, वितरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी वितरण विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ऋण लेने पर, सुधार उपायों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि, 2 वर्षों के दौरान अर्थात 2012-13 तथा 2013-14 में स्वीकृत, ऋण संवितरण योजनाओं के लिए 14 वर्षों के दौरान ₹ 8,466 करोड़ की सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभारों, स्वतंत्र मूल्यांककों को अदायगी और अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) की कुल ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को पूरे देश में प्रचालनात्मक बनाने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

26. कुछ आरई सहकारी समितियों द्वारा विशेष निधि का सृजन करने में ₹ 5.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.86 करोड़) रकम की कमी (सकल) पाई गई है।

27. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 1 (क), 2.1 क, 2.1ड.(1), 2.2(i), 2.2(iv), 5, 6, 7 में आशोधन किए गए है, ताकि इसे और अधिक स्पष्टकारी/सुस्पष्ट बनाया जा सके। हालांकि, ऐसे आशोधनों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने मानक परिसम्पत्तियों पर प्रावधान के संबंध में अपने महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2.3(iv), 0.25% बकाया मानक परिसम्पत्तियों का सृजन किया है जो 31 मार्च, 2015 तक एक चरणबद्ध तरीके में सृजन के संबंध में यदि कम्पनी ने पूर्ववर्ती नीति का पालन किया होता तो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ ₹ 105.74 करोड़ से अधिक हुआ होता।

28. प्रबंधन की राय में तुलन-पत्र में दर्शाई गई वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और पेशगियों का मूल्य उसमें उल्लिखित रकम के बराबर है, बशर्ते कि यह सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त हो जाए और सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान किया गया हो।

लेखा टिप्पणियां

29. कारपोरेशन की, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई देयता बाकी नहीं है।

30. प्रतिरक्षा कार्यनीति के भाग के रूप में कंपनी ने, कुछ मामलों में, ब्याज की स्थिर दर के स्थान पर अस्थिर दर का ब्याज दर विनिमय निष्पादित किया है। बकाया उधारी का आईएनआर मूल्य जिस पर ऐसे विनिमय का प्रयोग किया गया है, उसका मूल्य भारतीय ₹ में ₹ 7,427.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,211.80 करोड़) है।

विदेशी मुद्रा उधारियों के संबंध में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रकटन की प्रतिरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विनिमय (क्रॉस करेंसी विदेशी मुद्रा उधारियों के संबंध में कम्पनी ने विदेशी मुद्रा आरक्षितता की प्रतिरक्षा हेतु क्रॉस मुद्रा विनियम को भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रकटन की बकाया स्थिति निम्नवत है।

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय ₹ करोड़ में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	योग		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *
जेपीवाई येन ¥	**36,483.43**	**2,123.49**	**35,851.15**	**2,086.30**	**632.28**	**37.19**
पिछले वर्ष	40,173.98	2,258.26	26,688.37	1,479.34	13,485.61	778.92
यूरो €	**141.28**	**1,037.26**	**113.63**	**808.90**	**27.65**	**228.36**
पिछले वर्ष	131.43	895.49	106.43	721.63	25.00	173.86
यूएसडी $	**2,505.00**	**13,110.08**	**1,830.00**	**9,053.34**	**675.00**	**4,056.74**
पिछले वर्ष	2,220.00	10,945.06	1,470.00	6,865.87	750.00	4,079.19
सीएचएफ (स्विस फ्रांक)	**200.00**	**1,350.32**	**-**	**-**	**200.00**	**1,350.32**
पिछले वर्ष	200.00	1,139.38	-	-	200.00	1,139.38
योग		**17,621.15**		**11,948.54**		**5,672.61**
पिछले वर्ष		15,238.19		9,066.84		6,171.35

* भारतीय ₹ में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन-देन में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष की अंत दर पर अंतरित किया गया है।

30.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

क्र. सं.	विनिमय दर	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
1	यूएसडी/आईएनआर	**60.0998**	54.3893
2	जेपीवाई/आईएनआर	**0.5883**	0.5776
3	यूरो/आईएनआर	**82.5765**	69.5438
4	सीएचएफ/आईएनआर	**67.5159**	56.9689

31. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.11.2011 अपराह्न से)
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त) (01.08.2012 पूर्वाह्न से)
श्री पी. जे. ठक्कर	निदेशक (तकनीकी) (02.05.2011 अपराह्न से)

(2) अन्य संबंधित पक्ष

1. अनुषंगी कम्पनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

लेखा टिप्पणियां

2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां

विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल) - 30.11.2011 को निगमित किया गया था और बाद में आरईसीटीपीसीएल, वीटीएल एवं पीजीसीआईएल के बीच शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधन एवं शर्तों पर 30.08.2013 को पॉवर ग्रिड कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को पर्याप्ततः अंतरित किया।

कुदगी ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) - 27.11.2012 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, केटीएल एवं एलटीआईडीपीएल के बीच शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधन एवं शर्तों पर बाद में 30.08.2013 को एल एवं टी अवसंरचना विकास परियोजना लिमिटेड (एलटीआईडीपीएल) को पर्याप्ततः अंतरित किया गया।

ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (यूटीएल) - 17.12.2012 को निगमित किया गया और बाद में आरईसीटीपीसीएल, यूटीएल एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधन एवं शर्तों में 24.03.2014 को पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को पर्याप्ततः अंतरित किया गया।

नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 04.12.2012 को निगमित किया गया।

बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड - 24.1.2013 को निगमित किया गया।

एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया।

एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड और पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों पर 12.05.2014 को पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को पर्याप्ततः अंतरित किया गया।

एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और बाद में, आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं ईआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधन एवं शर्तों पर पर्याप्ततः अंतरित किया गया।

3. संयुक्त उद्यम

इनर्जी इफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

संबंधित पक्षों से/को देय राशि के ब्योरे:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
आरईसीटीपीसीएल	**60.00**	35.00
आरईसीपीडीसीएल	**7.00**	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	**0.08**	0.04
ऋण एवं अग्रिम		
आरईसीटीपीसीएल	**3.32**	1.76
आरईसीपीडीसीएल	**0.31**	1.59
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	**0.09**	0.11
अन्य चालू देयताएं		
आरईसीपीडीसीएल	**2.57**	-

लेखा टिप्पणियां

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के ब्यौरे:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घावधि ऋण - निवेशित राशि		
आरईसीटीपीसीएल	25.00	35.00
आरईसीपीडीसीएल	7.00	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.04	0.04
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.09	0.08
शेयर पर प्रयुक्त धन की वापसी		
ईईएसएल	-	2.50
अचल संपत्तियों की बिक्री		
आरईसीटीपीसीएल	0.05	-
अनुषंगी कम्पनियों से लाभांश		
आरईसीटीपीसीएल	0.10	0.10
आरईसीपीडीसीएल	0.05	0.05
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
आरईसीटी पीसीएल	0.34	0.13
आरईसीपीडीसीएल	0.01	-
कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य व्ययों का विभाजन		
आरईसीटीपीसीएल	4.96	1.94
आरईसीपीडीसीएल	3.04	2.74
वित्त लागत		
आरईसीटीपीसीएल को प्रदत्त ब्याज	2.95	0.04
आरईसीपीडीसीएल को प्रदत्त ब्याज	0.10	-
कर्मचारी हितलाभ व्यय-प्रबंधकीय पारिश्रमिक	1.56	1.65
अन्य व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	6.47	1.04
ईईएसएल	3.98	-

32. कम्पनी ने लेखाकरण मानक-15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी हितलाभ' को स्वीकार किया है। परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजना इस प्रकार है:

क. भविष्य निधि

कम्पनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना होता है। प्रबंधन अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित निधि की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कम्पनी एक अलग न्यास में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान अदा करती है, जो बीमाकर्ता के पास उस निधि का निवेश करता है। बीमाकर्ता न्यास के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करता है। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है। कंपनी द्वारा देय परिभाषित अंशदान के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में इस व्यय को स्वीकार किया जाता है।

ग. उपदान

कम्पनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

लेखा टिप्पणियां

घ. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कम्पनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (विवाहिता सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ङ. कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना

यदि कोई कर्मचारी कंपनी की सेवा के दौरान स्थायी रूप से पूर्णतः अशक्त हो जाता है/यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को आर्थिक लाभ और सहायता देने के लिए कम्पनी की एक योजना है। इस व्यय को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

च. कर्मचारी की लंबी सेवा के लिए पुरस्कार योजना

कम्पनी में कर्मचारियों की लंबी सेवा पुरस्कार की एक योजना है जिसे कम्पनी में लगातार 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

छ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कम्पनी के पास कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
चालू सेवा लागत	1.85	1.78	1.20	1.02	0.05	0.05
ब्याज लागत	3.03	2.92	4.46	3.75	0.09	0.09
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.69	3.44	-	-	-	-
बीमांकित (लाभ)/और हानि	(0.37)	0.09	9.39	6.98	(0.04)	(0.07)
मान्यताप्राप्त व्यय	0.82	1.35	15.05	11.75	0.10	0.07

तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशि:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान न्यास के तुलन पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	38.07	37.85	66.64	55.80	1.16	1.16
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.94	35.14	-	-	-	-
निवल परिसंपत्तियां/(दायित्व) मान्यताप्राप्त	(2.13)	(2.71)	(66.64)	(55.80)	(1.16)	(1.16)

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
अवधि में आरम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	37.85	36.47	55.80	46.82	1.16	1.12
ब्याज लागत	3.03	2.92	4.46	3.75	0.09	0.09
चालू सेवा लागत	1.85	1.78	1.20	1.02	0.05	0.05
प्रदत्त हितलाभ	3.99	3.49	4.21	2.77	0.10	0.03
दायित्वों पर बीमांकित (लाभ/हानि)	(0.67)	0.17	9.39	6.98	(0.04)	(0.07)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	38.07	37.85	66.64	55.80	1.16	1.16

लेखा टिप्पणियां

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान न्यास के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	**31.03.2014**	31.03.2013	**31.03.2014**	31.03.2013
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.14**	31.24	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	**3.69**	3.52	**-**	-	**-**	-
अंशदान	**1.40**	2.38	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**3.99**	3.49	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**(0.30)**	1.49	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.94**	35.14	**-**	-	**-**	-

वर्ष के दौरान कम्पनी ने उपदान न्यास में ₹ 0.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.35 करोड़), पीआरएमएफ में ₹ 15.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.75 करोड़) और ओडीआरबी में ₹ 0.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.07 करोड़) के अंशदान की देयता का प्रावधान किया गया है।

अन्य कर्मचारी हितलाभ

वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी नकदीकरण के लिए ₹ 6.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.66 करोड़), बीमारी की छुट्टी के लिए ₹ 2.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.23 करोड़), आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए ₹ 0.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.25 करोड़) और दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 0.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.45 करोड़) का प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और उसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि / कमी का प्रभाव:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	1% (+)		1 % (-)	
	31.03.2014	**31.03.2013**	31.03.2014	31.03.2013
सेवा और ब्याज लागत	**1.17**	**0.85**	(0.46)	(0.70)
पीबीओ (अंत में)	**8.56**	**7.58**	(7.21)	(6.35)

बीमा संबंधी पूर्वधारणा:

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	**31.03.2014**	31.03.2013	**31.03.2014**	31.03.2013
प्रयुक्त विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट
बट्टा दर	**8.50%**	8.00 %	**8.50%**	8.00 %	**8.50%**	8.00 %
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**10.50%**	10.50 %	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.50%**	6.00 %	**6.50%**	6.00 %	**6.50%**	6.00 %

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकी) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट पर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यत: एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ है जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

33. कुछ पूर्व राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए प्रतिष्ठानों का गठन कर दिया है। इसके परिणामत: पूर्व राज्य बिजली बोर्डों की देयताएं नए प्रतिष्ठानों में अंतरित कर दी गई हैं और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (पीएसईबी), हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एचपीएसईबी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीएसईबी) के मामले में इस निगम, नए प्रतिष्ठांनो और राज्य सरकारों से बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

लेखा टिप्पणियां

34. कम्पनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण करना है। तदनुसार कम्पनी के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचना देने के लिए एक से अधिक पात्र खंड नहीं हैं।

35. दिनांक 31.03.2014 को कम्पनी का पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 19.35% है (पिछले वर्ष 17.71%)।

36. कंपनी के पास दिनांक 31.03.2014 को रियल एस्टेट क्षेत्र का कोई प्रकटन नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

37. दिनांक 31.03.2014 को ऋण परिसंपत्तियों और उधार की परिपक्वता का विवरण:

(₹ करोड़ों में)

वत्तीय वर्ष	ऋण परिसंपत्तियों की वसूली	उधारियों की चुकौती
2014-15	12,666	16,078
2015-16	14,861	18,954
2016-17	16,295	16,554
2017-18	15,690	8,839
2018-19	15,185	13,395
2019-20	14,117	9,341
2020-21	12,840	7,191
2021-22	11,531	9,441
2022-23	10,009	6,091
2023-24	8,136	9,303
2024-25	6,183	-
2024-25 के बाद	11,128	11,053
जोड़	148,641	126,240

38. **आरईसी विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार कम्पनी की ऋण परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 11 एवं 14 में वर्गीकृत) निम्नानुसार है:**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सम्पत्ति का वर्गीकरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		ऋण शेष	ऋण सम्पत्तियों के प्रति सृजित छूट	ऋण शेष	ऋण सम्पत्तियों के प्रति सृजित छूट
1	मानक परिसम्पत्ति	148,150.70	370.38	126,865.14	105.68
2	उप मानक परिसम्पत्ति	-	-	223.18	22.32
3	संदिग्ध परिसम्पत्ति	473.18	119.64	250.00	50.00
4	क्षतिपूर्ण परिसम्पत्ति	17.22	17.22	17.22	17.22
	जोड़	148,641.10	507.24	127,355.54	195.22

39. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

40. जब तक स्प्ष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 40 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अभिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747एन

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:				
कर-पूर्व निवल लाभ	**6,531.12**		5,163.95	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(-) हानि	**0.69**		0.33	
2. मूल्यह्रास	**4.21**		3.75	
3. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**47.32**		25.00	
4. मानक ऋण परिसंपत्तियों के बदले में आकस्मिक प्रावधान	**264.70**		105.68	
5. स्टाफ अग्रिमों हेतु छूट	**0.07**		-	
6. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**230.88**		86.49	
7. रिटन बैक पर अधिक प्रावधान	**-3.18**		-0.04	
8. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-**		-0.34	
9. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**304.27**		77.51	
10. सहायक कंपनियों से लाभांश	**-0.15**		-0.15	
11. निवेशों से लाभांश	**-0.38**		-0.25	
12. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II पर ब्याज	**-47.16**		-54.71	
13. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**2.96**		2.06	
14. बट्टेखाते डाले गए बांडों पर छूट	**4.83**		4.83	
15. जीरो कूपन बांडों पर उपचित ब्याज	**64.97**		59.88	
16. प्रावधानों से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	**0.01**		0.01	
प्रचालन परिसम्पत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**7,405.16**		5,474.00	
वृद्धि/कमी:				
1. ऋण परिसंपत्तियां	**-22,427.06**		-25,929.26	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियां	**-355.16**		89.29	
3. प्रचालन देयताएं	**-273.94**		1,676.09	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-15,651.00**		-18,689.88	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-1,640.06**		-1,375.84	
2. आयकर वापसी	**8.27**		-	
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**-17,282.79**		-20,065.72
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.31**		0.05	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी एवं विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां भी शामिल हैं)	**-3.46**		-4.95	
3. मध्य प्रदेश सरकार 8% पॉवर बॉण्ड-II का विमोचन	**94.32**		94.32	
4. 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिटों का विमोचन	**-**		0.15	
5. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-**		0.34	
6. इनर्जी इफीसिएंसी सर्विस लिमिटेड में शेयर आवेदन राशि की वापसी	**-**		2.50	
7. अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**0.15**		0.15	
8. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II पर ब्याज	**47.16**		54.71	
9. निवेशों से लाभांश	**0.38**		0.25	
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**138.86**		147.52
ग. वित्त संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बांण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**17,492.70**		13,816.96	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/एसटीएल का जुटाव (चुकौतियों का निवल)	**-3,044.40**		-1,652.74	
3. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल)	**1,706.32**		4,484.19	

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
4. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ब्याज सहित (वापसी का निवल)	**2,920.69**		606.77	
5. अनुदानों का संवितरण	**-2,429.28**		-940.37	
6. सरकारी ऋण की चुकौती	**-7.21**		-9.50	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	**-148.13**		-246.86	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	**-765.28**		-666.54	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	**-155.20**		-148.16	
10. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	**1.24**		0.05	
11. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	**1,281.16**		847.18	
वित्त संबंधी क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**16,852.61**		16,090.98
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**-291.32**		-3,827.22
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**1,484.26**		5,311.48
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**1,192.94**		1,484.26
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:				

(₹ inCrores)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
- निम्न के संबंध में बैंको में शेष:				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में चालू खाता		**103.75**		352.59
- असंवितरित आरजीजीवीवाई अनुदान #		**0.20**		2.81
- असंवितरित एजीएवंएसपी अनुदान #		**3.97**		6.11
- अन्य असंवितरित सब्सिडी/अनुदान #		**1.75**		2.35
- कर मुक्त बांण्ड पब्लिक इश्यू लेखें #		**5.96**		0.63
- अप्रदत्त लाभांश लेखे #		**2.31**		1.84
- अनुसूचित बैंकों में अल्प अवधि जमा		**1,075.00**		1,117.93
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**1,192.94**		1,484.26

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे, पब्लिक इश्यू लेखे में शेष तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखे चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में ₹ 2.38 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) अनुदान संवितरण के लिए निकाली गई राशि शामिल है और अनुसूचित बैंकों में अल्प अवधि जमा में ₹ 503.50 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 10.00 करोड़ र.) शामिल है जो आरजीजीवीआई अनुदान के लिए चिन्हित हैं और कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित एवं पुनःसमूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अभिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747एन

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

31 मार्च, 2014 के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या नियंत्रण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानंदड (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2007 के पैराग्राफ 13,जहां तक आरईसी लिमिटेड पर उन्हें लागू करने का संबंध है, अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹करोड़ में)

विवरण	राशि बकाया	राशि अतिदेय
देयता पक्ष:		
एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल है:		
(क) डिबेंचर/बॉण्ड:		
(i) प्रतिभूत	55,042.41	-
(ii) अप्रतिभूत	47,765.40	-
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	17,621.15	-
(ग) भारत सरकार से सावधिक ऋण	7.93	-
(घ) वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण	2,995.00	-
(ड.)बैंकों से सावधिक ऋण	269.40	-
(च) बैंकों से ओवरड्राफ्ट	-	-
(छ) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-
(ज) कमर्शियल पेपर	2,540.00	-
प्रतिसंपत्ति पक्ष:		
प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा		
(क) प्रतिभूत	113,998.15	
(ख) अप्रतिभूत	34,559.85	
निवेश:		
दीर्घावधि निवेश:		
अनुद्धृत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	39.85	
(ख) अधिमान्य	-	
(ii) डिबेंचर और बांड	1,141.50	
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	7.68	
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	518.76	
(v) अन्य	-	

सभी पट्टा परिसंपत्तियों, भाड़े के स्टॉक तथा ऋण एवं पेशगियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण:

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	3.63	3.63
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	0.01	0.08	0.09
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	113,998.14	34,556.14	148,554.28
जोड़	113,998.15	34,559.85	148,558.00

शेयर एवं प्रतिभूतियों उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	22.50	22.50
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,684.96	1,685.19
जोड़	1,707.56	1,707.79

अन्य सूचना

विवरण	(₹ करोड़ में)
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्षकार	
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	490.40
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	353.54
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिग्रहीत परिसंपत्तियां	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अभिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747एन

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टात्मक सूचना शामिल है।

2. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व**

प्रबंधन वर्ग इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (''अधिनियम'') की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाहों का सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों, जो सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से रहित हैं, चाहे वह धोखे के कारण हो या त्रुटि के कारण, से संगत आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्प, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है।

3. **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का आयोजन तथा निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी प्रक्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल है जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित नीतियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों के जोखिम का निर्धारण शामिल है चाहे वह धोखे के कारण हो या त्रुटि के कारण। ऐसे जोखिम आकलन करते समय, लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित है किन्तु ऐसा वह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावात्मकता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता। लेखापरीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की समुचितता तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त तथा उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

4. **राय**

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के बारे में सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं:

(क) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति की;

(ख) लाभ और हानि लेखा के मामले में उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की; तथा

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों की।

5. **अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट**

(i) जैसाकि अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हमने आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण अनुबंध में दिया है।

(ii) जैसाकि अधिनियम की धारा 227(3) के द्वारा अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:

क. हमने वह समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं;

ख. हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है जैसाकि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है;

ग. इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों से मेल खाते हैं;

घ. हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुपालन में हैं;

ङ. कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना सं.2/5/2001-सीएल-v दिनांक 22.03.2002 के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (घ) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

च. चूंकि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के तहत उपकर अदा किए जाने की दर के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, न ही उसने उक्त धारा के तहत कोई नियम जारी किए हैं जिनमें ऐसे उपकर को अदा किए जाने का तरीका निर्धारित किया गया हो, कंपनी द्वारा कोई उपकर देय तथा संदेय नहीं है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	**कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन	फर्म पंजीकरण सं. 006747एन
(गोपाल कृष्ण)	**(के.एस.पोनुस्वामी)**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 081085	सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखों पर हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ 5(1) में उल्लिखित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(i) (क) कंपनी ने अपनी नियत परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्यौरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने के लिए नियत परिसंपत्ति अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) कंपनी का अपनी नियत परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करने का एक चरणबद्ध तरीका है जो कंपनी के आकार तथा इस की परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हमारी राय में युक्तिसंगत है। इस कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन वर्ग द्वारा महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया। ऐसे सत्यापन पर पाई गई कमियों के संबंध में लेखाबहियों में उचित प्रकार की कार्रवाई की गई है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है; अतः चालू हित प्रभावित नहीं हुए हैं। अतः आदेश का यह खंड प्रयोज्य नहीं है।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी के पास कोई वस्तुसूची नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं है।

(iii) (क) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी निगम, फर्म या अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (iii)(क), 4 (iii)(ख), 4(iii)(ग) तथा 4(iii) (घ) लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी निगम, फर्म या अन्य पक्षकारों से कोई प्रतिभूति अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं लिए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 4(iii)(ड.), 4(iii)(च) तथा 4(iii) (छ) लागू नहीं हैं।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, नियत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए तथा वित्तीय सेवाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण सामान्यतया कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के समनुरूप हैं। तथापि, कतिपय क्षेत्रों में, आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है जैसे विभिन्न एसईबी/डिस्कॉम/ट्रांस्को/जेनकों को दिए गए ऋणों की मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण जिसमें दिए गए ऋणों के प्रति सृजित प्रभारों के लिए खोज रिपोर्टें प्राप्त करना तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात प्रतिभूति के रूप में आरईसी को प्रभारित परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करना शामिल हैं।

(v) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत शामिल कंपनियों या निकायों के साथ कोई संविदाएं नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं है।

(vi) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं जिन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा 58कक के प्रावधान या कोई अन्य प्रावधान तथा उसके तहत निरूपित नियम लागू हों।

(vii) हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सामान्यतया इसके आकार तथा व्यवसाय के समनुरूप है।

(viii) हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा जैसाकि स्पष्ट किया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ix) (क) कंपनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं समुचित प्राधिकारियों के पास सामान्यतया नियमित रूप से जमा करा रही है।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, आय कर, सेवा कर, धन कर के संबंध में कोई अविवादित राशियां उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ग) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, धन कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क तथा उपकर की कोई ऐसी देयताएं नहीं हैं जो विवाद के कारण जमा न कराई गई हों।

(x) कंपनी की 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई संचित हानियां नहीं हैं। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा शामिल वर्ष के दौरान तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भी नकद हानियां नहीं उठाई हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं है।

(xi) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक तथा बांड धारकों को देय राशियों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमारी राय में तथा हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इसके द्वारा विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों, पारेषण, वितरण तथा विद्युत उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋण, जिसमें शेयर तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर संपार्श्विक प्रतिभूति सहित प्रतिभूति आधार पर स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को दिए गए ऋण शामिल हैं, के संबंध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों का अनुरक्षण किया है।

(xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी चिट फंड या निधि अथवा पारस्परिक लाभ निधि या सोसायटी नहीं है, अतः आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों तथा अन्य निवेश में संव्यवहार या कारोबार नहीं कर रही हैं, अतः आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान, अन्यों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋणों का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए वे लिए गए थे।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच करने पर हम सूचित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किन्हीं निधियों का प्रयोग दीर्घावधिक निवेश के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक हो।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने संस्थागत बांडों पर मुक्त प्रतिभूत बांडों तथा 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट प्राप्त बांडों के संबंध में प्राप्य राशियों पर तथा कंपनी की महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु तथा गुजरात स्थित अचल परिसंपत्तियों पर पंजीकृत रेहन के रूप में प्रतिभूति सृजित की है।

(xx) कंपनी ने ₹ 500.00 करोड़ के कर मुक्त बांडों के प्राइवेट प्लेसमेंट निर्गम के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दो किस्तों में ₹ 2148.41 करोड़ की कुल राशि के ₹ 1,000/-प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले कर मुक्त बांडों का सार्वजनिक निर्गम किया है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार अनप्रयुक्त पड़ी शेष ₹ 0.63 करोड़ की निर्गम प्राप्ति को ऑफर दस्तावेज में यथा उल्लिखित प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कर लिया गया है।

कंपनी ने ₹ 1500 करोड़ के कर मुक्त बांडों के प्राइवेट प्लेसमेंट के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कुल ₹ 4500 करोड़ के ₹ 1,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य के कर मुक्त बांडों का सार्वजनिक निर्गम किया है। सार्वजनिक निर्गम के तहत बांडों का आबंटन निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तथा वित्त वर्ष 2013-14 के अंतर्गत किया गया है। निर्गम प्राप्तियों का प्रयोग पेशकश दस्तावेज में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है सिवाए ₹ 5.96 करोड़ की राशि के, जिसे इसका उपयोग लंबित रहते नामनिर्दिष्ट सार्वजनिक निर्गम खाते में रखा गया है।

(xxi) ''भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार संचालित लेखाबहियों की हमारी जांच के दौरान तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के साथ या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के नोटिस या रिपोर्ट किए गए कोई मामले हमारे सामने नहीं आए हैं, न ही प्रबंधन वर्ग द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ 5(1) में उल्लिखित, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड (ii)(ख) तथा (ग),(iii) (ग) तथा (घ), (v) (ख), (viii) (क), (ख), (ग), (घ)कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(के.एस.पोनुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की दिनांक 26 मई, 2014 की रिपोर्ट का शुद्धि-पत्र

1. पैराग्राफ 3 ''लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी'' के उप-पैराग्राफ 2 में पहली पंक्ति को ''लेखा परीक्षा में राशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य को प्राप्त करने और वित्तीय विवरणों में प्रकटनों के लिए परियोजनाओं को पूरा करना शामिल है'', के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
2. पैराग्राफ 5 ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट'' के बिन्दु (ii) (ख) को हटा दिया गया समझा जाए।
3. ''स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध'' के बिन्दु (i) (ख) को सभी परिसम्पत्तियों की वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वास्तविक रूप से जांच नहीं की गई है, परन्तु यहां सभी परिसम्पत्तियों को शामिल करने के लिए सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम हैं, जो उचित है, जो कम्पनी के आकार एवं इसकी परिसम्पत्तियों के स्वरूप के अनुरूप युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापन पर कोई विशेष विसंगतियां जानकारी में नहीं आई थी।'' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
4. ''स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध'' के बिन्दु (ix) (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए :

   ₹ 50.92 करोड़ की समग्र मूल्य की विवादित कानूनी देयताओं को जिन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष मामले लंबित होने के कारण जमा नहीं किया गया है, विस्तार में नीचे दिया गया है :

संविधि का नाम	देयता का स्वरूप	मंच जहां विवाद लंबित है	₹ करोड़ में
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी (अपील)	17.75
		आयकर अपीलीय प्राधिकरण	13.21
		दिल्ली उच्च न्यायालय	3.79
		भारत का सर्वोच्च न्यायालय	16.17
		जोड़	**50.92**

5. ''स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध'' के अंतिम पैराग्राफ को ''उसी तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ में कम्पनी (लेखपरीक्षा रिपोर्ट), आदेश 2003 के खण्ड (ii) (क), (ख) एवं (ग), (iii) (क), (ख), (ग), (घ) (ड.), (च) एवं (छ), (v) (क) एवं (ख), (viii), (xiii), (क) (ख) (ग) और (घ) और (xiv) कम्पनी पर लागू नहीं है'', के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

कृते राज हर गोपाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 006747एन

(के. एस. पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 24.06.2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मण्डल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप परिसर,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा, उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, जो काफी हद तक रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) पर लागू हैं, जारी किए गए और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2008 द्वारा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं किः

1. कम्पनी ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईऐ में व्यवस्था है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जिसका पंजीकरण संख्या 14.000011 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र के बदले में, जिसने आरईसी को आरबीआई परिपत्र सीसी सं. 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में निहित निर्देशों के अनुसार एक अवसंरचना वित्त कम्पनी के रूप में वर्गीकृत किया है, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 को प्रमाणपत्र जारी किया। इसके अलावा, यह कम्पनी 31 मार्च, 2014 के अनुसार अपनी परिसम्पत्ति/आय पद्धति के अनुसार ऐसे पंजीकरण को जारी रखने के लिए हकदार है।

2. आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2012-13/29 डीएनबीएस, पीडीसीसी सं. 282/03-02-004/2012-13, के पैरा 2(V), दिनांक 2 जुलाई, 2012 के अनुसार, परिसम्पत्तियों एवं आरक्षित निधि की प्रतिशत के रखरखाव संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धाराएं 45- आई बी और 45-आई सी; सरकारी जमा राशियों को स्वीकार करने वाली गैर-बैकिंग वित्तीय कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 1998 के पैराग्राफ 4 से 7; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी प्रूडेंशियल मानक (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 जिसमें निदेशक, लेखापरीक्षक आदि को पता बदलने के संबंध में रिजर्व बैंक को जानकारी देने से संबंधित उक्त निर्देशों का पैराग्राफ 13क शामिल नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई (च) में परिभाषित किसी ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी पर लागू नहीं होंगे जो एक सरकारी कम्पनी है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा राशियों के संबंध में आरबीआई के निर्देश कम्पनी पर लागू नहीं हैं। इसलिए, कम्पनी के निदेशक-मण्डल ने किसी सरकारी जमाराशियो की गैर-स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

4. कम्पनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान किसी सरकारी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

5. आरबीआई के मूल परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2013 के अनुसार, आरईसी जो एक सरकारी कम्पनी है, गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण अथवा धारण) कम्पनी प्रूडेंशियल मानक (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 की अनुप्रयोज्यता से छूट लेती रही है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 4 अप्रैल, 2014 के पत्रों द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2016 तक आरबीआई के प्रूडेंशियल मानकों का पालन करने को कहा है। परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना के संबंध में आरबीआई ने दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के पत्र के द्वारा आरईसी को अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) सं. 271/सीजीएम (एनएसवी) 2014 के तहत जारी किए गए उसी तारीख के आरबीआई के परिपत्र दिनांक 23 जनवरी, 2014 में निहित अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी है। आरबीआई के दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक आवश्यक उपाय किए जाएंगे। तथापि, आरईसी ने इस संबंध में उपयुक्त निर्देशों के लिए मामले को आरबीआई के साथ और विद्युत मंत्रालय के जरिए भी उठाया है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी ने लेखाकरण मानक, आय स्वीकरण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और अशोधन एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान, कम्पनी द्वारा तैयार किए गए विवेकसम्मत मानकों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता एवं देनदारी मानकों तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में उल्लिखित/यथा व्यक्त मानकों का पालन किया है।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीएनबीएस.पीडी/सीसी नं.93/03.05.002/2006/07 दिनांक 27 अप्रैल, 2007 पर विचार करते हुए, आरईसी को एक सरकारी कंपनी होते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक को एनबीएस-7 प्रस्तुत करने से छूट दी गयी है।

कृते राज हर गोपाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 006747एन

(के. एस. पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई 2014

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में मुद्रित किया जाने वाला संक्षिप्त विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय ''दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया'' द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 26 मई, 2014 और शुद्धिपत्र दिनांक 24 जून, 2014, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के तहत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कापोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के आधार पर पत्रों की पहुंच के बगैर स्वतंत्ररूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उन की ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05 जुलाई, 2014

31 मार्च, 2014 के अनुसार समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

ब्योरे		टिप्पणी संख्या	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	2	**987.46**	987.46
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	**19,815.59**	16,543.02
	उप योग (1)		**20,803.05**	17,530.48
(2)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	4	**110,095.30**	90,925.38
	(ख) आस्थागित कर देयताएं (निवल)	5	**172.92**	-
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	6	**23.54**	80.25
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	7	**442.32**	188.47
	उप-योग (2)		**110,734.08**	91,194.10
(3)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	8	**2,540.00**	2,485.55
	(ख) व्यापार देय	9	**6.07**	5.48
	(ग) अन्य चालू देयताएं	10	**18,601.87**	19,126.52
	(घ) अल्पकालिक प्रावधान	7	**259.25**	227.46
	उप-योग (3)		**21,407.19**	21,845.01
	योग (1+2+3)		**152,944.32**	130,569.59
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	11		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**70.65**	68.09
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**2.45**	3.78
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		**10.37**	8.75
			83.47	80.62
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	**1,643.03**	590.85
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	**-**	9.65
	(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13	**135,899.78**	114,574.76
	(ड़) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14	**33.71**	191.02
	उप योग (1)		**137,659.99**	115,446.90
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	12	**47.41**	47.41
	(ख) व्यापार प्राप्य	15	**60.54**	29.16
	(ग) रोकड़ और बैंक शेष	16	**1,234.29**	1,529.54
	(घ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	17	**382.84**	1,916.23
	(ड़) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	**13,559.25**	11,600.35
	उप योग (2)		**15,284.33**	15,122.69
	योग (1+2)		**152,944.32**	130,569.59

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 44 टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अभिताभ	**अजीत कुमार अग्रवाल**	**राजीव शर्मा**
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	**कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**
फर्म पंजी. सं. 002074एन	**फर्म पंजी. सं. 006747एन**
गोपाल कृष्ण	**के. एस. पोन्नुस्वामी**
भागीदार	**भागीदार**
सदस्यता सं. 081085	**सदस्यता सं. 070276**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

ब्योरे		टिप्पणी सं.	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनों से राजस्व	19	**17,122.21**	13,570.06
II.	अन्य आय	20	**106.73**	68.64
III.	**कुल राजस्व** (I+II)		**17,228.94**	13,638.70
IV.	**व्यय**			
(i)	वित्तीय लागत	21	**10,034.74**	8,083.39
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	22	**134.54**	155.58
(iii)	मूल्यह्रास और परिशोधन	11	**4.51**	3.90
(iv)	अन्य व्यय	23	**125.89**	78.27
(v)	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट		**47.89**	25.56
(vi)	मानक ऋण परिसंपत्तियों के बदले में आकस्मिक छूट		**264.70**	105.68
	कुल व्यय (IV)		**10,612.27**	8,452.38
V.	**पिछले अवधि की मदें एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**6,616.67**	5,186.32
VI.	पिछली अवधि के मदें	24	**(0.04)**	0.11
VII.	**कर-पूर्व लाभ** (V-VI)		**6,616.71**	5,186.21
VIII.	**कर व्यय:**			
(i)	चालू वर्ष		**1,733.26**	1,353.07
(ii)	पिछले वर्ष /(वापसियां)		**14.12**	(0.01)
(iii)	आस्थगित कर		**128.08**	0.37
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**1,875.46**	1,353.43
IX.	**सतत प्रचालनों से अवधि का लाभ (VII-VIII)**		**4,741.25**	3,832.78
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ** (कर पश्चात)		**-**	-
XI.	**इस अवधि का लाभ (IX+X)**		**4,741.25**	3,832.78
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन** (प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में)			
	(1) मूल	25	**48.01**	38.81
	(2) डायल्यूटिड	25	**48.01**	38.81

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 44 टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747एन

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. समेकन के सिद्धान्त

समेकित वित्तीय विवरण, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (''कम्पनी''), इसकी अनुषंगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है :

कम्पनी और इसकी अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरण परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के अंकित मूल्यों को एक साथ जोड़कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर लेखाकरण मानक (एएस) 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार अन्तः ग्रुप शेषों एवं अन्तः लेन-देनों को पूरी तरह से हटाने के बाद सम्मिलित किया जाता है।

संयुक्त उद्यम एनटिटि के वित्तीय विवरणों को लेखाकरण मानक (ए एस) 27- ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार अवसूलीकृत लाभों अथवा हानियों के आनुपातिक शेयर को हटाने के बाद परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के अंकित मूल्यों को एक साथ जोड़ करके लाइन-बाई-लाइन आधार पर आनुपातिक समेकन विधि लागू कर के सम्मिलित किया गया है।

जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों को समरूप परिस्थितियों में संव्यवहार एवं अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखाकरण नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है।

2. अन्य महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

इन्हें ''महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों'' के तहत तैयार किया जाता है जैसा कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, इसकी अनुषंगी कम्पनियों एवं इसके संयुक्त उद्यम के उत्कृष्ट वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखों के समेकन को नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार दर्शाया गया है :

अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	लेखों की स्थिति
अनुषंगी कंपनियों का नाम			
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड	भारत	100 %	लेखापरीक्षित
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	भारत	100 %	लेखापरीक्षित
संयुक्त उद्यम का नाम			
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	भारत	25 %	गैर-लेखापरीक्षित

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि यह कंपनी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए एसपीवी के रूप में पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी के रूप में एसपीवी बोली प्रक्रिया के पूरा होने पर सफल बोलीदाताओं को सौंप दी जाएगी। लेखाकरण मानक-21 के पैरा 11 के अनुसार अनुषंगी कंपनी को उस स्थिति में समकेन से पृथक रखा जाना चाहिए, जब नियंत्रण अस्थायी किया जाना हो क्योंकि अनुषंगी कंपनियां निकट भविष्य में अपने अनुवर्ती कार्यों का निपटान करते समय अपना स्थान अर्जित एवं धारित करती हैं। इसलिए, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों (अर्थात नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड, और बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनआरएसएस) XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड और एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड) के वित्तीय विवरणों को इस कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया है।

2. **शेयर पूंजी**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	1,200,000,000	1,200.00	1,200,000,000	1,200.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	987,459,000	987.46	987,459,000	987.46
योग	987,459,000	987.46	987,459,000	987.46

2.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम, 1956 (अनुप्रयोज्य सीमा में) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिसूचित सीमा में) के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड) के साथ निष्पादित सूचीकरण करारों और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं।

2.2 **पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक :**

नाम	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	648,168,218	65.64%	659,607,000	66.80 %
भारतीय जीवन बीमा निगम	59,352,864	6.01%	36,853,654	3.73 %

समेकित लेखा टिप्पणियां

3. आरक्षित और अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
आरक्षित पूंजी	**105.00**	105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 3.1 को देखें)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,222.48**	3,222.43
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1.24**	0.05
वर्ष के अंत में शेष	**3,223.72**	3,222.48
डिबेंचर विमोचन आरक्षित (टिप्पणी 3.2 को देखें)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**160.19**	113.99
जोड़ें अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**185.79**	46.20
वर्ष के अंत में शेष	**345.98**	160.19
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**5,529.64**	4,587.64
जोड़ें : अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**1,291.00**	942.00
वर्ष के अंत में शेष	**6,820.64**	5,529.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**980.97**	754.97
जोड़ें : अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**288.00**	226.00
वर्ष के अंत में शेष	**1,268.97**	980.97
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अन्तरण अंतर खाते (टिप्पणी 3.3 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-160.28**	-181.88
जोड़े : वर्ष के दौरान दीर्घावधि मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)	**-676.64**	-56.97
वर्ष के दौरान परिशोधन	**304.27**	78.57
वर्ष के अंत में शेष	**-532.65**	-160.28
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,133.09**	2,742.79
जोड़े : अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**490.30**	390.30
वर्ष के अंत में शेष	**3,623.39**	3,133.09
अधिशेष लेखा		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,571.93**	2,291.61
जोड़े : वर्ष के दौरान लाभ	**4,741.25**	3,832.78
घटाएं : विनियोजन		
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,291.00**	942.00
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**288.00**	226.00
- लाभांश		
- अंतरिम लाभांश	**765.28**	666.53
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**172.81**	148.12
- लाभांश संवितरण कर		
- अंतरिम लाभांश	**130.06**	108.11
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**29.40**	25.20
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**185.79**	46.20
- संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अंतरण	**-**	-
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**490.30**	390.30
वर्ष के अंत में शेष	**4,960.54**	3,571.93
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि	**19,815.59**	16,543.02

3.1 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम पर प्राप्त ₹ 1.24 करोड़ ₹ (पूर्ववर्ती वर्ष 0.05 करोड़ ₹) के प्रीमियम को निरूपित करता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

3.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117ग के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.02.2013 को जारी परिपत्र संख्या 4/2013 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा प्राइवेट से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 185.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.20 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

3.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अन्तरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/ लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अन्तरण अंतर खाते' में परिशोधित किए जाने वाली शेष राशि ₹ 532.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 160.28 करोड़) है।

3.4 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित है :

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)	**172.81**	148.12
- लाभांश की दर	**17.50%**	15.00 %
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	**1.75**	1.50

4. दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू भाग को ''दीर्घावधि उधारियों'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और दीर्घावधि ऋण के चालू भाग को टिप्पणी-10 'अन्य चालू देयताओं' में ''दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ए) प्रतिभूत दीर्घ अवधि ऋण				
(क) बांण्ड				
- संस्थागत बॉण्ड	**24,974.50**	**2,925.88**	17,297.38	3,826.32
- 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**10,253.16**	**5,239.36**	10,142.61	5,043.89
- कर-मुक्त बॉण्ड	**11,581.41**	**-**	5,613.41	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंकों से	**-**	**19.40**	19.40	19.40
- वित्तीय संस्थाओं से	**2,645.00**	**350.00**	1,800.00	2,220.00
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि उधार (क + ख)	**49,454.07**	**8,534.64**	34,872.80	11,109.61
(बी) अप्रतिभूत दीर्घ अवधि जमा				
(क) बांड				
- संस्थागत बांड	**41,979.20**	**4,565.80**	39,695.00	2,440.00
- इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	**376.32**	**-**	376.32	-
- जीरो कूपन बांड	**844.08**	**-**	779.11	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंकों से	**125.00**	**125.00**	250.00	500.00
- भारत सरकार से	**3.07**	**4.86**	7.93	7.21
(ग) अन्य ऋण और अग्रिम				
- विदेशी मुद्रा उधारियां	**17,313.56**	**307.59**	14,944.22	293.97
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि उधार (क+ख+ग)	**60,641.23**	**5,003.25**	56,052.58	3,241.18
कुल दीर्घावधि उधार (ए+बी)	**110,095.30**	**13,537.89**	90,925.38	14,350.79
कुल दीर्घावधि उधार (गैर चालू+ चालू)	**123,633.19**		105,276.17	

समेकित लेखा टिप्पणियां

दीर्घावधि ऋण के ब्योरे :

4.1 प्रतिभूत दीर्घावधि उधार का विवरण :

(प्रतिभूत के विवरण के लिए टिप्पणी 4.3 देखें)

4.1.1 बांड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.1.1.1 संस्थागत बांड				
92-II श्रृंखला	945.30	-	945.30	-
8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
91-II श्रृंखला	995.90	-	995.90	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय				
90-सी-II श्रृंखला	1,040.00	-	1,040.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2019 को विमोचनीय				
90-बी-II श्रृंखला	868.20	-	868.20	-
8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
90वीं श्रृंखला	2,000.00	-	2,000.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय				
119वीं श्रृंखला	2,090.00	-	-	-
9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय				
88वीं श्रृंखला	1,495.00	-	1,495.00	-
8.65% सममूल्य दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
118वीं श्रृंखला	1,655.00	-	-	-
9.61% सममूल्य दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय				
117वीं श्रृंखला	2,878.00	-	-	-
9.38% सममूल्य दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय				
87- क-III श्रृंखला	61.80	-	61.80	-
11.15% सममूल्य दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
116-II श्रृंखला	850.00	-	-	-
9.24% सममूल्य दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय				
87-II श्रृंखला	657.40	-	657.40	-
10.85% सममूल्य दिनांक 30.09.2018 को विमोचनीय				
86- ख-III श्रृंखला	432.00	-	432.00	-
10.85% सममूल्य दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				
86- क श्रृंखला	500.00	-	500.00	-
10.70% सममूल्य दिनांक 29.07.2018 को विमोचनीय				
85वीं श्रृंखला	500.00	-	500.00	-
9.68% सममूल्य दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
83वीं श्रृंखला	685.20	-	685.20	-
9.07% सममूल्य दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				
82वीं श्रृंखला	883.10	-	883.10	-
9.85% सममूल्य दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
121वीं श्रृंखला	1,600.00	-	-	-

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
9.52% सममूल्य दिनांक 25.03.2017 को विमोचनीय				
120वीं श्रृंखला	1,100.00	-	-	-
9.67% सममूल्य दिनांक 10.03.2017 को विमोचनीय				
81वीं श्रृंखला	314.80	-	314.80	-
8.85% सममूल्य दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
116-I श्रृंखला	430.00	-	-	-
9.05% सममूल्य दिनांक 17.10.2016 को विमोचनीय				
80वीं श्रृंखला	500.00	-	500.00	-
8.20% सममूल्य दिनांक 20.03.2016 को विमोचनीय				
79वीं श्रृंखला	500.00	-	500.00	-
7.85% सममूल्य दिनांक 14.03.2016 को विमोचनीय				
78वीं श्रृंखला	1,795.70	-	1,795.70	-
7.65% सममूल्य दिनांक 31.01.2016 को विमोचनीय				
93-II श्रृंखला	-	443.10	443.10	-
8.45% सममूल्य दिनांक 19.02.2015 को विमोचनीय				
73वीं श्रृंखला	-	46.78	46.78	46.78
6.90% सममूल्य पर ₹ 46.78 करोड़ के समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय, अगली किस्त 08.10.2014 को देय है।				
75वीं श्रृंखला	-	100.00	100.00	100.00
7.20% सममूल्य पर ₹ 50.00 करोड़ को समान अर्धवार्षिक किस्तों में विमोचनीय, अगली किस्त 17.09.2014 को देय है।				
90- ख-I श्रृंखला	-	883.90	883.90	-
8.35% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2014 को विमोचनीय				
90- क-II श्रृंखला	-	1,000.00	1,000.00	-
8.00% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2014 को विमोचनीय				
77वीं श्रृंखला	197.10	197.10	394.20	197.10
7.30% सममूल्य पर ₹ 197.10 करोड़ के समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय, अगली किस्त 30.06.2014 को देय है।				
89-II श्रृंखला	-	255.00	255.00	-
7.70% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2014 को विमोचनीय				
69वीं श्रृंखला	-	-	-	133.84
6.05% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2014 को विमोचनीय है।				
87-ग-III श्रृंखला	-	-	-	860.00
11.50% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2013 को विमोचनीय				
87-क-II श्रृंखला	-	-	-	36.40
11.20% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2013 को विमोचनीय				
87-I श्रृंखला	-	-	-	370.20
10.90% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2013 को विमोचनीय				
86-ख-II श्रृंखला	-	-	-	354.10
10.90% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2013 को विमोचनीय				
86वीं श्रृंखला	-	-	-	727.90
10.75% सममूल्य पर दिनांक 24.07.2013 को विमोचनीय				
84वीं श्रृंखला	-	-	-	1,000.00
9.45% सममूल्य पर दिनांक 04.04.2013 को विमोचनीय				
कुल संस्थागत बांड	24,974.50	2,925.88	17,297.38	3,826.32

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.1.1.2	**54सी पूंजी लाभ कर छूट बांड**				
	श्रृंखला IX (2013-14)	5,349.91	-	-	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला VIII (2012-13)	4,903.25	-	4,903.25	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला VIII (2011-12)	-	5,239.36	5,239.36	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला VIII (2010-11)	-	-	-	5,043.89
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान विमोचनीय				
	जोड़ - 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड	10,253.16	5,239.36	10,142.61	5,043.89
4.1.1.3	**कर-मुक्त बांड**				
	श्रृंखला 2013-14 ट्रांचे 2	1,057.40	-	-	-
	सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बांड 24.03.2024 को विमोचनीय है, ₹ 528.42 करोड़ के बांड 24.03.2029 को विमोचनीय हैं और ₹ 109.66 करोड़ के बांड 24.3.2034 को विमोचनीय है, और वार्षिक रूप से देय 8.19% से 8.88% के परिवर्ती ब्याज दरों के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	150.00	-	-	-
	₹ 105.00 करोड़ के बांड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोचनीय हैं, और ₹ 45.00 करोड़ के बांड 11.10.2028 को विमोचनीय हैं, जो वार्षिक रूप से देय 8.18% से 8.54% के परिवर्ती ब्याज दरों के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 ट्रांचे-1	3,410.60	-	-	-
	₹ 575.06 करोड़ के बांड सममूल्य पर 24.09.2023 को विमोचनीय हैं, ₹ 2,780.26 करोड़ 24.09.2028 को विमोचनीय हैं और ₹ 55.28 करोड़ 24.09.2033 को विमोचनीय है जो वार्षिक रूप से देय 8.01% से 8.77% की परिवर्ती ब्याज दर के साथ है।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	1,350.00	-	-	-
	₹ 209.00 करोड़ के बांड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बांड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं जो वार्षिक रूप से देय 8.01% से 8.46% के परिवर्ती ब्याज दर के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2012-13 - ट्रांचे - 2	131.06	-	131.06	-
	सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 81.35 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 25.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बांड दिनांक 25.03.2028 को विमोचनीय है और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 6.88% से 7.54% के बीच है।				
	श्रृंखला 2012-13 ट्रांचे - 1	1,982.35	-	1,982.35	-
	सममूल्य पर विमोचनीय ₹ 1,165.31 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 817.4 करोड़ के बांड दिनांक 19.12.2027 को विमोचनीय है और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.22% से 7.88% के बीच है।				
	श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2क और 2ख	500.00	-	500.00	-
	सममूल्य पर विमोचनीय ₹ 255.00 करोड़ रकम के बांड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बांड दिनांक 21.11.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर क्रमशः 7.21% से 7.38% के बीच है।				
	श्रृंखला 2011-12	3,000.00	-	3,000.00	-

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 839.67 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 27.03.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 2160.33 करोड़ के बांड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.93% से 8.32% के बीच है।				
जोड़ - कर-मुक्त बांड	11,581.41	-	5,613.41	-
4.1.2 **आवधिक ऋण**				
बैंकों से आवधिक ऋण				
- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	-	19.40	19.40	19.40
₹ 9.70 करोड़ की समान छमाही किश्तों में 7.25% ऋण प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 24.09.2014 को देय				
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण				
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	1,450.00	350.00	1,800.00	350.00
₹ 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में 6.242% की दर पर ₹ 400 करोड़ तथा 6.231% की दर पर ₹ 200 करोड़ बकाया है) 2000 करोड़ ₹ (जो वर्तमान में 7.35% की दर पर ₹ 1,200 करोड़ बकाया है), क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू10 समान वार्षिक किस्तों में देय है।				
- इंडिया अवसंरचना फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	1,195.00	-	-	1,870.00
10.00% ऋण दिनांक 10.09.2023 को चुकौति योग्य है।				
जोड़ : आवधिक ऋण	2,645.00	369.40	1,819.40	2,239.40

4.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण :

4.2.1 बांड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.1.1 **संस्थागत बांड**				
95-II श्रृंखला	1,800.00	-	1,800.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2025 को विमोचनीय				
94वीं श्रृंखला	1,250.00	-	1,250.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2025 को विमोचनीय				
115वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टीयर -II बांड	2,500.00	-	-	-
8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय				
114वीं श्रृंखला	4,300.00	-	-	-
8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय				
111-II श्रृंखला	2,211.20	-	2,211.20	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
107वीं श्रृंखला	2,378.20	-	2,378.20	-
9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय				
105वीं श्रृंखला	3,922.20	-	3,922.20	-
9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय				
101-III श्रृंखला	3,171.80	-	3,171.80	-
9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
100वीं श्रृंखला	1,500.00	-	1,500.00	-
9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
98वीं श्रृंखला	3,000.00	-	3,000.00	-
9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
97वीं Series	2,120.50	-	2,120.50	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2020 को विमोचनीय				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
96वीं श्रृंखला	**1,150.00**	-	1,150.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 25.10.2020 को विमोचनीय				
113वीं श्रृंखला	**1,542.00**	-	1,542.00	-
8.87% सममूल्य पर दिनांक 08.03.2020 को विमोचनीय				
111-I श्रृंखला	**452.80**	-	452.80	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
108-II श्रृंखला	**960.00**	-	960.00	-
9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
95-I श्रृंखला	**200.00**	-	200.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
112वीं श्रृंखला	**1,500.00**	-	1,500.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
109वीं श्रृंखला	**1,734.70**	-	1,734.70	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 27.08.2017 को विमोचनीय				
108-I श्रृंखला	**2,125.00**	-	2,125.00	-
9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				
106वीं श्रृंखला	**1,500.00**	-	1,500.00	-
9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
103-I श्रृंखला	**50.00**	-	-	915.00
9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय				
102वीं श्रृंखला	**2,216.20**	-	2,216.20	-
9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				
101-II श्रृंखला	**394.60**	-	394.60	-
9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय				
74वीं श्रृंखला	-	**250.00**	250.00	-
7.22% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2014 को विमोचनीय				
110वीं श्रृंखला	-	**3,475.00**	3,475.00	-
8.84% सममूल्य पर दिनांक 16.10.2014 को विमोचनीय				
101-I श्रृंखला	-	**395.60**	395.60	-
9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय				
99-II श्रृंखला	-	**445.20**	445.20	-
9.75% सममूल्य पर दिनांक 07.06.2014 को विमोचनीय				
103-II श्रृंखला	-	-	-	500.00
9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2013 को विमोचनीय				
104वीं श्रृंखला	-	-	-	1,025.00
9.30% सममूल्य पर दिनांक 03.05.2013 को विमोचनीय				
जोड़ - संस्थागत बांड	**41,979.20**	**4,565.80**	39,695.00	2,440.00
4.2.1.2 **इंफ्रास्ट्रक्चर बांड**				
श्रृंखला-II (2011-12)	**157.59**	-	157.59	-
सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.5 देखें।				
श्रृंखला-I (2010-11)	**218.73**	-	218.73	-
सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.5 देखें।				
जोड़ : इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	**376.32**	-	376.32	-

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.1.3	**जीरो कूपन बांड**				
	जेडसीबी - श्रृंखला-II दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय	151.35	-	139.18	-
	(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय है)				
	जेडसीबी - श्रृंखला-I दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय	692.73	-	639.93	-
	(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बांड जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020) को विमोचनीय है)				
	जोड़ : जीरो कूपन बांड	844.08	-	779.11	-

4.2.2 आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.2.1	**बैंकों से आवधिक ऋण**				
	- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	125.00	125.00	250.00	-
	8.00% ऋण दिनांक 30.06.2014 और 30.06.2015 को समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय				
	- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-	-	-	500.00
4.2.2.2	**भारत सरकार से ऋण**	3.07	4.86	7.93	7.21
	मूलधन के संबंध में 30 वर्षो की मूल अवधि और पांच वर्ष के ऋण स्थगन की अवधि सहित विभिन्न ट्रांचो में ऋण और अवरोही छठी वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 समान वार्षिक किस्तों में 6.75% से 7.75% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ प्रतिदेय।				
	जोड़ - आवधिक ऋण	128.07	129.86	257.93	507.21

4.2.3 अन्य ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.3.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बांड - सीएचएफ 200 मिलियन	1,350.32	-	1,139.38	-
	3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				
	आरईजी एस बांड - 500 मिलियन अमरीकी डालर	2,641.31	-	2,498.55	-
	4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचनीय				
	जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा	735.25	203.81	921.89	192.61
	0.75% जेआईसीए-I- ऋण दिनांक 20.03.2021 तक ¥ 982.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 20.09.2014 को देय हो रही है और 0.65% जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक ¥ 995.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में देय हो रही है; अगली किश्त 20.09.2014 को देय है।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा	195.83	50.34	246.17	47.92
	3.73% ऋण € 3.68 मिलियन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 30.06.2014 को देय है।				
	ईसीबी - बैंक- II - से सिंडिकेटिड ऋण-400 मिलियन अमेरिकी डालर	1,788.96	-	1,788.96	-
	दिनांक 22.09.2015 को प्रतिदेय				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मारीशस - 70 मिलियन अमेरिकी डालर	311.36	-	311.36	-
दिनांक 28.10.2015 को प्रतिदेय				
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मिज़ूहो - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	446.50	-	446.50	-
दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय				
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - बीटीएमयू - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	446.50	-	446.50	-
दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय				
सिंडिकेटिड ऋण - 300 मिलियन अमेरिकी डालर	1,367.24	-	1,367.24	-
दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय				
केएफडब्ल्यू-II ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा	320.66	53.44	374.10	53.44
2.89% ऋण € 3.88 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त दिनांक 30.06.2014 को देय				
सिंडिकेटिड ऋण- ¥ 12.525 बिलियन	1,184.43	-	1,143.76	-
दिनांक 27.03.2017 को प्रतिदेय				
सिंडिकेटिड ऋण-$ 250 मिलियन अमेरिकी डालर	1,366.49	-	1,366.49	-
150 मिलियन अमेरिकी डालर और 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण क्रमशः 17.09.2015 ओर 19.11.2015 को प्रतिदेय				
केएफडब्ल्यू-III ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा	416.99	-	173.86	-
1.86% ऋण € 5.26 की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त दिनांक 30.06.2015 को देय				
सिंडिकेटिड ऋण - $ 250 मिलियन	1,488.37	-	1,359.73	-
दिनांक 05.02.2016 को प्रतिदेय				
सिंडिकेटिड ऋण - यूएस $ 250 मिलियन	1,473.07	-	1,359.73	-
दिनांक 21.03.2016 को प्रतिदेय				
सिंडिकेटिड ऋण यूएस -$ 285 मिलियन	1,780.28	-	-	-
दिनांक 02.12.2018 को प्रतिदेय				
जोड़ : विदेशी मुद्रा उधार	**17,313.56**	**307.59**	14,944.22	293.97

4.3 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखला 73, 75, को (क) 51 और 52/58-ख, 5वीं मंजिल, मित्तल टावर, ब्लॉक-II, बैकबे स्कीम, नरीमन प्वाइंट, कोलाबा मुंबई-400 005, महाराष्ट्र, भारत के परिसर को बंधक रखकर और (ख) दिनांक 24 सितम्बर, 2010 के संयुक्त दृष्टिबंधक करार के आधार पर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान एवं भावी दोनों में वसूलनीय एवं सुरक्षित पर समरूप प्रभार के साथ है और तथा आईएल एवं एफएस कम्पनी लिमिटेड में बंधकित प्राप्यों को छोड़कर है, के द्वारा प्रतिभूत है।

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखला 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86क, 86बी-III, 87-II, 87ए-II, 87 ए-III, 88, 89-II, 90, 90 ए-II, 90 बी-I, 90 बी-II, 90 सी-II, 91-II, 92-II, 93-II और सभी 54ईसी पूंजीगत लाभ कर-मुक्त बांडों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड गैम्स विलेज, नई दिल्ली-110049 को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितम्बर, 2010 को संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को आडमान रखी गई प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखलाएं 116-I, 116-II, 117, 118, 119, 120, 121 वर्तमान भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके सुरक्षित हैं जो दूसरे साहुकारों/न्यासियों पर प्रभारित है तथा जैसा भी, आईडीबीआई ट्रस्ट्रीशिप सर्विसेज लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बांडों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एकबारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ ऋणपत्रों/बाण्ड ट्रस्ट सह-बंधीकरण विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमक और न्यासी के बीच सहमति हुई है।

54 ईसी पूंजीलाभ कर छूट बांडों की बांड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584 पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बडोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लि. के पक्ष में प्राप्य रकम को मालबंधन करके प्रतिभूत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बांड शॉप नं. 12, भू-तल ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित हैं और आईएल एवं एफएल ट्रस्ट कम्पनी लि. के पक्ष में एमएसईडीसीएल के 4,998.66 ₹ करोड़ से प्राप्य रकम को मालबंधन कर के प्रतिभूत किया गया हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांड (क) ग्राम सुभानपुरा, जिला वडोदरा में अवस्थित उप प्लॉट सं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584 पी पर परिसरों के रेहन तथा (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्य राशि के मालबंधित पर प्रथम समतुल्य प्रभार द्वारा प्रतिभूत किए गए।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निर्गमित कर मुक्त बांड एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में (कंपनी के उधारदाताओं/अन्य न्यासियों को अनन्य रूप से प्रभारित/लाभ निर्दिष्ट को छोड़कर) बही ऋणों पर प्रथम समकक्ष प्रभार द्वारा प्रतिभूत किए गए।

सावधि ऋणों को हमारी कंपनी की प्राप्य राशियों, वर्तमान तथा भावी, दोनों पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है सिवाए आईएल एवं एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित की गई कतिपय विशिष्ट प्राप्य राशियों के।

4.4 विदेशी मुद्रा उधार छमाही अमरीकी डालर/जापानी येन लिबोर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर) से ऊपर 129 बीपीएस से 220 बीपीएस के विस्तार में ब्याज दरों पर जुटाए गए हैं सिवाए उन उधारों के जहां दरों का कथन ऊपर टिप्पणी संख्या 4.2.3.1 में किया गया है।

4.5 निर्गमित अवसंरचना बांडों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

दिनांक 31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला-I (2010-11)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	(₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.00%	**61.60**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	**151.74**	
8.10%	**1.61**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	**3.78**	
जोड	**218.73**	

दिनांक 15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला-II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	(₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	**95.23**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	**32.85**	
9.15% संचयी	**13.43**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	**5.01**	
8.95% संचयी	**5.73**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	**1.38**	
9.15% संचयी	**2.83**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	**1.13**	
जोड़	**157.59**	

5. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल))

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास	**5.04**	5.22
विदेशी मुद्रा विनिमय घटबढ़ हानि	**181.04**	-
जोड़	**186.08**	5.22
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
अर्जित अवकाश देयता के लिए प्रावधान	**7.81**	7.94
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	**4.58**	4.12
पश्च सेवा निवृत्ति चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान	**-**	2.63
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**0.38**	0.18
परियोजना लागत संशोधन की आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**0.39**	-
जोड़	**13.16**	14.87
आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (-)(निवल)	**172.92**	-9.65

समेकित लेखा टिप्पणियां

5.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित राशि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती और इस प्रकार यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) के तहत यथा अधिसूचित अनुसार एएस-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गई है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

6. अन्य दीर्घावधिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
- उपचित ब्याज का गैर चालू भाग किंतु उधारों के लिए देय नहीं	23.52	80.25
- अन्य	0.02	-
जोड़	**23.54**	80.25

7. दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
	- निम्न के लिए प्रावधान				
(क)	**कर्मचारी लाभ**				
	अर्जित अवकाश देयता	20.27	2.73	19.56	3.78
	सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा लाभ	63.43	3.21	54.26	1.54
	चिकित्सा अवकाश देयता	12.83	1.91	11.03	2.37
	निपटान भत्ता	1.02	0.14	1.03	0.13
	आर्थिक पुनर्वास योजना	2.58	0.07	1.95	0.28
	दीर्घ सेवा अवार्ड	3.02	0.36	2.44	0.62
	उप-जोड (क)	103.15	8.42	90.27	8.72
(ख)	**अन्य**				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	339.17	31.21	95.16	10.52
	पुनः समय निर्धारित ऋण परिसंपत्तियां	-	-	3.04	0.14
	प्रोत्साहन	-	15.42	-	34.03
	आयकर पर ब्याज	-	0.08	-	-
	धन कर	-	0.37	-	0.37
	अनुषंगी हितलाभ कर	-	0.36	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश	-	172.81	-	148.12
	कारपोरेट लाभांश कर	-	29.43	-	25.20
	परियोजना लागत संशोधन की आकस्मिकताएं	-	1.15	-	-
	उप-जोड़ (ख)	339.17	250.83	98.20	218.74
	जोड़ (क + ख)	442.32	259.25	188.47	227.46

7.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी को 31 मार्च, 2015 तक चरणबद्ध तरीके से ''मानक परिसंपत्तियों'' के लिए 0.25 प्रतिशत का प्रावधान सृजित करने की अनुमति दी थी। विगत वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 105.68 करोड़ की व्यवस्था की थी तथा शेष ₹ 264.70 करोड़ की पूर्ण राशि की व्यवस्था कर दी गई है जिससे यह वर्तमान वर्ष 2013-14 में ही बकाया मानक परिसंपत्तियों के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य हो गई है।

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा टिप्पणियां

7.2 एएस-29 के तहत यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित	बंद शेष
अर्जित अवकाश देयता	23.34	6.23	6.57	23.00
विगत वर्ष	23.45	5.68	5.79	23.34
सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	55.80	15.05	4.21	66.64
विगत वर्ष	46.82	11.75	2.77	55.80
चिकित्सा अवकाश देयता	13.40	2.64	1.30	14.74
विगत वर्ष	11.99	2.23	0.82	13.40
निपटान भत्ता	1.16	0.10	0.10	1.16
विगत वर्ष	1.12	0.07	0.03	1.16
आर्थिक पुनर्वास योजना	2.23	0.89	0.47	2.65
विगत वर्ष	2.19	0.25	0.21	2.23
दीर्घ सेवा अवार्ड	3.06	0.94	0.62	3.38
विगत वर्ष	3.01	0.45	0.40	3.06
मानक ऋण परिसंपत्तियां	105.68	264.70	-	370.38
विगत वर्ष	-	105.68	-	105.68
पुनः समय निर्धारित ऋण परिसंपत्तियां	3.18	-	3.18	-
विगत वर्ष	3.18	-	-	3.18
प्रोत्साहन	34.03	10.95	29.56	15.42
विगत वर्ष	25.10	41.47	32.54	34.03
अनुग्रह राशि	-	-	-	-
विगत वर्ष	0.10	-	0.10	-
धन कर	0.37	0.37	0.37	0.37
विगत वर्ष	0.38	0.36	0.37	0.37
अनुषंगी लाभ कर	0.36	-	-	0.36
विगत वर्ष	0.36	-	-	0.36
अंतरिम लाभांश	-	765.28	765.28	-
विगत वर्ष	-	666.53	666.53	-
प्रस्तावित लाभांश	148.12	172.82	148.13	172.81
विगत वर्ष	246.86	148.12	246.86	148.12
कारपोरेट लाभांश कर	25.20	159.46	155.23	29.43
विगत वर्ष	40.08	133.31	148.19	25.20
आय कर	2,329.06	1,736.52	46.86	4,018.72
विगत वर्ष	1,914.63	1,355.13	940.70	2,329.06
आयकर पर ब्याज	-	0.08	-	0.08
विगत वर्ष	-	-	-	-
परियोजना लागत संशोधनों पर आकस्मिकताएं	-	1.48	0.33	1.15
विगत वर्ष	-	0.65	0.65	-

8. अल्पावधिक उधार

(₹ करोड़ में)

	ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	**बैंकों से मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण, प्रतिभूत**	-	5.55
	(आवधिक जमा के समक्ष प्रतिभूत)		
(ख)	**मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण, अप्रतिभूत**		
	- बैंकों से	-	500.00
	- वित्तीय संस्थाओं से	-	1,000.00
(ग)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	2,540.00	980.00
	जोड़ (क + ख + ग)	2,540.00	2,485.55

समेकित लेखा टिप्पणियां

9. व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
व्यापार देय राशियां	6.07	5.48
जोड़	6.07	5.48

10. अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	दीर्घावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखें टिप्पणी 4)	13,537.89	14,350.79
(ख)	उपचित ब्याज किन्तु उधारों पर देय नहीं	4,399.25	3,735.97
(ग)	उपचित तथा उधारों पर देय ब्याज	1.10	1.05
(घ)	अग्रिम में प्राप्त आय	9.51	5.68
(ड.)	अप्रदत्त लाभांश	2.31	1.84
(च)	अप्रदत्त मूलधन तथा बांडों पर ब्याज		
	- परिपक्व बांड तथा उन पर उपचित ब्याज	61.05	72.77
	- बांडों पर ब्याज	11.38	19.82
(छ)	अन्य देय राशियां		
	- भारत सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान	30,260.46	27,347.67
	जोड़ें : आर्थिक सहायता/अनुदान पर ब्याज (देखें टिप्पणी 10.3)	11.55	3.65
	घटाएं : लाभग्राहियों को संवितरित राशि	-29,760.21	-27,330.93
	असंवितरित आर्थिक सहायता/अनुदान	511.80	20.39
	- भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	26.28	22.47
	- निधिकृत कर्मचारी लाभों के लिए देय राशियां	0.84	1.35
	- अन्य देयताएं	40.46	894.39
	उप-जोड़ (छ)	579.38	938.60
	जोड़ (क से छ)	18,601.87	19,126.52

10.1 त्वरित उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत आर्थिक सहायता:

कंपनी एक ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता निधि खाते का अनुरक्षण कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक पुनर्भुगतान समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष तथा पुनर्भुगतान अवधि कुछ भी होने के बावजूद भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का. ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के तहत निर्दिष्टात्मक दरों तथा वर्ष के अनुसार परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी आर्थिक सहायता (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गई थी। आहरण के समय विचार में ली गई निर्दिष्टात्मक दर तथा वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2014 के अनुसार ₹ 3.53 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 5.20 करोड़) की निवल राशि ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता निधि की शेष राशि की द्योतक है जिसे त्वरित उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यक्रम (ए जी एवं एस पी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है जिसमें निम्न शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता निधि का आरंभिक शेष	5.20	7.76
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.22	0.26
घटाएं : उधारकर्ता को दी गई ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	1.89	2.82
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता का बंद शेष	3.53	5.20

इसके अतिरिक्त ₹ 0.44 करोड़ की राशि 02 अप्रैल, 2014 को संवितरित अनुदान के संबंध में ''अन्य देयताओं'' में शामिल की गई है।.

समेकित लेखा टिप्पणियां

10.2 भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने हेतु प्राप्त निधियां प्रथम बैंक खाते में रखी जाती हैं। योजना की असंवितरित निधियों को उनपर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष ''अन्य वर्तमान देयताएं'' के तहत ''असंवितरित आर्थिक सहायता/अनुदान'' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई आर्थिक सहायता खाते में ₹ 38.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 20.02 करोड़) का अर्जित ब्याज जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ₹ 29.51 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 98.92 करोड़) की राशि का प्रतिदाय विद्युत मंत्रालय को आर्थिक सहायता पर कुल ब्याज में से किया गया है।

10.3 आर्थिक सहायता/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	**31.03.2014 के अनुसार**	31.03.2013 के अनुसार
आरंभिक शेष	**3.65**	83.14
जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**38.32**	20.45
घटाएं : वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**29.51**	98.92
घटाएं : एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.91**	1.02
बंद शेष	**11.55**	3.65

लेखा टिप्पणियां

11. 31 मार्च, 2014 को अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	**31.03.2014 को बंद**	31.03.2013 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	**31.03.2014 को यथास्थिति**	**31.03.2014 के अनुसार**	31.03.2013 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.75	-	-	**34.75**	-	-	-	**-**	**34.75**	34.75
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	**1.45**	0.20	0.01	-	**0.21**	**1.24**	1.25
भवन	24.51	3.98	-	**28.49**	6.41	0.43	-	**6.84**	**21.65**	18.10
फर्नीचर और जुड़नार	7.51	0.29	1.03	**6.77**	4.28	0.29	0.48	**4.09**	**2.68**	3.23
वाहन	0.51	-	0.06	**0.45**	0.41	0.02	0.06	**0.37**	**0.08**	0.10
ईडीपी उपस्कर	15.51	1.31	0.42	**16.40**	8.45	1.96	0.24	**10.17**	**6.23**	7.06
कार्यालय उपस्कर	6.21	1.07	0.35	**6.93**	2.61	0.43	0.13	**2.91**	**4.02**	3.60
जोड़	90.45	6.65	1.86	**95.24**	22.36	3.14	0.91	**24.59**	**70.65**	68.09
पिछले वर्ष	88.50	2.73	0.78	**90.45**	19.90	2.86	0.40	**22.36**	**68.09**	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6.95	0.12	0.08	**6.99**	3.17	1.37	-	**4.54**	**2.45**	3.78
जोड़	6.95	0.12	0.08	**6.99**	3.17	1.37	-	**4.54**	**2.45**	3.78
पिछले वर्ष	4.37	2.58	-	**6.95**	2.13	1.04	-	**3.17**	**3.78**	
पूंजीगत चालू कार्य	8.75	1.62	-	**10.37**	-	-	-	**-**	**10.37**	8.75
पिछले वर्ष	7.92	0.83	-	**8.75**	-	-	-	**-**	**8.75**	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**	-
पिछले वर्ष	0.10	0.10	0.20	**-**	-	-	-	**-**	**-**	

11.1 कम्पनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 4.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.59 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

11.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकार मानक-28 'परिसंपत्तियों की कमी' के अधीन यथा-अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11.3 एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन :

उपयोगी समय सीमा	5 वर्ष
समाशोधन दर	20%, 100% यदि परिसम्पत्ति कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो
समाशोधन विधि	स्ट्रेट लाइन

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा टिप्पणियां

12. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
लागत पर मूल्यांकित				
(1) गैर-चालू निवेश				
(क) अन्य निवेश (अनुद्धृत)				
(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
- अन्य				
- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	1.25	1,250,000	1.25
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	16,000,000	16.00	16,000,000	16.00
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II	10	471.60	12	565.92
प्रत्येक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2014 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड)*				
(iii) वेंचर पूंजी निधियों में निवेश				
- केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड				
प्रति यूनिट ₹ 10.00 के अंकित मूल्य के ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' निधि के यूनिट	7,682,816	7.68	7,682,816	7.68
₹ 9.70 प्रति यूनिट का एनएवी (पिछले वर्ष ₹ 9.77)				
(iv) ऋणपत्रों में निवेश	114,150	1,141.50	-	-
यूपी पॉवर कार्पोरेशन लि. के 9.68% बॉण्ड				
₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
(v) कर मुक्त बॉण्डों में निवेश	50,000	5.00	-	-
हुडको लि. के 8.76% बॉण्ड				
₹ 1,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
जोड़ : गैर-चालू निवेश (1)		1,643.03		590.85
(2) चालू निवेश				
(क) इक्विटी लिखतों में निवेश (अनुद्धृत)				
- अनुषंगी कंपनियां				
- नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
- कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- **ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड**	-	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर,पूर्णतः प्रदत्त				
(ख) **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)**				
- **मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II**				
प्रत्येक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2014 को देय है।	1	47.16	1	47.16
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड)*				
जोड़ - चालू निवेश (2)		**47.41**		47.41
जोड़ (1+2)		**1,690.44**		638.26

* चालू अंश में बॉण्डों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 मास के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर-चालू अंश है।

- **निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(i) उद्धृत निवेशों की समग्र राशि	-	-
(ii) अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि		
- गैर-चालू निवेश	1,643.03	590.85
- चालू निवेश	47.41	47.41
(iii) निवेशों की लागत में गिरावट के लिए समुच्चय प्रावधान	-	-

12.1 निवेश में ₹ 7.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.68 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है। वर्ष के दौरान शून्य यूनिटों (पिछले वर्ष 1,42,311 यूनिट) को विमोचित किया गया था।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 7.68 करोड़	भारत	9.74%

12.2 लेखाकरण मानक-27 के अधीन यथा अपेक्षित संयुक्त उद्यम में कम्पनी के हित से संबंधित सूचना :

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात	25%
निगमन का देश	भारत

31.3.2014 के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर इसके गैर लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर संयुक्त उद्यम के संबंध में वर्ष हेतु आय एवं व्यय निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

कुल परिसम्पत्तियां	31.62
कुल देयताएं	4.90
कुल आरक्षित एवं अधिशेष	4.22
आकस्मिक देयताएं	शून्य
पूंजी प्रतिबद्धताएं	5.52
कुल आय	8.39
कुल व्यय	7.13

समेकित लेखा टिप्पणियां

13. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	20.20	23.79
(ख)	प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	7.54	7.68
(ग)	संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम		
	- निदेशकों को	0.07	0.07
		0.07	0.07
(घ)	अन्य ऋण और अग्रिम		
	- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (निदेशकों को छोड़कर)	15.85	13.73
	- ऋण परिसंपत्तियां	135,855.41	114,529.34
	- अन्य	0.71	0.15
		135,871.97	114,543.22
	योग (क से घ)	135,899.78	114,574.76

स्टाफ को ऋण एवं अग्रिमों तथा ऋण परिसंपत्तियों के ब्यौरे :

13.1 स्टाफ ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-18 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	प्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम				
(क1)	निदेशकों को				
	(क) शोध्य समझा गया	0.02	-	0.02	-
(क2)	अन्य को				
	(क) शोध्य समझा गया	4.13	0.69	3.78	1.01
	(ख) वर्गीकृत अशोध्य	0.02	0.05	-	-
	घटाएं - अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	0.02	0.05	-	-
		-	-	-	-
	उप-जोड़ (क1+ क2)	4.15	0.69	3.80	1.01
(ख)	अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम				
(ख2)	निदेशकों को				
	(क) शोध्य समझा गया	0.05	0.03	0.06	0.04
(ख2)	अन्यों का				
	(क) शोध्य समझा गया	11.72	4.51	9.95	5.94
	उप-जोड़ (क1+ ख2)	11.77	4.54	10.01	5.98
	सकल जोड़ (क+ख)	15.92	5.23	13.81	6.99

समेकित लेखा टिप्पणियां

13.2 ऋण परिसंपत्तियां

दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को उपरोक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-18 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		गैर	चालू	गैर	चालू
(क)	**प्रतिभूत ऋण**				
(क1)	**राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्यों विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (सामग्री/मूर्त परिसंपत्तियों को आडमान और/अथवा बंधक करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	**82,521.17**	**7,670.75**	66,215.52	6,781.75
(क2)	**अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	**22,027.26**	**1,160.66**	17,716.40	734.32
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**308.02**	**182.38**	353.48	136.92
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	**119.64**	**17.22**	57.02	32.52
		188.38	**165.16**	296.46	104.40
	उप-जोड़ (क1+ क2)	**104,736.81**	**8,996.57**	84,228.38	7,620.47
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**				
(ख1)	**संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	**27,201.58**	**2,363.27**	27,278.56	2,975.03
(ख2)	**राज्य सरकारों को ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	**2,860.78**	**340.09**	2,919.40	230.83
(ख3)	**ऋण - अन्य**				
	(क) शोध्य समझे गए	**1,056.24**	**572.29**	103.00	1.33
	उप-जोड़ (ख1+ ख2+ख3)	**31,118.60**	**3,275.65**	30,300.96	3,207.19
	समग्र जोड़ (क+ख)	**135,855.41**	**12,272.22**	114,529.34	10,827.66

13.2.1 31 मार्च, 2014 के अनुसार कुल ऋण परिसम्पत्तियों के लगभग 85% हेतु ऋण शेष अभिपुष्टियों को उधारकर्ताओं से प्राप्त किया गया है।

13.2.2 ऋण परिसंपत्तियों में राज्य वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना स्कीम के अनुसार कम्पनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

14. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश**	**4.03**	3.00
(ख)	**पुनःनिर्धारित ऋणों पर उपचित ब्याज**	**2.11**	118.79
(ग)	**अग्रिम आय कर एवं टीडीएस**	**4,041.99**	2,389.32
	घटाएं : आयकर संबंधी प्रावधान	**4,018.72**	2,329.06
	अग्रिम आय कर एवं टीडीएस (निवल)	**23.27**	60.26
(घ)	**अपरिशोधित व्ययों का गैर-चालू भाग :**		
	- बांण्डों के निर्गम पर छूट	**4.13**	8.97
(ङ.)	**निर्माणाधीन परियोजना**	**0.17**	-
	जोड़ (क से ङ.)	**33.71**	191.02

समेकित लेखा टिप्पणियां

15. व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2014 के अनुसार	31.3.2013 के अनुसार
6 माह से अधिक अवधि से बकाया		
(क) अप्रतिभूत		
- शोध्य समझे गए	**9.83**	15.37
- अशोध्य समझे गए	**1.12**	0.56
घटाएं : संदिग्ध ऋणों हेतु छूट	**1.12**	0.56
	-	-
6 माह से कम		
- शोध्य समझे गए	**50.71**	13.79
जोड़	**60.54**	29.16

16. नकदी और बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2014 के अनुसार	31.3.2013 के अनुसार
(क)	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	- बैंकों में शेष रकम	**124.75**	368.64
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्प आवधिक जमा राशियां	**1,083.48**	1,132.69
	उप-जोड़ (क)	**1,208.23**	1,501.33
(ख)	**अन्य**		
	- अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	**26.06**	28.21
	जोड़ (क+ख)	**1,234.29**	1,529.54
	बैंकों के शेष में निम्नलिखित शामिल है :		
	- बैंकों में अलग खातों में निर्दिष्ट शेष		
	- अप्रदत्त लाभांश हेतु	**2.31**	1.84
	- आरजीजीवीवाई अनुदान हेतु	**0.20**	2.81
	- एजी एंड एसपी अनुदान हेतु	**3.97**	6.11
	- अन्य अनुदान हेतु	**1.75**	2.35
	- कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यू लेखा	**5.96**	0.63
	- पीएटी खाता, 3एल खाता एवं एसएंडएल खाता	**-**	0.18
	- अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि	**2.38**	-
	- प्रतिभूति/मार्जिन राशि के रूप में मियादी जमा मियादी	**0.19**	11.52
	इसके अतिरिक्त, आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए ₹ 503.50 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 10.00 करोड़) चिह्नित किए जाने सहित अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमा।		
	अनुसूचित बैंकों के पास 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाले आवधिक जमा।	**1.30**	1.65

16.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्येक ₹ 1,000.00 के अंकित मूल्य के कुल ₹ 2,148.41 करोड़ के कर-मुक्त बॉण्डों का पब्लिक इश्यू दो भागों में (जिसमें आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा ₹ 35 करोड़ का निवेश शामिल है) जो ₹ 500 करोड़ के कर मुक्त बॉण्डों के प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यु के अतिरिक्त है। 31 मार्च, 2013 को शेष अप्रयुक्त ₹ 0.63 करोड़ की इश्यु से प्राप्त आय का उपयोग, अब वर्ष के दौरान प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया गया है।

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 4,500 करोड़ के समग्र मूल्य के (जिसमें, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा ₹ 25 करोड़ का निवेश और आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा ₹ 7 करोड़ का निवेश शामिल है) ₹ 1,000.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य के कर मुक्त बॉण्डों के पब्लिक इश्यू हैं, जो ₹ 1,500 करोड़ के कर मुक्त बॉण्डों के प्राइवेट प्लेसमेंट के अतिरिक्त हैं। पब्लिक इश्यू के तहत बॉण्डों को निर्धारित दिशानिर्देशों में आबंटित किया गया है और 2013-14 के वित्तीय वर्ष के भीतर है। इश्यू से प्राप्त राशि को प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है, जो ₹ 5.96 करोड़ के अतिरिक्त है, जिसे इसके उपयोग होने तक नामोदिष्ट पब्लिक इश्यू खाते में रखा गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

17. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

		विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
	-	संबंधित पक्षों का ऋण एवं अग्रिम, अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	3.77	3.14
	-	अन्य		
	-	नकदी या प्राप्त की जाने वाली प्रकार अथवा मूल्य के वसूलीयोग्य अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए)	2.46	4.09
	-	ऋण परिसम्पतियां		
(क)		प्रतिभूत ऋण		
	-	राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/कारपोरेशन को ऋण (सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखने तथा/या बंधक करके प्रतिभूत)		
		(क) शोध्य समझे गए	259.94	1,759.00
		उप- जोड़ (क)	259.94	1,759.00
(ख)		अप्रतिभूत ऋण		
	-	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारन्टीशुदा ऋण		
	-	शोध्य समझे गए	116.67	150.00
		उप- जोड़ (ख)	116.67	150.00
		कुल ऋण परिसंपत्ति (क+ख)	376.61	1,909.00
		सकल जोड़	382.84	1,916.23

18. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क)	दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलीयोग्य (टिप्पणी 13.2 देखें)	12,272.22	10,827.66
(ख)	स्टाफ अग्रिमों का चालू वसूलीयोग्य (टिप्पणी 13.1 को देखें)	5.23	6.99
(ग)	उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज :		
	- दीर्घ अवधि निवेश	43.16	-
	- आवधिक जमा	4.66	4.64
	उप- जोड़	47.82	4.64
(घ)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज	547.49	120.26
(ड.)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय नहीं ब्याज	561.70	560.89
(च)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश	0.08	0.33
(छ)	भारत सरकार से वसूलीयोग्य		
	- आरजीजीवीवाई व्यय	8.49	8.99
	- आरजीजीवीवाई/यूएनडीपी एजेंसी प्रभार	3.30	-
	उप-जोड़	11.79	8.99
(ज)	सरकारी विभागों/अन्यों से वसूलीयोग्य	4.46	17.78
(झ)	वसूली योग्य आयकर	9.33	0.12
(ञ)	कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार	94.29	46.33
(ट)	अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश		
	- बॉण्डों के निर्गम पर छूट	4.83	4.83
(ठ)	अन्य	0.01	1.53
	जोड़ (क से ठ)	13,559.25	11,600.35

समेकित लेखा टिप्पणियां

19. प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसम्पत्तियों पर ब्याज**				
	(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	16,413.47		12,479.02	
	घटाएं : समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने के लिए छूट	3.18	16,410.29	4.25	12,474.77
	(ii) अल्पावधि वित्तपोषण		396.10		816.18
	उप-जोड़ (क)		16,806.39		13,290.95
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से राजस्व**				
	(i) प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		52.90		108.62
	(ii) प्रीपेमेंट प्रीमियम		17.19		12.50
	(iii) आरजीजीवीवाई कार्यान्वयन/अन्यों के लिए एजेंसी/रख-रखाव प्रभार		28.76		9.97
	उप-जोड़ (ख)		98.85		131.09
(ग)	**अधिशेष निधियों के अल्प अवधि निवेश से आय**				
	(i) जमाराशियों से ब्याज		98.07		96.82
	(ii) म्यूचल फण्डों की बिक्री पर लाभ		14.67		18.51
	उप-जोड़ (ग)		112.74		115.33
(घ)	**परामर्शी इंजीनियर सेवा से आय**		104.23		32.69
	जोड़ (क से घ)		17,122.21		13,570.06

20. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय से भिन्न)**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	47.16	54.71
	- दीर्घ अवधि निवेशों/सावधि जमा/अन्य से ब्याज	46.72	6.84
	- आयकर वापसी से ब्याज	4.56	0.67
	- कर्मचारी अग्रिमों से ब्याज	1.25	1.35
	- सहायक कंपनियों से ब्याज	0.51	0.18
	उप-जोड़ (क)	100.20	63.75
(ख)	**लाभांश आय**		
	- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	0.38	0.25
	उप-जोड़ (ख)	0.38	0.25
(ग)	**दीर्घावधि निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ**	-	0.34
(घ)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- रिटन बैक प्रावधान	3.18	1.69
	- विविध आय	2.97	2.61
	उप-जोड़ (घ)	6.15	4.30
	जोड़ (क से घ)	106.73	68.64

समेकित लेखा टिप्पणियां

21. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- सरकारी ऋणों पर	**0.90**	1.53
	- आरईसी बांडों पर	**7,877.43**	6,554.00
	- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	**415.94**	414.70
	- बाह्य वाणिज्यिक उधार पर	**1,064.92**	790.52
	- कमर्शियल पेपर पर	**230.88**	86.49
	- एआरईपी सब्सिडी पर	**0.22**	0.24
	- अग्रिम आयकर पर ब्याज	**3.10**	2.06
	उप-जोड़ (क)	**9,593.39**	7,849.54
(ख)	**अन्य उधार लागतें**		
	- गारंटी शुल्क	**18.66**	27.32
	- पब्लिक इश्यू व्यय	**30.37**	10.37
	- बॉन्ड रखरखाव प्रभार	**1.11**	1.67
	- बांडों की दलाली	**16.35**	14.69
	- बांडों पर स्टाम्प शुल्क	**3.73**	0.84
	- डेब्ट इश्यू और अन्य वित्तीय प्रभार	**59.10**	101.45
	उप-जोड़ (ख)	**129.32**	156.34
(ग)	**निवल अन्तरण/लेन देन विनिमय क्षति**	**312.03**	77.51
	जोड़ (क से ग)	**10,034.74**	8,083.39

22. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	**93.32**	119.80
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**11.00**	9.96
- उपदान	**0.82**	1.35
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**15.05**	11.75
- कर्मचारी कल्याण व्यय	**14.35**	12.72
जोड़	**134.54**	155.58

समेकित लेखा टिप्पणियां

23. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
- सीएसआर एवं संधारणीय विकास के संबंध में व्यय		38.73		17.59
- यात्रा एवं वाहन		10.80		9.31
- प्रचार एवं संवर्धन व्यय		6.62		5.21
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	1.75		1.78	
- ईआरपी और डाटा केद्र	3.96		3.05	
- अन्य	0.66	6.37	0.48	5.31
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		4.53		3.13
- दर और कर		1.04		1.46
- बिजली और ईंधन		1.23		1.15
- बीमा प्रभार		0.04		0.04
- डाक टिकट, एवं टेलीफोन		1.92		1.18
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		0.68		0.60
- परामर्शी शुल्क		23.45		13.51
- दान और परोपकार		-		0.01
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.69		0.33
- स्टाफ के अग्रिमों पर छूट		0.07		-
- परियोजना लागत संशोधन की आकस्मिकताओं हेतु छूट		1.48		0.65
- विविध व्यय		28.24		18.79
जोड़		125.89		78.27

23.1 लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.34	0.29
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.06	0.05
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.06	0.06
- अन्य प्रमाणीकरण के लिए अदायगी #	0.22	0.19
- व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
जोड़	0.68	0.60

उपर्युक्त आंकड़ों में सेवा कर नियमावली के अनुसार किए गए ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़) के सेवा कर क्रेडिट रिवर्सल भी शामिल है।

इसमें वर्ष के लिए कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू की विवरणिका के प्रमाणन के लिए ₹ 0.18 करोड़ का प्रमाणन शुल्क (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 0.15 करोड़) का प्रमाणीकरण शुल्क शामिल है।

23.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
अर्जन	0.07	-
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	0.21	0.39
- ब्याज	388.23	289.56
- वित्त प्रभार	47.67	86.72
- अन्य व्यय	1.70	0.72
जोड़	437.81	377.39

समेकित लेखा टिप्पणियां

23.3 कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थल तथा आवास और ईआरपी डाटा केंद्र के लिए स्थल पट्टे पर लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डाटा केंद्र के संबंध में ₹ 4.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.39 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.57 करोड़) के पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया अदायगियां	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
	डाटा केंद्र	**कार्यालय एवं आवास**	डाटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.39**	**4.38**	0.39	2.92
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**0.18**	**9.60**	0.38	7.94
5 वर्ष से अधिक	**-**	**0.69**	-	0.01
जोड़	**0.57**	**14.67**	0.77	10.87

24. पूर्व अवधि मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
- ब्याज एवं वित्त व्यय	**(0.39)**	-
- अन्य	**0.35**	0.11
जोड़	**(0.04)**	0.11

25. प्रति शेयर अर्जन

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
न्यूमीरेटर		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर-पश्चात लाभ (₹ करोड़ों में)	**4,741.25**	3,832.78
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**987,459,000**	987,459,000
₹ 10/- के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटिड अर्जन (₹ में)	**48.01**	38.81

26. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं :

26.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2014 के अनुसार**	31.03.2013 के अनुसार
क - कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	**57.01**	52.11
ख - अन्य		
- लैटर्स ऑफ कंफर्ट/बैंक गारंटी	**1,278.36**	1,904.69

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 5.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.17 करोड़) की रकम भी शामिल है, जो विवाचन के मामले सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित है और न्यायालय/विवाचन के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है और इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 51.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.94 करोड़) की रकम भी शामिल है।

26.2 निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबद्धता जिनके लिए प्रावधान नहीं है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2014 के अनुसार**	31.03.2013 के अनुसार
- **पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके**		
- मूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में	**17.21**	5.82
- अमूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में	**4.75**	0.33
- **अन्य प्रतिबद्धताएं**		
- असंवितरित सीएसआर प्रतिबद्धता	**34.42**	7.41

समेकित लेखा टिप्पणियां

27. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस(पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव का आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2013 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं. 333/03.02.001/2013-14 के अनुच्छेद संख्या 1(3) (iv) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अधीन परिभाषित एक सरकारी कंपनी होते हुए आरईसी गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंडों (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। इसके अलावा, आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(आई)सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में प्राइवेट सेक्टर को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा। आरईसी को 15% का पूंजी-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) रखना होता है। (न्यूनतम टियर-I पूंजी का 10%)। तदनुसार, 25 सितम्बर, 2010 को बोर्ड के अनुमोदन से विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्ति के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो संस्था के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

28. 13 दिसम्बर, 2006 को हमारे निदेशक-मंडल ने कम्पनी के विवेकपूर्ण मानदंडों को अनुमोदित किया तथा 21 फरवरी, 2009 और 25 सितम्बर, 2010, 28 मई, 2013 एवं 26 मई, 2014 को इनमें संशोधन अनुमोदित किए गए थे। इनमें से कुछ आवश्यक विशेषताएं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में भी दी गई हैं। तथापि, सभी 'व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण' सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे के अधीन लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 दिसंबर, 2006 को हमारी कम्पनी को एक 'रूपरेखा' प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।

कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 29 जून, 2010 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2012 तक विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के संबंध में विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों से छूट प्रदान की है। इस छूट अवधि को कम से कम 12वीं योजना के अंत तक आगे बढ़ाने के आरईसी के अनुरोध, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 के पत्र के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया गया था, के उत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के पत्र द्वारा 31 मार्च, 2013 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने से छूट की अवधि बढ़ाने की सहमति प्रदान कर दी है, बशर्ते कि 01 अप्रैल, 2013 से शुरूहोने वाले तीन वर्ष के अंदर, समय-समय पर यथा संशोधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैर-जमा स्वीकृति या प्रतिधारण) विवेकपूर्ण मानंदड (भारतीय रिज़र्व बैंक) संबंधी निर्देश, 2007 में निर्धारित भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में 30 जून, 2012 तक एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

तदनुसार, आरईसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का 2012-13 से एक चरणबद्ध तरीके से अनुपालन करने के लिए 22 जून, 2012 के पत्र द्वारा विद्युत मंत्रालय को एक रूपरेखा प्रस्तुत की, मंत्रालय ने उसे 06 जुलाई, 2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित कर दिया। आरबीआई ने 25 जुलाई, 2013 के पत्र द्वारा आरईसी को सूचित किया है कि परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट संकेद्रण मानकों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण/पुनःवार्ताकरण से संबंधित मामले बैंक के विचाराधीन हैं और आरईसी को 31 मार्च, 2016 तक आरबीआई के विवेकपूर्ण मानकों के अनुपालन में कदम उठाने की सलाह दी है। बाद में, आरबीआई ने दिनांक 4 अप्रैल, 2014 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2016 तक केद्र/राज्य सरकार के संस्थाओं को प्रकटन के संबंध में तथा परिसम्पत्तियों को पुनर्गठन के संबंध में क्रेडिट संकेद्रण मानकों से छूट प्रदान की है। आरईसी को सलाह दी है कि इसी तारीख की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) सं. 271/सीजीएम (एनएसवी)-2014 के तहत जारी आरबीआई के परिपत्र डीएनबीएस, सीओ, पीडी 367/03.10.01/2013-14, दिनांक 23 जनवरी, 2014 में निहित अनुदेशों का पालन किया जाए। आरबीआई के पत्र दिनांक 04 अप्रैल, 2012, 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल 2014 के संबंध में 31 मार्च, 2016 तक आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तथापि आरईसी ने मामले को इस संबंध में उपयुक्त निदेश हेतु आरबीआई के साथ तथा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भी उठाया है और आवश्यक कार्रवाई परवर्ती वर्षों में आरबीआई की सलाह के अनुसार की जाएगी।

29. वर्ष 2012-13 के दौरान, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, को प्रचालन किया गया। योजना को, भारत सरकार द्वारा वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को प्रोन्नत करने के लिए शुरू किया गया। योजना, वितरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और प्राइवेट वितरण विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ऋण लेने पर, सुधार उपायों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि, दो वर्षों के दौरान अर्थात 2012-13 तथा 2013-14 में स्वीकृत, ऋण संवितरण योजनाओं के लिए 14 वर्षों के दौरान ₹ 8,466 करोड़ की सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभारों, स्वतंत्र मूल्यांककों को अदायगी और अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) की कुल ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को पूरे देश में प्रचालनात्मक बनाने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

30. कुछ आरई सहकारी समितियों द्वारा विशेष निधि के सृजन में ₹ 5.86 करोड़ की राशि (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 5.86 करोड़) की कमी (सकल) आई है।

31. **लेखाकरण नीति में परिवर्तन**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 1(क), 2.1क, 2.1ड.(1), 2.2(i), 2.2(iv), 5, 6, 7 में आशोधन किए गए हैं, ताकि इसे और अधिक स्पष्टकारी/सुस्पष्ट बनाया जा सके। हालांकि, ऐसे आशोधनों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने मानक परिसम्पत्तियों पर प्रावधान के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2.3(iv) में बदलाव किया है जो अब 31 मार्च, 2015 तक एक चरणबद्ध तरीके में सृजन के संबंध में बकाया मानक परिसम्पत्तियों के 0.25% पर सृजित है। यदि कम्पनी ने पूर्ववर्ती नीति का पालन किया तो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ ₹ 105.74 करोड़ अधिक होगा।

32. प्रबंधन की राय में तुलन-पत्र में दर्शाई गई वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और पेशगियों का मूल्य उसमें उल्लिखित रकम के बराबर है, बशर्ते कि यह सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त हो जाए और सभी चालू देयताओं का प्रावधान किया गया हो।

33. कारपोरेशन की, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई देयता बाकी नहीं है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

34. प्रतिरक्षा कार्यनीति के भाग के रूप में कंपनी ने, कुछ मामलों में, ब्याज की स्थिर दर के स्थान पर अस्थिर दर का ब्याज दर क्रय-विक्रय निष्पादित किया है। बकाया उधारी का आईएनआर मूल्य जिस पर (क्रय-विक्रय) का प्रयोग किया गया है, उसका मूल्य भारतीय में ₹ 7,427.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,211.80 करोड़) है।

विदेशी मुद्रा उधारियों के संबंध में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रकटन की प्रतिरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विनिमय (क्रॉस करेंसी स्वैप) को भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रकटन की बकाया स्थिति निम्नवत है।

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय ₹ करोड़ में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	योग		प्रतिरक्षित (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *
जेपीवाई येन ¥	**36,483.43**	**2,123.49**	**35,851.15**	**2,086.30**	**632.28**	**37.19**
पिछले वर्ष	40,173.98	2,258.26	26,688.37	1,479.34	13,485.61	778.92
यूरो €	**141.28**	**1,037.26**	**113.63**	**808.90**	**27.65**	**228.36**
पिछले वर्ष	131.43	895.49	106.43	721.63	25.00	173.86
यूएसडी $	**2,505.00**	**13,110.08**	**1,830.00**	**9,053.34**	**675.00**	**4,056.74**
पिछले वर्ष	2,220.00	10,945.06	1,470.00	6,865.87	750.00	4,079.19
सीएचएफ (स्विस फ्रांक)	**200.00**	**1,350.32**	**-**	**-**	**200.00**	**1,350.32**
पिछले वर्ष	200.00	1,139.38	-	-	200.00	1,139.38
योग		**17,621.15**		**11,948.54**		**5,672.61**
पिछले वर्ष		15,238.19		9,066.84		6,171.35

* भारतीय रुपए में ली-दी गई (क्रय-विक्रय) विदेशी मुद्रा उधार का भाग लेन-देन में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष की अंत दर पर अंतरित किया गया है।

34.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है :

क्र. सं.	विनिमय दर	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
1	यूएसडी/भारतीय ₹	**60.0998**	54.3893
2	जेपीवाई/भारतीय ₹	**0.5883**	0.5776
3	यूरो/भारतीय ₹	**82.5765**	69.5438
4	सीएचएफ/भारतीय ₹	**67.5159**	56.9689

35. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण :

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री राजीव शर्मा — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.11.2011 अपराह्न से)
श्री अजीत कुमार अग्रवाल — निदेशक (वित्त) (01.08.2012 पूर्वाह्न से)
श्री पी.जे. ठक्कर — निदेशक (तकनीकी) (02.05.2011 अपराह्न से)

(2) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां

विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल) - 30.11.2011 को निगमित किया गया था और बाद में आरईसीटीपीसीएल, वीटीएल एवं पीजीसीआईएल के बीच शेयर खरीद करार में यथा- विस्तृत निबंधन एवं शर्तों पर 30.08.2013 को पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को अंतरित किया।

कुदगी ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) - 27.11.2012 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, केटीएल एवं एलटीआईडीपीएल के बीच शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधन एवं शर्तों पर बाद में 30.08.2013 को एल एवं टी अवसंरचना विकास परियोजना लिमिटेड (एलटीआईडीपीएल) को अंतरित किया गया।

ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (यूटीएल) - 17.12.2012 को निगमित किया गया और बाद में आरईसीटीपीसीएल, यूटीएल एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधन एवं शर्तों पर 24.03.2014 को पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को अंतरित किया गया।

नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 04.12.2012 को निगमित।

बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड - 24.1.2013 को निगमित।

एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित।

एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड और पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों पर 12.05.2014 को पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को अंतरित किया गया।

समेकित लेखा टिप्पणियां

एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.7.2013 को निगमित किया गया और बाद में, आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं ईआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा-विस्तृत निबंधन एवं शर्तों पर 12.05.2014 को मै. इस्सेल इंफ्राप्रोजेक्टस लिमिटेड (ईआईएल), अंतरित किया गया।

संबंधित पक्षों से/को देय राशि के ब्यौरे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	**0.08**	0.04
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	**0.01**	0.01

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के ब्यौरे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घ अवधि ऋण-निवेशित राशि		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	**0.04**	0.04
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	**0.09**	0.08
कर्मचारी हित लाभ-व्यय-प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**1.56**	1.65

36. कम्पनी ने लेखाकरण मानक-15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी हितलाभ' को अंगीकृत किया है। परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजना इस प्रकार है :

क. भविष्य निधि

कम्पनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना होता है। प्रबंधन अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित निधि की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कम्पनी एक अलग न्यास में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान अदा करती है, जो बीमाकर्ता के पास उस निधि का निवेश करता है। बीमाकर्ता न्यास के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष पर ब्याज की दर तय करता है। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है। कम्पनी द्वारा देय परिभाषित अंशदान के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में इस व्यय को मान्यता दी गई है।

ग. उपदान

कम्पनी की एक परिभाषित उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कम्पनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (विवाहिता सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ङ. कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना

यदि कोई कर्मचारी कंपनी की सेवा के दौरान स्थायी रूप से पूर्णतः अशक्त हो जाता है/यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को आर्थिक लाभ और सहायता देने के लिए कम्पनी की एक योजना है। इस व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

च. कर्मचारी की लंबी सेवा के लिए पुरस्कार योजना

कम्पनी में कर्मचारियों की लंबी सेवा पुरस्कार की एक योजना है जो कम्पनी में लगातार 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को दिया जाता है। इस व्यय को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

छ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्त हितलाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कम्पनी के पास कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। व्यय को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत किया जाता है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है :

लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
चालू सेवा लागत	1.85	1.78	1.20	1.02	0.05	0.05
ब्याज लागत	3.03	2.92	4.46	3.75	0.09	0.09
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.69	3.44	-	-	-	-
बीमांकित (लाभ)/और हानि	(0.37)	0.09	9.39	6.98	(0.04)	(0.07)
मान्यताप्राप्त व्यय	0.82	1.35	15.05	11.75	0.10	0.07

तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशि :

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान न्यास के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	38.07	37.85	66.64	55.80	1.16	1.16
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.94	35.14	-	-	-	-
निवल परिसंपत्तियां/(दायित्व) मान्यताप्राप्त	(2.13)	(2.71)	(66.64)	(55.80)	(1.16)	(1.16)

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
अवधि के आरम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	37.85	36.47	55.80	46.82	1.16	1.12
ब्याज लागत	3.03	2.92	4.46	3.75	0.09	0.09
चालू सेवा लागत	1.85	1.78	1.20	1.02	0.05	0.05
प्रदत्त हितलाभ	3.99	3.49	4.21	2.77	0.10	0.03
दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	(0.67)	0.17	9.39	6.98	(0.04)	(0.07)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	38.07	37.85	66.64	55.80	1.16	1.16

समेकित लेखा टिप्पणियां

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान न्यास के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	**31.03.2014**	31.03.2013	**31.03.2014**	31.03.2013
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.14**	31.24	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	**3.69**	3.52	**-**	-	**-**	-
अंशदान	**1.40**	2.38	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**3.99**	3.49	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	**(0.30)**	1.49	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.94**	35.14	**-**	-	**-**	-

वर्ष के दौरान कम्पनी ने उपदान न्यास में ₹ 0.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.35 करोड़), पीआरएमएफ में ₹ 15.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.75 करोड़) और ओडीआरबी में ₹ 0.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.07 करोड़) के अंशदान की देयता का प्रावधान किया है।

अन्य कर्मचारी हितलाभ

वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी नकदीकरण के लिए ₹ 6.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.66 करोड़), बीमारी की छुट्टी के लिए ₹ 2.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.23 करोड़), आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए ₹ 0.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.25 करोड़) और दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 0.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.45 करोड़) का प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और उसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत बिंदु की वृद्धि/कमी का प्रभाव :

(₹ करोड़ में)

विवरण	1% (+)		1 % (-)	
	31.03.2014	**31.03.2013**	31.03.2014	31.03.2013
सेवा और ब्याज लागत	**1.17**	**0.85**	(0.46)	(0.70)
पीबीओ (बन्द दर)	**8.56**	**7.58**	(7.21)	(6.35)

बीमा संबंधी अनुमान :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2014	31.03.2013	**31.03.2014**	31.03.2013	**31.03.2014**	31.03.2013
प्रयुक्त विधि	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
छूट दर	**8.50%**	8.00 %	**8.50%**	8.00 %	**8.50%**	8.00 %
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**10.50%**	10.50 %	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.50%**	6.00 %	**6.50%**	6.00 %	**6.50%**	6.00 %

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकी) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख अनुमान छूट पर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ है जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

37. कुछ पूर्व राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए प्रतिष्ठानों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य बिजली बोर्डों की देयताएं नए प्रतिष्ठानों में अंतरित कर दी गई है और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (पीएसईबी), हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एचपीएसईबी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीएसईबी) के मामले में इस निगम, नए प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

38. कम्पनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण करना है। तदनुसार, कम्पनी के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचना देने के लिए एक से अधिक उपयुक्त खंड नहीं हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

39. दिनांक 31.03.2014 को कम्पनी का पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 19.35% है (पिछले वर्ष 17.71%)।

40. कम्पनी के पास दिनांक 31.03.2014 को रियल एस्टेट क्षेत्र का कोई प्रकटन नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)

41. दिनांक 31.03.2014 को ऋण परिसंपत्तियां और उधार परिपक्वता का विवरण :

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	परिसम्पत्तियों की वसूली	उधारियों की चुकौती
2014-15	**12,666**	16,078
2015-16	**14,861**	18,954
2016-17	**16,295**	16,554
2017-18	**15,690**	8,839
2018-19	**15,185**	13,395
2019-20	**14,117**	9,341
2020-21	**12,840**	7,191
2021-22	**11,531**	9,441
2022-23	**10,009**	6,091
2023-24	**8,136**	9,303
2024-25	**6,1183**	-
2024-25 के बाद	**11,128**	11,053
योग	**148,641**	126,240

42. आरईसी विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार कम्पनी की ऋण परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 13 एवं 17 में वर्गीकृत) निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	परिसंपत्ति का वर्गीकरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2013 के अनुसार	
		ऋण शेष	ऋण परिसम्पत्तियों के प्रति सृजित भत्ता	ऋण शेष	ऋण परिसम्पत्तियों के प्रति सृजित भत्ता
1	मानक परिसम्पत्ति	**148,150.70**	**-**	126,865.14	-
2	गौण-मानक परिसम्पति	**-**	**-**	223.18	22.32
3	अशोध्य परिसम्पति	**473.18**	**119.64**	250.00	50.00
4	क्षतिपूर्ण परिसम्पत्ति	**17.22**	**17.22**	17.22	17.22
	योग	**148,641.10**	**136.86**	127,355.54	89.54

43. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

44. जब तक स्पष्ट रूप से न कहा गया हो, रुपए के अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747एन

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह :				
कर-पूर्व निवल लाभ	**6,616.71**		5,186.21	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.69**		0.33	
2. मूल्यह्रास	**4.52**		3.90	
3. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए छूट	**47.89**		25.56	
4. मानक ऋण परिसंपत्तियों के बदले में आकस्मिक छूट	**264.70**		105.68	
5. स्टाफ अग्रिमों हेतु छूट	**0.07**		-	
6. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**230.88**		86.49	
7. विविध उधारियों के ब्याज व्यय	**0.16**		0.37	
8. अत्याधिक प्रावधान रिटन बैक	**-3.18**		-0.04	
9. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-**		-0.34	
10. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ	**304.27**		77.51	
11. निवेशों से लाभांश	**-0.38**		-0.25	
12. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II पर ब्याज	**-47.16**		-54.71	
13. कर मुक्त/अन्य निवेशों से ब्याज आय	**-3.83**		-6.84	
14. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**2.96**		2.06	
15. बट्टेखाते डाले गए बाण्डों पर छूट	**4.83**		4.83	
16. जीरो कूपन बॉण्डों पर उपचित ब्याज	**64.97**		59.88	
17. प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	**0.01**		0.01	
18. अन्य वित्तीय व्यय	**0.16**		0.02	
19. परियोजना लागत संशोधनों की आकस्मिकता हेतु प्रावधान	**1.15**		-	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ :	**7,489.42**		5,490.67	
वृद्धि/कमी :				
1. ऋण परिसंपत्तियां	**-22,427.06**		-25,929.26	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियां	**-381.69**		93.23	
3. प्रचालन देयताएं	**-265.28**		1,670.57	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-15,584.61**		-18,674.79	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-1,667.44**		-1,384.09	
2. आयकर वापसी	**8.27**		-	
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**-17,243.78**		-20,058.88
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.26**		0.05	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी एवं विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां भी शामिल हैं)	**-4.79**		-5.30	
3. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉड-II का विमोचन	**94.32**		94.32	
4. 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिटों का विमोचन	**-**		0.15	
5. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-**		0.34	
6. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉड-II पर ब्याज	**47.16**		54.71	
7. कर मुक्त/अन्य निवेशों से ब्याज आय	**3.83**		7.69	
8. निवेशों से लाभांश	**0.38**		0.25	
9. अनुषंगी कंपनियों के शेयरों में निवेश	**-**		-0.20	
10. कर मुक्त बॉण्डों/अन्य में निवेश	**-5.19**		-	
11. अनुषंगी कंपनियों के शेयरों की बिक्री	**-**		0.05	
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**135.97**		152.06

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बॉण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	17,460.70		13,781.96	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/एसटीएल जुटाना (चुकौतियों का निवल)	-3,049.95		-1,648.90	
3. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल)	1,706.32		4,484.19	
4. भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सहित अनुदान (वापसी का निवल)	2,920.69		606.77	
5. अनुदानों का संवितरण	-2,429.28		-940.37	
6. सरकारी ऋण की चुकौती	-7.21		-9.50	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	-148.13		-246.86	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	-765.28		-666.54	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	-155.23		-148.19	
10. विविध उधारियों पर प्रदत्त ब्याज	-0.16		-0.37	
11. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	1.24		0.05	
12. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौतियों का निवल)	1,281.16		847.18	
13. अन्य वित्तीय व्यय	-0.16		-0.02	
वित्त संबंधी क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		16,814.71		16,059.40
नकदी/नकदी एवं समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		-293.10		-3,847.42
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		1,501.33		5,348.75
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		1,208.23		1,501.33

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
- निम्न के संबंध में बैंकों में शेष :				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में चालू खाता		110.56		354.90
- असंवितरित आरजीजीवीवाई अनुदान#		0.20		2.81
- असंवितरित एजीएवंएसपी अनुदान#		3.97		6.11
- अन्य असंवितरित सब्सिडी/अनुदान#		1.75		2.35
- कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यू लेखें#		5.96		0.63
- अप्रदत्त लाभांश लेखे#		2.31		1.84
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि निक्षेप		1,083.48		1,132.69
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		1,208.23		1,501.33

#ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे, पब्लिक इश्यू लेखे में शेष तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखे चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं। इसके अतिरिक्त अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि ₹ 2.38 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) सहित बैंकों में शेष और ₹ 503.50 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 10.00 करोड़) सहित अनुसूचित बैंकों में अल्प अवधि जमा राशियां आरजीजीवीआई अनुदान के लिए चिह्नित हैं और कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी : पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन:व्यवस्थित किया गया है और जहां कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत किए गया हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अभिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747एन

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (''कंपनी''), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम, के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह समेकित विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टात्मक सूचना शामिल है।

2. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

प्रबंधन वर्ग इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में अपनाई जा रही सामान्य लेखाकरण पद्धति के अनुसार कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाहों का सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों, जो सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से रहित हैं, चाहे वह धोखे के कारण हो या त्रुटि के कारण, से संगत आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्प, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है।

3. **लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का आयोजन तथा निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी प्रक्रिया विधियों का निष्पादन करना शामिल है, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित नीतियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों के जोखिम का निर्धारण शामिल है चाहे वह धोखे के कारण हो या त्रुटि के कारण। ऐसे जोखिम आकलन करते समय, लेखापरीक्षक समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित है किन्तु ऐसा वह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावात्मकता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता। लेखापरीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की समुचितता तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमने दो सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है। इसमें समेकित वित्तीय विवरण भी शामिल हैं, जिनसे 31 मार्च, 2014 के अनुसार रूपए 191.39 करोड़ (गत वर्ष 124.78 करोड़)की कुल परिसंपत्तियों और उसी समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रुपए 118.73 करोड़ (गत वर्ष 41.77करोड़) का सृजन हुआ है। अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण गैर - लेखापरीक्षित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय है कि ऐसे वित्तीय विवरण किस सीमा तक अनुमानित हैं, अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यम के प्रबंधन वर्ग के केवल प्रमाणीकरण पर आधारित है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त तथा उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

4. **राय**

हमारी रिपोर्ट हैं कि समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग)के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक (एएस)21- समेकित वित्तीय विवरणों, लेखाकरण मानक (एएस)23 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोशिएट में निवेश के लिए लेखाकरण और लेखाकरण मानक (एएस)27 संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए जाते हैं।

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के बारे में सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं,

(क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के कार्यों की स्थिति की;

(ख) लाभ और हानि के समेकित विवरण के मामले में, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की; तथा

(ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों की।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(के.एस. पोनुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन	एनआरएसएस XXXI(ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनआरएसएस XXXI(बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड
(ए)	पूंजीगत	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
(बी)	आरक्षित एवं अधिशेष	68.87	60.18	-	-	-	-	-
(सी)	कुल परिसंपत्तियां	79.82	79.95	0.92	0.95	1.05	1.00	5.30
(डी)	कुल देयताएं	10.90	19.72	0.87	0.90	1.00	0.95	5.25
(ई)	निवेश के विवरण (सहायक कंपनियों में निवेश के मामले के अलावा)	60.00	12.00	-	-	-	-	-
(एफ)	टर्नओवर	35.18	75.16	-	-	-	-	-
(जी)	कराधान पूर्व लाभ	34.30	50.19	-	-	-	-	-
(एच)	कराधान के लिए प्रावधान	10.44	17.18	-	-	-	-	-
(आई)	कराधान पश्चात लाभ	23.86	33.01	-	-	-	-	-
(जे)	प्रस्तावित लाभांश	0.10	0.25	-	-	-	-	-

प्रबंधन दल

श्रीमती आभा आनन्द किशोर
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मा.स. एवं सीसी/रा.भा.)

श्री डी.एस. आहूवालिया
कार्यकारी निदेशक
(सीआईआरई/परियोजना मॉनीटरिंग)

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(प्रशा./आरईएन एंड एसडी/एस्टेट)

डा. दिनेश अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई-1/डीडीजी) एवं सीईओ-आरईसीपीडीसीएल

श्री संजीव गर्ग
कार्यकारी निदेशक
(ऋण एवं वसूली/एएलएम/कराधान)

श्री सुनील कुमार
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई-ii/आईटी)

श्री एस.के. गुप्ता
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण एवं एनईएफ)

श्री राकेश कुमार अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(संसा./सीए/सीपी/सीएसआर)

श्री एस.एन गायकवाड़
महाप्रबंधक एवं सीईओ-
आरईसीटीपीसीएल

श्री टी.एस.सी. बोस
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री दिनेश कुमार
महाप्रबंधक
(रिन्यूएबल एनर्जी)

श्री जी.एस. भाटी
महाप्रबंधक (आरजीजीवीवाई/डीडीजी)

श्री सी.पी. भाटिया
महाप्रबंधक (आईए)

श्री एल.एम. वर्मा
महाप्रबंधक
(ऋण एवं वसूली)

श्रीमती कल्पना कौल
महाप्रबंधक
(मा.सं. एवं सीसी/रा.भा.)

श्री जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

श्री एस.एल. बत्ता
महाप्रबंधक (विधि)एवं पीआईओ

श्री जी.वी. महेन्दर
महाप्रबंधक
(एनटिटि अप्रेजल)

श्री अजॉय चौधरी
महाप्रबंधक
(वित्त) स्वीकृति

श्री वी.के. सिंह
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री फुजैल अहमद
महाप्रबंधक
(पीएमजी)

श्री आर.पी. वैष्णव
आंचलिक प्रबंधक
(पश्चिमी अंचल)

श्री जयदेव बनर्जी
आंचलिक प्रबंधक
(पूर्वी अंचल)

श्री राकेश सरीन
आंचलिक प्रबंधक
(उत्तरी अंचल)

श्री पी.एस. हरिहरन
आंचलिक प्रबंधक
(दक्षिणी अंचल)

श्री एन.के. मौर्या
आंचलिक प्रबंधक
(पूर्व मध्य अंचल)

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी कार्यालयों का पता

क्रम सं.	राज्य/संघ	पता	दूरभाष सं.	फैक्स/ई-मेल
	कारपोरेट कार्यालय	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	011-41020101 011-24365161	फैक्स : 011-24360644 ई-मेल : reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन आंचलिक कार्यालयों/राज्यों एवं संघशासित राज्यों के अंचल/स्थान			
1	**मध्य अंचल** **लखनऊ** उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड एवं झारखण्ड	19/8 इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ--226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-2716446	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recuppo@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
2	**पूर्वी अंचल** **कोलकाता** पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्य	आईसीएमएआरडी भवन, 7वीं मंजिल, ब्लॉक 14/2, सीआईटी स्कीम-VIII (एम), अल्टाडांगा, कोलकाता-700067	033-23566989 033-23567017 033-23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
3	**उत्तरी अंचल** **पंचकुला** हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश	बे नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला 134112	0172-2563864 0172-2563863 0172-2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in
4	**दक्षिणी अंचल** **बेंगलूरू** कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 1/5, अलसूर रोड, बंगलूरू-560042	080-25598244 080-25598035 080-25550240	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobangalore@recl.nic.in
5	**पश्चिमी अंचल** **मुम्बई** महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव	51-बी, मित्तल टॉवर, 5वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	022-22830985 022-22833068 022-22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
	परियोजना कार्यालय			
1	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली पोस्ट एनपीए, आरामघर के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, हैदराबाद-500052	040-24014034 040-24014420 040-64583563 040-64583569	फैक्स : 040-24014235 ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in reclpohyd@yahoo.com
2	असम, नगालैण्ड एवं अरूणाचल प्रदेश	''श्रद्धा'' एम.जी रोड-जीएस रोड, क्रॉसिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट), क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी	0361-2343712 0361-2343713 0361-2343714	फैक्स : 0361-2343712 ई-मेल : poguwahati@recl.nic.in poguwahati@gmail.com
3	बिहार	ब्लॉक-सी, चौथा तल, मौर्या लोक कांप्लेक्स, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	0612-2221131 0612-2224596	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : popatna@recl.nic.in popatna@yahoo.com

क्रम सं.	राज्य/संघ	पता	दूरभाष सं.	फैक्स/ई-मेल
4	गुजरात, दादर एवं नगर हवेली	प्लॉट नं. 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुस्टी परिसर के पीछे, वीएमसी कार्यालय के सामने, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा-390023	0265-2397487	फैक्स : 0265-2397652 ई-मेल : recvadodara@gmail.com povadodara@recl.nic.in
5	हरियाणा, चण्डीगढ़ एवं पंजाब	बे.नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला-134112	0172-2563864 0172-2563863 0172-2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in
6	हिमाचल प्रदेश	पं. पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज-II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	0177-2653411 0177-2804077	फैक्स : 0177-2804077 ई-मेल : poshimla@recl.nic.in
7	जम्मू एवं कश्मीर	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	0191-2450868 0191-2450800	फैक्स : 0191-2450868 ई-मेल : pojammu@recl.nic.in
8	झारखण्ड	ए-101 एवं डी-104 ओम श्री इंक्लेव, नजदीक लोयोला स्कूल, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची-834002	0651-2253123	फैक्स : 0651-2251320 ई-मेल : rec_ranchi@yahoo.com poranchi@recl.nic.in
9	कर्नाटक	नं. 1/5, अलसूर रोड, बेंगलूरू-560042	080-25598244 080-25598035 080-25550240	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobangalore@recl.nic.in
10	केरल एवं लक्षद्वीप	'ओ'-5, चौथा तल, ''सफालियम'' कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन पलायम, तिरूवनंतपुरम-695034	0471-2328662 0471-2327132	फैक्स : 0471-2328579 ई-मेल : potrivandrum@recl.nic.in
11	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	मेट्रो मार्ग, द्वितीय तल, वेस्ट हॉल नं. 3, विट्ठल मार्केट, भोपाल-462016	0755-2460006	फैक्स : 0755-2460008 ई-मेल : reccentralzone@yahoo.com
12	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव	51-बी, मित्तल टावर, 5वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	022-22830985 022-22833068 022-22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
13	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	'रिनाडी' ओल्ड जोवाई रोड, लाचूमियर, शिलांग-793001	0364-2210190 0364-2225687	फैक्स : 0364-2225687 ई-मेल : poshillong@recl.nic.in
14	उड़ीसा	दीनदयाल भवन, 5वीं मंजिल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	0674-2536649 0674-2393206	फैक्स : 0674-2536669 ई-मेल : recpobbsr@yahoo.co.in pobhubaneswar@recl.nic.in
15	राजस्थान	जे-4-ए, झलाना डूंगरी, इंस्टीच्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	0141-2706986 0141-2700161	फैक्स : 0141-2706986 ई-मेल : pojaipur@recl.nic.in
16	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, लूज चर्च रोड, 180 (लूज कार्नर) मायलापोर, चेन्नई-600004	044-24672376 044-24987960 044-24671196 044-24987841	फैक्स : 044-24670595 ई-मेल : pochennai@recl.nic.in cpmchennai@yahoo.com

क्रम सं.	राज्य/संघ	पता	दूरभाष सं.	फैक्स/ई-मेल
17	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड	19/8 इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ-226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-2716446	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recuppo@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
18	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	आईसीएमएआरडी भवन, 7वीं मंजिल, ब्लॉक 14/2, सीआईटी स्कीम-VIII (एम), उल्टाडांगा कोलकाता-700067	033-23566989 033-23567017 033-23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
	उप-कार्यालय			
1	छत्तीसगढ़	केएच नं. 185/17, शान्ति विहार कॉलोनी, (विवेकानंद स्कूल के सामने) दौगानिया, रायपुर-492013	0771-2241055	फैक्स : 0771-2241055 ई-मेल : recraipur@yahoo.com
2	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून-248001	0135-2650766 0135-2650799	फैक्स : 0135-2650799
	प्रशिक्षण केंद्र			
	केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान	शिवरामपल्ली, पोस्ट-एन.पी.ए., नजदीक आरामघर, नेश्नल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	040-24015897 040-24015901 040-64584526	फैक्स : 040-24015896 040-24018583 ई-मेल : cire@recl.nic.in cire.rec@gmail.com

टिप्पणी

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप परिसर, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएनः** एल40101डीएल1969GOI005095

उपस्थिति पर्ची

बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाने वाली 45वीं वार्षिक आम बैठक

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
*फोलियो संख्या	
डीपी आईडी संख्या	
क्लांयट आई डी संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में, यह तब भरा जाना है यदि सदस्य के स्थान पर प्राक्सी बैठक में उपस्थित हो रहा हो)।	

मैं, एतद्द्वारा बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010 में आयोजित कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

*भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में लागू

____
सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणियां

1. उपस्थिति पर्ची पर हस्ताक्षर कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) / निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार किए जाने चाहिए। इस प्रकार विधिवत् पूर्ण तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची (पर्चियां) स्थल पर आरटीए काउंटर(रों) पर दी जानी चाहिए जिनके बदले आरटीए प्रवेश कार्ड देगा। सभागार में प्रविष्टि कठोरतापूर्वक आरटीए द्वारा दिए गए प्रवेश कार्ड के आधार पर होगी। स्वयं सदस्य तथा प्राक्सी धारक कृपया पहचान / सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपना फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं। 2. केवल स्वयं शेयरधारकों को या उनके पंजीकृत प्राक्सी को ही प्रविष्ट किया जाएगा। 3. कठोर सुरक्षा कारणों से, मोबाइल फोन, ब्रीफकेस, खाने-पीने का सामान तथा अन्य सामान सभागार के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक(कों)/प्राक्सी धारक(कों) को अपने सामान की देखभाल स्वयं करनी होगी। 4. वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप परिसर, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएनः** एल40101डीएल1969GOI005095

प्रॉक्सी प्रपत्र (प्रपत्र सं. एमजीटी-11)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में

सदस्य(यों) का नामः	फोलियो सं. / डी पी आई डी - क्लांयट आईडी
पंजीकृत पताः	
धारित शेयरों की संख्याः	ई-मेल आईडी

मैं/हम उक्त कंपनी के ....शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा नियुक्त करते हैः

1.	नामः			
	पताः		हस्ताक्षरः	
	ई-मेल आईडीः			
अथवा उनके न आने पर				
2.	नामः			
	पताः		हस्ताक्षरः	
	ई-मेल आईडीः			
अथवा उनके न आने पर				
3.	नामः			
	पताः		हस्ताक्षरः	
	ई-मेल आईडीः			

बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाने वाली कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक में या उसकी किसी आस्थगित बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे प्राक्सी के रूप में भाग लेने तथा नीचे निर्दिष्ट संकल्पों पर मत डालने (मतदान में) के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं:

क्र.सं.	संकल्प
सामान्य कारोबार	
1.	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलनपत्र तथा उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण को उन पर निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों सहित प्राप्त करना, उनको अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।
2.	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन 02231613) जो क्रमानुचक्र द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा जिन्होंने पात्र होने के नाते अपनी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।
4.	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
विशेष कारोबार	
5.	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ऋणपत्रों का निर्गम।
6.	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों तथा एसोसिएट कंपनियों के साथ लेनदेन करना।

.... 2014 के .... दिन हस्ताक्षरित

यहां रूपए ₹1 की राजस्व टिकट लगाएं

शेयर धारक के हस्ताक्षर____________________ प्रॉक्सीधारक(कों) के हस्ताक्षर____________________

ईवीईएन (ई-मतदान इवेंट संख्या)	प्रयोक्ता आईडी	पासवर्ड/पिन

टिप्पणियां:

(1) प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह प्रपत्र विधिवत रूप से पूरा भरकर बैठक के आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

(2) यह आवश्यक नहीं कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो।

(3) एक व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से, जिनके पास कंपनी की शेयर पूंजी के मतदान अधिकारों वाले कुल मिलाकर अधिकतम दस प्रतिशत शेयर हैं, प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान अधिकार वाले शेयर धारण करने वाला व्यक्ति एक एकल व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करेगा तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003, फोनः 24365161,
फैक्सः 24360644, ई–मेलः reccorp@recl.nic.in. वेबसाइटः www.recindia.nic.in

www.sapprints.com